खण्ड-334, अंक-9
गुरूवार, 16 भाद्रपद, शक संवत् 1900
(7 सितम्बर, 1978 ई0)

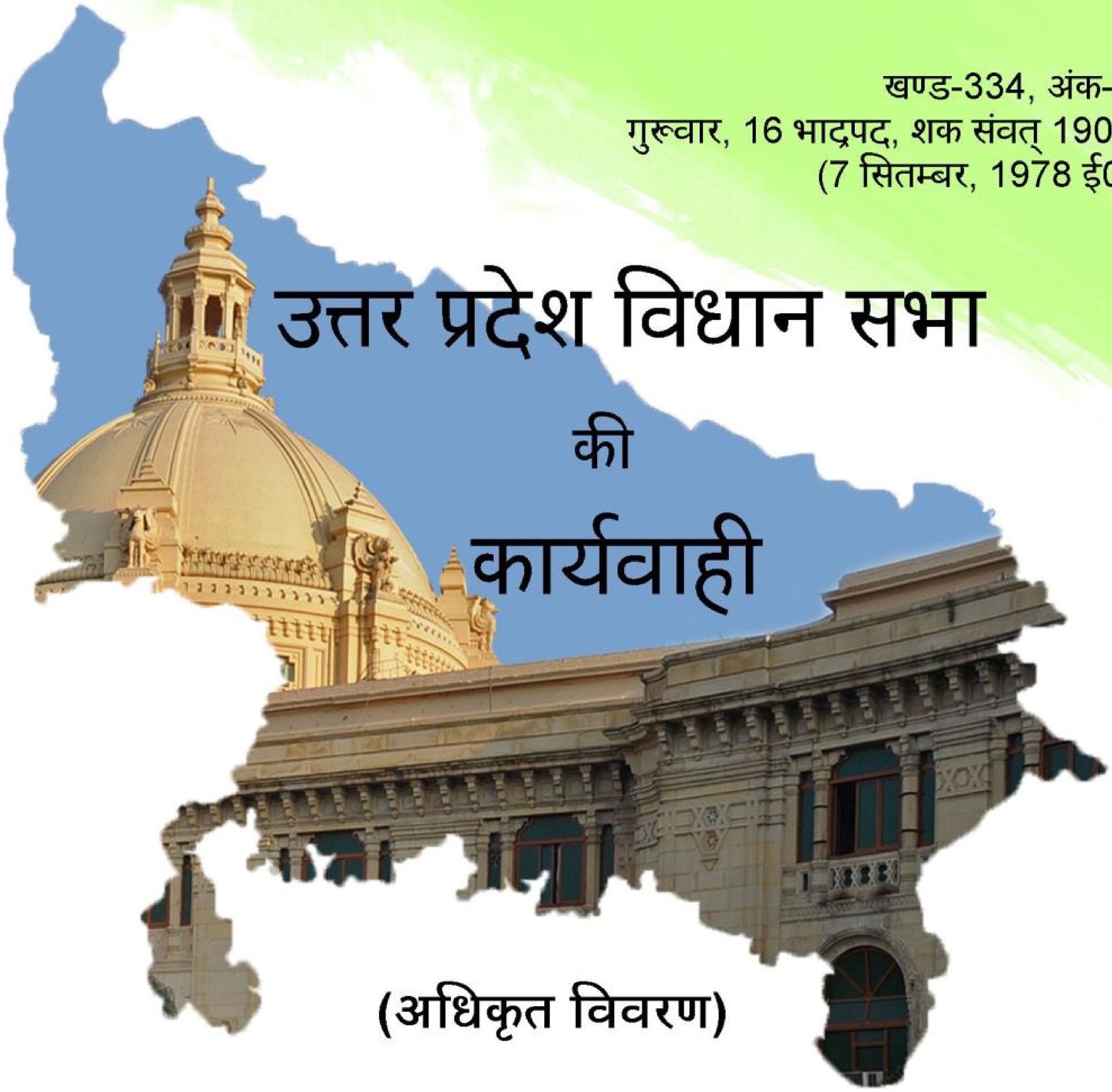

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१२०३–१२०७
प्रश्नोत्तर	१२०९–१२५८
कतिपय विषय	१२५८–१२५९
जिला अस्पताल बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा लापरवाही के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२५९–१२६०
बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील के कतिपय ग्रामों में कालरा के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६०–१२६१
धनाभाव के कारण बाढ़ राहत कार्य में कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६२–१२६३
जनपद आगरा के ग्राम बीदामई के श्री देवीराम के घर डकैती तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६३
प्रदेश में नक्सलपंथियों की उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६४
विद्युत् कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६४–१२६५
गोरखपुर जनपद के ग्राम ककटहीं में नाव–दुर्घटना में ८ व्यक्तियों की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	१२६५
ग्राम निबी पट्टी जिला प्रतापगढ़ के श्री भूषण मिश्र की हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	१२६
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग	१२६६–१२६८
लखनऊ में लकड़बग्घे के आंतक के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षण	१२६८–१२६९
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (छठां संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२६९
उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स (खन्ड संगठन कर्ताओं और बटालियन अनुदेशकों पर अनुशासनिक नियंत्रण) नियमावली, १९७७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२६९–१२७०
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (छठा संशोधन) नियमावली, १९७६ एवं (सप्तम संशोधन) नियमावली, १९७७ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२७०

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (नवम संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२७०
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संस्थान्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१२७०
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (बाईसवां) आदेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२७०
उत्तर प्रदेश श्रम जीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१२७१
रेणुकूट जांच आयोग का प्रतिवेदन, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१२७१
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तेईसवां) आदेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	१२७१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	१२७१
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	१२७२
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं	१२७२
आल इन्डिया रेडियो के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१२७२-१२७३
उरसला अस्पताल, कानपुर के वरिष्ठ अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१२७३-१२७९
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए विधिमान्य अभ्यर्थियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना ..	१२७९-१२८०
आज होने वाले वक्तव्यों का स्थगन	१२८०-१२८१
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ (पुरःस्थापित किया गया)	१२८१-१२८२
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	१२८२-१२८६
संसद की भांति सदस्यों को आवास आवंटन हेतु समिति गठन करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	१२८६-१२८७
मंत्रियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशासन में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	१२८७-१२८८
उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ (पारित)	१२८८-१३१२

विषय	पृष्ठ संख्या
दण्ड प्राक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	१३१२ १३१९
उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ (पारित)	१३२० १३२८
आज की कार्य सूची के कतिपय वक्तव्यों का स्थगन	१३२८
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	१३२८ १३२९
उत्तर काशी के कनौडिया गाड़ में भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने से उत्तर प्रदेश को खतरा तथा प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (जारी)	१३२९ १३६०
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१३६०-१३६१
उत्तर काशी में कनौडिया गाड़ में भू-स्खलन से एक नई झील बन जाने से उत्तर प्रदेश को खतरा एवं प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (समाप्त)	१३६१ १३७३
नस्थियां	१३७७-१३९३

विधान सभा सचिवालय

उद्धान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३५०

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
कदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हुसैन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री

गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाम अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नेगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री

बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभो, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मालिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री, (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफी अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री

राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह,
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरि राम वर्मा, श्री
हरि राम शाक्य, श्री
हरि सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट :- हरिजन एवं समाज कल्याण, मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
सचिवालय, उत्तर प्रदेश

बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

**१—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई), श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया), श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा) तथा डा० बाबू राम प्रभाती (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं, क्या शासन इनकी सेवाओं को नियमित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक इनकी सेवाओं का नियमितीकरण किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत दैनिक वेतन टंककों के नियमितीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

तीन तीन साल से लगातार कार्यरत जिन कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं और निर्णय के बाद नौकरी से अलग होने की बात है और उस समय ओवर एज होने के कारण नौकरी से वंचित रह जाएंगे, इसलिए उनके नियमितीकरण का आधार क्या है, यह प्रश्न शासन के पास कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जाएगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

सन् १९७४ तक सचिवालय में सीधी भर्ती की जाती थी, उसके बाद चयन समिति की एक नियमावली बनी कि जिलेवार इन सेवाओं में चयन समिति नियुक्त और चुनाव करें । सन् १९७५ में किफायतशारी के तहत यह निर्णय लिया गया था कि इन सेवाओं में दैनिक बेसिस पर लोगों को भर्ती किया जाए . . .

श्री अध्यक्ष—

आप उनके प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और उसका आधार क्या है और कब तक उस पर विचार समाप्त होगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पहले सेलेक्शन होता था सीधे पर बाद में चयन समिति से होने लगा । इस समय दैनिक भर्ती बन्द कर दी गई है और यह विचार किया जा रहा है कि इन्हें किस प्रकार रेगुलराईज किया जाए । अप्रैल, १९७८ के बाद ऐसी सीधी भर्ती नहीं की गई और इन्हें रेगुलराईज करने के लिये नियमों का विश्लेषण किया जा रहा है कि उसमें शिथिलता दे कर उन्हें कैसे एडजार्ब किया जाए । इसमें बहुत जल्दी निर्णय होने की आशा है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला या तो कह दें कि वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते ।

श्री अध्यक्ष--

आपने केवल आधार बताया है, यह कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जाएगा, यह नहीं बताया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

अप्रैल, १९७८ में सीधी भर्ती बन्द करने के समय से यह विचाराधीन है । इसमें कार्मिक विभाग की राय मांगी गई थी, जिसने विपरीत राय दी है, लेकिन मेरी राय है कि....

श्री अध्यक्ष--

अब यह बताएं कि इस पर अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

बहुत शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मूल प्रश्न में ही था कि इनकी सेवाओं का नियमतीकरण कब तक कर दिया जाएगा--इस पर सप्लीमेंट्री की आवश्यकता ही नहीं थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें ४ श्रेणी के कर्मचारी हैं--दैनिक वेतन टंकक ३७४, दैनिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ५२५, शिक्षित श्रमिक ६२ और तकनीकी कर्मचारी ३ कुल योग ९६४ संख्या है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन लोगों की नियुक्ति टाइप टेस्ट लेने के उपरान्त की गयी हैं, तो दुबारा टाइप टेस्ट लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह दैनिक भरती थी । जैसे-जैसे आवश्यकता हुई, की गयी । यह प्रयास किया जा रहा है कि इनको रेगुलर टेस्ट में न जाना पड़े ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं क्या वह १० वर्ष से लेकर अब तक कार्य कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सही नहीं है । सन् १९७५ के बाद से यह परम्परा चालू की गयी थी । यह इसी पीरियड के हैं ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

दैनिक पारिश्रमिक पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इनको नियमित किया जाय । तो क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वस्त करायेंगे कि जो भी फारमस्टिज हैं उनको पूरा करने के बाद भी किसी व्यक्ति को अलग नहीं किया जायेगा । और इसके साथ ही साथ उनकी सीनियारिटी वही बनी रहेगी जो इस समय है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कोशिश यही की जा रही है कि उनको अलग न करना पड़े ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिनकी सेवायें ३ साल से अधिक हो गयी हैं उनको नियमानुसार नियमित कर दिया जायेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वह नियम इन लोगों पर लागू नहीं होता है । यह १९७५ के बाद की प्रक्रिया है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि क्या फिर से इम्तहान होगा । आपका कहना है कि जिन कर्मचारियों को ३ साल हो गये हैं और उनका कार्य सन्तोषजनक समझा गया तो क्या उनको स्थायी करेंगे या नहीं ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

उनका विधिवत सेलेक्शन करना पड़ेगा । यह उस केटेगरी में नहीं आते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ३–४ साल तक उनको अनफिट नहीं समझा गया, तो उनको इस परेशानी में डालने का क्या कारण है ?

श्री ऊधल—

सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि में नियम बना दिए गये हैं । इस सरकार में भी नियम हैं कि जो ३ साल तक रेगुलर कार्य कर लेंगे उनको स्थायी कर दिया जायगा । यही सुखपाल पाण्डेय जी का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

जो नीति दूसरे विभागों में बरती गयी वह सचिवालय में क्यों नहीं बरती गयी, इसका क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

वह अस्थायी कर्मचारियों के लिये है । दैनिक कर्मचारियों के लिए नहीं है अगर यह काम पर आते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक मिलता है और अगर नहीं आते हैं, तो नहीं मिलता है । इसलिए यह नियम उन पर लागू नहीं होता है । सेलेक्शन द्वारा ही चयन करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दैनिक टंकक के परीक्षा में पक्षपात बरता जाता है तो क्या अब इस तरह की नियुक्ति न करके रेगुलर नियुक्तियां की जायेंगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह दैनिक वेतन वाली भर्ती अप्रैल, १९७८ से बन्द कर दी गयी है ।

पी० सी० एस० अधिकारियों का आई० ए० एस० संवर्ग में चयन संबंधी रिकार्ड और अनुसूचित जाति के अधिकारी

*२--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर), श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद), श्री शंकर सिंह (जिला जालौन), श्री श्याम सुन्दर गुप्त, श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन) तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष आई० ए० एस० अधिकारियों के चयन के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग को जिन पी० सी० एस० अधिकारियों का रिकार्ड भेजा गया था उसे रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस चयन के बारे में अधिकारियों ने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के पी० सी० एस० अधिकारियों में भारी असन्तोष है । क्या मन्त्री को इस बात की भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने आई० ए० एस० पद हेतु पी० सी० एस० अधिकारियों के केवल ९६ मामले विचारार्थ भेजे थे जब कि इस श्रेणी के ११८ पद रिक्त चल रहे हैं ? नाम भेजते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पी० सी० एस० अधिकारियों का नाम नहीं भेजा गया ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

जी नहीं, कोई रिकार्ड गायब नहीं हुआ है ।

यह सही नहीं है कि चयन से सम्बन्धित किन्हीं निर्देशों का पालन नहीं किया गया । वास्तव में चयन की सारी प्रक्रिया चयन समिति, संघ लोक सेवा आयोग व भारत सरकार के मध्य ही होती है ।

राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार पी० सी०एस० के सभी अर्ह अधिकारियों के मामले जिनमें अनुसूचित जाति के अधिकारियों के मामले भी सम्मिलित थे, विचारार्थ भेज गये थे ।

इस मामले में किसी स्तर पर कोई अनियमितता नहीं हुई है अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संघीय लोक सेवा आयोग ने प्रदेशीय सरकार द्वारा भेजे गये रिकार्ड के आधार पर कोई कम्प्यूटराइज्ड सूची उत्तर प्रदेशीय सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, कोई कम्प्यूटराइज्ड सूची तो नहीं है । लेकिन संघीय लोक सेवा आयोग ने पूरी प्रक्रिया करने के पश्चात् प्रदेशीय सरकार को एक सूची भेजी है जिसमें अधिकारियों की संख्या ९६ है और उसमें अनुसूचित जाति आदि के सब लोग सम्मिलित हैं । चूंकि वह सूची गोपनीय होती है इसलिए सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा कि कोई कम्प्यूटराइज्ड सूची भेजी, लेकिन कोई सूची उन्होंने भेजी है । यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उस सूची को, जिसके आधार पर प्रोन्नति की गयीं, सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे । मेरा मतलब यह है कि संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा कोई सूची भेजी गई है । और उसी के अनुसार प्रोन्नति की गई है । संघ लोक सेवा आयोग ने प्रोन्नति के लिए सूची भेजी है और आपने उसके आधार पर निर्णय भी लिये हैं, तो इसमें गोपनीयता की क्या बात है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा जो सूची भेजी गयी है, उसके अनुसार प्रोन्नति की जा रही है और वह सूची गोपनीय होती है, उसके कारण है । उसको सदन के पटल पर रखने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो चयन समिति बनाई गई थी, उसमें भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव ने एक जाति विशेष के ही अधिकारियों को, एक कमिश्नर, एक सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी और केन्द्रीय सरकार के जो पर्यवेक्षक थे, वे भी एक जाति विशेष के ही आये । इस चयन समिति ने केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा जो सूची भेजी थी, उसमें फेर बदल किया ? यदि हां, तो इस आधार पर चित्रांगद् सिंह जी का प्रोमोशन किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह एक आक्षेप है । चयन समिति में कौन-कौन व्यक्ति और किस-किस जाति के हैं, इस प्रश्न के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगा । यदि और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जो चयन समिति बनी उसमें एक जाति विशेष के लोग रहे और श्री चित्रांगद् सिंह का सूची में नाम न होते हुये भी उनका प्रोमोशन कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो मुख्य सचिव के जाति के व्यक्ति नहीं थे ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

जो सूची प्रोन्नति के लिए भेजी गयी उसमें कितने व्यक्तियों के नाम थे और उनमें से जो प्रोन्नत हुए उनमें अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने-कितने लोग थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह जो सूची है इसको संघ लोक सेवा आयोग ही तैयार करता है ।

श्री अध्यक्ष--

चयन समिति ने कितने लोगों की प्रोन्नति की संस्तुति की और उसमें अनुसूचित जाति और जन जाति के कितने-कितने व्यक्ति थे, यह प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ९६ व्यक्तियों की सूची तैयार हुई थी । प्रोन्नति में कोई रिजर्वेशन का नियम नहीं है । अतः यह इस हिसाब से तैयार नहीं हुई कि इसमें कितने अनुसूचित और कितने जन जाति के लोग हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह कहा गया कि ९६ व्यक्तियों की लिस्ट भेजी ? इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहता हूं कि ९६ में से कितने अनुसूचित जाति और कितने जनजाति के लोगों की संस्तुतियां की गयीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यहां की चयन समिति ने जो प्रोमोशन दिये हैं उनमें और सूची में भिन्नता है । जिनके नाम उस सूची में हैं उनको प्रमोशन नहीं दिये गये हैं और जिनके नाम नहीं थे उनको दिये गये हैं, यह क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सही नहीं है । जो ९६ की सूची है उनमें से जैसे-जैसे स्थान रिक्त होते जाते हैं प्रोन्नति की जाती है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं । पहले एक यह नियम था जिसमें व्यवस्था थी कि अगर किसी अधिकारी को सुपरसीड किया जाना है, तो उसका कारण दिया जायेगा । लेकिन अब संशोधित नियम में इसकी आवश्यकता नहीं है । दूसरा प्रश्न यह है कि इस सूची में आउट स्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड और अनफिट चार श्रेणियां बनायी गयी हैं तो इन श्रेणियों में ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके करेक्टर रोल अच्छे नहीं हैं और इंटेग्रिटी सर्टीफिकेट रुके हैं, उनको लिया गया है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है जिनका करेक्टर बहुत अच्छा है, क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अध्यक्ष उन सवालों का जिनसे सदन और किसी माननीय सदस्य का सम्बन्ध है और जिनके सम्बन्ध में मंत्री जी ने उत्तर दिया है, स्वतः उन चीजों के बारे में स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष को सप्लीमेंटरी क्वेश्चन्स पूछने का पूरा अधिकार है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, आपने जो पहला प्रश्न पूछा है उसके संबंध में इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। जहां तक नम्बर दो का सम्बन्ध है यह सही है कि चार किस्म की प्रविष्टियां होती हैं। एक तो उत्कृष्ट, एक अति उत्तम, एक उत्तम और एक अनुपयुक्त। ९६ आदमियों की जो सूची बनी है वह उसी के आधार पर बनाई गयी है। न मुझे कोई ऐसी जानकारी और न शिकायत मिली है कि उसके आधार पर चयन नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष--

इस लिस्ट में ऐसे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर एडवर्स एन्ट्रीज हैं, जिनके खिलाफ इन्क्वाइरी पेन्डिंग हैं, उनको लिया गया है और ऐसे अधिकारी छोड़ दिये गये हैं जिनके खिलाफ इस प्रकार की कोई भी प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कोई वरिष्ठ सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं और राज्य सरकार के ४ अधिकारी होते हैं....

श्री अध्यक्ष--

मेरे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे हैं, प्रश्न यह था कि क्या सूची में ऐसे लोगों के नाम भी थे जिनके खिलाफ एडवर्स एन्ट्री थीं और ऐसे लोगों को छोड़ दिया जिनके खिलाफ कोई एन्ट्री नहीं थी।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है। हो सकता है ऐसा हो गया हो मगर इसके लिए चयन समिति बनी है वही चुनाव करती है अंतिम रूप से।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

चयन समिति के लिये चयन संबंधी कोई निर्देश गये होंगे वे क्या हैं और क्या उनका पालन चयन समिति ने किया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इस चयन समिति के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा अन्य कोई वरिष्ठ सदस्य उसके अध्यक्ष होते हैं ४ अधिकारी राज्य सरकार के होते हैं जिसमें एक मुख्य सचिव, एक अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, एक वरिष्ठतम मंडलायुक्त, एक वरिष्ठतम आयुक्त एवं सचिव, एक भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी जो

संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो। यह लोग इसमें होते हैं जो लोगों का चयन करते हैं। प्रदेश की सरकार को उसमें किसी प्रकार का दखल देने का अधिकार नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न दूसरा था जिसका उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि इसका आधार क्या था, चयन का, क्या कोई आदेश गये थे ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जो अधिकारी ८ वर्ष की सेवा कर चुके होते हैं उनके नाम भेजे जाते हैं। उनका रेकार्ड्स आदि देखकर उनका चयन वह समिति करती हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान थे और इन ९६ में से कितने लोग इन जाति के प्रोन्नति हुए ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह--

४८ स्थान रिक्त थे और १० की नियुक्ति आगे १२ माह के लिए होना था। इसके दुगने की सूची बनायी जाती है। दुगने ११६ होने चाहिए थे, पर ९६ की बनी थी। सन् १९७४ से अब तक की यह सब से बड़ी सूची थी। जैसा मैंने निवेदन किया था, उसकी अलग से कापी रिजर्व नहीं है। उस हिसाब से उसको नहीं बनाया गया। उसके लिए सूचना की आवश्यकता है। उसमें सभी जाति के लोगों को रखा गया था।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर--

श्रीमन्, आपने अभी बताया था कि सभी निर्देशों का पालन किया गया था, तो उनका निर्देश क्या है ? जो चयन समिति की सिफारिश है, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे। मान्यवर, यह भी कहा गया कि सूची गोपनीय है, तो यह सूची तो गोपनीय होती नहीं, फाइल गोपनीय होती है, तो उस सूची को रखने में क्या गोपनीयता है, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री ऊदल--

मान्यवर, जब सूची बन गयी, तो वह सूची गोपनीय नहीं रहती।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जब गुप्ता जी ने पूछा था, तब मैंने बताया था कि ८ वर्ष की सेवा होनी चाहिए और उनका रिकार्ड देखा जाता है कि उनकी प्रविष्टि कैसी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तोमर जी ने पूछा कि जिनकी संस्तुति की गयी है उनकी सूची पटल पर रखेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

उसको प्रकाशित नहीं किया गया है, वह गोपनीय रखी जाती है और गोपनीय है। अगर आप आदेश करें तो मैं उसका कारण बता देता हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मान्यवर, अभी यह कहा कि फाइल गोपनीय है, फिर कहा सूची गोपनीय है। जिस सूची पर सरकार निर्णय ले रही है, वह किस प्रकार से गोपनीय है। वह फाइल गोपनीय है, तो मैं उसे नहीं देखना चाहता हूं, सूची बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

आप नियम को देखेंगे कि इसका अधिकार सरकार को है। लेकिन विशेष परिस्थिति में मेरे सामने अगर यह प्रश्न आयेगा आया इसको सदन के पटल पर रखना चाहिए, तो मैं पूरे तथ्यों पर विचार करके ही फैसला दे सकता हूं। वैसे सरकार को अधिकार है कहने का कि क्या वस्तु गोपनीय है।

बलिया जिले में आपातकालीन बिजली की कटौती

**३--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में आपात बिजली कटौती अगस्त माह सन् १९७८ में आए दिन की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या ऐसी कटौती उक्त माह आजमगढ़ और देवरिया जनपद में भी की गयी ?

विद्युत् मंत्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)--

जी हां। दिनांक १-८-७८ से ३०-८-७८ के बीच करीब १७ दिन थोड़े समय के लिए प्रतिदिन आकस्मिक कटौती करनी पड़ी। उपरोक्त अवधि में विद्युत् उपलब्धि औसतन लगभग बीस घंटे प्रतिदिन रही।

जब विद्युत् की निर्धारित उपलब्धि में मशीनों में त्रुटि तथा अन्य कारण जिसमें प्रमुख (i) वर्षा ऋतु में गीला कोयला होने के कारण तापीय मशीनों की चोकिंग हो जाने के फलस्वरूप इन मशीनों का आंशिक लोड पर चलना (ii) वर्षा ऋतु में अधिक पानी आ जाने के कारण कभी-कभी छिवरों तथा यमुना स्टेज ११ तथा ४ के पावर स्टेशनों का अचानक बन्द हो जाना तथा (iii) गंगा कैनाल में पानी न होने के कारण गंगा कैनाल के सभी पावर स्टेशनों के बन्द होने से कमी आ जाती है तथा उत्पादन और मांग के बीच अन्तर हो जाता है तो उस समय आपातकालीन कटौती करनी पड़ती है।

जनपद आजमगढ़ और देवरिया में भी उपरोक्त अवधि में ऐसी कटौती की गयी।

बाराबंकी जिले के ग्राम चन्द्रभानपुर के श्री गंगा राम की बिजली के घात से मृत्यु

**४--श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)--

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खंड सिद्धौर के गांव चन्द्रभानपुर के गंगाराम की मृत्यु दिनांक २० अगस्त, १९७८ को बिजली का करेन्ट लग जाने से हुई थी ? यदि हां, तो उसके आश्रितों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

बिजली का करेन्ट लग जाने से श्री गंगाराम की मृत्यु २०-४-७८ को हुई थी न कि २०-८-७८ को। राज्य विद्युत् परिषद् ने इस दुर्घटना की जांच किए जाने के आदेश मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ को दे दिए हैं। यदि जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि श्री गंगाराम की मृत्यु परिषद् के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठान के सम्पर्क में आने से हुई तो मृतक के आश्रितों को परिषदीय नियमानुसार क्षतिपूर्ति की जायगी।

श्री अशर्फी लाल यादव--

मान्यवर, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि २०-४-७८ को यह घटना घटी है, ४ महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तो यह ४ महीने में जांच क्यों नहीं पूरी हुई और यह जांच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इस मृत्यु के उपरान्त कोई सूचना सीधे न तो परिषद् के पास, न तो एलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के पास थी, बाद में जब इसकी चर्चा आई, तो छानबीन की गयी, वहां व्यक्तिगत पूछताछ कराई गयी और यह जांच चल रही है, शीघ्र ही १५ दिन के अन्दर जांच रिपोर्ट आ जायेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं इस सिलसिले में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उनको जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से हुई कि आदमी की मृत्यु बिजली का करेन्ट लगने से हुई है, तो क्या इस बात की भी जांच करायेंगे कि जिन लोगों ने तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है, उसके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, यह जो जांच हो रही है उससे सभी तथ्य सामने आयेंगे कि किसकी नेगलीजेन्स से यह तार नीचे छू गया या लटकता रहा। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर तथ्यों को छिपाने के लिए कोई दोषी पाया जायगा, तो दंडित किया जायगा।

श्री राम सागर--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सम्बन्धित लाइन कहां से कहां तक गई है। वह कागज पर संचालित है अथवा नहीं ? अगर संचालित नहीं है तो लापरवाही का कारण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, रिपोर्ट तो यह है कि मेन से ११ के० वी० की लाइन जोड़ देने के कारण यह तार सजीव हो गया। यानी ११ के० वी० की लाइन जो कटी है वह मेन से जोड़ी गयी और लाइन सजीव हो गयी। पूरी परिस्थितियों की जांच हो रही है कि किन परिस्थितियों में यह तार लटकता रह गया। यह बात जांच के बाद आयेगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि बिजली का करेन्ट लग जाने के कारण मृत्यु हो गयी। इनके अधिकारियों ने सत्य को छिपाया है। यह विभाग की परम्परा बन गयी है अपनी गलती को छिपाने की ताकि कम्पेन्सेशन न देना पड़े। जब मंत्री जी को मालूम है कि करेन्ट से मृत्यु हुयी है, तो जांच किस बात की हो रही है? तथ्य तो सामने है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो तर्क दे रहे हैं, प्रश्न पूछिए।

श्री राजमंगल पाण्डेय--

जब मंत्री जी को मालूम है कि बिजली का करेन्ट लगने से मृत्यु हो गयी है। अधिकारियों ने सत्य को छिपाया है, तो १५ दिन में जांच किस बात की करायेंगे?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा कि जो मृतक था उससे सम्बन्धित विभाग के पास कोई रिपोर्ट नहीं है। विद्युत् इंसपेक्टर के यहां भी कोई रिपोर्ट नहीं है। जानकारी मिलने पर जांच करायी गयी। जांच करायी जा रही है कि किन परिस्थितियों में रिपोर्ट नहीं आयी। जैसा माननीय सदस्य ने कहा मुआवजा देने के बारे में तो मेरे पास रिपोर्ट आ जायथी, तो मुआवजा देने में कोई कोताही का प्रश्न नहीं उठता, मुआवजा दिया जायगा।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मृतक के आश्रित को क्षतिपूर्ति देने के नियम क्या हैं? कितनी क्षतिपूर्ति दी जाती है?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, पहले ५ हजार रुपया दिया जाता था अब १० हजार रुपया कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में किस तरह से मृत्यु हुई, किस आयु की मृत्यु हुई इन फैक्टरों पर विचार करके ही अधिकतम मुआवजा १० हजार रुपए दिया जा सकता है। पिछले शासन में ५ हजार रुपए दिया जा रहा था। इसके अलावा एक हजार रुपया उन्हें तत्काल दे दिया जाता है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

फैजाबाद जिले की टाउन एरिया गोसाईगंज के कर्मचारियों का बकाया वेतन

*१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में टाउन एरिया गोसाईगंज के कर्मचारियों का माह फरवरी, १९७८ से माह जुलाई, १९७८ तक का वेतन तथा १९७१-७३ के वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के उपरान्त माह फरवरी, १९७३ से माह दिसम्बर, १९७३ तक के वेतन का अन्तर तथा शासन द्वारा स्वीकृत

अतिरिक्त महंगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान अभी तक बकाया पड़ा हुआ है ? क्या यह भी सही कि इसके विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया था जिससे कस्बे में हैजा शुरू हो गया था और तब नागरिकों के अनुरोध तथा अधिकारियों के आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त किया है ? यदि हां, तो सरकार सभी कर्मचारियों को देय धनराशि का पूर्ण भुगतान करने हेतु क्या कर रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

जी हां ।

इस टाउन एरिया में नए कर लगाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और करों की वसूली के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर बकाए का भुगतान किया जा सकेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस टाउन एरिया में सभी साधनों से आमदनी ८ हजार रुपए है जबकि वहां वेतन में १८ हजार रुपए मासिक देना पड़ता है और १,५९,००० रुपए पिछला बकाया भुगतान करना है ? यदि हां, तो इस अन्तर को देखते हुए क्या मंत्री जी १,५६,००० रुपए बकाए का भुगतान करने के लिए सरकार की तरफ से विशेष अनुदान देने की कृपा करेंगे जैसा कि कई टाउन एरियाओं में दिया गया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, हमारी सूचना के अनुसार जो रुपया देना है । १,७६,००० रु० है । दूसरी बात यह सही है कि वहां पर इस समय आय ८ हजार रुपए महीने है और खर्च १८ हजार रुपए महीने है । लेकिन हमसे ऋण के रूप में वहां के टाउन एरिया ने कुछ नहीं मांगा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है और उससे टाउन एरिया की आय कितनी मासिक हो जायगी ? यदि सरकार की तरफ से अनुदान न दिया गया तो यह बकाए की धनराशि कितने वर्षों में दी जायेगी और यदि टाउन एरिया ऋण मांगेगी, तो सरकार क्या उसे देगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, अनुदान देने की तो कोई व्यवस्था नहीं है । ऋण के रूप में यदि यह टाउन एरिया मांगेगी, तो उस समय जबकि टोल-टैक्स लगायें और उससे जो आय हो वह कुछ देवें और उसको देखने के बाद कि उनको देने की क्षमता के बाहर है तो फिर यदि ऋण मांगेंगे तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

उनका दूसरा प्रश्न यह है कि नए प्रस्तावित कर कौन-कौन हैं और उससे कितनी आय होगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, टोल-टैक्स लगाने और सैंक्शन करने का अधिकार जिला मैजिस्ट्रेट को है। इसलिए वहां से प्रस्ताव हमारे पास आया था। हमने उसको वापस कर दिया है। आमदनी हम ८ हजार रुपए मान सकते हैं। पहले ज्यादा थी लेकिन १,१७,००० रुपए से घटकर ९६,००० रुपए हुई और अब उसको ८ हजार रुपए मान सकते हैं।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

मैं जानना चाहता हूं कि जो टाउन एरिया को ऋण सरकार देगी, तो उसका क्या प्राविधान है और उसको वापस करने की क्या प्रक्रिया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, ऋण मांगने की प्रक्रिया है ऋण मांगना और ऋण वापस करने की प्रक्रिया है, ऋण वापस करना।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, पहले टाउन एरिया की आय एक लाख रुपए से ज्यादा थी, जो घटते-घटते ८ हजार रुपए रह गयी, तो इसका क्या कारण है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, कारण स्पष्ट है। अगर निष्ठापूर्वक लोग काम करें तो मैं आय गिरने के कोई कारण नहीं दीखता।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोसाईगंज टाउन एरिया में गन्दगी का साम्राज्य हो गया है। इसे साफ करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो सुझाव है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्ठा गिरी है। माननीय मंत्री जी उनकी निष्ठा को पुनः लाने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे और यदि गिरी है तो उसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उन्होंने बतला दिया, निष्ठा गिरी है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, वहां १५ दिन से फिर हड़ताल चल रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हड़ताल से जो गन्दगी उत्पन्न हो गयी है, उसे अविलम्ब निराकरण के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

गन्दगी साफ करने का काम ही हमारा है।

प्रदेश में बन्धुआ मजदूरी प्रथा

*२—श्री शत्रुरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि क्या उत्तर प्रदेश में बन्धुआ मजदूरी की प्रथा अभी भी जारी है ? अगर हां, तो इन मजदूरों की संख्या कितनी है और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

जिलाधिकारियों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के ४६ जिलों में बंधित श्रम प्रथा का प्रचलन नहीं है ।

शेष ७ जिलों से, जिनकी सूची संलग्न है, अद्यतन रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३७७ पर ।)

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बन्धुआ मजदूरी के मामले में पूरे देश से दूसरे नम्बर पर है जहां करीब १६२४२ बन्धुआ मजदूर हैं और जिसका समाचार १८ अगस्त, १९७८ के दैनिक नवजीवन में प्रकाशित हुआ था ।

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक १६००० की संख्या का सवाल है यह सूचना गलत है १९७६ में जो सर्वेक्षण कराया गया था बौन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन के विधेयक के बाद उसके मुताबिक कुछ संख्या आयी थी वह मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं । देहरादून में १९०००, उत्तर काशी में ११२, टेहरी-गढ़वाल में ४, खीरी में कोई नहीं, मिर्जापुर में कोई नहीं, बांदा में कोई नहीं, फतेहपुर में कोई नहीं । लेकिन इसके बाद फिर एक सर्वेक्षण कराया गया जिसके मुताबिक देहरादून में १९,००० की संख्या जो पहले रिपोर्ट की गयी थी वह गलत साबित हुई । वह संख्या थी २४५० । इसी प्रकार उत्तरकाशी में ८४०, टेहरी-गढ़वाल में ३८७, खीरी में ३८, मिर्जापुर में २९, बांदा में १५ और फतेहपुर में १९ ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बन्धुआ प्रथा जारी है कि नहीं है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जैसा मैंने निवेदन किया अब तक शासन को ऐसी जानकारी नहीं है लेकिन लखनऊ के बारे में जो रिपोर्ट मांगी गयी है, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । जिलाधिकारी उसका सर्वेक्षण करा रहे हैं । रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी जानकारी हो सकेगी ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित बन्धुआ मजदूरी की परिभाषा शासन के नजर में क्या है जिसे मद्दे नजर रखते हुये रिपोर्ट मांगी गयी है। यह कैसे माना गया है कि इन जिलों में शायद बन्धुआ मजदूरी होगी ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

बिल्कुल स्पष्ट बात है। बन्धुआ मजदूरों की परिभाषा बिल्कुल साफ है कि वे मजदूर जिन्हें अपने काम को चुनने का हक नहीं है और शुरू से ही जो गुलाम बन कर रहते हैं।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार ने बन्धुआ मजदूर रखना अवैधानिक घोषित कर दिया है, इसके बाद भी जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन जिलों में बन्धुआ मजदूर हैं, तो जो बन्धुआ मजदूरों को रखे हुए हैं उनके खिलाफ वह क्या कानूनी कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैंने यह नहीं कहा कि बन्धुआ मजदूर प्रथा लागू है। मैंने कहा कि अब वे मुक्त कर दिये गये हैं। ७ जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है वहां से सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या शासन को यह सूचना है कि इन बन्धुआ मजदूरों के साथ ज्यादती करने वालों के साथ पुलिस रहती है और पुलिस भी ज्यादती करती है, लेकिन आप के पास उसकी रिपोर्ट नहीं आ पाती है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन माननीय सदस्य अगर कोई जानकारी देंगे तो उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

क्या सरकार बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई योजना बना रही है या बना चुकी है और क्या केन्द्रीय सरकार से उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में कोई रुपये की मांग की है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

एक पुनर्वास योजना लागू की गयी है जो विशेष रूप से ६ विकास खंडों में है जिसकी सूची मैंने आपके सामने रखी। देहरादून, उत्तर काशी तथा टेहरी-गढ़वाल में सबसे अधिक बन्धुआ मजदूर थे। उनके पुनर्वास की योजना पर कार्यान्वयन शुरू हो गया है। भारत सरकार से सहायता प्राप्त करने की कोशिश भी की गयी लेकिन वह अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपने संसाधनों के अनुरूप ढाई हजार रुपये का अनुदान देने की योजना थी और उनको पुनर्वासित करने की योजना इन ६ ब्लाकों में चल रही है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को काम भी दिलाया गया है और सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहा गया है कि उन लोगों से काम लिया जाय। कुछ लोगों को नौकरी दिलाई गयी है और कुछ लोगों को खेती के लायक जमीन भी आवंटित की गयी है।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार बतलायेगी कि खेतिहर बन्धुआ मजदूर कितने प्रतिशत हैं ? उनको ट्रेंड करने की क्या व्यवस्था की जायगी ताकि उनकी जीविका का प्रबन्ध हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर दिया जा चुका है कि पुनर्वास योजना बनाई गयी है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)--

मुख्य मंत्री को यह अधिकार है कि वह चाहे जिस मंत्री को रखे अथवा मुक्त कर दे तो क्या हमारे मंत्रीगण भी बन्धुआ मजदूरों की श्रेणी में आयेंगे या नहीं ? (हंसी)

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

देवरिया जिले की पिपरा बाजार के होम्योपैथिक चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१--श्री बसन्त (जिला देवरिया)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, पिपरा बाजार के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी लूट-खसोट एवं अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हन्सराज पत्रकार 'बिस्मिल' पत्रिका में दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को शिकायती-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उनमें अनियमितताएं क्या-क्या हैं और अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)--

१--जी हां ।

शिकायती-पत्र में निम्नलिखित मुख्य अनियमितताओं का उल्लेख है :--

१--चिकित्सा अधिकारी अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं देखते हैं और अपने गृह जनपद में ही तैनात हैं ।

२--होम्योपैथी चिकित्सालय को एलोपैथिक चिकित्सालय बना दिया है ।

३--होम्योपैथी दवाओं एवं बैण्डेज का मरीजों से पैसा लेते हैं ।

४--चिकित्सालय के कर्मचारियों से अवकाश के वेतन से हिस्सा लेते हैं ।

५--मरीजों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है ।

उपरोक्त अनियमितताओं की जांच करा ली गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बसंत--

मान्यवर, यह मामला अप्रैल महीने में हुआ और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इसका क्या कारण है ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, एक बात जब जांच के आदेश हुए और डिप्टी सी० एम० ओ० को जांच के लिए भेजा गया तो शिकायतकर्त्ता ने कहा कि हम आपसे जांच नही कराना चाहते हैं और कोई निदेशालय से व्यक्ति आये। तब डिप्टी डायरेक्टर को भेजा और उन्होंने जांच पूरी कर ली है जिसके आधार पर हम कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित/मंत्री जी ने बताया कि जांच करा ली गई है। तो उसमें क्या-क्या आरोप सही पाये गये उसमें अभी तक कोई कार्यवाही न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, जिन आरोपों को मैंने पढ़ा उनमें से एक आरोप यह भी है कि वह गृह जनपद में तैनात हैं, वह सही है परन्तु चूंकि होम्योपैथी डाक्टर क्लास थ्री के अधिकारी हैं और नान-गजेटेड हैं इस नाते गृह जनपद में हैं। बाकी जितने आरोप हैं उनमें कोई तथ्य नहीं पाये गये। एक बात की जानकारी मिली है कि उन्होंने वहां पर एक मुहर बना रखी है जिसमें राजकीय चिकित्सालय पिपरा बाजार लिखा है जबकि उसमें होम्योपैथी शब्द भी डालना चाहिये था। यह बात सच पाई गई।

श्री चेतराम गंगवार--

इसे मंत्री जी कम अपराध समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें विवाद नहीं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह जांच विभाग द्वारा हुई या अन्य विभाग द्वारा की गई थी ?

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया पहले जो जांच के आदेश दिये गये उसमें सी० एम० ओ० को कहा गया था जिन्होंने डिप्टी सी० एम० ओ० को डिप्यूट किया था परन्तु शिकायतकर्त्ता ने कहा कि हम आपसे जांच नहीं कराना चाहते हैं और निदेशालय से करायेंगे तभी हम सहयोग करेंगे। इसलिए निदेशालय से डिप्टी डायरेक्टर होम्योपैथी से जांच कराई गई जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है।

सर्विस कनेक्शन आई० पी० आर० ए०, सिधौरा सब स्टेशन चोलापुर, जिला वाराणसी की शिफ्टिंग

*२--श्री ऊदल--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्विस कनेक्शन संख्या आई० पी० आर० ए० सिधौरा सब-स्टेशन चोलापुर जिला वाराणसी को दूसरी जगह शिफ्ट करने हेतु शिफ्टिंग कनेक्शन चार्ज १४७·५० रु० बुक नं० ७३९१-७३ नं० ३६, दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ को विद्युत परिषद मडुहाडीह, वाराणसी में जमा कराने के बाद भी आज तक कनेक्शन को दूसरी जगह शिफ्ट न करने का कारण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सर्विस कनेक्शन संख्या आई० पी० आर० ए० श्री गौरी शंकर, सिधौरा सब-स्टेशन चौलापुर जिला वाराणसी के नाम से है। उपभोक्ता ने दूसरी जगह शिफ्ट करने हेतु शिफ्टिंग कनेक्शन चार्ज की धनराशि २३-१०-७४ को विद्युत वितरण खंड (द्वितीय) वाराणसी के कार्यालय में जमा की थी लेकिन इनके ऊपर विद्युत बिल बकाया होने के कारण उनका कनेक्शन दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सका है।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि २४-८-७८ को जिस दिन यह स्थगित हुआ था, सारे कागजात मंत्री जी को मैंने दे दिये थे और उनसे यह भी बता दिया था कि जो बकाया बिल का भुगतान था वह मांगा नहीं गया था और अब यह बहाना किया जा रहा है कि बकाया बिल का भुगतान न होने के कारण उसे शिफ्ट नहीं किया गया। क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, माननीय सदस्य की सूचना को आधार मानकर इस बात की जांच करा ली जायेगी कि इसमें विभागीय उपेक्षा हुई है या नहीं। लेकिन इतनी बात साफ है कि उपभोक्ता के ऊपर बकाया रकम है और शिफ्टिंग चार्ज पूरा जमा नहीं हुआ है। यदि यह पूरा जमा हो जाय, तो मैं नहीं समझता कि कनेक्शन दूसरी जगह शिफ्ट न हो।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी उसे उखाड़ रहे हैं कि वह जमा नहीं हुआ है। वह जमा हो गया है और विभाग ने पूरी जांच नहीं की है। विभाग ने ३६ फिट का लोहे का खंभा लगाया था, वह कहां चला गया ? उसी की वजह से शिफ्टिंग नहीं हो रही है। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कनेक्शन काटने के पहले उस कनेक्शन को दूसरी जगह शिफ्ट करा देंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, जिस तारीख से कनेक्शन कटा है उसके पहले का जो बकाया है, वह तो देय है ही, लेकिन यह भी देखना पड़ेगा कि डिस-कनेक्शन के बाद जो देय हैं वे कहां तक बंध हैं और वे जमा हुये हैं या नहीं ? मैं इसकी जानकारी करा लूंगा और उसके बाद इसका निपटारा करा दिया जायेगा।

श्री ऊदल--

डिस-कनेक्शन के बाद कौन से चार्जेज देय होंगे ? मान्यवर, लाइन तो उखाड़ दी गई और लाइन काटने के बाद कौन से चार्जेज बाकी होंगे ?

श्री अध्यक्ष - (विद्युत मंत्री से)--

आप इसकी जांच करा लें और उसके बाद इसका प्रतिकार करा दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

हो जायेगा।

देवरिया जिले के विकास खंड गौरी बाजार, बैतालपुर व देसही देवरिया के अन्तर्गत विद्युतीकरण

*३--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के विकास क्षेत्र, गौरी बाजार, बैतालपुर तथा देसही देवरिया के अब तक कितने गांव का विद्युतीकरण हो गया है ? क्या यह सही है कि उक्त विकास खंडों में जो लक्ष्य विद्युतीकरण के लिए निर्धारित था वह पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

विकास खंड गौरी बाजार, बैतालपुर एवं देसही देवरिया में क्रमशः ४३, ४६ व १८ गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

जी नहीं, देवरिया जनपद में गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य विकास खंडवार निर्धारित नहीं किया गया था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । मन्त्री जी ने कहा कि देवरिया जनपद में गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य विकास खंडवार निर्धारित नहीं किया गया । क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्य निर्धारित करने का क्या आधार है और किस आधार पर वहां विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, विद्युत् परिषद् कई मदों में गांव का विद्युतीकरण करती है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना जो है, वह अधिक महत्व की है । ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में मान्यवर, विभिन्न विकास खंडों के जो प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं या जिले के जो बैकवर्ड एरिया है, उसको छांट कर प्रोजेक्ट भेजा जाता है उसको ज्यादा मान्यता मिलती है । वह भी जब केन्द्र के द्वारा स्वीकृति मिलती है । तो उसमें एक ही ब्लाक के १० गांव भी हो सकते हैं । और दूसरा जहां १५ प्रतिशत अरनैस्ट मनी जमा हो जाता है वहां लेते हैं । इसमें गांव या ब्लाक का कोई सवाल नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या यह देखते हुए कि इन विकास खंडों में विद्युतीकरण का काम बहुत कम हुआ है इसलिए इस ओर विशेष ध्यान देंगे और आश्वासन देंगे कि इस वर्ष क्योंकि इनमें २० प्रतिशत से भी कम काम विद्युतीकरण का हुआ है, कम से कम ५० प्रतिशत कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, अधिक से अधिक गांव रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन स्कीम के तहत ले लिये जांय, जहां कम विद्युतीकरण हुआ है, ऐसा हमारा प्रयास है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हम अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि उस दिशा में प्रयास हो और उस ओर कार्यवाही भी करा रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा माननीय मन्त्री जी से कि जो मन्त्री जी कह रहे हैं कि ४३, ४६ व १८ गांव का विद्युतीकरण किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ४३, ४६ व १८ गांवों में विद्युतीकरण स्कीम के अन्तर्गत वहां लाइन चली गई कि नहीं । माननीय मन्त्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि कितने प्रतिशत गांव व घरों में विद्युतीकरण हुआ है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, विद्युतीकरण की परिभाषा में जहां ट्युबवेल के कनेक्शन दिये जाते हैं और जिन गांव सभाओं में बिजली दी जाती है, उनको भी जोड़ते हैं । कितने कनेक्शन किस गांव में दिये गये इसकी सूचना यहां नहीं है, लेकिन उन गांव में जहां लाइन चली गई है, वहां पर जो उपभोक्ता विद्युत् का कनेक्शन मांगने आयेंगे, उन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जायेगा ।

वाराणसी जिले के ग्राम इस्लामपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

*४--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि मुगलसराय के पास ग्राम इस्लामपुर, जनपद वाराणसी की हरिजन बस्ती में बिजली के खम्भे और लाइन के तार को लगा दिए गए हैं लेकिन हरिजनों द्वारा अपने घरों में कनेक्शन लेने के लिये बहुत दिनों से रुपया जमा किया गया है परन्तु बराबर उनकी मांग के बावजूद उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इनको तुरन्त विद्युत् कनेक्शन दिलाने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

वाराणसी जनपद में मुगलसराय के निकटस्थ ग्राम इस्लामपुर का सन् १९७१ में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आंशिक विद्युतीकरण किया गया था । तब से अब तक गांव के केवल ३७ उपभोक्ताओं ने बत्ती और पंखा के लिए विद्युत कनेक्शन का प्रार्थना-पत्र दिया है और इनमें से भी केवल २६ उपभोक्ताओं ने मार्च से मई, १९७८ के बीच सर्विस कनेक्शन का पैसा एवम् शपथ-पत्र भर कर बी० एण्ड एल० फार्म जमा किये हैं । परन्तु इन उपभोक्ताओं में से अब तक केवल ७ ने ही अपनी वायरिंग वास्तव में पूरी कराई है । इस प्रकार केवल इन ७ को ही नियमानुसार कनेक्शन देय हुआ है । केबुल आदि आवश्यक साज-सामान की उपलब्धता न होने के कारण इन्हें अभी कनेक्शन नहीं दिया जा सका है । शेष को कनेक्शन दिये जाने का तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक कि वे आवश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं करते ।

नोट--नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

समस्त औपचारिकतायें पूरी करने वाले ७ (सात) उपभोक्ताओं को चालू (सितम्बर, १९७८) मास के अन्त तक कनेक्शन दे दिये जाने की आशा है ।

नगरपालिका, बांदा के अस्थायी प्रस्ताव में अक्षर "अ" का काटा जाना

*५--श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका बांदा की बैठक, दिनांक १८ अप्रैल, १९७७ प्रस्ताव संख्या ४४(१२) द्वारा पारित अस्थायी प्रस्ताव का 'अ' शब्द काट दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त प्रस्ताव की प्रतिलिपि पालिका में दिनांक २६ अप्रैल, १९७७ को टाइप की गयी तथा उसकी एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बांदा को पालिका के पत्र संख्या ५०१, दिनांक २ जून, ११७७ को भेजी गयी, जिसमें पहले अस्थायी शब्द टाइप किया गया है और बाद में दूसरी स्याही से "अ" को काटा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घटना की जांच गुप्तचर या सतर्कता विभाग से कराएगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । मूल प्रस्ताव में 'अस्थायी' शब्द का 'अ' अक्षर तत्कालीन पालिका अध्यक्ष के कहने से काट कर उसे 'स्थायी' किया, जिसकी पुष्टि दिनांक २२-५-७७ को बोर्ड की अगली बैठक में की गई ।

जी हां ।

इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की जा रही है ।

नगरपालिका, बांदा में खजांची पद का वेतन २ कर्मचारियों को दिया जाना

*६--श्री देव कुमार--

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतावेंगे कि नगरपालिका, बांदा में माह अक्तूबर, १९७५ से जून, १९७६ तक खजान्ची पद का वेतन दो कर्मचारियों को दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि का वेतन ४ अक्तूबर, १९७५ को सेवा समाप्त किए गए किसी खजान्ची को भी दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में तथा किस नियमानुसार ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

जी हां ।

माह सितम्बर, १९७५ से मई, १९७६ तक के वेतन का भुगतान दिनांक ४ नवम्बर, १९७७ को एवं १७ जून, १९७६ से १६ जुलाई, १९७६ तक के वेतन का भुगतान, दिनांक २१ अगस्त, १९७६ को श्री बृजमोहन त्रिपाठी खजांची को तत्कालीन पालिकाध्यक्ष के आदेशानुसार तथा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी की स्वीकृति से किया गया ।

विद्युत् वितरण खंड, मथुरा के लिपिक, श्री रविकान्त दलेला का वेतनमान

*७--श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विद्युत् वितरण खंड द्वितीय मथुरा में कार्यरत श्री रविकान्त दलेला, लिपिक का वेतन रु० ११०--२५० से अधिग्रहण (२९/३० जुलाई, १९७५) के पश्चात् घटाकर रु० ७०--११८ वेतन-

मान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह वेतन घटाने का निर्णय परिषदादेश संख्या ६६३—एन०जी०/रा० वि० प० (४)—२२०(१) ए—६६, दिनांक १६ जून, १९७५ तथा इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल (पंचम) लखनऊ, केस नं० ९५, ७२ लेजर मुन्शी हाइडिल में उत्तर प्रदेश गजट में (पृष्ठ २५०), दिनांक २७ दिसम्बर, १९७३ के विरुद्ध नहीं है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं । भूतपूर्व लाइसेन्सधारी द्वारा श्री रविकान्त दलेला की नियुक्ति अधिग्रहण के मात्र ९ दिन पूर्व की गई थी तथा वे लिपिक के पद की अर्हता भी नहीं रखते थे । अतः उनकी मूल नियुक्ति ही संदिग्ध थी । इस कारण उन्हें ब० ७०—११८ के वेतनमान में पुनः नियुक्ति दी गई । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

हमीरपुर जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का अवशेष वेतन

*८—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री, कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका वेतन २५ जून, १९७५ से अब तक किन्हीं कारणों से रोका गया है या अदा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन सबके नाम तथा रोके गये वेतन की क्या राशि है ? क्या वह किन कारणों से रोकी गयी है ? और उसके भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, वांछित सूचना तालिका 'क' तथा 'ख' में संलग्न है नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३७८ पर)

*९—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

फैजाबाद जिले मे स्टेडियम के निर्माण की मांग

*१०—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के मुख्यालय पर खेलकूद के लिए एक स्टेडियम बनाने की स्वीकृति वर्षों पूर्व हो चुकी है और उस मद में एक भारी धनराशि भी जमा है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और इस कार्य को पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां । नगर के अन्दर आवश्यक उपयुक्त भूमि प्रयास करने पर भी उपलब्ध न हो पाने के कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है ।

[बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

*१--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[५वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*२--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

[३रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या १७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नगरमहापालिका, वाराणसी में पेयजल योजना हेतु निर्मित नलकूप

*३--श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, वाराणसी के अन्तर्गत पेयजल योजना के अन्तर्गत स्थान, कचहरी, चौकाघाट, मछोदरी, बेनिया पार्क, मलदहिया तथा और कई स्थानों में ट्यूबवेल तथा पानी की बड़ी-बड़ी टंकियां बनायी गई हैं । जिनमें लाखों रुपया लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि ये सभी ट्यूबवेल पेयजल की सप्लाई अर्सा ४ वर्ष से नहीं कर रहे हैं और बन्द पड़े हैं । इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और बन्द होने के कारण क्या हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

भूतपूर्व स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा वाराणसी पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत ११ नलकूप एवं ६ ओवर हेड टैंक जिनमें कचहरी, चौका घाट मछोदरी, बेनियापार्क, मलदेहिया भी सम्मिलित हैं १९६४ में बनाये गये थे और वर्ष १९६७-६८ में चालू हालत में नगर महापालिका को स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा हस्तान्तरित कर दिये गए हैं । ये सभी नलकूप चालू हालत में हैं और यह सत्य नहीं है कि ये नलकूप ४ वर्ष से बन्द पड़े हैं ।

मलदेहिया ओवर हेड टैंक ८ वर्ष से प्रयोग में नहीं लाया जा सका है । क्योंकि सम्बन्धित नलकूप पर स्थापित पम्पिंग प्लान्ट को ठीक करना आवश्यक हो गया है । परन्तु इस क्षेत्र में भी सीधे पम्पिंग द्वारा जल वितरण किया जा रहा है । जलकल अभियन्ता को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे ३ महीने के अन्दर इस पम्पिंग प्लान्ट को ठीक कराकर समुचित पेयजल व्यवस्था का प्रबन्ध करें

*४--श्री ऊदल--

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर जिले के नीमसार व मिश्रिख में मद्यनिषेध की मांग

*५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तीर्थ स्थानों पर शराब बन्दी किए जाने की योजना के अधीन सीतापुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान नीमसार एवं मिश्रिख में अब तक नशाबन्दी न कराने का कारण क्या है तथा कब तक नशाबन्दी योजना उन स्थानों पर लागू कर दी जाएगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

सीतापुर जिले के स्थान नीमसार में कोई देशी शराब की दूकान नहीं है के भारत सरकार की वर्तमान मद्यनिषेध नीति के अनुसार क्रमबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ४ वर्षों तक में पूरे प्रदेश में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किए जाने की

योजना है । सीतापुर जनपद में भी जिलेवार क्रमबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्ण मद्यनिषेध लागू हो जाने पर नीमसार एवं मिश्रिख में पूर्ण मद्यनिषेध लागू हो जायेगा

पथकर समाप्त किए जाने की मांग

*६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेक बार घोषणा करने के बाद भी अब तक पथकर समाप्त न किए जाने का कारण क्या है तथा कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

चुंगी एवं पथकर स्थानीय निकायों की आय के मुख्य स्रोत हैं अतः इनको समाप्त करने से उनको होने वाली आय की क्षति पूर्ति किस प्रकार की जाये इस पर अभी विचार हो रहा है भारत सरकार से इस क्षति पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है इन्हीं बिन्दुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है । विचारोपरान्त यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा

राजकीय वैक्सीन संस्थान, पटवाडांगर, नैनीताल के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*७—श्री राम दत्त जोशी—

विधान सभा के प्रथम सत्र के तीसरे गुरुवार (१३-४-७८) के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राजकीय वैक्सीन संस्थान पटवाडांगर (नैनीताल) में ऐसे भी कुछ अस्थायी कर्मचारी हैं जो विगत १९ वर्षों से अथवा इससे भी अधिक अवधि से निरन्तर सेवारत हैं ? यदि हां, तो कितने और क्या इस दीर्घ सेवा अवधि के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत संस्थान में ऐसे अस्थायी कर्मचारियों की संख्या ५ है ।

संस्थान की सम्बन्धित योजनायें अस्थायी हैं अतः उनके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रश्न फिलहाल अपरिपक्व है ।

*८—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत विभाग, फैजाबाद, सोहावल के कोयला की राख की बिक्री

*९—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विद्युत विभाग फैजाबाद सुहावल के पावर हाउस में गत तीन वर्षों में कुल कितना टन कोयला खर्च किया गया तथा कितना जरली कोयला गत तीन वर्षों में बेचा गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई गड़बड़ी करने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या छानबीन की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

विद्युत विभाग फैजाबाद सोहावल पावर हाउस में गत तीन वर्षों में कु १,९३,३५६ मैट्रिक टन कोयला खर्च किया गया ।

विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित जरती कोयले (राख) का विक्रय किया गया ।

वर्ष	राख की मात्रा	दर
१९७५–७६	६,०९,७४८ घनफीट	६१.२१रु० प्रति सैकड़ा घनफीट ।
१९७६–७७	७,१६,४३४	६१.६७रु० प्रति सैकड़ा घनफीट ।
१९७७–७८	७१५,९८८	७५.७०रु० प्रति सैकड़ा घनफीट ।

इस सम्बन्ध में शासन को कोई गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण

*१०—श्री राम दत्त जोशी—

क्या श्रम मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चीनी मिलों के श्रमिकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु तृतीय वेतन मन्डल की नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध पत्र भेजा गया है ? यदि नहीं, तो इस उपेक्षा का क्या कारण है जब कि द्वितीय चीनी वेतन मन्डल की अनुशंसाओं की प्रभाव अवधि समाप्त हो चुकी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं । द्वितीय चीनी वेतन मन्डल की अनुशंसाओं की प्रभाव अवधि समाप्त होने के पहले ही वर्ष १९७४ में बेकुअम पान चीनी कारखानों में कार्यरत श्रमिकों का वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता तथा आनुतोषिक को त्रिदलीय सम्मेलन में लिए गये निर्णय के आधार पर पुनरीक्षित कर दिया गया था जो ३० अक्तूबर, १९७८ तक प्रभावी है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार से तृतीय वेतन मन्डल की नियुक्ति के विषय में अनुरोध किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के पहितीपुर (औरंगनगर) में होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी की स्थापना की मांग

*११—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

प्रथम सत्र १९७८ के १ले गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के पहितीपुर (औरंगनगर) बाजार में होम्योपैथी की राजकीय डिस्पेन्सरी खुल गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह--

जी नहीं ।

इस वर्ष अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ उक्त स्थान पर एक होम्योपैथिक डिस्पेन्सरी खोलने के प्रश्न पर विचार करके निर्णय लिया जा सकेगा ।

कानपुर नगर महापालिका के चुंगी विभाग में गबन

*१२--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर महापालिका के चुंगी विभाग में १९७७-७८ में लगभग ४, ५ लाख का गबन पाया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी नहीं ।

कानपुर नगर महापालिका चुंगी विभाग में चुंगी न जमा करने के मामले समय समय पर प्रकाश में आते रहे हैं । इनमें मुख्यतः जाली रसीदों द्वारा धोखा धड़ी, करबंधता अथवा चुंगी चोरी के मामले हैं । विशेष तौर पर ये मामले रेलवे द्वारा लाए गये माल पर चुंगी न देने के हैं, जिसकी जांच की जा रही है । जांच की रिपोर्ट आने पर ही किसी के ऊपर जिम्मेदारी आयद की जा सकती है ।

कानपुर के बिजलीघर एवं केसा पावर हाउस के कर्मचारियों का प्रदर्शन

*१३--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि दिनांक २३ जून, १९७८ को केसा (कानपुर) बिजली घर के कर्मचारियों ने बिजली घर तथा केसा पावर हाउस में बड़ा जोरदार प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । इन कर्मचारियों की मुख्य-मुख्य मांगे निम्नलिखित थीं :

(१) भूतलिंगम समिति की सिफारिशों का रद्द किया जाना ।

(२) राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रस्तावित वेतनमान को रद्द किया जाना ।

(३) निर्धारित समझौतों को अविलम्ब लागू किया जाना ।

जहां तक भूतलिंगम समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार से आदेश प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । वेतनमानों का मामला अभी 'वेज कमेटी' के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में ३१-१०-७८ तक निर्णय ले लिया जायेगा । निर्णीत समझौतों के सम्बन्ध में परिषद् ने उचित आदेश निर्गत कर दिये हैं । जिन मांगों को परिषद् द्वारा स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं था, वे अस्वीकृत कर दी गई हैं ।

अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद एवं गोंडा तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत, बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१४—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद एवं गोंडा तथा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खंड प्रथम (बस्ती) के विरुद्ध जनवरी, १९७८ से जून, १९७८ तक कितने शिकायती-पत्र किस-किससे प्राप्त हुए उनमें से श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, विधायक तथा प्रश्नकर्ता का भी कोई शिकायती-पत्र था ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई कार्यवाही करने की सोच रही हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद एवं गोन्डा (श्री एम० वाई० कुरेशी तथा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खंड (प्रथम), बस्ती (श्री एम० पी० श्रीवास्तव) के विरुद्ध जनवरी, १९७८ से जून १९७८ तक निम्नलिखित व्यक्तियों/संघों से शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं :—

(१) श्री सुखपाल पाण्डेय, विधायक ।
(२) श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी, ग्राम व पो० पहुतीपुर, फैजाबाद ।
(३) श्री रघुराज सिंह ।
(४) हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, फैजाबाद ।
(५) श्री साहबदीन वर्मा, अध्यक्ष, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, फैजाबाद ।
(६) श्री महादेव प्रसाद, संसद सदस्य ।
(७) उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, फैजाबाद तथा हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, फैजाबाद ।
(८) मंत्री, भ्रष्टाचार उन्मूलन परिषद्, राम मन्दिर लेन, हुसेनगंज, लखनऊ ।
(९) श्री राम पाल सिंह, उप मंत्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, उत्तर प्रदेश ।
(१०) श्री रामपूर्ति सिंह, अध्यक्ष, जिला युवा जनता, फैजाबाद ।
(११) श्रीमती लीला बती पत्नी श्री रंजित राम वर्मा ।
(१२) श्री भाभी यादव एवं श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय, विधायक ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ का कोई शिकायती-पत्र परिषद् में प्राप्त हुआ नहीं पाया गया ।

श्री सुखपाल पांडेय, विधायक के शिकायती-पत्र पर मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, लखनऊ द्वारा जांच की गई परन्तु उनमें लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये । कुछ अन्य शिकायतों के बारे में, जिनमें प्रथम दृष्टया कुछ अनियमिततायें पाई गई है, परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा जांच कराये जाने का मामला परिषद् के विचाराधीन है ।

*१५—श्री रवीन्द्र सिंह—

५वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

नगरपालिका बांदा द्वारा म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का उल्लंघन और बैठकों में पारित प्रस्ताव

*१६—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि नगर-पालिका, बांदा ने माह मार्च, १९७६ से जुलाई, १९७७ की अवधि तक य० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की ९४(३) व ९४(४) धाराओं का उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो विहित अधिकारी या जिलाधिकारी, बांदा द्वारा पालिका के सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां। विहित प्राधिकारी/जिलाधिकारी पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों को उक्त अवधि में दण्ड देने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे। अतः उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री राम सजीवन—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९७६ से जुलाई, १९७७ की अवधि तक नगरपालिका बांदा की मासिक मीटिंग किन-किन तिथियों में हुई तथा उक्त मीटिंगों में क्या-क्या प्रस्ताव पारित हुए और किन सदस्यों ने भाग लिया ? क्या यह सही है कि उक्त मीटिंगों की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी द्वारा न लिखकर किसी कर्मचारी द्वारा लिखी गई है ? यदि हां, तो किन-किन माह की और किस नियमानुसार ?

श्री गणश दत्त बाजपेयी—

मार्च, १९७६ से जुलाई, १९७७ की अवधि में नगरपालिका बांदा की कुल १२ मासिक बैठकें हुई, जिनकी तिथियां एवं उपस्थित सदस्यों एवं पारित प्रस्तावों की संख्या का विवरण संलग्न है। सभी ३०८ पारित प्रस्तावों का विवरण समय/श्रम-साध्य होने के कारण दिया जाना संभव नहीं है।

जी हां। उपरोक्त बैठकों की कार्यवाही अधिशासी अधिकारी के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों द्वारा भी लिखी गई है।

माह अप्रैल, जून, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, १९७६ तथा फरवरी, अप्रैल, मई, और जून, १९७७ की बैठकों की कार्यवाही अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम की धारा ९४ में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से अधिशासी अधिकारी द्वारा ही लिखी जाये।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३८३ पर)।

सीतापुर जिले के महमूदाबाद में स्टेडियम के निर्माण की मांग

*१८—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में वर्ष १९७५-७६ में स्टेडियम बनवाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां तो यह योजना कब तक सरकार पूरा कराने का विचार कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां ।

उपयुक्त भूमि प्राप्त होने पर ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत निकाले गये कर्मचारी

*१९—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७" अथवा "औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७" के अन्तर्गत अवैधानिक ढंग से निकाले गए कर्मचारी को पुनः नौकरी पर रखने हेतु मालिकों को बाध्य करने के लिए कोई प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्राविधान की व्यवस्था पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं । किसी निकाले गये कर्मचारी को पुनः नौकरी पर रखने हेतु मालिकों को बाध्य करने के लिए कोई प्राविधान नहीं है । यदि इस प्रकार निकाले गये श्रमिक को वापस लेने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम (केन्द्रीय) के अन्तर्गत श्रम-न्यायलय द्वारा एवार्ड दिया जाता है तो उसका परिपालन न करने पर सेवायोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन चलाया जा सकता है । यदि एवार्ड संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ा अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत दिया गया है तो उसका परिपालन न करने पर प्राभियोजन का कोई प्राविधान नहीं है । इस अधियियम के अन्तर्गत एवार्ड का पालन न करने पर दन्ड दिये जाने का प्राविधान करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ा अधिनियम के अन्तर्गत मालिकों पर की गयी कार्यवाही

*२०—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७" के अन्तर्गत अवैधानिक कार्य करने वाले मालिकों को जेल की सजा दिए जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त अधिनियम लागू होने के दिन से आज तक कितने मालिकों को दन्ड दिया गया ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां । संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ा अधिनियम, १९४७ की धारा १४ के अंतर्गत, अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले मालिकों को ३ वर्ष तक के कारावास व जुर्माना अथवा दोनों का प्राविधान है । आज तक सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा किसी भी मालिक को जेल की सजा नहीं दी गयी है ।

सिविल अस्पताल, कोटद्वार, गढ़वाल में सर्जन की नियुक्ति

*२१—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि उनके पास इस प्रकार की मांग आई है कि सिविल अस्पताल कोटद्वार, जिला गढ़वाल में एक सर्जन नियुक्त किया जाए ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय हो जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह--

सिविल अस्पताल, कोटद्वार, जिला गढ़वाल में एक सर्जन की तैनाती कर दी गयी है ।

*२२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[५वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

फैजाबाद जिले के बीकापुर में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

*२३--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर में महिला चिकित्सालय खोलने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १८ जून, १९७८ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो बीकापुर तहसील में ५ लाख की आबादी पर महिला चिकित्सालय कब तक खुल सकेगा ?

श्री कल्याण सिंह--

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १० जनवरी, १९७८ को प्राप्त हुआ था ।

फैजाबाद जनपद के स्थान बीकापुर में महिला चिकित्सालय हेतु तथा महिला चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के लिये आवासिक भवन उपलब्ध होने की शर्त पूरी हो जाने पर ही जनता महिला अस्पताल योजना के अन्तर्गत चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा ।

फैजाबाद जिले के बीकापुर, हैदरगंज व शाहगंज को टाउन एरिया बनाने की मांग

*२४--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या स्वायत शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में बीकापुर, हैदरगंज व शाहगंज बाजार को टाउन एरिया बनाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माननीय मंत्री जी को दिनांक ८ जून, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । बीकापुर टाउन एरिया के सृजन के आदेश १९७५ में जारी कर दिये गये थे । लेकिन इस सम्बन्ध में एक रिट हो गई और उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया । अतः कार्यवाही स्थगित हो गई । रिट पर अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

हैदरगंज को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है ।

शाहगंज बाजार को टाउन एरिया बनाने के प्रस्ताव पर निदेशक, पंचायत राज विचार कर रहे हैं । उनकी संस्तुति प्राप्त होते ही प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा ।

गोरखपुर जिले में शराब की नीलामी बरती गयी अनियमितता में

*२५--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर में वर्ष १९७८-७९ की देशी [illegible] की नीलामी की अनियमितता के सम्बन्ध में मई, १९७८ में कोई शिकायती-पत्र सरकार को मिला था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ।

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी हां । वर्ष १९७८-७९ की देशी शराब की नीलामी में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

फैजाबाद जिले के विकास क्षेत्र अमानीगंज, मिल्कीपुर व हरिंगटनगंज में अस्पतालों की स्थापना की मांग

*२६--श्री मित्रसेन--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि विकास क्षेत्र अमानीगंज, मिल्कीपुर, हरिंगटनगंज में जनपद फैजाबाद के अन्य विकास क्षेत्रों की अपेक्षा कम राजकीय तथा परिषदीय एलोपैथिक, होमियोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, चिकित्सालय तथा डिस्पेन्सरियां उपलब्ध कराई गई हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या तथा प्रतिशत क्या है ? क्या चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए उपरोक्त विकास क्षेत्रों में उपरोक्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सालय खोलने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

अमानीगंज में २, मिल्कीपुर में ३ तथा हरिंगटनगंज में ? चिकित्सालय/डिस्पेन्सरियां हैं । जिनका प्रतिशत क्रमशः ४, ६ तथा २ आता है ।

उक्त क्षेत्रों में नये चिकित्सालय/औषधालय खोलने विषयक औपचारिक प्रस्तावों का परीक्षण शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं मापदन्डों के आधार पर करते हुए उपयुक्त समझे जाने वाले स्थानों पर चिकित्सालय/औषधालयों की स्थापना की जा सकती है ।

* २७--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[२४-८-७८ को तारांकित प्रश्न संख्या ५० द्वारा उत्तरित ।]

फिरोजाबाद नगर के चूड़ी सेवायोजकों एवं श्रमिकों में तोड़फोड़ की घटना

*२८--श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के उद्योग नगर फिरोजाबाद में दिनांक १२ जुलाई और १३ जुलाई, १९७८ को चूड़ी जुड़ाई के श्रमिक और चूड़ी के सेवायोजकों के मध्य कारखाने चलाए जाने की और उनकी दरें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कोई झगड़ा हुआ जिसमें श्रमिक पक्ष के गरीब जुड़ाई मजदूरों को पुलिस में बन्द कराया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने जुड़ाई श्रमिकों की मांगों को पूरा कराने में क्या कार्यवाही की है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

फिरोजाबाद के २ ग्लास के कारखानों पर श्रमिकों द्वारा दिनांक १२ व १३ जुलाई, १९७८ को तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने पर स्थानीय पुलिस द्वारा कुछ श्रमिकों को बन्द किया गया था, जो सभी जमानत पर छोड़े जा चुके हैं ।

श्रम विभाग के प्रयास से दिनांक २८ व ३० जुलाई, १९७८ को कारखानों के मालिकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के मध्य २ समझौते हो गये हैं जिसके फलस्वरूप स्थिति सामान्य है ।

फैजाबाद जिले के बरियावन के चिकित्साधिकारी श्री आर० पी० सिंह के विरुद्ध कथित शिकायत

*२९—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद) तथा श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में आयुर्वेदिक चिकित्सालय बरियावन पर चिकित्साधिकारी नियुक्त है ? क्या इनके विरुद्ध शासन को हाल ही में कुछ शिकायतें मिल चुकी हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । श्री आर० पी० सिंह चिकित्साधिकारी यहां तैनात हैं । श्री सिंह के विरुद्ध शासन को कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है ।

पंजाब शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड, घुघली, गोरखपुर पर श्रमिकों का बकाया

*३०—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि रिसीवर के नियंत्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल घुघली-गोरखपुर के ऊपर मजदूरों की विभिन्न मदों की कितनी धनराशि ३१ जुलाई, १९७८ तक बकाया हो गई है और इसका भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पंजाब शुगर मिल कम्पनी लिमिटेड घुंघली (गोरखपुर) के ऊपर श्रमिकों की विभिन्न मदों में बकाया धनराशि का विवरण संलग्न तालिका में दिया है ।

मिल की आर्थिक स्थिति खराब है । रिसीवर ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं । धन प्राप्त होते ही श्रमिकों को भुगतान कर दिया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १३८८ पर)

राज्य विद्युत् परिषद् के इलाहाबाद मंडल के विशेष आडिट रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितता की जांच

*३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या विद्युत् मन्त्री को यह विदित है कि सितम्बर-अक्तूबर, १९७७ में विजिलेंस सेल हाइडिल द्वारा इलाहाबाद के एक एस० आई० एवं एक ई० ई०, हाइडिल के यहां छापा पड़ा था जिसमें कुछ सामान सील किया गया था और जो लगभग साढ़े छः करोड़ रुपये के घोटाले से सम्बन्धित था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं, इस प्रकार का कोई छापा नहीं पड़ा । परन्तु माह जुलाई, १९७७ में परिषद् के अध्यक्ष के नाम एक गुमनाम शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । जिसमें इलाहाबाद जनपद में तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा घोर अनियमितताएं करने का आरोप था । इस गुमनाम पत्र के आधार पर इलाहाबाद के मन्डल एवं खंड का स्पेशल आडिट के सुझाव पर ही कुछ विशेष अनियमितताओं के बारे में जांच परिषद् के सतर्कता इकाई को सौंपी गई है । यह जांच अभी जारी है और उसके पूर्ण होने पर मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

*३२—श्री मोहम्मद रफी खां—

[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस ले लिया ।]

सचिवालय डिस्पेन्सरी के सफाई कर्मचारी को वर्दी की सुविधा

* ३३—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय डिस्पेन्सरी में नियुक्त सफाई कर्मचारी को अन्य सफाई कर्मचारियों की भांति वर्दी आदि की तथा अन्य सुविधायें प्रदान की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

राजकीय औषधालयों के सफाई कर्मचारियों को एप्रन की सुविधा के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा प्रदत्त नहीं है और यह सुविधा सचिवालय डिस्पेन्सरी में नियुक्त सफाई कर्मचारी को भी उपलब्ध है ।

आगरा जिले के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में गैस्ट्रो-इन्टाइटिस का प्रकोप

*३४—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के विकास क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम मटसेना, इटौरा, बरामई डेरा, बंजारा, हमीरपुर, सड़ामई, मटामयी आदि में क्या दिनांक १२ जुलाई, १९७८ से १७ जुलाई, १९७८ के बीच हैजा की छूत की बीमारी फैली ? यदि हां, तो क्या ग्राम मटसेना व इटौरा में दो-दो व्यक्तियों की मौत हैजा से हुई ? यदि हां, तो सरकार ने हैजा की रोक-थाम को इन ग्रामों में क्या कदम उठाए हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

प्रश्नगत क्षेत्र में प्रश्नगत अवधि में कोई भी व्यक्तिगत हैजे से ग्रसित नहीं हुआ । प्रश्नगत क्षेत्रों में गैस्ट्रो-इनट्राइटिस के कुछ केसेज अवश्य हुए जिनकी स्थिति निम्नवत है :—

गैस्ट्रो के केस

ग्राम	प्रश्नगत अवधि (१२ से १७ जुलाई, १९७८)	ग्रसित	मृत
१—मटसेना	तदैव	४	१
२—इटौरा	,,	२	०
३—बरामई डेरा	,,	०	०
४—बंजारा	,,	०	०
५—हमीरपुर	,,	०	०
६—सड़ामई	,,	०	०
७—मटामई	,,	०	

रोग की रोकथाम के लिए शासन द्वारा की गई कार्यवाही की स्थिति निम्नवत है:—

ग्राम	लगाये गये टीकों की संख्या	विसंक्रमित कुओं की संख्या
१—मटसैना	८२३	२०
२—इटौरा	७७२	२५
३—बरामई डेरा	१२६	५
४—बंजारा	१००	५
५—हमीरपुर	११२	६
६—सड़ामई	१००	५
७—मटामई	२००	६

इसके अतिरिक्त चिकित्साधिकारी प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एवं उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी घटनास्थल पर गये तथा हैजा निरोधक कार्यवाही सुनिश्चित कराई । ग्राम मटसैना तथा इटौरा में गेमक्सीन का छिड़काव विशेषरूप से कराया गया । इस समय स्थिति नियंत्रण में है ।

*३५—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[९वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*३६—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[११-५-७८ को अतारांकित प्रश्न संख्या १६ द्वारा उत्तरित ।]

बांदा जिले में पेयजल का अभाव एवं की गयी व्यवस्था

*३७—श्री छेदी (जिला गोंडा)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में इस समय पेयजल का अकाल पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मई, १९७८ में जिलाधिकारी बांदा ने जनपद के ३८ ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया था । उत्तर प्रदेश जल निगम, बांदा द्वारा सर्वेक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि केवल २५ ग्रामों में ही पेयजल का अभाव है । इन २५ अभाव ग्रस्त ग्रामों में जल निगम द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गयी ।

इन २५ ग्रामों में से १६ ग्रामों में ट्रकों द्वारा पेयजल प्रदान किया गया । ६ ग्रामों में अस्थायी पाइप लाइन से केन नदी से पानी पम्प करके पेयजल उपलब्ध कराया गया शेष ३ ग्रामों को कार्यान्वित की जा रही स्थायी पेयजल योजना के अन्तर्गत डाली गयी पाइप लाइन द्वारा नलकूप से पानी पम्प करके पेयजल प्रदान किया गया ।

*३८—श्री छेदी—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में बिजली की कटौती

*३९—श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री को ज्ञात है कि वर्ष १९७६–७७ और १९७७–७८ में वाराणसी मन्डल के सभी जिलों की अपेक्षा जौनपुर जनपद में बिजली की आपूर्ति कम हुई है और जौनपुर जिले की अन्य तहसीलों की अपेक्षा मड़ियाहूं तहसील में बिजली बराबर कटती रही है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां, क्योंकि जौनपुर सब–स्टेशन के १३२/३३ के० वी० २० एम० वी०ए० ट्रांसफारमर के ओवर लोड हो जाने के कारण इस जनपद में कुछ अधिक कटौती करनी पड़ती है ।

१३२/३३ के० वी० शाहगंज सब–स्टेशन चालू होने के बाद उस क्षेत्र का कुछ लोड शाहगंज पर स्थानान्तरित हो जायगा जिसके फलस्वरूप जौनपुर सब–स्टेशन के २० एम० वी० ए० की ओवर लोडिंग समाप्त हो जायेगी ।

जी हां, यह सत्य है कि जौनपुर जिले के मड़ियाहूं तहसील में अन्य तहसीलों की अपेक्षा विद्युत् आपूर्ति कम हुई है क्योंकि जिस ३३ के० वी० फीडर से इस तहसील को विद्युत् आपूर्ति की जाती है वह ग्रामीण फीडर के अन्तर्गत आती है जिससे समय–समय पर होने वाली आपातकालीन रोस्टरिंग से यह लाइन अन्य फीडरों की अपेक्षा अधिक प्रभावित होती है ।

बहराइच जिले के मोतीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्थानान्तरण की मांग

*४०—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या शासन को जानकारी है कि जनपद बहराइच के विकास खंड मिहीपुरवा का राजकीय अस्पताल विकास खंड के मुख्यालय पर न खोल कर मोतीपुर ग्राम में खोला गया है जबकि मुख्यालय पर अस्पताल भवन हेतु भूमि का काफी समय पूर्व अधिग्रहण किया जा चुका है ? यदि हां, तो नियत स्थान पर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, विकास खंड मिहीपुरवा, जिला बहराइच में उपयुक्त भवन न मिलने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को ग्राम मोतीपुर में स्थापित किया गया है । धनाभाव के कारण यह निश्चित पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि मिहीपुरवा में सरकारी अस्पताल का भवन कब तक बनवाना सम्भव होगा ।

*४१—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*४२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[४थे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*४३-४४—श्री मैनजर सिंह—

[४थे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

टिहरी गढ़वाल के नरेन्द्रनगर एवं टिहरी नगर के अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या

*४५—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में नरेन्द्र नगर में जनसंख्या के अनुपात में सरकारी अस्पताल में कितने डाक्टर नियुक्त हैं और उसकी तुलना में टिहरी नगर की जनसंख्या कितनी है और वहां के अस्पताल में कितने डाक्टर नियुक्त हैं ? सन् १९७६-७७ में इन दोनों अस्पतालों में कितने-कितने रोगियों का उपचार किया गया ? क्या यह सही है कि सरकार ने टी० बी० अस्पताल भी टिहरी से नरेन्द्र नगर स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जिला टिहरी गढ़वाल के मुख्यालय नरेन्द्रनगर की लगभग जनसंख्या २३९० है और वहां जिला अस्पताल में कुल सात चिकित्सक नियुक्त है ।

टिहरी नगर की जनसंख्या लगभग ५४८० है और वहां अस्पताल में कुल तीन चिकित्सक नियुक्त हैं ।

वर्ष १९७६ तथा ७७ में जिला अस्पताल नरेन्द्रनगर में क्रमशः १०, १५५ तथा ८, ४३० रोगियों का उपचार किया गया था और टिहरी अस्पताल में क्रमशः २१,९५८ तथा २६,१७६ रोगियों का उपचार किया गया था । टी० बी० अस्पताल टिहरी से नरेन्द्र नगर स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि टिहरी में बांध का निर्माण किया जा रहा है ।

बांदा जिले के अतर्रा नगर के मोहल्ला मूसा नगर में बिजली पानी एवं सड़क की व्यवस्था

*४६- श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बांदा जनपद के अतर्रा नगर पालिका के हरिजन मुहल्ला मूसा नगर में बिजली-पानी एवं सड़क की व्यवस्था न होने का क्या कारण है जबकि नगर पालिका सम्बन्धित टैक्स उनसे बराबर वसूले जा रहे हैं ? क्या सरकार उक्त मुहल्ले में बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था अविलम्ब कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

बांदा जनपद के अतर्रा नगरपालिका में हरिजन मोहल्ला मूसा नगर नया बसा है । नगर की मुख्य आबादी से यह बस्ती काफी दूर आबाद है । नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उक्त मोहल्ले में बिजली पानी एवं सड़क की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । बस्ती दूर होने के कारण बिजली के पोल नहीं पहुंच पाये फिर भी पालिका द्वारा रोशनी के लिये लैम्पों की व्यवस्था की जा रही है । नगरपालिका द्वारा अपने अगले आय-व्ययक में उक्त कार्यों को कराने के लिये यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा ।

मेसर्स जे० के० जूट मिल, कानपुर में स्टीम सिलेन्डर के फट जाने से श्रमिकों की मृत्यु एवं उनको मुआवजा

*४७—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १४ जुलाई, १९७८ को कानपुर में जे० के० जूट मिल के साइजिंग विभाग में लगे स्टीम सिलेण्डर के अचानक फट जाने से कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए ? क्या मृतकों तथा घायलों को कोई मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही नहीं है कि जे० के० जूट मिल मालिकों ने कुछ दिन पूर्व बिहार की एक जूट मिल से कुछ पुराने सिलेण्डर खरीदे थे तथा फटने वाला सिलेण्डर उन्हीं में से एक था ? यदि यह सही है तो सरकार मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

दिनांक १४ जुलाई, १९७८ को मेसर्स जे० के० जूट मिल्स, कानपुर में एक साइजिंग मशीन के स्टीम सिलेन्डर के फट जाने से ४ श्रमिकों की मृत्यु हुई तथा २९ श्रमिक घायल हुए । मृतकों तथा घायलों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है । यद्यपि उनके उत्तराधिकारियों को दिये जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में सेवायोजकों तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के मध्य समझौता हो गया है । आशा है कि शीघ्र ही उसका भुगतान हो जायेगा । अभी तक केवल दो मृत श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को तीन हजार रुपये का भुगतान अंतिम संस्कार हेतु किया गया है । प्रश्नगत कारखाने के श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा के अन्तर्गत आते हैं तथा राज्य बीमा निगम द्वारा दुर्घटनाग्रस्त श्रमिकों को नियमानुसार देय धनराशि का भुगतान किया जायगा ।

जे० के० जूट मिल ने तीन सिलेन्डर मेसर्स कटिहार जूट मिल्स लि०, कलकत्ता से खरीदा था उन्हीं में से एक फट गया । प्रस्तुत मामले में मिल के आक्यूपायर एवं मैनेजर के विरुद्ध कारखाना अधिनियम, १९४८ तथा उत्तर प्रदेश कारखाना नियमावली, १९५० के प्राविधानों के उल्लंघन के लिए उसकी धारा–९२ के अधीन चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

नगर अभियन्ता (जल), नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध शिकायती–पत्र

*४८—श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर अभियन्ता (जल), नगर महापालिका, लखनऊ के विरुद्ध अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, जातिवाद आदि से सम्बन्धित दिनांक २३ मार्च, १९७८ को कुछ जन प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां । शिकायतों की जांच की जा रही है ।

राज्य विद्युत् परिषद् के रसायनज्ञों एवं अवर अभियन्ताओं को आवास का आवंटन

*४९- श्री राजेन्द्र चौधरी (जिला गाजियाबाद)—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन विद्युत् परियोजनाओं (हरदुआगंज, ओबरा एवं पनकी) में कार्यरत रसायनज्ञों को समान वेतन भोगी अवर अभियन्ताओं के समान

आवासीय भवन देने हेतु परिषदीय आदेश सं० २१९४-एस० ए०/एस० ई० बी०/VII/११-(२०) एस० ए०-७२, दिनांक २८ अप्रैल, १९७३ में संशोधन कर समान स्तर के कर्मचारियों के बीच व्याप्त इस विषमता का निवारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन को इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत् कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक २२ जुलाई, १९७८ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में आवासीय आवंटन हेतु परिषदीय में कर्मचारियों का वर्गीकरण फरवरी १९७० में प्रचलित वेतनमानों के अनुसार किया गया है और तद्नुसार ही रसायनज्ञों एवं अवर अभियन्ताओं को तत्समय प्रचलित वेतन क्रमानुसार आवास आवंटित होते हैं । चूंकि परिषद् के समस्त कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण का मामला विचाराधीन है, अतः आवास आवंटन सम्बन्धी परिषादेशों में संशोधन वेतनमानों के सामान्य पुनरीक्षण के पश्चात् किये जाने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में राज्य विद्युत् कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक २२-७-७८ परिषद् में प्राप्त हुआ नहीं पाया गया अतः उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

देवरिया जिले के टाउन एरिया कप्तानगंज के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन का आरोप

*५०--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के मण्डल आयुक्त ने २० नवम्बर, १९७६ को देवरिया जिले के कप्तानगंज टाउन एरिया का निरीक्षण किया था और हजारों रुपए के गबन तथा धन का दुरुपयोग पकड़ में आया था जिसके लिए आयुक्त महोदय आरोप-पत्र देकर बार-बार स्पष्टीकरण मांग रहे हैं ? परन्तु चेयरमैन से स्पष्टीकरण मांगा तो उन्होंने नहीं दिया ? यदि हां, तो अब तक चेयरमैन के खिलाफ जनता के धन के दुरुपयोग एवं गबन के अभियोग में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जी हां । आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा २०-११-७६ को टाउन एरिया कप्तानगंज, जिला देवरिया के अध्यक्ष को आरोप पत्र दिया गया था । आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा बार-बार समय दिये जाने के बाद भी चेयरमैन द्वारा आरोप-पत्र पर कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उक्त परिस्थितियों में २३ जून, १९७७ को आयुक्त ने शासन को लिखा कि प्रश्नगत चेयरमैन के विरुद्ध सभी आरोप सिद्ध हैं और उन्हें उनके पद से पृथक कर दिया जाय । २-८-७७ को शासन द्वारा प्रश्नगत अध्यक्ष को पद से पृथक करने के आदेश जारी किये गये । इस आदेश के अध्यक्ष पर तामील होने के पहले ही अर्थात् ११-८-७७ से सभी स्थानीय निकायों के साथ टाउन एरिया कप्तानगंज की कमेटी भंग कर दी गयी और अध्यक्ष अपने पद से स्वतः हट गये । इस टाउन एरिया का प्रशासन इस समय जिला मैजिस्ट्रेट के पास है । पुलिस में भी १९-६-७६ को धारा ४०९ के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसकी जांच अभी चल रही है ।

गोरखपुर के सरैया शुगर मिल लि० तथा डिस्टिलरी के गन्दे पानी के उत्प्रवाह के विरुद्ध शिकायत

*५१—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर तहसील सदर में स्थित सरदार नगर डिस्टिलरी एवं सरैया शुगर फैक्टरी लिमिटेड के गन्दा पानी फरेन नाला में गिरने से महामारी फैलने व चैती फसल, धान आठ मील क्षेत्र के अन्तर्गत एवं मछलियों के नष्ट होने की शिकायत शासन को दिनांक १६ अगस्त, १९७७ को दी गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विधायकों की एक समिति गठित करेगी जो कि मौके पर जाकर इसकी जांच करके एक माह के अन्दर सरकार को रिपोर्ट देगी जिससे उक्त समस्या का तुरन्त समाधान हो सके ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्नगत विषय पर माननीय सदस्य महोदया का दिनांक १६ अगस्त, १९७७ का पत्र नहीं वरन दिनांक २८ सितम्बर, १९७७ को एक पत्र शासन के चिकित्सा विभाग में प्राप्त हुआ था जिसका उत्तर उन्हें उस विभाग द्वारा अक्तूबर, १९७७ में दिया जा चुका है।

सरैया शुगर मिल्स प्रा० लि०, सरदार नगर, गोरखपुर का उत्प्रवाह (गन्दे पानी) फरेन नाले में नहीं जाता है बल्कि वह कारखाने की निचली भूमि में, जिसका क्षेत्रफल लगभग २२ एकड़ है, डाला जाता है। इसका प्रयोग कारखाने के फार्म की सिंचाई के लिए किया जाता है। इस कारखाने की उत्प्रवाह व्ययन योजना एफलूएंट बोर्ड द्वारा स्वीकृत है तथा जांच करने पर उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर के अनुकूल पाया गया। अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सरैया डिस्टिलरी का उत्प्रवाह बैसी नाले के माध्यम से फरेन नाले में पहुंच जाता है। इस कारखाने का उत्प्रवाह हानिकारक है और उनकी उत्प्रवाह व्ययन योजना भी एफलुएंट बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। कारखाने वालों द्वारा कारखाने के हानिकारक उत्प्रवाह को नाले में बहाने के लिए उनके विरुद्ध दिनांक १९ जनवरी, १९७८ को प्राभियोजन दायर किया गया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

उक्त परिस्थिति में फिलहाल प्रस्तावित समिति का गठन आवश्यक नहीं जान पड़ता है।

अतारांकित प्रश्न

सीतापुर जिले के ब्लाक कसमन्डा में अस्पताल की स्थापना की मांग

१—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पो० भन्डिया, तहसील सिधौली, ब्लाक कसमन्डा, जिला सीतापुर में एक सरकारी अस्पताल बनाने हेतु १ मई, १९७८ को एक आवेदन-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां। इस पर आवश्यक जांच कराई जा रही है ?

बस्ती जिले के कम्पाउन्डरों के स्थायीकरण की मांग

२—श्री सुखपाल पान्डेय—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कोई सरकारी नियम है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं तीन वर्ष से अधिक हैं उनको स्थायी कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बस्ती जिले में कुल कितने ऐसे कम्पाउन्डर ३१ मार्च, १९७८ तक कार्यरत हैं जिनकी सेवायें तीन साल से अधिक हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं ।

जनपद बस्ती में ३१-३-१९७८ तक कुल ७१ ऐसे कम्पाउन्डर कार्यरत थे जिनकी सेवायें तीन वर्ष या उससे अधिक की हो गयी थी । इनमें से कुल २८ कम्पाउन्डर स्थायी किये जा चुके हैं । शेष ४३ कम्पाउन्डरों को स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण स्थायी करना सम्भव नहीं हो सका है ।

उत्तर काशी के पुरोला के फार्मेसिस्ट, श्री शिव प्रसाद गरोला का सेलेक्शन ग्रेड

३—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविन्द' (जिला उत्तरकाशी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजाज्ञा संख्या १२-ए-३४०४/१९६०, दिनांक २२ जुलाई, १९७१ के अनुसार कुछ फार्मेसिस्टों को सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नति के आदेश प्रसारित किये गए थे ? उनमें से अभी तक कितने फार्मेसिस्ट पदोन्नत किए गए ? उत्तर काशी जिले में पुरोला में तैनात श्री शिवप्रसाद गैरोला को अब तक सेलेक्शन ग्रेड न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कल्याण सिंह—

कथित शासनादेश द्वारा वर्तमान स्थायी फार्मेसिस्टों के पदों के १० प्रतिशत पदों को सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य कराया गया । अब तक १८० पदाधिकारियों को उक्त निर्णय के अधीन प्रोन्नत किया गया । श्री शिव प्रसाद गैरोला, अप्रशिक्षित फार्मेसिस्ट होने के कारण सेलेक्शन ग्रेड पाने के अधिकारी नहीं हैं ।

बांदा जिले की नरैनी तहसील की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

४—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के नरैनी तहसील में कितने ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहुंच चुकी है परन्तु उन गांवों की हरिजन बस्ती में बिजली नहीं पहुंची है ? क्या सरकार ऐसे गांवों के हरिजन बस्ती में बिजली पहुंचाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

बांदा जिले की नरैनी तहसील में ४१ गांवों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स द्वारा अगस्त, १९७८ के अन्त तक किया जा चुका है जिनमें से ३१ गांवों की हरिजन बस्तियों में बिजली दी जा चुकी है । शेष दस गांव की हरिजन बस्तियों में अभी बिजली नहीं पहुंची है । इन दस हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु सर्वे किया जा रहा है तथा जिन मामलों में लागत ३००० रु० के अन्तर्गत आती है उन हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्तमान वर्ष १९७८-७९ में निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत कर दिये जाने की आशा है ।

विद्युत् खण्ड, सुल्तानपुर के मानचित्रक, श्री सुरेश नारायण सिंह को नसबन्दी सम्बन्धी दिया गया आदेश

५--श्री तेजभान सिंह (जिला सुलतानपुर)--

क्या विद्युत् मन्त्री बतायेंगे कि विगत आपात कालीन अवधि में अधिशासी अभियन्ता विद्युत् वितरण खंड, सुल्तानपुर के कार्यालय के पत्रांक ६८४७/वि०वि० ख० सु०/२३, दिनांक १० अगस्त, १९७६, पत्रांक ८६१८ / वि० वि० ख०सु० / एम०-४ दिनांक ३० सितम्बर, १९६६ तथा पत्रांक ९००७/वि०वि०ख०सु०ए०--४, दिनांक १९ अक्तूबर, १९७६ के द्वारा नसबन्दी कराने का लिखित आदेश श्री सुरेश नारायण सिंह, मानचित्रक को दिया गया था तथा क्या आदेश में यह भी लिखा था कि नसबन्दी न कराने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी तथा सेवा से वंचित कर दिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

जी हां । श्री सुरेश नारायण सिंह को यह पत्र दिये गये थे परन्तु संदर्भित आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया और न ही उन्हें सेवा से वंचित किया गया ।

सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद के गांवों में विद्युतीकरण की मांग

६--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन बाहुल्य गांवों के विद्युतीकरण योजना के अधीन सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया (इनका जो क्षेत्र सीतापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है) में वह कौन-कौन गांव हैं जहां विद्युतीकरण शासन के विचाराधीन हैं ? यह काम कब से विचाराधीन है ? अब तक पूरा न होने के कारण क्या है तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

सीतापुर जनपद के विकास खंड, खैराबाद, परसेंडी तथा एलिया में गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भंग होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार, श्री के० के० बाजपेयी के विरुद्ध आरोप-पत्र

७--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक प्राध्यापक संघ के संयुक्त सचिव (डा० राम निवास राय) की ओर से भंग होम्योपैथिक बोर्ड के रजिस्ट्रार श्री के० के० बाजपेयी के खिलाफ कर्मचारियों का पैसा हड़पने व अपनी पत्नी के माध्यम से सरला होम्यो फार्मेसी के नाम पर सहकारी होम्यो फार्मेसी की सम्पत्ति हथियाने तथा अन्य जालसाजी से सम्बन्धित आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना-पत्र नवम्बर, १९७७ को विशेष सचिव स्वास्थ्य को दिया गया ? यदि हां, तो सम्बन्धित रजिस्ट्रार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां ।

यह मामला शासन द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को संदर्भित है । समिति की रिपोर्ट अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में सहायक स्टोरकीपर के पद पर कथित नियुक्ति

८—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आगरा में सहायक स्टोरकीपर के पद पर सन् १९७६ में तदर्थ नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो उस नियुक्ति का क्या आधार था ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, आगरा में सन् १९७६ में सहायक स्टोरकीपर के पद पर कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की गई ।

इसका प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सीतापुर में लम्बित दाखिल खारिज के मामले

९—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगरपालिका में दाखिल-खारिज के कितने मामले ४ वर्ष से अधिक अवधि से विचाराधीन हैं ? अब तक उनका निस्तारण न हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक दाखिल-खारिज हो जायेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

नगरपालिका सीतापुर में इस प्रकार के कुल १८४ मामले विचाराधीन हैं जिसमें २४ गृह संबंधी और शेष १६० नजूल संबंधी हैं ।

उपरोक्त दाखिल-खारिज के मामलों के निस्तारण में विलम्ब के निम्नलिखित कारण हैं :

(क) गृह संबंधी—ऐसे मामले उस श्रेणी के हैं जिन्होंने करों का भुगतान नहीं किया है और कुछ ऐसे लोगों ने वांछित कागजातों की पूर्ति नहीं की है । कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण अनिर्णीत हैं ।

(ख) नजूल संबंधी—इसमें अधिकतर मामले सिविल लाइन स्थित बड़े बड़े भूमि खंडों को छोटे-छोटे टुकड़ों में भूस्वामियों ने ले आउट प्लान बनाकर स्वीकृत करवा लिए हैं और नगरपालिका अधिनियम की धारा २०४ अन्तर्गत सड़कें, नालियां, विद्युत आदि की व्यवस्था हेतु न तो भूस्वामियों ने पूर्ति की है और न बोर्ड ने ही विकास व्यय जमा किया है । कतिपय ऐसे मामले भी हैं जिनमें कि भूमि का हस्तान्तरण कई बार हो चुका है तथा मियादी पट्टों की मियाद ३० वर्षीय समाप्त हो चुकी है और नवीनीकरण नहीं कराया है ।

उपरोक्त दाखिल-खारिज के निस्तारण करने की नीति नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही है जिसके अन्तर्गत सभी दाखिल-खारिज के मामले निस्तारित कर दिये जाने की आशा है । विकास व्यय संबंधी कार्यवाही भी नगरपालिका के विचाराधीन है जो भूस्वामियों के विरुद्ध की जायेगी ।

राजकीय कताई मिल लि०, अकबरपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति

१०—श्री हरीराम वर्मा—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में सेवा योजन कार्यालय, फैजाबाद से उत्तर प्रदेश राजकीय कताई मिल लि०, अकबरपुर, में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक १ अप्रैल १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक अभ्यर्थियों के नाम मांगे गये थे ? यदि हां, तो किन-किन पदों के लिए कितने ? भेजे गए नामों में से कितने नियुक्ति किए गए ? क्या मन्त्री जी इसकी सूची पते सहित सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हां । सेवायोजन कार्यालय से मिनी बस ड्राइवर के एक पद, चौकीदार के चार पदों एवं टाइमकीपर के दो पदों के लिए नाम मांगे गये थे । नियोजक द्वारा अभ्यर्थियों के भेजने हेतु कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई थी । किन्तु उक्त पदों के लिए क्रमानुसार १४, ३२ एवं २ अभ्यर्थियों के नाम सम्प्रेषित किये गये थे । नियोजक द्वारा मिनी बस ड्राइवर का पद बाद में निरस्त कर दिया गया, अतः उस पद पर नियुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता है । चौकीदार के ४ रिक्त पदों हेतु भेजे गय ३२ अभ्यर्थियों में से ४ अभ्यर्थियों का चयन नियोजक द्वारा किया गया, जिनके नाम व पते निम्नलिखित हैं :

(१) श्री राधेश्याम पुत्र श्री सीता राम सिंह, ग्राम खालिसपुर, पोस्ट मालीपुर, फैजाबाद ।

(२) श्री फतेहबहादुर पुत्र श्री राम आसरे, कुशहा, सराय खर्गी, फैजाबाद ।

(३) श्री भगवती प्रसाद सिंह पुत्र श्री साहब बक्श सिंह, द्वारा श्री रन बहादुर सिंह, ७७४ हसन कटरा, रेतिया, फैजाबाद ।

(४) श्री राम बहाल सिंह, पुत्र श्री बद्री प्रसाद सिंह, ग्राम टैमा, पो० मदर भारी, फैजाबाद ।

टाइमकीपर के २ रिक्त पदों हेतु भेजे गये २ अभ्यर्थियों का चुनाव परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

सीतापुर जिले के अस्पतालों में कुत्ता काटने की वैक्सीन का कथित अभाव

११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि पिछले दस महीनों से देवरिया जनपद के किसी भी राजकीय अस्पताल में तथा सदर अस्पताल में पागल कुत्ता काटने पर दी जाने वाली वैक्सीन का पूर्ण अभाव है जिससे जनता में क्षोभ व्याप्त है ? यदि हां, तो वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

१२-१३—श्री दयाराम भास्कर—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

१४—श्री ओंकार नाथ—

[५वें गुरुवार के लिए स्थगित ।]

१५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[५वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बस्ती जिले में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

१६—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में सन १९७६-७७ से १९७७-७८ में निजी नलकूपों के कनेक्शन के लिए कितने प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बस्ती को किस-किस महीने में कितने उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए ? और कितनों को कनेक्शन कब-कब दिए गए और कितनों को अब तक कनेक्शन नहीं दिया गया ? न देने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्ष १९७६-७७ में ४६० तथा वर्ष १९७७-७८ में १०७१ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	१९७६-७७	१९७७-७८
अप्रैल	३४	६५
मई	६८	२०
जून	४५	३७
जुलाई	४०	६४
अगस्त	३७	१०४
सितम्बर	३८	१०३
अक्तूबर	२६	१३८
नवम्बर	२५	९६
दिसम्बर	२३	१४७
जनवरी	३२	१३०
फरवरी	४३	१०५
मार्च	४९	६२
योग	४६०	१०७१

वर्ष १९७६-७७ में ४३ तथा वर्ष १९७७-७८ में २१९ को कनेक्शन दिया गया जिसका विवरण निम्न है :—

	१९७६-७७	१९७७-७८
अप्रैल		१२
मई	१	२
जून		१२
जुलाई	३	१३
अगस्त	६	८
सितम्बर	६	१३
अक्तूबर	८	१२
नवम्बर	१	२१
दिसम्बर	७	१५
जनवरी	२	३३
फरवरी	३	२७
मार्च	६	३१
	४३	२१९

तत्पश्चात् अप्रैल, १९७८ से अगस्त १९७८ के दौरान और १४० नलकूपों को कनेक्शन दिया जा चुका है जिसका विवरण निम्न है :—

अप्रैल, ७८ ..	५१
मई, ७८ ..	२१
जून, ७८ ..	४२
जुलाई, ७८ ..	२०
अगस्त, ७८ ..	६
	१४०

११२९ को कनेक्शन नहीं दिया गया ।

१८१ मामलों में कनेक्शन स्थल पर बिलों की बकाया धनराशि थी । ६६१ मामलों में उपभोक्ताओं ने घोषणा-पत्र तथा/अथवा बी० एण्ड एल० फार्म अभी जमा नहीं किये तथा बाकी मामलों में प्राक्कलन बन चुके हैं तथा नियम एवं शर्तें प्रेषित की जाने की कार्यवाही प्रगति में है । अन्य १०७ मामलों में जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा बी० एण्ड एल० फार्म जमा कर दिये थे, स्टोर सामग्री के अभाव में कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं ।

विद्युत् वितरण मण्डल, गोंडा में अधीक्षण अभियन्ता का रिक्त-पद

१७—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् वितरण मण्डल, गोंडा में अक्तूबर, १९७७ से अधीक्षण अभियन्ता का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी नहीं, विद्युत् वितरण मन्डल, गोंडा में अधीक्षण अभियन्ता के दिनांक ३१ अक्तूबर, १९७७ से सेवा निवृत्ति के उपरान्त इस मण्डल का अतिरिक्त कार्य-भार अधीक्षण अभियन्ता विद्युत् वितरण मन्डल, फैजाबाद के पास था । दिनांक १ से ९ दिसम्बर, १९७७ तक की अवधि में श्री सुरेन्द्र नाथ माथुर वहां कार्यरत रहे, परन्तु उनकी कतिपय विशेष परिस्थितियों में उन्हें वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया था और इस मण्डल का अतिरिक्त भार पुनः अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद द्वारा अधिगृहीत किया गया । दिनांक ७ जुलाई, १९७८ से इस मन्डल में श्री सत्य नारायण सिंह अधीक्षण अभियन्ता को तैनात कर दिया गया है ।

फैजाबाद नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि

१८—श्री मित्र सेन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद नगर पालिका सफाई कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड का हिसाब वर्ष १९६८ से १९७८ तक क्या है ? यह धनराशि कहां और किस खाते में जमा है और इस पर इन वर्षों में अलग-अलग ब्याज कितना मिला ? क्या यह सही है कि उक्त फण्ड में से लगभग ३ लाख रुपया निकाल कर अन्य मद में खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किसके आदेश से ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

सफाई कर्मचारियों का प्राविडेन्ट फण्ड खाता वर्ष १९६८ से १९७७ तक सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में था वर्ष १९६८ से मार्च १९७७ तक की अवधि में धनराशि ६,४३,८४० रु० ५८ पै० उपयुक्त खाते में जमा की गई थी जिसमें से :—

(१) २,१५,००० रु० डाक घर राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र में विनियोजित किया गया ।

(२) २०,००० रु० सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, फैजाबाद के दीर्घकालीन प्रभूति में विनियोजित किया गया ।

(३) ४८,००० रु० यूनियन बैंक आफ इन्डिया, फैजाबाद के दीर्घकालीन प्रभूति में जमा किया गया ।

(४) अप्रैल, १९७७ से मार्च १९७८ तक १,६३,४५३·१५ रु० यूनियन बैंक आफ इन्डिया, फैजाबाद में जमा किया गया है क्योंकि अप्रैल, १९७७ से कर्मचारियों का व्यक्तिगत खाते अलग-अलग उक्त बैंक में खोल दिये गये हैं । २ लाख १५ हजार रुपया डाक घर २०,००० हजार रुपया सेन्ट्रल बैंक तथा ४८,००० हजार रुपया यूनियन बैंक में कुल विनियोजित धनराशि २,८३,००० हजार रुपया का ब्याज अभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि प्रभूतियों का समय अभी पूरा नहीं हुआ है ।

सेन्ट्रल बैंक/यूनियन बैंक में जमा धनराशि पर ब्याज का वार्षिक विवरण निम्न प्रकार है :--

१९६८	१२८·३०
१९६९	६१८·२४
१९७०	४,६९०·१९
१९७१	१,५२९·३०
१९७२	१,८२२·१८
१९७३	२,४७४·२२
१९७४	८,१३७·६१
१९७५	१०,४८९·५९
१९७६	७,३८२·०७
१९७७	१,८६३·४९
१९७८	२,११५·००
योग ..	४१,२५०·१९

वर्ष १९६८ से १९७७ तक का ब्याज सेन्ट्रल बैंक के खाते में जमा है तथा अप्रैल, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक का ब्याज यूनियन बैंक आफ इण्डिया, फैजाबाद के खाते में जमा है।

यह सही नहीं है कि ३ लाख रुपया उपरोक्त जमा धनराशियों में से आहरण कर अन्य मदों में खर्च कर दिया गया है।

१९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री ओंकार नाथ--

[३१-८-७८ को २९(४) में तारांकित प्रश्न संख्या १ द्वारा उत्तरित।]

सहारनपुर जिले के हरिद्वार में नलकूप व जलाशय का निर्माण

२०--श्री राज कुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार, जिला सहारनपुर में दो नलकूप संख्या ७ तथा ८ तथा १ जलाशय आदि बनाने के लिए १९६२ में सरकार ने जल निगम को ४ लाख रुपये अनुदान दिये थे ? यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों पूर्ण नहीं हुआ और क्या इसके लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

सरकार द्वारा जो ४ लाख रुपये वर्ष १९६२ में जल निगम को अनुदान के रूप में आवंटित किये गये थे उसके अन्तर्गत दो नलकूप संख्या ७ और ८ बनाये गये तथा एक भूमिगत जलाशय मंशादेवी पहाड़ पर वर्ष १९६२ में ही पूर्ण कर लिये गये थे ? अतः कोई अधिकारी इस कार्य को न कराने हेतु दोषी नहीं है और किसी के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

फैजाबाद जिले के ग्राम अशर्फाबाद में विद्युत् कनेक्शन हेतु जमा धनराशि

२१—श्री हरीराम वर्मा—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम अशर्फाबाद (ग्राम सभा धौरहरा) में ग्रामीण विद्युतीकरण की लाइन है ? यदि हां, तो कब से ? विद्युत् उपभोक्ताओं ने २५ रु० अग्रिम धन जमा किया है, यदि हां, तो कब से और उन्हें कनेक्शन दिया गया, यदि नहीं, तो विभाग को अब तक कितने धन की हानि हुई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां । मार्च, १९७६ से है । ८ व्यक्तियों ने पंखा/बत्ती तथा एक व्यक्ति ने नलकूप के कनेक्शन के लिये जनवरी, १९७६ में २५ रुपये अग्रिम धनराशि जमा की थी ।

केवल नलकूप कनेक्शन ३०-३-१९७६ को दे दिया गया है । ८ पंखा-बत्ती के कनेक्शन सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा शपथ-पत्र जमा न किये जाने के कारण दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । इस स्थिति में परिषद् को धन की हानि का भी प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रम जोत के एच० ए०, श्री कृष्ण कान्त मिश्रा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२२—श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के प्रा० स्वा० के० विक्रम जोत (छावनी) में एच० ए० श्री कृष्ण कान्त मिश्रा के राजनीति में हिस्सा लेने की शिकायत जिले के अधिकारियों को जनता पार्टी के नेता श्री जगदीश राव व कई अन्य कार्यकर्ताओं ने दिनांक २८ मार्च, १९७८ को की थी, ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां । उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विक्रम जोत, बस्ती की परिचारिका के विरुद्ध शिकायती-पत्र

२३—श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २६ मार्च, १९७८ से दिनांक २९ जून, १९७८ तक प्रा० स्वा० केन्द्र विक्रमजोत सेन्टर छावनी, बस्ती के परिचारिका के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कितने शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं, जिसमें आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कल्याण सिंह—

जी हां, दो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं । जांच के परिणामस्वरूप उक्त परिचारिका (ए० एन० एम०) को जनपद गोंडा स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

पावर हाउस, चन्दौसी में अनुसूचित जाति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

२४—श्री सोनपाल (जिला बदायूं)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर० एस० गुप्ता, सहायक अभियन्ता पावर हाउस, चन्दौसी ने अपने कार्यकाल की अवधि में कितने कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर रखा उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति के रखे गए ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

श्री आर० एस० गुप्ता, सहायक अभियन्ता, पावर हाउस, चन्दौसी में अपने कार्यकाल में समय-समय पर आवश्यकतानुसार चन्दौसी पावर हाउस में दैनिक वेतन (मस्टर रोल) पर कुल १६७ कर्मचारी रक्खे । इन कर्मचारियों में २७ कर्मचारी अनुसूचित जातियों के थे । चूंकि दैनिक वेतन (मस्टर रोल) पर कर्मचारी कार्य की आवश्यकता और श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार ही रक्खे/निकाले जाते हैं । अतः इन नियुक्तियों में जाति विशेष को प्रतिनिधित्व दिया जाना सम्भव नहीं है । इस विषय में राज्य सरकार तथा परिषद् के कोई आदेश भी नहीं हैं । अतः श्री आर० एस० गुप्ता, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत् परिषद् के राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

२५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत् विभाग के कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विजीलेन्स की जांच चल रही है ? कितने की जांच पूरी होकर जून, १९७८ तक शासन को पहुंच गयी ? उनकी सूची देने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

राज्य विद्युत् परिषद् के १०२ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध इस समय राज्य सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच चल रही है । जून, १९७८ तक ४२ अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सतर्कता अधिष्ठान की जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है । इस सम्बन्ध में क्रमशः सूची 'क' तथा 'ख' संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १३८९ पर)

मैनपुरी जिले की ग्राम सभा कुसमरा को टाउन एरिया बनाने की विज्ञप्ति

२६—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के अन्तर्गत ग्राम सभा कुसमरा को टाउन एरिया २ मई, १९७८ को सृजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस कुसमरा टाउन एरिया का नोटीफिकेशन क्यों नहीं किया गया और कब तक नोटीफिकेशन कर दिया जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मैनपुरी जिले के ग्राम सभा कुसमरा को दिनांक ९-८-१९७८ से टाउन एरिया बनाने की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है ।

उन्नाव नगर के बड़ा चौराहा में विद्युत् घात से श्री इस्लाम की मृत्यु एवं क्षतिपूर्ति का भुगतान

२७—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या विद्युत् मंत्री को जानकारी है कि विद्युत् विभाग की लापरवाही के कारण उन्नाव नगर के बड़ा चौराहा (सब्जी मंडी) में बिजली के कटे तार के माध्यम से खम्भे से भूमि पर बिजली उतर आने के कारण दिनांक २५ जून, १९७८ को तहबाजारी की वसूली करने वाले एक कर्मचारी की मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मृतक के आश्रितों को मुआविजा देगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

जी हां। विद्युत् परिषद् ने मृतक श्री इस्लाम के आश्रितों को भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में रु० ५००० (पांच हजार) स्वीकृत किया है।

२८—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[५ वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नगरपालिका, फिरोजाबाद में मैला ढोने व कूड़ा उठाने के वाहन

२९—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतावेंगे कि जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में मैला उठाने और कूड़ा ढोने के कितने वाहन हैं और उनमें से क्या अधिकांश वाहन टूटे हुए हैं जिससे सफाई नहीं हो पाती है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जनपद आगरा की नगरपालिका फिरोजाबाद में मैला उठाने और कूड़ा ढोने के लिये ६१ भैंसा गाड़ी, ५ ट्रैक्टर व १ ट्रक हैं जिनमें से १० भैंसा गाड़ी तथा १ ट्रैक्टर बिल्कुल टूट गये हैं। पालिका द्वारा अन्य वाहनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत कराकर उनको कार्य में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा २ ट्रैक्टर तथा कभी-कभी सिल्ट ढोने के लिये १ ट्रक भी किराये पर लेकर सफाई कार्य कराया जाता है।

पालिका द्वारा कूड़ा ढोने वाली ५० हाथगाड़ियां तथा २ नये ट्रैक्टर स्टेट बैंक से ऋण लेकर क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्णित स्थिति में इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

कतिपय विषय

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, नत्थी (ख) १९ अगस्त को पूछा गया प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजधानी लखनऊ के बारे में था, वह प्रश्न अनुत्तरित रह गया है। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई व्यवस्था करें कि इस प्रकार के प्रश्न जो कि राजधानी लखनऊ से सम्बन्धित हों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित न रह जायें।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह जो आपकी शिकायत है इसको मैं देखूंगा और फिर सम्बन्धित मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह लखनऊ का मामला है और हम लखनऊ में बैठे हुए हैं और लखनऊ हमारी राजधानी है। ५ सप्ताह हो गये हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं हो पाया है। इसकी व्यवस्था तभी हो सकेगी जब आप इस प्रकार की कोई व्यवस्था कर देंगे।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन सिंह जी आप मेरे कक्ष में आ जायं और यदि कोई बात है तो वहीं कहें।

श्री मोहन सिंह—

[× × ×]

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा। आप मेरे कक्ष में मिल लें और हमसे मिलकर बतायें। यहां पर पत्रावली नहीं है इस तरह से खड़े होंगे तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, पश्चिमी जिलों में बाढ़ का बड़ा प्रकोप है और इस बाढ़ के प्रकोप से बड़ी तबाही मची हुई है हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों ने इस बात के लिए लिखकर दिया है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है? कृपया इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष—

आपने सूचना दे दी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, हम लोगों ने बाढ़ के ऊपर कामरोको प्रस्ताव दे रक्खा है उसे ले लिया जाय।

जिला अस्पताल, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता तथा लापरवाही के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुख पाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

आपका ध्यान जिला अस्पताल, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, लापरवाही की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिला अस्पताल के अधिकारी तथा डाक्टर मरीजों की देखभाल नहीं करते जिससे आये दिन डाक्टरों एवं अधिकारियों की लापरवाही के कारण अनेकों मरीजों की मृत्यु हो जाती है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान १६ अगस्त, १९७८ को घटित घटना की तरफ दिलाना चाहता हूं । जिला विकास अधिकारी, बस्ती बाढ़ क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् आये और एकाएक बीमार पड़ गये और उनको ८ बजे रात में जिला अस्पताल पहुंचाया गया । ८ बजे से १२ बजे के बीच में कोई भी डाक्टर जिला विकास अधिकारी श्री राम नरेश की देखभाल करने के लिये उपलब्ध नहीं हुआ । इमरजेन्सी ड्यूटी के डाक्टर सिनेमा देखने चले गए थे । सी० एम० ओ० आदि अधिकारी भी सूचना देने पर उपलब्ध नहीं हुए । फलस्वरूप डाक्टरों की लापरवाही से जिला विकास अधिकारी, श्री रामनरेश की मृत्यु हो गयी जिससे एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है । जब जिले के अधिकारियों की देखभाल में लापरवाही बरती जाती है तो इसी तरह साधारण की भी उपेक्षा हमेशा की जाती होगी और डाक्टर धन के लोभ में मरीजों की देखभाल नहीं करते, जिससे अनेकों मरीजों की मृत्यु हो जाती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त घटना की जांच अविलम्ब कराकर अस्पताल के दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके अस्पताल में मरीजों की सुचारु रूप से देखभाल कराने की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें ।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री जी, माननीय कल्याण सिंह जी, तो माननीय पांडेय जी के बगल में ही बैठे हैं । जो कार्यवाही करनी हो, पांडेय जी को बता क्यों नहीं देते ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उनके पास भेजा ही जायेगा । जो उचित कार्यवाही होगी, वह करेंगे ।

बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील के कतिपय ग्रामों में कालरा के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम पैचारुआ में ३, संतोषपुर में ४, राभी में ५, बजारूरा भेड़िया में ४—कुल १६ व्यक्तियों की मृत्यु कालरा के भीषण प्रकोप से हुई है । अभी भी उक्त ग्रामों में कालरा का प्रकोप निरन्तर चल रहा है । अभी तक जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कालरा के प्रचण्ड प्रकोप की रोकथाम करने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, त्रिवेदीगंज के चिकित्सा अधिकारी, श्री आर० के० साहू को उक्त घटना की सूचना जब राभी गांव के लोगों ने दी तो यह कह कर भगा दिया गया कि मेरे अस्पताल में कालरा का इलाज नहीं होता है, गांव वाले मर रहे हैं, तो मरने दो । डाक्टर के इस दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर गांव वाले वापस चले गये जिससे जनता में घोर असंतोष व्याप्त है ।

मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उक्त ग्रामों में कालरा की रोकथाम के लिए चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था तत्काल की जाय, मृतक परिवार के आश्रित लोगों को कम से कम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

१,००० रुपया की धनराशि देकर सहायता की जाय तथा जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी श्री आर० के साहू को तत्काल निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बाढ़ की वजह से जगह-जगह से सूचना मिल रही है कि जगह-जगह कालरा का प्रकोप है । इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है और अविलम्ब समुचित दवाइयां ऐसे सभी क्षेत्रों में पहुंचानी चाहिए और प्रेवेन्टिव कार्यवाही भी होनी चाहिये ।

श्री अवल--

मान्यवर, उतने ही क्षेत्रों में नहीं--पूरे प्रदेश में इस तरह के आदेश प्रसारित करें । क्योंकि ४६ जिले तो पहले से ही प्रभावित थे और अब पूरे ५२ जिले प्रभावित हो गए हैं ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)--

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि बाढ़ के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है । अभी तक जितने जिले प्रभावित हुये हैं, उनमें ९११ ऐसी चौकियां स्थापित कर दीं जो प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा की व्यवस्था करेंगी । औषधियों की समुचित व्यवस्था प्रदेश के लिए की गई है । फिर भी जहां-जहां से माननीय सदस्य इस बारे में सूचना दे रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां पर व्यवस्था करा दूंगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल--)

यह कौन सा वक्तव्य हो रहा है, यह किस नियम में हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

नियम ३०१ में इस पर सूचना मांगी गई है, मैंने निर्देश दिया है तो वह उसके बारे में, जैसे वक्तव्य देते हैं, दे सकते हैं, वही दे रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अभी दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

हां, दे रहे हैं । इसमें तो आपको खुश होना चाहिये ।

श्री कल्याण सिंह--

स्थानीय निदेशालय में भी एक सेल की स्थापना कर दी गई है और एक टेलीफोन वहां चौबीसों घंटे कार्यरत रहता है, कहीं औषधियों की कमी या अन्य कोई व्यवस्था में कमी रहती है तो वहां पर तुरन्त व्यवस्था तथा औषधियां पहुंचाने की कोशिश की जाती है ।

धनाभाव के कारण बाढ़ राहत कार्य में कठिनाई के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ के साथ ही साथ आर्थिक अभाव के कारण बाढ़ राहत कार्यों के ठप्प पड़ जाने के कारण जन जीवन में हाहाकार मच गया है। विभिन्न जिलों के अधिकारी बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों के नागरिकों को धनाभाव के कारण राहत देने में असमर्थ हो गए हैं।

शासन के वित्त मन्त्री द्वारा बार-बार की गयी घोषणा "धनाभाव के कारण राहत कार्य में किसी भी प्रकार की अवरुद्धता नहीं आने दी जाएगी।" के बाद भी बाढ़ में फंसे व्यक्तियों एवं मवेशियों की जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे सर्वत्र असुरक्षा का वातावरण बन गया है।

प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अब तक हुई बाढ़ से क्षति का मूल्यांकन कर केन्द्र से करीब ३०० करोड़ रुपये की धनराशि की मांग की है जबकि अब तक केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश जैसे, करीब ११ करोड़ की जनसंख्या वाले विशाल सूबे को मात्र २५ करोड़ रुपये ही देने की घोषणा की गई है जो स्पष्ट तौर पर प्रान्त की आवश्यकता को देखते हुए सागर में बूंद के बराबर है।

इससे जन मानस में अत्यन्त ही असंतोष एवं क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो गया है और सम्पूर्ण मानस में प्रश्न चिन्ह उभर रहा है कि आखिर धनाभाव में किस प्रकार राहत कार्य किया जायेगा ? बाढ़ में फंसे एवं पीड़ित करोड़ों आंखें शासन की ओर देख रही हैं और सदन भी जानने को इच्छुक है कि शासन किस प्रकार बाढ़ राहत कार्य सम्पन्न कर रहा है और भविष्य में कैसे करेगा ?

अतः आपकी अनुमति से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन से तत्काल वक्तव्य की अपेक्षा है।

श्री अध्यक्ष—

मैं मुख्य मंत्री जी से सम्पर्क स्थापित कर रहा हूं यह मालूम करने के लिए कि आज तक क्या राहत कार्य हुआ है और क्या योजनायें हैं। वह इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करा दें।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

जैसा श्री श्यामधर जी ने कहा, पिछले दिनों यहां इस पर चर्चा हुई, मैं अलीगढ़ जिले के सिकन्दराराऊ की हालत बताना चाहता हूं, पशुओं की बीमारी फैली है ...

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, इसकी इजाजत नहीं है, यह सब नहीं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

जैसा श्यामधर जी ने कहा सदन आज कल में अनिश्चितकाल के लिए उठ रहा है। शासन के कई मंत्री यहां उपस्थित हैं, वे सदन उठने के पहले इसके बारे में सदन को जानकारी दे दें।

श्री अध्यक्ष—

इसकी व्यवस्था की जा रही है। आज साढ़े तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी है। सदन को आज ही निश्चयात्मक रूप से कोई सूचना मिल जाएगी।

जनपद आगरा के ग्राम दीदामई के श्री देवीराम के घर डकैती तथा पुलिस की अकर्मण्यता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर के ग्राम दीदामई में दिनांक ५/६-९-७८ को श्री देवीराम पुत्र नन्दराम के घर पर १५-२० सशस्त्र डकैतों ने हमला बोल दिया, जिसमें गृह स्वामी श्री देवीराम को डकैतों ने गोली मार दी जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। श्रीमती किरन देवी पत्नी देवीराम ने अपने पति की मृत्यु के बाद डकैतों से मुकाबला किया जिसमें डकैतों ने उसकी भी निर्दयता से पिटाई की और मरणासन्न अवस्था में उसे वहां छोड़ गए जिससे समस्त क्षेत्र में भय तथा आतंक की स्थिति पैदा हो गयी है।

घटनास्थल से चौकीगेट एवं नगला करन सिंह दोनों ही ५-५ फर्लांग के फासले पर हैं और थाना उत्तर घटनास्थल से एक मील की दूरी पर है। थाने पर रात में ही सूचना दी गयी लेकिन पुलिस ने सतर्कता और सावधानी से काम लिया होता तो डकैत पकड़े जा सकते थे। घटनास्थल थाने से सीधा सड़क से जुड़ा हुआ है।

मान्यवर, तीन दिन पहले दो व्यक्तियों की लाशें थाना दक्षिण से हुमायूंपुर गांव के बीहड़ में बरामद हुई हैं जिनके हत्यारों का पता पुलिस अभी तक नहीं लगा सकी है। फिरोजाबाद का जन मानस हिल उठा है और असुरक्षा की भावना बड़े पैमाने पर व्याप्त हो गयी है और लोग देहात को छोड़ कर नगर की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे शासन के प्रति असंतोष उभर रहा है।

यही नहीं दिनांक २७/२८ की रात्रि को श्री राम बहोरी, संभ्रान्त कृषक, राजा का ताल को एक सब-इंस्पेक्टर थाना दक्षिण ने अकारण मारापीटा और उससे २०० रु० के लगभग छीन लिया और उसका व उसके ट्रैक्टर का चालान सभी कागजात के होते हुए भी अनियमित रूप से कर दिया जिससे किसानों में काफी असंतोष व्याप्त है।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं कि फिरोजाबाद में एक कुशल एवं अनुभवी सी० ओ० एवं पुलिस कप्तान की तैनाती की जाय जो कि अपराध स्थिति पर कड़ा नियंत्रण रख सके और पुलिस में व्याप्त अनियमितताओं को ठीक किया जा सके। विशेष अनुरोध है कि डकैती में मृत परिवार की विधवा और अबोध बालकों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान की जावे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश में नक्सलपंथियों की उत्तरोत्तर वृद्धि के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मोहनसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में उत्तरोत्तर नक्सलपंथी हिंसावादी तत्वों का जोर बढ़ रहा है। प्रदेश के समस्त पिछड़े हुए क्षेत्रों में इनकी गतिविधियां तेज हो रही हैं। विगत ३१ अगस्त को प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थानान्तर्गत पुलिस ने नक्सलपंथी तत्वों पर कब्जा करने की कोशिश की तो इनमें से तीन ने गोली मार कर स्वतः अपनी हत्या कर ली। इस झुंड के पास में तमाम आग्नेय अस्त्र-शस्त्र बरामद हुये हैं। इसी तरह गोरखपुर में भी १ सितम्बर को नेपाल में सक्रिय चीन-पंथी उग्रवादी तत्वों का एक झुंड पकड़ा गया। इनके पास से लाल किताब, चेयर-मैन माओ के अनेक साहित्य तथा आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं।

नक्सलपंथी उग्रपंथी समाज की आर्थिक, सामाजिक गैर बराबरी के कारण पैदा हुए। आज भी शासन केवल पुलिस स्तर पर कार्यवाही करके ही इन तत्वों का मुकाबला करना चाहता है। प्राप्त समाचारों के अनुसार प्रदेश के आई० जी० पुलिस ने अपनी शस्त्रधारी पुलिस को सावधान किया है। लेकिन इनका फैलाव केवल पुलिस की सतर्कता से नहीं रोका जा सकता। बंगाल, बिहार से तमाम प्रशिक्षित नक्सलवादी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के विभिन्न जेलों में नक्सलवादी बन्द हैं। इनमें से कुछ ने हिंसा में विश्वास को त्याग दिया है। उन लोगों को पेरोल पर बाहर करना चाहिए और उन्हें अगुआ बना कर उग्रपंथी तत्वों से शासन को बातचीत चलानी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस गम्भीर बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नक्सलवादी तत्वों का प्रदेश में फैलाव एक गम्भीर घटना है। शासन सावधानी से इस मामले को हल करने का प्रयास करें अन्यथा प्रदेश के समस्त पिछड़े क्षेत्रों में समाज के दुर्बल वर्ग द्वारा हिंसा और उत्पात की पूरी सम्भावना है।

विद्युत् कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में आमरण अनशन करने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

* श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की सदन को सूचना देना चाहता हूं—

दिनांक २४ अगस्त, १९७८ से विद्युत् कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में विद्युत् परिषद् के मुख्यालय पर कर्मचारियों का क्रमिक अनशन चल रहा था। पहली सितम्बर, १९७८ से उक्त स्थान पर विद्युत् कर्मचारी संयुक्त समिति के महा-मंत्री श्री एम० ए० खान आमरण अनशन पर हैं, २ सितम्बर से श्री ज्ञानवेन्द्र डोक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और ५ सितम्बर, १९७८ से डी० एस० लाल तथा खैराती लाल जी भी आमरण अनशन पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित कर उन्हें न्यूनतम वेतन ३२५ दिनांक १-४-७४ से दिया जाय, दैनिक श्रेणी लिपिक के १-४-६९ से वेतन विवाद को तय किया जाय तथा स्थानान्तरित कर्मचारियों का उचित फिटमेंट किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गुलाब सेहरा

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा वार्ता के माध्यम से मांगों को हल न किए जाने से यह गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और अभी तक किसी प्रकार की सन्तोषजनक वार्ता नहीं की गई है। जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष पैदा हो रहा है और यदि समस्याओं का हल समय रहते वार्ता द्वारा तय न किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि शासन इस पर शीघ्र ध्यान दें और सदन में अपना वक्तव्य भी रखें।

गोरखपुर जनपद के ग्राम ककटही में नाव दुर्घटना में व्यक्तियों की मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान ग्राम ककटही, ब्लाक धानी, निर्वाचन क्षेत्र पनियरा, जनपद गोरखपुर की नाव दुर्घटना जिसमें ८ व्यक्तियों की मृत्यु तत्काल हो गयी है, के सम्बन्ध में आकृष्ट करता हूं।

मान्यवर, उक्त गांव अभी चारों तरफ से तीन चार किलोमीटर पानी की दूरी में घिरा हुआ है। यह पानी कम से कम २ माह पूर्व सूखने की सम्भावना नहीं है। मान्यवर, उक्त गांव में शासन द्वारा कोई बड़ी नाव का प्रबन्ध नहीं किया गया था और न अब भी है। केवल डोंगी नाव जिस पर मल्लाह मछली मारते हैं वही उस गांव वालों को किराये पर लेकर दे दिया गया था। उस नाव की चौड़ाई महज एक हाथ की होगी। मान्यवर, यह दुर्घटना वहां के नायब तहसीलदार के बदइन्तजाम के कारण हुई क्योंकि जब बड़ी नाव दोहरी घाट से मंगाई गयी थी तब इस गांव वालों को एक भी बड़ी नाव नहीं दी गयी। मान्यवर, मैंने कई बार उनसे आग्रह किया कि उन गांव वालों का जनजीवन हर समय खतरे में है, परन्तु वह जरा सा भी ध्यान नहीं दिए यह कहे कि हमने नाव की व्यवस्था कर दिय है। मान्यवर, अब भी, इस दुर्घटना के बाद भी बड़ी नाव की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं खबर पाकर स्वयं मौके पर गया था देखा कि ८ घरों में लोग तीर बांस लेकर ८ घंटा बंधा कर बैठे हैं यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। मान्यवर, यह सब बहुत ही गरीब हैं। मरने वालों का नाम निम्न प्रकार है :—

श्रीमती मसाली स्त्री पारस कुर्मी, श्रीमती गुलक स्त्री महादेव कुर्मी, मुसम्मात धनपाली बेवा जेबर कुर्मी, श्रीमती चतुरी पत्नी नाथ यादव, श्रीमती धनपाती स्त्री रामनाथ केवट, श्रीमती राजरानी स्त्री अशर्फी कुर्मी, फागू पुत्र श्री देवीदीन कुर्मी, हरिपाल पुत्र बिरजू केवट।

मान्यवर, मैंने देखा है कि उस गांव में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। एक कूप गांव में है जो गिरा हुआ है और उसमें भी लोगों के गिरने की सम्भावना है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन से मांग करता हूं कि उक्त मृतक व्यक्तियों के परिवार को पांच-पांच हजार रुपये नकद तथा जो भी अनुदान सहायता हो सके दिलाने की कृपा करें तथा यह भी चाहूंगा कि उक्त घटना की जांच कराकर माननीय मुख्य मंत्री जी से इस दुखद घटना पर एक वक्तव्य दिलाया जाय और इस घटना की जांच कराने के पश्चात् यदि छोटी नाव के कारण यह दुर्घटना घटी तो उस नायब तहसीलदार या अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाये।

ग्राम निधी पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के श्री भूषण मिश्र की हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

समादृत अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक नृशंस एवं हृदय द्रावक हत्या के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दिनांक २६ अगस्त जन्माष्टमी की रात में लगभग १० बजे एक २० वर्षीय युवक श्री भूषण मिश्र ग्राम निवासी निधी पट्टी थाना रानीगंज प्रतापगढ़ की निर्मम हत्या नहर की पटरी पर हत्यारों ने गोली मार कर कर डाली। बताया जाता है कि उक्त नवयुवक जन्माष्टमी की रात में संकीर्तन में भाग लेकर अपने गांव निधी पट्टी जा रहा था। हत्या की सनसनीखेज सूचना पाकर हजारों की भीड़ नहर की पटरी पर एकत्र हो गयी। किन्तु खेद कहना पड़ रहा है कि दिनांक २६-८-७८ को अलस प्रभात को ही सूचित करने के बावजूद पुलिस लगभग १० घंटों के बाद सायं ५ बजे घटना स्थल पर पहुंची और तब तक चीख चीत्कार के बीच सहानुभूति व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा और शव समूची रात एवं समूचे दिन नहर की पटरी पर ही पड़ा रहा।

मान्यवर, उक्त अप्रत्याशित घटना से जन-जीवन में बड़ा आतंक, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त हो चुका है। कोई भी व्यक्ति अपने को रक्षित नहीं अनुभव कर रहा है। पुलिस नितांत निष्क्रिय है। आज तक कोई भी धर पकड़ एवं गिरफ्तारी नहीं हुई है।

अस्तु सदन के संज्ञान में इस हृदयविदारक हत्या की घटना लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह अविलम्ब हत्यारों को गिरफ्तार करने का उपक्रम करें, मृतक के परिवार को राहत देने हेतु आर्थिक एवं अन्य प्रकार की सहायता करें, कानून एवं व्यवस्था के लिए पुलिस को सचेष्ट करें एवं सदन में वक्तव्य दें।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की मांग

(ग्राम्य विकास मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैंने सूचना दी थी उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

जिनको मैंने स्वीकार किया है उनको समय दे दिया गया है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अब आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठें।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैंने भी एक सूचना दी थी और....

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

मान्यवर, भयानक बाढ़ आई हुई है। क्षेत्र से हमको आने नहीं दिया जा रहा है और आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, भयानक बाढ़ आई है और प्रदेश की स्थिति गम्भीर है। आप इस पर बोलने का अवसर दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग व्यवस्था के नाम पर सदन में अव्यवस्था उत्पन्न न करें।

(कई सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

माननीय सदस्यगण, आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान गृहण करें। इससे सदन का समय नष्ट हो रहा है।

(शोर)

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

लेकिन, अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा है कि व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था मत उत्पन्न करें। आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पूरे प्रदेश की स्थिति खराब होती जा रही है। बाढ़ पर बोलने के लिए समय आप अवश्य दें।

एक सदस्य—

मान्यवर, पूरा प्रदेश डूब रहा है और यह सरकार सो रही है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, सदन में बहुत अधिक अव्यवस्था हो रही है। आप चेतावनी दीजिए।

श्री ऊदल—

मान्यवर, कामरोको प्रस्ताव हम लोगों ने दे रखा है। इन सब विज्ञप्तियों को रखने के बाद मेरा निवेदन है कि आप काम रोको प्रस्ताव स्वीकार करें। उस पर बहस का आप समय दें ताकि जो सदन की भावना है उसे व्यक्त किया जा सके।

श्री अध्यक्ष--

मैंने शुरू में ही कहा था कि बाढ़ के बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को कहा है कि अब तक की स्थिति से अवगत करायें। अगर मैं काम रोको प्रस्ताव पर बहस कराऊं तो वह भी चार बजे के पहले नहीं हो सकती। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। पहले जो औपचारिक कार्य है उसको समाप्त होने दीजिए उसके बाद इसको ले लेंगे।

श्री ऊदल--

आप औपचारिक कार्य कर लें। उसके बाद काम रोको प्रस्ताव पर बहस करा दें।

श्री अध्यक्ष--

इस समय माननीय मंत्री जी इसी सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी से विचार विनिमय करने के लिए गए हुए हैं। ३ बजे के बाद में देखा जायगा।

श्री पूरन चन्द्र--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बाढ़ का मामला बहुत ही गम्भीर है। इसको पहले ले लीजिए।

श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, बाढ़ के सम्बन्ध में जनता में काफी असंतोष है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि सदन आज बन्द होने जा रहा है। बाढ़ के सम्बन्ध में आपको कम से कम २ दिन का बहस का समय देना चाहिये ताकि सरकार बता सके कि वह क्या-क्या कार्य कर रही है।

लखनऊ में लकड़बग्घे के आतंक के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षण

श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं बार-बार बोलने के लिए खड़ा होता हूं लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता। मान्यवर, आज आपके चेम्बर म जाकर भी प्रार्थना की थी कि गत एक महीने के अन्दर भेड़िए व लकड़बग्घे २० बच्चों को उठा ले गये हैं। कल रात को ही अकबर नगर, फैजाबाद रोड पर ८ बजे रोशन जहां नामक लड़की को लकड़बग्घा उठा ले गया। तलाश करने पर उस लड़की का आधा हिस्सा मिला। आज जब नगरवासी उस लकड़बग्घे से बचे आधे शरीर को लेकर माननीय मुख्य मंत्री को दिखाने आ रहे थे तो निशातगंज पुल के नीचे उन पर बर्बर लाठी वर्षा हुयी। प्रदेश की राजधानी, लखनऊ के अन्दर पिछले १ १/२ महीने में २० बच्चे लकड़बग्घे उठा ले गये। बार-बार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी और जिले के प्रशासन के अधिकारियों का भी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। आज से ४ दिन पूर्व, एक ऐसा वाकया हुआ, परसों हुआ और कल रात फिर ऐसा ही एक वाकया हुआ। उन बच्चों को जिन्हें लकड़बग्घों द्वारा उठा लिया गया था उनके आधे शरीर जो बचे थे, बाद में मिले।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं लेकिन आप को व्यवस्था का प्रश्न उठाने के बजाय, लिख कर देना चाहिये था। चूंकि आप इसे मेरे संज्ञान में ले आये, सदन को आपने सूचना दे दी, इससे सरकार का ध्यान आकर्षित हो गया है।

श्री डी० पी० बोरा--

मान्यवर, बजाय इसके कि सरकार कोई भी सहानुभूति रखती, सरकार के अधिकारी कोई सुरक्षा की व्यवस्था करते, पी० ए० सी० की ट्रकों द्वारा लोगों को मारा पीटा गया है। अब भी मान्यवर, निशातगंज के पुल के नीचे लोग मौजूद हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, इस सरकार में बहुत लकड़बग्घे हैं। इसलिए सरकार कैसे कार्यवाही करेगी ?

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सदन में संसदीय कार्य मंत्री, कृषि मंत्री, श्रम मंत्री मौजूद हैं, इनको निर्देश दे दें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री जी, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करा कर सदन को अवगत कराया जाय।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

बहुत अच्छा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, १९७८ †

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

श्रीमन्, मैं पंचायती राज अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या २७१६-बी/३३-२--६६-७८, यू० पी० ए०-३३-१९६१-नियम-१९७०-संशो० (६)-७८, दिनांक ५ अगस्त, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (छठा संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम गार्डस (खंड संगठन कर्ताओं और बटालियन अनुदेशकों पर अनुशासनिक नियंत्रण) नियमावली, १९७७ †

ग्राम्य विकास उप मंत्री (श्री छोटे लाल)--

श्रीमन्, मैं नागरिक सुरक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या ४०७८/सत्ताइस-६२-एच० जी०-७५, दिनांक १६ जून, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश होम गार्डस (खंड संगठनकर्ताओं और बटालियन अनुदेशकों पर अनुशासनिक नियन्त्रण) नियमावली, १९७७ को यू० पी० प्रान्तीय रक्षक दल ऐक्ट, १९४८ की धारा २० के

† छापी नहीं गई।

साथ पठित उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अधिनियम, १९६३ की धारा १५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (छठा संशोधन) नियमावली, १९७६ एवं (सप्तम संशोधन) नियमावली, १९७७

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

श्रीमन्, मैं सहकारिता अनुभाग-१ की (१) अधिसूचना संख्या १९०५/१२-सी-१-७-(२)-७६, दिनांक २१ जून, १९७६ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (छठा संशोधन) नियमावली, १९७६ एवं (२) अधिसूचना संख्या ३८१५/सी-१-७७-७ (५)-१९७७, दिनांक २४ दिसम्बर, १९७७ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (सप्तम संशोधन) नियमावली, १९७७ को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (नवम संशोधन) नियमावली, १९७८ †

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

श्रीमन्, मैं पशुधन अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या २९३६/बारह-ई-४-४ (६६)-७८, दिनांक २७ जून, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (नवम् संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की धारा १३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ †

पंचायती राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

श्रीमन्, मैं पंचायती राज अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या १३६१-बी/३३-२-४४-७८-यू०पी०ए०/३३-१-१९६१-रूल/१९६६-ए० एम० (२)-१९७८, दिनांक २४ जून, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७८ को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (बाईसवां) आदेश, १९७८ ††

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

श्रीमन्, मैं शिक्षा अनुभाग-१० की अधिसूचना संख्या २७१३/१५-१०-७८, दिनांक १५ जून, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (बाईसवां) आदेश, १९७८ को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ७३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ †

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

श्रीमन्, मैं श्रम अनुभाग-३ की अधिसूचना संख्या ४८१४ (वि)-३६-३-६२ (वि)-७२, दिनांक २८ फरवरी, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार (औद्योगिक विवाद) (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७८ को श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा ३ के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

रेणुकूट जांच आयोग का प्रतिवेदन, १९७८ ††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से रेणुकूट जांच आयोग का प्रतिवेदन, १९७८ की टिप्पणी एवं ज्ञापन सहित कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तेइसवां) आदेश, १९७८ ††

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-१० की अधिसूचना संख्या ३८६७/१५-१०-७८, दिनांक १६ अगस्त, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (तेइसवां) आदेश, १९७८ को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ७३ की उपधारा (२) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७८-७९ का अनुपूरक) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था तथा जो अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ सितम्बर, १९७८ को वापस प्राप्त हो गया है।

---

†छापा नहीं गया।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५३ के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७२-७३ के बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, १९७८ जो विधान सभा द्वारा दिनांक २९ अगस्त, १९७८ को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक ४ सितम्बर, १९७८ को वापस हो गया है।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ के पत्र दिनांक ३० अगस्त, १९७८, जो इस सचिवालय में दिनांक ३१ अगस्त, १९७८ को प्राप्त हुआ, के अनुसार श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) को दिनांक ९ अगस्त, १९७८ को ३ बजे दिन तथा श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) को दिनांक ९ अगस्त, १९७८ को जाब्ता फौजदारी अधिनियम की धारा १५१ के अन्तर्गत 'भारत बचाओ' आन्दोलन के लिए बन्दी कर लिया गया और हवालात में रखा गया और उन्हें १८·४० बजे दिन मेरठ जेल में रखा गया। इन माननीय सदस्यों को दिनांक १० अगस्त, १९७८ को जेल से रिहा कर दिया गया है। इन माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना सदन में दिनांक २१ अगस्त, १९७८ को दी गयी थी तथा इसे बुलेटिन-२३ द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित किया गया है।

आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा ने ३१ अगस्त, १९७८ को आल इंडिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना था कि ३१ अगस्त, १९७८ को शिमला काण्ड को लेकर सदन में एक संकल्प पर चर्चा के समय एक घण्टे का समय बढ़ाने का प्रस्ताव श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की ओर से रखा गया था जो स्वीकार किया गया था। माननीय मुख्य मंत्री ने केवल यह इच्छा व्यक्त की थी कि संकल्प पर कोई समय न बढ़ाया जाये किन्तु आकाशवाणी से सायं ७ बजकर २० मिनट पर समाचार बुलेटिन में कहा गया था कि एक घण्टे का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ध्वनि मत द्वारा पारित हो गया जब कि मुख्य मंत्री का समय न बढ़ाने का प्रस्ताव गिर गया।

इस संबंध में मैंने निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ का स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के साथ आकाशवाणी से प्रसारित संबंधित समाचार बुलेटिन की प्रतिलिपि भेजी है। उसको देखने से यह ज्ञात होता है कि उसमें यह नहीं कहा

[श्री अध्यक्ष] [7 सितम्बर 1978

गया है कि मुख्य मंत्री का कोई प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया । समाचार बुलेटिन का संबंधित भाग इस प्रकार है :—

"श्री नारायण दत्त तिवारी ने बहस का समय एक घण्टा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव रखा जिसका मुख्य मंत्री ने विरोध किया किन्तु यह प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया ।"

श्री नारायण दत्त तिवारी ने पहले सदन का समय डेढ़ घण्टे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था किन्तु बाद में उन्होंने डेढ़ घंटे के समय को घटा कर एक घण्टा कर दिया था और उनका प्रस्ताव सदन के सम्मुख मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया था । श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने केवल श्री नारायण दत्त तिवारी के प्रस्ताव का समर्थन मात्र किया था । अतः आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार में कोई तात्विक असंगति नहीं है फिर भी श्री एम० जे० सिद्दीकी ने आकाशवाणी के निदेशक की ओर से अपने स्पष्टीकरण के अंत में यह भी कहा है कि यदि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन से किसी माननीय सदस्य को किसी प्रकार की असुविधा हुई है तो वे उसके लिए क्षमा याचना करते हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि वे कभी भी जानबूझकर ऐसा करने की बात सोच भी नहीं सकते जिससे माननीय सदस्यों को असुविधा हो ।

ऐसी दशा में मैं यह नहीं समझता कि इस मामले में कोई अग्रेतर कार्यवाही की जाये और मैं श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, यह तो ड्राप हो गया था । अब इसकी क्या जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की सूचना को मैं बता रहा हूं । मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आकाशवाणी वालों से खेद प्रकाश क्यों मंगवाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

खेद प्रकाश को मैंने पढ़ा है ।

उरसला अस्पताल, कानपुर के वरिष्ठ अधीक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री भारत सिंह चौहान ने २ सितम्बर, १९७८ को विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी है । श्री चौहान ने उरसला अस्पताल के वरिष्ठ अधीक्षक के विरुद्ध उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने और अस्पताल में भरती न करने की शिकायत की है । माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के अंत में मुझसे आग्रह किया है कि सदन की समिति गठित करके या स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जांच करायी

जायं तथा जो भी लोग विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी प्रमाणित हों उनके मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय और जो अधिकारी कर्तव्यहीनता तथा दुर्व्यवहार आदि करने के दोषी हों उन्हें विभाग द्वारा दंडित किया जाये ।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह तो विशेषाधिकार की बात होती है, श्री चौहान ने जो प्रश्न उपस्थित किया है यह तो निश्चित तौर पर विशेषाधिकार की बात है । इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करना चाहिये । जो बातें मुझे मालूम हुयी हैं वह यह हैं कि माननीय सदस्य कानपुर में रहते हैं, वह अस्पताल गये । डाक्टर बुलाये गये, आये नहीं । न आते कोई बात नहीं है । लेकिन जो उनके साथ व्यवहार हुआ वह आपके सामने है । उसके बाद वह फिर घर गये और फिर बलरामपुर आये । वहां भी व्यवहार अच्छा नहीं हुआ और उस दिन ३१ थी । वह यहां सदन में कार्य करने के लिये आ रहे थे और डाक्टरों को बतला रहे थे कि मुझे सदन में कार्य करने जाना है । उन्होंने डाक्टर से कहा कि मैं स्पीकर को भेज रहा हूं, मुख्य मंत्री को तार भेज रहा हूं । तो डाक्टरों ने बैठकर प्रस्ताव पास किया और निंदा की और आरोप लगाने की चेष्टा की । ऐसी सूरत में हो सकता है कि उनकी गलती हो या किसी दूसरे की गलती हो । मैं यह मांग करता हूं कि इसको विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय और तथ्य सामने आयें । इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिये ।

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यवहार माननीय सदस्य कानपुर के साथ अस्पताल में हुआ उसकी चर्चा पूरे नगर में है और पूरे प्रदेश में है और कानपुर में स्थिति यह आ गयी है कि डाक्टर जनता से कहते हैं कि हम विधायकों को नहीं समझते, तुमको क्या समझेंगे । सारी जनता में असंतोष है । मैं निवेदन करूंगा कि इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय वरना इसके भयंकर परिणाम होंगे ।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिनों पहले पिछले सत्र में श्री राम गोविन से संबंधित मामले को आपने विशेषाधिकार समिति को दिया था । श्री कृष्णा राय के मामले को दिया था । इस तरह की जो अस्पतालों में परंपरा चल रही है और जो डाक्टरों और चिकित्सकों की दशा तथा अव्यवस्था है उस संदर्भ में सामान्य नागरिक के साथ क्या व्यवहार होता है उसकी चर्चा करना अनावश्यक है । विधायकों के साथ यह व्यवहार हो रहा है। चौहान साहब उपस्थित हैं वह अपना पक्ष रखेंगे । जो नोटिस है उसमें लिखा है कि मैं विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिये जाना चाहता हूं । मैं अस्वस्थ हूं इसलिए मुझको स्वस्थ करें । डाक्टरों ने एम्बुलेंस भेजा। जब वह अस्पताल में आये तो उनसे कहा गया कि आने के साथ ही तुमने विधायकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का रोब गालिब करना शुरू कर दिया। हमने इस तरह के बहुत विधायकों को देखा है। इसलिये यह सब विधायकों के ऊपर रिमार्क किया गया है। चूंकि यह विधान सभा को, मुख्य मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री जी को तार देने वाले हैं जब यह खबर डाक्टरों को मिली तो वह और भी आग बबूला हो जाते हैं। तो डाक्टर ने कहा--तो तार देते रहें, मैं क्या करूं। इसलिये यह जानते हुए कि विधायक हैं और विधान सभा के अध्यक्ष को तार देने वाले हैं इसलिये वह अपनी ओर से दूसरी रचना करते हैं और दूसरे दिन अखबारों को दूसरा बयान देते हैं। अतः उनको अपमानित करने के साथ-साथ जनता पार्टी को बदनाम करने की कुचेष्टा भी की है। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको विशेषाधिकार समिति को जरूर सुपुर्द करें और दोनों पक्षों की बात सामने आकर सही निर्णय विशेषाधिकार समिति ही ले सकती है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, जो विशेषाधिकार की नोटिस श्री चौहान ने दिया है उसमें मैं जो समझ पाया हूं वह एक तो प्रश्न विशेषाधिकार समिति के पास इसको भेजा जाय। तो मेरी राय है कि जिस प्रकार उनकी शिकायत है उससे निश्चय ही माननीय सदन की अवहेलना हुई है इसलिये विशेषाधिकार समिति के सामने जाना चाहिये। मेरा निवेदन है कि उस घटना के २-३ दिन बाद माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री मोहम्मद मसूद खां और श्री लक्ष्मण सिंह जी के साथ श्री चौहान स्वास्थ्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह जी से मिले थे। तो दो से सात तारीख हो गयी, उस घटना से प्रदेश में असंतोष व्याप्त है और जैसा कि मोती राम जी ने कहा कि वह विधायकों को समझते ही नहीं हैं तो आम जनता की क्या बात है? इसलिये दूसरे पक्ष के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जी को सदन को आश्वासन देना चाहिये कि इस संबंध में कड़ी कार्यवाही तो करेंगे ही साथ ही साथ जो प्रदेश की गरीब जनता है, जो अस्पतालों में जाती है, उनके साथ भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटने पाये, इस पर आज ही स्वास्थ्य मंत्री जी का वक्तव्य होना चाहिये।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि श्री चौहान ने विशेषाधिकार की नोटिस दिया है लेकिन हिन्दुस्तान के सभी अखबारों में डाक्टरों की तरफ से बयान छपा है कि श्री चौहान ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। यह भी छपा है कि उस दुर्व्यवहार के विरोध में जूनियर डाक्टरों ने शायद हड़ताल भी कर दिया है। अब श्री चौहान तथा दूसरे जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि अखबारों में जो छपा है वह तथ्यों से परे है। दिनांक ३१ को सदन था। यदि श्री चौहान ने कहा कि हमको वहां जाना है और यदि उनके जाने में बाधा उपस्थित की गयी तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

मान्यवर, यह एक ही विधायक के साथ नहीं, यदि इस तरह के शब्द जैसा कि बताया गया, कहे गये हैं तो मैं समझता हूं कि यह एक ही विधायक का प्रश्न नहीं बल्कि माननीय सदन का प्रश्न है। इससे सदन का अपमान हुआ है। इसलिये इसको रफा-दफा करने की बात नहीं है। इसको विशेषाधिकार समिति को अवश्य आप जाने दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, जो राय अब तक हमको सुनने के लिए मिली उसके बाद जो मालवीय जी ने कहा इससे हमको ऐसा लगता है कि यह मामला प्रशासनिक ज्यादा है और विशेषाधिकार समिति का काम है। यह कहने के लिए आप क्षमा करेंगे। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें जितनी राय रखी गयी है उनके खिलाफ थोड़ी बहुत हमारी राय भी पड़ रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे क्षमा चाहते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का इस मामले में वक्तव्य आ जाय। वस्तु स्थिति क्या है, मालूम हो जाय। तब तक के लिए इस विशेषाधिकार के मामले को स्थगित कर दें और वक्तव्य आने के बाद आप इसको देखें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय भारत सिंह जी आप से यह मालूम करना चाहता हूं....

(श्री सुखपाल पांडेय के कुछ कहने पर)

आप बैठिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

लेकिन एक बात तो सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पाण्डेय जी, यह अत्यन्त अनुचित है। प्रत्येक विषय पर आप अपनी राय देने के लिए बाध्य करते हैं। आप बैठ जाइये। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह के बोलने पर)

आप बैठ जाइये। इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

इस सन्दर्भ में मैं एक दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। इससे आपका संबंध नहीं है। आप बैठ जाइये। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

[× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

श्री सुखपाल पाण्डेय जी जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

भारत सिंह जी, मैं आपसे यह मालूम करना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि मैंने अपने कर्तव्य पालन करने में या विधान सभा की मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा तो क्या वहां के अधीक्षक ने आपको वहां रोका या आप स्वयं ही वहां से चले आये । आपको इस संबंध में क्या कहना है ?

*श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

अध्यक्ष जी, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक ऐसी गन्दी चारपाई में लिटवा दिया जिस पर मैंने कहा कि आप मेरे लिए कमरे की व्यवस्था करें जैसा कि फोन पर आश्वासन दिया था और एम्बुलेंस भेजी थी । मुझे विधान सभा की कार्यवाही में शामिल होने जाना है इसलिए अगर आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मैं यहां से जा रहा हूं । इस पर वहां के जूनियर डाक्टर्स ने कहा आप अभी से विधायक का रोब दिखाने लगे हैं । विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले पायें या नहीं यह हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है ।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों के जो पावर्स एण्ड प्रिविलेजेज हैं, इनमें एक प्रिविलेज यह भी है कि यदि कोई माननीय सदस्य बीमार हो तो उसे ले जाने के लिए विशेष तौर से हर अस्पताल में, बलरामपुर अस्पताल में व्यवस्था की जाय । माननीय चौहान साहब ने स्पष्ट कहा है कि मेरी प्राइवेट वार्ड में व्यवस्था की जाय लेकिन इसके बजाय उनको वहां से भगा देने की व्यवस्था की गयी और मजबूर होकर उनको भागना पड़ा । डाक्टरों का यह कह देना बहुत हल्कापन है कि विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये जाना, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है और फिर दूसरे दिन डाक्टरों द्वारा कन्फ्रन्ट्रेशन शुरू कर देना और अखबारों में कुछ का कुछ छपना, इससे अनेक शंकायें उत्पन्न होती हैं जिनका समाधान विशेषाधिकार समिति के समक्ष ही किया जा सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे विशेषाधिकार के सामने अवश्य भेज दें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, साथियों की बातों को सुनकर दो प्रश्न सामने आते हैं । एक तो भारत सिंह चौहान जी का उपचार ठीक से नहीं किया गया और दूसरे उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया । यह बात सही है कि एक माननीय सदस्य का अस्पताल में ठीक से उपचार नहीं होता अथवा किसी नागरिक का उपचार नहीं होता तो उससे संबंधित डाक्टर को दंड दिया जाना चाहिये लेकिन कितना बड़ा ही अपराध हो यह जरूरी नहीं है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाय। विशेषाधिकार का प्रश्न वह तभी बनेगा जब सदन में आने में कोई बाधा डाली जाय । चौहान साहब की बात से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको असेम्बली में आने से रोका नहीं गया बल्कि कहा गया, चले जाओ । उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया गया, उनका ठीक से उपचार नहीं किया गया, दवाओं का ठीक प्रबन्ध नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया । इसके लिये विधान सभा की विशेषाधिकार समिति में इसे भेजा गया तो काफी देर लगेगी । मेरे ख्याल से कल्पनाथ सिंह तथा मालवीय जी ने जो कहा वह अपनी जगह सही है कि स्वास्थ्य मंत्री जी को आदेश दिया जाय कि वे इसकी जांच करवा लें ।

यह प्रायः देखा गया है कि सीनियर डाक्टर्स की यह टेक्नीक है कि जब उनको छोटे डाक्टरों को उभाड़ना होता है तो वे उनको उकसा देते हैं । इस प्रश्न को स्वास्थ्य विभाग को देना चाहिये और स्वास्थ्य मंत्री जी जांच करके संबंधित व्यक्तियों को दंडित करें । विशेषाधिकार समिति में अगर यह गया तो विधि का कोई प्रश्न यह नहीं बन पायेगा और न अभियुक्त को ही सजा मिल पायेगी ।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं माननीय कल्पनाथ सिंह तथा सोहन वीर सिंह तोमर की बात से अक्षरशः सहमत हूं कि इसमें विलम्ब होगा । उसके लिए प्रथम उपचार यही है कि तत्काल स्वास्थ्य मंत्री जी सम्बन्धित डाक्टरों को सस्पेंड करें और उनके खिलाफ जांच करके कार्यवाही करें ।

दूसरी बात जो भारत सिंह चौहान ने उपस्थित की है वह यह है कि ठीक से उपचार न करने के अतिरिक्त उनको इस सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका गया और उल्टे डाक्टरों ने कन्फ्रन्टेशन किया तो निश्चित रूप से न केवल माननीय सदस्य का अपमान हुआ बल्कि इस माननीय सदन का अपमान किया गया । इसके लिए जांच समिति बना दी जाय लेकिन जांच समितियां बना करती हैं, कार्यवाही भी होती हैं अनुशासनात्मक, प्रशासनिक, व्यवस्थात्मक, लेकिन साथ ही साथ जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है मैं इससे सहमत हूं कि माननीय सदस्य का अपमान भी हुआ है और उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेने दिया गया । यह कानपुर का मामला है, देहात का मामला है । यदि इसे विशेषाधिकार समिति को नहीं दिया गया तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे । जागेश्वर कांड तो मान्यवर, आपको मालूम ही है । इसलिए कम से कम हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो स्वस्थ रहें इसलिए विशेषाधिकार समिति को इसे भेज दें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि ५ बजे तक डिबेट चले ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मैं इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने के पक्ष में हूं । मैंने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था । २१ जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के जे० इन्ट डाइरेक्टर ने हमारे माननीय सदस्य, सुल्तानपुर को माननीय गृह मंत्री की मौजूदगी में और माननीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में कहा था कि जूते से मारेंगे और उन्हें गाली दी थी । उसके बारे में कहा गया था कि जांच हो रही है । कुछ भी जांच नहीं हो रही है । स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एक एम०एल०ए० को अपमानित करते हैं और मंत्री जी मौजूद रहे तो वह कैसी जांच होगी ? इसलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय । इसी तरह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भगवती प्रसाद सिंह--]

की एक घटना हमारे रामजनम यादव को बलरामपुर अस्पताल के कर्मचारियों ने दवा लेने में अपमानित किया है। वे झेंपकर वापस चले आये। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जांच से यह मसला खटाई में पड़ जायेगा इसलिए इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अत्यन्त खेद है कि माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी की सूचना का इस विशेषाधिकार की सूचना से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनकी शिकायत दूसरी है और न उन्होंने मुझे कोई सूचना ही दी है। इस प्रश्न पर श्री भारत सिंह चौहान ने अपनी सूचना के अन्त में मुझसे आग्रह किया है कि सदन की समिति गठित करके या स्वयं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से जांच करायी जाय और जो भी लोग विशेषाधिकार की अवहेलना के दोषी प्रमाणित हों उनके मामले भी विशेषाधिकार समिति को सौंपने का कष्ट किया जाय। साथ ही जो अधिकारी कर्तव्य हीनता और दुर्व्यवहार आदि करने के दोषी हों उन्हें विभाग द्वारा दंडित किया जाय तो जैसे ही यह प्रश्न मेरे सामने आया मैंने तत्काल स्वास्थ्य मंत्री से इस सम्बन्ध में रिपोर्ट मांगने के लिए कहा और मैं रिपोर्ट मंगा रहा हूं। यह मामला अधिकांश प्रशासकीय है। इस पर मैं यह भी निर्देश दे रहा हूं कि वह अविलम्ब जांच करके तुरन्त कार्यवाही करे और उसकी रिपोर्ट दें और उसके बाद यह निर्णय किया जायेगा कि आया प्रशासकीय कार्यवाही काफी है या इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तथा गढ़वाल विश्वविद्यालयों की सभा के लिए विधिमान्य अभ्यर्थियों के नामों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मुझे देनी है। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की सभा के लिए ५ सदस्यों तथा गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय तक प्राप्त नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा नियत समय पर की गई और सब नाम-निर्देशन पत्र वैध पाये गए हैं। इस प्रकार इन दोनों निकायों में निम्नलिखित माननीय सदस्य विधिमान्य अभ्यर्थी हैं :--

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की सभा

१--श्री अरुण कुमार सिंह (जौनपुर)।

२--श्री उदय नारायण सिंह (वाराणसी)।

३--डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (आगरा)।

४--श्री गुरु प्रसाद (इलाहाबाद)।

५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (देवरिया)।

६--श्री मैनजर सिंह (बलिया)।

७--श्री मौजीलाल कुरील (कानपुर)।

८—श्री राजपति मिश्र (प्रतापगढ़) ।

९—श्री राज नाथ सिंह (मिर्जापुर) ।

१०—श्री राम जी (आजमगढ़) ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय की सभा

१—श्री इन्द्रमणी बड़ोनी (टेहरी गढ़वाल) ।

२—श्री गोविन्द सिंह नेगी (टेहरी गढ़वाल) ।

३—श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (देहरादून) ।

४—श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (चमोली) ।

५—श्री बरफिया लाल (उत्तरकाशी) ।

६—श्री रणजीत सिंह (देहरादून) ।

७—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (बरेली) ।

नामों की वापसी के लिए आज दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के अपराह्न ४ बजे तक का समय नियत है । चूंकि इन दोनों निकायों में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक अभ्यर्थी हैं, अतः इनमें जो नाम अधिक हैं, वे यदि उक्त समय तक वापस न ले लिए गए तो मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक ९ सितम्बर, १९७८ को पूर्वाह्न साढ़े दस बजे से अपराह्न ५ बजे तक कमरा नम्बर ४८, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

आज होने वाले वक्तव्यों का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

एक और बात कहनी है कि आज जितने वक्तव्य हैं मुख्य मंत्री जी ने और विद्युत् मंत्री जी ने प्रार्थना की है कि वे प्रधान मंत्री जी से विचार विमर्श में व्यस्त हैं इसलिए तीन बजे इनको ले लिया जाय । तो तीन बजे तक के लिए इन सभी मंत्रियों के वक्तव्यों को मैं स्थगित कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, तीन बजे गन्ने के सम्बन्ध में चर्चा होगी, उसका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आज साढ़े तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है इसीलिए ३१ तारीख को जो कार्यक्रम निश्चित किया गया उसको मैंने सदन में नहीं रखा और साढ़े तीन बजे बाद रखूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, सभी मंत्री कहां चले गए हैं ? यह सदन कितने बजे तक आज चलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

आप लोगों ने अभी यह चिंता व्यक्त की कि बाढ़ के सम्बन्ध में व्यवस्था हो । तो मैंने आपको सूचित किया कि आज प्रधान मंत्री आये हैं और बाढ़ के बारे में विचार के लिए मंत्रियों को बुला रखा है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

एक निवेदन था जो आपने तीन बजे की बात कही वक्तव्यों के बारे में तो वह आज न रख कर कल या परसों कर दिया जाय । क्योंकि लगान की बढ़ोत्री की चर्चा पिछले सत्र से चली आ रही है । पूरे प्रदेश का मामला है और सारे किसानों का मामला है । आज के एजेंडा में ५ से ७ बजे तक के लिए उसे कर दिया है इसलिए इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न पड़ने, पाये इसका आप ख्याल रखें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी मैंने सूचित किया कि साढ़े तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है उसके बाद आपको मालूम हो जायेगा । सदन स्वयं मालिक है जैसा फैसला करेंगे, वह होगा ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८

पंचायती राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित करने पर)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, नहीं की संख्या अधिक है । यह तो वैसे भी नहीं रखा जाना चाहिये । इससे इन्होंने प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पुनः मत ले रहा हूं । प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये । (प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, नहीं की संख्या अधिक है ।

दिनांक ७ सितम्बर, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह समझता हूं कि यह आपका कहना 'फ्रिवलस' निस्सार है इसलिए हां की संख्या अधिक है और अनुज्ञा प्रदान की गई ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९७८ को पुरः स्थापित करता हूं ।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास काम रोको प्रस्ताव की सूचनायें आई । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने यमुना, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के जल स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में अचानक बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में दिया है । इसी विषय पर श्री ऊदल, श्री सोहन वीर सिंह तोमर, श्री मूल चन्द्र, श्री त्रिलोक सिंह, श्री हिम्मत सिंह, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री एदल सिंह, श्री अब्दुल हलीम खां, श्री बाबू सिंह, श्री नन्द राम, श्री छज्जू सिंह, श्री हरी सिंह, श्री राम आसरे अग्निहोत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जिनकी सूचना समय के बाद प्राप्त हुई है, ने भी सूचना दी है श्री देव बहादुर सिंह, श्री श्यामधर मिश्र, श्री गुलाब सेहरा ने काम रोको प्रस्ताव की सूचनायें अलग-अलग दी हैं, जो अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं । यह जो पहला प्रस्ताव था वह सब बाढ़ के सम्बन्ध में है । दूसरा प्रस्ताव श्री देव बहादुर जी का बिजली कर्मचारी संयुक्त परिषद् (समिति) के महा सचिव, श्री एम० ए० खान द्वारा ७ दिनों से आमरण अनशन के सम्बन्ध में हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, हमारा भी बाढ़ के सम्बन्ध में प्रश्न है । मैंने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है यह दूसरा प्रश्न नहीं है । यह सिर्फ बाढ़ के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह जी, आपके प्रस्ताव के सम्बन्ध में आज ३०१ की एक सूचना स्वीकार की थी इसलिए अस्वीकृत किया जाता है ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आप वक्तव्य दिलवा दें । जो आमरण अनशन हो रहा है, आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वक्तव्य के लिए भेजा है । ३०१ के अन्तर्गत जो यह प्रश्न हमारे सामने था तो मैंने इसे विद्युत् मंत्री जी के पास भेजा है । उनसे मालूम करूंगा कि कब वक्तव्य देंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, बाढ़ के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ के सम्बन्ध में मैंने कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में सदन को अवगत करायें । अब ३ बजे के बाद मुख्य मंत्री जी आ जायें तो इस पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, बाढ़ के सम्बन्ध में जैसा कि आपने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो वह वक्तव्य दे देंगे । मान्यवर, यह प्रकोप ३-४ अगस्त को आया था यह दूसरा प्रकोप मान्यवर, ३-४ सितम्बर को एक महीने बाद फिर आ गया है । मान्यवर, सरकार पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है, इसके सम्बन्ध में सदन में तो चर्चा हो ही जानी चाहिए । इस बाढ़ की विभीषिका के बारे में मान्यवर, आप जानते हैं, सारे माननीय सदन के सदस्य जानते हैं तो मैं चाहूंगा कि यह इतना महत्वपूर्ण मसला है कि और सारे कार्य रोक कर उसपर चर्चा होनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी आ जायेंगे तो अपना वक्तव्य दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

इस प्रश्न को ४ बजे लेना उचित होगा ।

श्री ऊवल--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी साढ़े ३ बजे आवेंगे । ५ बजे तक हम सदन में हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप काम रोको प्रस्ताव न लें तो सारे नियमों को निलम्बित करके बाढ़ के बारे में श्रीमन्, चर्चा करायें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, यह प्रस्ताव पार्टियों की सीमा को लांघकर आया है । हम लोग अपने क्षेत्रों से आ रहे हैं । जिन लोगों ने प्रस्ताव रखा है, वह किसी औपचारिकता के लिए नहीं रखा है । बुलन्दशहर, आगरा, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर तथा अन्य जिले किस मुसीबत में हैं, यह बात हम सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं । तो मैं उधर के भाइयों का समथन करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार करें । इस पर, मान्यवर, चर्चा आरम्भ करे और हम लोगों को सुनें और कम से कम इसकी ग्राह्यता को तो सुन लें जिन लोगों ने प्रस्ताव दिया है उनकी बातों को सुनलें ताकि आप इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर कोई प्रस्ताव है कि जिसमें काम रोकना आवश्यक है, तो वह यह प्रस्ताव है । २१ जिलों में प्रदेश के, पानी भरा हुआ है । हमीरपुर डूब रहा है, बस्ती जलमग्न है । डैम टूट रहा है और ३५० मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है । मान्यवर, मैंने देखा कि राजपुर, फर्रुखाबाद जिले में बिल्कुल पानी से भरा है । रामगंगा और गंगा मिलकर ४० मील हो गई है । आगरा, मथुरा जिले बिल्कुल पानी में डूबना चाहते हैं । तो, मान्यवर, ऐसे में काम नहीं रुकेगा तो किसमें रुकेगा ? अतः मेरा आपसे आग्रह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होगा कि मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो अन्य मंत्रीगण तो बैठे ही हैं । वे हमारी बातें सुनकर मुख्य मंत्री जी को बता देंगे । अतः जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, उनकी बातें सुनें । क्या राहत की जरूरत है, उसको जानलें । तो काम रुकना चाहिये ।

श्रम मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, जहां तक इस प्रश्न की गम्भीरता का प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है और शासन भी इस मामले में पूरी गम्भीरता के साथ बातें करना चाहता है । लेकिन, मान्यवर, इस समय मुख्य मंत्री जी और दूसरे अन्य मंत्रीगण प्रधान मंत्री जी से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उन सारी बातों को सदन भी जानना चाहेगा कि कितनी सहायता केन्द्र से मिलेगी और क्या-क्या आवश्यक मांगे पूरी हो सकती हैं । इन सारी बातों पर विचार हो रहा है ।

जहां तक बाढ़ से तकलीफ का सवाल है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता । मेरठ और मुरादाबाद में विनाश हो रहा है । लेकिन स्थिति अब दो रोज से बेहतर हो गई है । रामगंगा में जो जल छोड़ा गया था, वह भी कम हो रहा है । तो स्थिति की गम्भीरता के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है लेकिन प्रधान मंत्री जी से बात हो जाने के पश्चात् शासन जो इसके बारे में तय करने जा रहा है, जो सुविधायें देने जा रहे हैं, जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन सभी के बारे में एक साथ जानकारी माननीय सदस्यों को मिल जायेगी । जहां तक आपके संज्ञान में लाने का सवाल है, तो यह मामला प्रश्नोत्तर काल से ही सदन के सामने है ।

*श्री ऊदल—

मान्यवर, गंगा का पानी खतरे से ऊपर है। यमुना का भी पानी इसी स्थिति में है । बलिया, गाजीपुर, इलाहाबाद और हमीरपुर आदि जिले पानी में डूब रहे हैं । मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और हरदोई इस संकट में हैं कि बयान नहीं किया जा सकता । माननीय श्रम मंत्री जी का जिला भी डूबा हुआ है । मान्यवर, पिछली बाढ़ से ही अरबों का नुकसान हुआ था ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

लेकिन अब स्थिति बेहतर है ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि पिछली बाढ़ जो आई थी, उससे ४६ जिले प्रभावित हुये थे । सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकी । नेगलीजेंस हुआ है । जो सहायता कार्य होना चाहिये था, नहीं हुआ । आज भी लाखों लोग इस भयानक बाढ़ से तबाह हो रहे हैं । इसलिए, मान्यवर, इस मसले को तत्काल नियमों को निलम्बित कर लें और इस पर कार्यवाही शुरू करें । श्रीमन्, अगर सरकार की तरफ से इसमें कोई अड़ंगा आयेगा तो हम लोग विरोध स्वरूप आज दिन भर के लिए सदन का त्याग करेंगे ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, यह तो धौंस दे रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, प्रश्न बड़ा गम्भीर है। मैं बस से आया हूं, ट्रेनें नहीं आ रही हैं। काशी विश्वनाथ आदि तमाम ट्रेनें बन्द कर दी गई हैं। नगरों में नाव चल रही हैं। गाजियाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि तमाम जिले डूबे हुए हैं (व्यवधान) अतः आज सारे काम को स्थगित करके इस पर आप चर्चा करा लें।

(व्यवधान)

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर और बोलने का बार-बार प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, इतना आपको समझना चाहिए कि जब मैं खड़ा हुआ हूं आपको बैठना चाहिये। इतना आपको कम से कम सीखना चाहिए। नियम ६१ में लिखा हुआ है कि यदि अनुज्ञा दे दी जाए तो सदन के कार्यक्रम के समाप्त होने से एक घंटा पहले उसे बहस के लिए निश्चित किया जाएगा और बहस को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि मुख्य मंत्री और अन्य मंत्री, जो स्वयं इससे सम्बन्धित हैं, वह भी उपस्थित हों। (व्यवधान) (श्री राम आसरे वर्मा के बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर) वर्मा जी मुझे अत्यन्त खेद है कि आप इस प्रकार से व्यवधान डालते हैं। आपको समझना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं तो आपको शान्त रहना चाहिए।

प्रधान मंत्री जी यहां आए हुए हैं और उनसे आज मुख्यतया यही प्रश्न विचारणीय है कि सूबे की स्थिति अत्यन्त भयानक है। १०० साल में कभी इतनी भयानक विनाश लीला नहीं हुई। उन्होंने राज भवन में स्वयं मुख्य मंत्री तथा सम्बन्धित मंत्रियों को बुलाया है। सारे तथ्यों से मुख्य मंत्री आपको अवगत करायेंगे, उसके बाद ४ बजे से ७ बजे- ८ बजे तक या जबतक आप चाहेंगे, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। इससे पहले नियमों को शिथिल करके शुरू भी कर दूं, तो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। इस पर कामरोको की आवश्यकता नहीं है, इस पर बहस के लिए मैं ४ बजे का समय निश्चित करता हूं और माननीय सदस्यों से जो भी प्राप्त सूचनाएं हैं, उनके बारे में मंत्री जी तथ्य प्राप्त कर सदन को विश्वास में ले लें। कितनी सहायता प्राप्त है और कितनी देनी है, यह भी बतावें। अब इस पर ४ बजे से चर्चा होगी, आपमें कोई आक्रोश या उत्तेजना नहीं होनी चाहिए।

श्री चेतराम गंगवार—

आप गन्ने वाला कब लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

साढ़े तीन बजे उस पर विचार होगा, आपके प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

हाउस दो दिन के लिए हर हालत में बढ़ाया जाय। खबर है कि आज ही यह हाउस खत्म करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े तीन बजे आज निश्चित होगा कार्य मंत्रणा समिति में, उसके बाद आपके सामने उसका प्रस्ताव आएगा, आप चाहें तो उसे पास न करें।

श्री मानसिंह आजाद--

आप दो दिन के लिए सदन बढ़ा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलने के पहले नियमों को देख लिया करें । यह आज साढ़े तीन बजे कार्य मंत्रणा समिति में निश्चित होगा कि सदन कब तक बैठेगा और वह प्रस्ताव आपके सामने आवेगा, आप चाहें तो उस समय उसका विरोध करें ।

संसद की भांति सदस्यों को आवास आवंटन हेतु समिति गठित करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मेरा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैंने एक सूचना दी है कार्य-स्थगन के सम्बन्ध में । नियम ५६ में दिया है, लिखित दिया है और सार्वजनिक निर्माण मंत्री के सम्बन्ध में दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

एक दिन में आप जानते हैं एक से ज्यादा कार्य-स्थगन तो होता नहीं । अच्छा, दो मिनट में अपनी बात कह दीजिये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कम से कम आप मेंशन करेंगे ऐसी आशा करता था । विधान मंडल के सदस्यों की आवास सम्बन्धी तमाम दिक्कतें और जब से यह नये सार्वजनिक निर्माण मंत्री आये हैं, न कोई कायदा है, न नियम है, पता नहीं किस तरह से किस रूप से, खुश हो कर, नाराज हो कर कैसे मकान दे रहे हैं, हम लोग नहीं जानते । हमने निवेदन किया था, जैसे संसद में वहां कमेटी होती है, सर्वदलीय, तमाम विरोधी दलों और ट्रेजरी बेंचेज के लोग रहें । उनमें, हर तरह के लोगों को जिस तरह से उनका स्टेटस हो, योग्यता हो, सेवाएं हों, उसके अनुसार उनको मकान मिले । इस तरह से नहीं हो रहा है । अनियमित ढंग से काम हो रहा है । मैं चाहता हूं कि इस पर व्यवस्था दें और थोड़ा सा समय दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को सार्वजनिक निर्माण . . .

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

इसी विषय पर प्रार्थना करना चाहता हूं । हाल में मुझे विदित हुआ कुछ फैमिली सूट्स खाली हुए थे । वे कुछ व्यक्ति विशेष पर रुचि रख कर दिये गये, जबकि लिस्ट १३-१४ लोगों की थी । न सीनियारिटी देखी गयी, न मेरिट देखी गयी । इसलिए कोई न कोई कमेटी बनवा दें, वह आवंटन करे जो न्याय संगत होगा । विरोधी दल को तो कोई सूट देने को तैयार ही नहीं है ।

संसद की भांति सदस्यों को आवास आवंटन हेतु समिति गठन करने के सम्बन्ध १२८७
में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एक निवेदन मेरा सुन लें। मैं समझता हूं कि १०-५ माननीय सदस्य पुराने होंगे, उनमें मैं भी हूं। मुझे तीसरी मंजिल पर १९५७ से लेकर अब तक कमरा दिया गया। कोई क्राइटेरिया आज तक बना नहीं। इतना ही इसकी पुष्टि में मुझे कहना है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

रायल होटल में कामन रूम है। उसमें एक मंत्री जी ने कब्जा कर रखा है। स्थिति यह है। कोई पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था इसमें आ जायगी, इसलिये आपके संज्ञान में यह ला रहा हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

ऊदल जी की शिकायत है कि तीसरी मंजिल पर आज भी रखा गया है। हर आदमी का नाम ऊदल नहीं है जो तीसरी मंजिल पर रहे। इनको क्या शिकायत है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय कौशिक जी जिस प्रश्न को माननीय सदस्यों ने उठाया है मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा सार्वजनिक निर्माण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाय। संसद में, राज्य सभा और लोक सभा को पृथक पृथक हाउसिंग कमेटी है जिसमें सब दलों के प्रतिनिधि होते हैं। सदस्यों में इस बात की भावना का होना उचित नहीं है कि उनके साथ पक्षपात और अन्याय होता है। संसद में निश्चित रूप से दलों की संख्या के अनुसार वहां पर बंगले और अन्य स्थान आवंटित किये जाते हैं। तो यहां पर भी कुछ नियम होना चाहिए और इसमें विरोधी दल के लोगों का भी परामर्श होना चाहिए। उनके आवास आवंटन करने में इस तरह का कोई भाव नहीं होना चाहिए कि विरोधी पक्ष के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में ज्यादा उचित होगा कि एक कमेटी गठित करने पर विचार किया जाय ताकि सब लोगों का परामर्श उसमें हो सके।

मंत्रियों द्वारा जिला स्तर पर प्रशासन में हस्तक्षेप के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया था, उसका जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

एक पर तो चर्चा स्वीकार कर लिया।

श्री गुलाब सेहरा--

बाढ़ की चर्चा आज होगी। उसको आग रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह नियम में नहीं है। आप नियम ५६ को देखें। यह नहीं लिया जा सकता है।

श्री गुलाब सेहरा—

मेरा कहना है, मंत्रि परिषद् का जो पुराना गौरव है वह धूमिल हो रहा है। यह हालत है कि राजनीतिक आधार पर जिला स्तर पर प्रशासन में हर मंत्री हस्तक्षेप कर रहा है। सीधे चिट्ठी लिख रहे हैं। तीन उदाहारण बता देता हूं। राजस्व मंत्री ने हाल ही में एक पत्र लिखा एक सूची भेज रहा हूं और साथ ही इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि यह व्यक्ति टोल टैक्स से न हटाया जाय। एक रेवेन्यू के कलर्क का ट्रान्सफर मंत्री जी ने अपने हाथ से कर दिया। वह ट्रिब्यूनल में चला गया और उसे वहां से स्टे मिल गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। आपका मतलब पूरा हो गया है।

श्री गुलाब सेहरा—

यह साधनों का दुरुपयोग हो रहा है। एक व्यक्ति ने एफ० आई० आर० दर्ज कराया। सरकारी साधनों का कितना दुरुपयोग हो रहा है। [* * *]

श्री अध्यक्ष—

यह आक्षेप है। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री गुलाब सेहरा—

जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह पुरानी परम्पराओं के विपरीत चल रहे हैं। और सरकारी साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप इस पर विचार करें। इसमें संरक्षण की भी बात है। आप देखें कि मंत्रि परिषद् को किसी आचार संहिता से चलना चाहिए या नहीं या यह भीड़ की तरह से चलेगी। इस तरह से मंत्रि परिषद् के लोग काम नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाये।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं। उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ को इस सदन

नोट :—[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†दिनांक २१ अगस्त, १९७८ के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(इस समय १ बजकर ३८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए ।)

यह सब माननीय मंत्री जी ने कहा और जो विधेयक प्रस्तुत किया इसके पीछे जो मूल भावना है वह बागों की रक्षा करना है । मुझे इसी वजह से इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए सिफारिश करनी पड़ी क्योंकि जो कायदे और कानून बागों की सुरक्षा के लिए हैं उन पर किसी प्रकार से अमल नहीं किया जा रहा है उनका कोई असर नहीं है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । कायदे बने हुए हैं कि हरे बाग न काटे जायें । यह भी है कि अगर कोई सूखा बाग काटता है तो वह पहले हार्टीकल्चर विभाग से या बन विभाग से परमिट ले, तब काटे । बागों की रक्षा के लिए इस सम्बन्ध में विचार करना बहुत ही जरूरी है ।

हर आदमी जो बाग लगाता है वह जानता है कि उसकी परवरिश कितनी मुश्किल से होती है । लेकिन रिश्वत का बाजार लगा है और उस पर माननीय मंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं है । मेरे क्षेत्र में डेढ़ मील के फासले पर एक बाग है वह ९ एकड़ का है । उस गांव का नाम है मातीपुर मैनी । मैं उसकी फोटो कापी माननीय मंत्री जी को दिखाऊंगा । एक व्यक्ति ने उस बाग को ८० हजार रुपये मे खरीद लिया, परन्तु चूंकि कछियाने का भाग लिखा हुआ है और खर्चा उसके ऊपर २२ हजार रुपये एकड़ पड़ता है तो मतलब २ लाख रुपये के करीब हुआ जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के चार्जेज पड़ेंगे । इस प्रकार से बचने के लिए उसने उपाय किये ।

मुरादाबाद में जो हार्टिकल्चर आफिसर है उनसे मिलकर जब कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक हरा-भरा बाग काटा जा रहा है, जिसके फोटो मेरे पास हैं और आपके माध्यम से उन्हें मैं माननीय मंत्री जी के पास भेजूंगा, तो उन्होंने कोई सन्तोषप्रद उत्तर नहीं दिया । उन्होंने उसको काटने का परमिट दे दिया । जब यह सूचना ए० डी० एम० को दी गयी कि एक हरा-भरा बाग काटा जा रहा है तो उन्होंने बताया कि स्पष्ट लिखा हुआ है कोई एग्जीक्यूटिव आफिसर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता । जो परमिट हार्टिकल्चर आफिसर इश्यू करता है उसकी अपील डिप्टी डायरेक्टर के यहां हो सकती है कोई एग्जीक्यूटिव अथारिटी उसे रोक नहीं सकती । अब जब डिप्टी डायरेक्टर साहब की नोटिस में इस मामले को लाया गया जो श्रीमन्, हरे भरे बाग के मुकाबले में उन्हें अपने हार्टिकल्चर आफिसर का ख्याल अधिक रहा । उन्होंने देखा कि हार्टिकल्चर आफिसर गिरफ्त में आ रहा है तो उन्होंने उसी को प्रोटेक्ट किया । जब डिप्टी डायरेक्टर साहब मौके पर पहुंचे तो एक आदमी को बुलाकर खड़ा कर दिया गया । उससे पूछा गया कि उसने क्या कोई दरखास्त दी ? इस पर उसने कह दिया कि साहब मैंने तो कोई दरखास्त ही नहीं दी । बाग को काटने का परमिट देने का कारण बताया गया कि उन पेड़ों पर बौर नहीं आया ।

श्रीमन्, पिछले साल आप देखें कि बागों में आम के पेड़ों पर बौर कहीं भी नहीं आया । अगर यही आधार मान लिया जाय तो मलिहाबाद में एक भी पेड़ नहीं बचना चाहिए । परमिट दिया ५० पेड़ काटने का और उसने अधिक पेड़ काटे । श्रीमन्, यह फोटो मैं आपके पास भेज रहा हूं । आप देखेंगे कि किस तरह से हरे भरे बागों को काटा जा रहा है । बागों की रक्षा करना एक अहम काम है । आपके जो भट्ठे चलते हैं उनको देखना चाहिए कि वे बागों से कितनी दूर हैं । उसमें यह भी देखना चाहिए कि जो पुरवइया चलती है उसका असर कितनी

[श्री रियासत हुसैन]

दूरी तक होता है। एक बात कही गयी कि ७०० मीटर फासला होना चाहिए। ७ सौ मीटर कम नहीं है, ठीक है लेकिन क्या पहाड़ की तरफ भी यही है और पूरब की तरफ भी यही फासला रहे और दक्षिण की तरफ भी क्या यही फासला रहे ? श्रीमन्, जब पुरवाई चलती है पश्चिम में डेढ़ मील तक उसके धुयें का असर होता है। पछवा हवा चलती है तो भी डेढ़ मील तक इसका असर आता है। आपने केवल ७०० मीटर का पैमाना रखा। पछवायी और पुरवायी का फोर्स अलग-अलग हैं।

इसमें यह भी कहा है कि अगर वह आदमी जो इस प्रकार से कानून को तोड़ेगा, भट्ठा लगायेगा, तो उस पर ३ हजार रुपये का जुर्माना हो जायगा। पहले एक दिन यहां पर यह भी हुआ था कि उस पर ३०० रुपया जुर्माना होगा और इसकी अदम अदायगी में वह जेल भी जायगा लेकिन अब इस बिल के अन्दर ३,००० रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। लेकिन अगर वह जुर्माना नहीं देगा तो क्या वह आपके यहां पर दावत खायगा या मेरे यहां पर दावत खायेगा ? इसमें कहीं भी यह नहीं है कि अदम अदायगी जुर्माने में जेल में उसे जाना पड़ेगा।

दूसरे इसमें यह कहा गया कि भट्ठे के हटाने का काम बाई फोर्स किया जायेगा। भट्ठा कोई मूवेबिल चीज तो है नहीं कि अगर तुम राजी नहीं तो उसको उधर उठा कर रख देंगे। चूंकि जमीन खोद कर ईंटे चुनी जाती हैं, इसलिए उसको तो बरबाद किया जा सकता है लेकिन उसका रिमूवल बाई फोर्स नहीं हो सकता है। अगर डेस्ट्रक्शन की बात कही जाती तो बात समझ में आ सकती थी लेकिन, रिमूवल की बात समझ में नहीं आती है। फिर इसमें यह भी कहा गया कि ईंट का भट्ठा हटाने का व्यय उसके अध्यासी से एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यु की भांति वसूल किया जायेगा।

मान्यवर, मेरठ के जिले और शाहजहांपुर के एरिया में जहां ३-३ विधायक हैं वहां पर आड़ू पैदा होता है, बेर संभल और बनारस का मशहूर है तो उन फलों के बागों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आंवला, जामुन, नाशपाती, आलूचा, वगैरह जो पेड़ हैं और अच्छी तादाद में मैदानी इलाकों में पैदा होते हैं, उनका नाम नहीं शामिल किया गया है। अंगूर की बेलों का जरूर जिक्र किया गया है। जामुन का पेड़ बहुत बड़ा होता है, नाशपाती, आड़ू वगैरह जो अंगूर से बड़े होते हैं उनके फलों के पेड़ों की हिफाजत का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ आम, अमरूद, अंगूर, पपीता और लीची का जिक्र किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सारी बातों पर विचार करने के लिए यह जरूरी है कि इ को प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वह देख सके कि इसमें और क्या-क्या कमियां हैं।

मान्यवर, मेरे पास २० एकड़ का बाग है। जब मैंने वर्ष १९६३-६४ में वहां पर बाग लगाया तो दरख्वास्त पर दरख्वास्त दी कलेक्टर और एस० डी० एम० को कि वहां पर भट्ठे का धुवां निकल रहा है। जहां पर मैंने बाग लगाया था अब तो वहां पर २,००० बीघे यानी ५०० एकड़ जमीन में बाग ही बाग लगे हैं। पूरी बैल्ट ही बागों की हो गयी है। आप अगर मुरादाबाद से पांडे तक जायें तो २ मील की बैल्ट में बाग ही बाग हैं। लेकिन आज भी वे दोनों भट्ठे जिनके बारे में मैंने शिकायत की थी, आज भी चल रहे हैं। तो जब आपके हार्टिकल्चर के इन्सपेक्टर पैसे लेकर हरे बागों को कटवा सकते हैं तो फिर उन्हें क्या दिलचस्पी होगी क्योंकि वे भी सोचते हैं कि उन्हें वहां पर १ या २ साल रहना होगा। वे यह नहीं समझते हैं कि उन बागों को लगवाने में मालिकों को क्या दिक्कत हुयी होगी।

इसलिये मैं कहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये ताकि वहां अच्छी तरह से विचार हो सके कि किस प्रकार से बागों की रक्षा की जा सकती है। यह फोटो मैं आपके पास भेज रहा हूं, आप कृपया मन्त्री जी के पास भेजने की कृपा करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, जिस भावना से यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है वह स्वागत करने योग्य है। इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आमों की फसल की किस प्रकार से रक्षा की जाये और उसे क्षति न होने दी जाये। यदि इस विधेयक को पढ़ा जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह एकांगी है और बहुत सी आवश्यक बातों पर विचार नहीं किया गया है।

मान्यवर, ईंट उद्योग का भी हमारे समाज के लिये एक विशेष महत्व है और उसे नकारा नहीं जा सकता। आज विकास के लिये ईंट की भी बहुत जरूरत है। आम के बागों के संरक्षण के नाम पर यदि ऐसी व्यवस्था की गयी कि ईंट के भट्टे ही समाप्त हो जायें तो एक समस्या खड़ी हो जायेगी। उद्देश्य में आपने लिखा है कि आमों की फसल की इन-इन रोगों से रक्षा के लिये यह विधेयक लाया गया है, किन्तु आपने विधेयक के अन्दर अमरूद आदि के लिये भी प्राविधान कर दिया है। फिर आपने ईंट और ईंट के भट्ठे की जो परिभाषा दी है उसके अन्तर्गत वे छोटे-छोटे भट्ठे भी आ जायेंगे जो गांव में लोग कच्ची ईंट बनाने के लिये बना लेते हैं।

मान्यवर, इसमें जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं इससे भट्ठा लगना ही मुश्किल हो जायेगा। धारा-३ में आपने जो प्रतिबन्ध भट्ठा लगाने के लिये लगाये हैं उसके अनुसार आपने दो शर्तें भट्ठा लगाने के लिये लगा दी हैं--एक तो यह कि १५ मीटर की चिमनी हो और दूसरे यह कि वह बाग भूमि के समीप न हो। इन दोनों शर्तों का परिणाम यह होगा कि ईंट उद्योग ही समाप्त हो जायेगा। इसलिये इस प्रश्न पर भी विचार किया जाये कि यह उद्योग समाप्त होने न पाये।

एक प्रश्न यह है कि यह १५ मीटर की चिमनी का प्राविधान करते समय क्या कोई तकनीकी राय किसी एक्सपर्ट की ली गयी थी? आज उत्तर प्रदेश में एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है, जिसमें १५ मीटर की चिमनी लगी हो। आज जिस प्रकार के भट्ठे अपने यहां लगते हैं उनमें अगर इतनी लम्बी चिमनी लगायी जायेगी तो उसका परिणाम यह होगा कि सारी आग वह चिमनी स्वयं खींच लेगी और ईंट का पकना सम्भव नहीं हो पायेगा। फिर इस चिमनी को २४ घंटे में एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। फैक्टरी की तरह एक जगह ही उसे लगाये रखना नहीं होता। तो इससे मूव करने की परेशानी पैदा हो जायगी।

इसी के साथ-साथ और एक परेशानी है कि यह चिमनी और भट्टे का भी प्रश्न पैदा हो जायगा कि भट्ठे का लगना ही समाप्त हो जायगा। मान लीजिए एक भट्ठा लगा हुआ है, तो उससे उसके उद्योग पर परेशानी पैदा हो जायगी। कृषि मन्त्री जी से मेरा आग्रह है कि इन सब चीजों पर विचार कर लिया जाय। कृषि विभाग के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं। आम के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बाग को संरक्षण दे दें और उसके साथ-साथ उद्योग भी पनपता रहे, जिससे आने वाली बाधायें जो हैं, समाप्त हो जायं। तब इस अधिनियम को प्रभावी किया जाय, अन्यथा स्वाभाविक रूप से मार्ग में बाधायें पड़ेंगी।

(श्री चेतराम गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आप से आग्रह करूंगा कि मेरा बाग है, मुझे तो अवसर दिया जाय।

*श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, मैं इस विधेयक को बाग विनाश विधेयक मानता हूं। यह इसलिए कि यह विचार काफी दिन पहले कांग्रेस शासन काल में चला, जब कृषि मन्त्री माननीय वीरेन्द्र वर्मा थे, तो राय यह हुई कि इसकी परिधि जो ७०० मीटर की है, उसको २०० मीटर किया जाय। मान्यवर, ७०० मीटर का मतलब यह होता है कि जगह-जगह चले जाइये बुलन्दशहर आदि जो बागों के इलाके हैं, ७०० मीटर इधर, ७०० मीटर उधर, तो मीलों जगह नहीं मिलेगी, भट्ठा लगाने के लिये, जो प्रदेश के लिए आवश्यकता भी है और चल भी रहा है, तो मान्यवर, ईंटा तो पैदा करेगा ही आदमी, हमारे पास बहुत से जनता पार्टी के माननीय सदस्य भट्ठा लगाने वाले बैठे हुए हैं, जिनके ८-८, ७-७ भट्ठे चल रहे हैं। मान्यवर, मैं इत्तफाक करता हूं माननीय रियासत हुसैन साहब के प्रस्ताव से। यह जो फैसला है, आपने इसको सोच-समझ कर नहीं किया है। जहां ३ साल हो गये हैं, वहां इसको फिर से सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, तो सारे सुझाव आपके सम्मुख आ जायं। जैसे अमरूद का बाग था, जब सीलिंग हुई तो आपने आमरूद को बाग में नहीं माना, आज आपको याद आया, तो इनका सबका समावेश होना आवश्यक है। आप चाहें तो जनता पार्टी के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे संशोधन पेश करा दें। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र की तरह से आपस में कुछ झगड़ा है। तो संशोधन पेश करा कर, तत्पश्चात् इसको पास करें। अभी इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री मान सिंह आजाद—

मान्यवर, मुझे भी मौका दिया जाय, मेरे पास भी बाग है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मलिहाबाद क्षेत्र के हैं, आपको मौका मिलेगा।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक रखा गया है, मैं आपके माध्यम से अपनी कुछ बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा भाई रियासत हुसैन ने हमको बताया कि बाग हरे कट रहे हैं और परमीशन बाग काटने की कैसे ली जाती है और फिर वह बाग नहीं लगते हैं। हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्र में बहुत ही बड़ी संख्या में बागें कटे हैं कि उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आज तक कोई रिप्लेस नहीं की गयीं और आज तक न उनके खिलाफ कोई कार्यवाही ही हो रही है। मेरे ही क्षेत्र में २५, ३० एकड़ का बाग काटा गया। जरगवां, परगना डिबाई, अनूपशहर में। लेकिन बाग नहीं लगा। तो हरे बाग कट रहे हैं और उनका रोकना भी निहायत जरूरी है। लेकिन इसमें भट्ठे के कारण जो आम की फसल खराब होती थी उसको रोकने की बात कही गई है और हरे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कोई प्राविधान नहीं है।

इस विधेयक से हमारे सामने कई बातें आती हैं। बाग से बाग की दूरी कितनी हो, बाग कितने हेक्टेयर का हो, कौन-कौन सी फसलें नष्ट होती हैं, यह सब बातें हमारे सामने हैं। चिमनी की बात कही गई है सेंट्रल ब्रिक रिसर्च इंस्टटीट्यूट रुड़की है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि चिमनी की हाइट कितनी होनी चाहिये। जितनी लंबाई की बात कही गई है उतनी लम्बी चिमनी तो सरकेगी ही नहीं। अगर मन्त्री जी वहां से जानकारी प्राप्त कर लेते और नेशनल ब्रिक इंस्टटीट्यूट से राय ले लेते कि चिमनी कितनी लम्बी होनी चाहिये। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जितनी चिमनी की चौड़ाई होती है उसकी सवाई चिमनी होनी चाहिये तब ही अच्छी ईंटें पक सकती हैं। ऐसा न करके १५ मीटर रखा गया है। मैंने संशोधन १२ का किया था लेकिन १० छपकर आया है। इसको बिखवा लेंगे।

दूसरी चीज भट्ठे की दूरी कितनी होनी चाहिये कितनी दूरी तक राख गिर सकती है यह भी पता करके प्रेक्टिकल आधार पर कोई चीज होनी चाहिये। यह सारी चीजें ऐसी हैं जो विवादास्पद हैं। तो सेलेक्ट कमेटी में जाकर ही यह काम चल सकता है। बाग दो हेक्टेयर का होना चाहिये, कम होना चाहिये या ज्यादा होना चाहिये, बाग में कौन-कौन किस्म के बाग आते हैं, फल आते हैं, यह सब बातें विवादास्पद हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह विधेयक अपनी जगह पर पूर्ण नहीं उतर रहा है इसलिये इस पर विचार हो जाय, अभी फसल नहीं आ रही है, तो विचार होकर अगले सीजन में आ जाय तो अच्छा होगा।

आज हमको बागों की ओर भी देखना है क्योंकि बागों की रक्षा नहीं हो पाती है। दूसरे जो ईंट उद्योग हैं उसमें भी लाखों आदमी लगे हैं, ईंटों से नेशनल वर्क होता है, निर्माण कार्य होता है तो इसको लाने से कहीं ईंटों में रुकावट तो नहीं होगी यह सब बातें देखनी हैं। आज ईंटों की कमी है, अगर इस उद्योग पर प्रभाव पड़ा तो भी कठिनाई होगी। तो बाग भी बचें और भट्ठे भी बचें, यह दोनों काम करने चाहिये। मन्त्री महोदय इस पर ध्यान पूर्वक सुनकर, राय लेकर, कुछ दिन लेकर फिर यह काम करें।

श्री मान सिंह आजाद—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आया है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से हाउस में कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले, मन्त्री जी के द्वारा यह घोषित हुआ कि आम पट्टी पर कोई भट्ठा नहीं लगेगा। इसके लिये बड़ा धन्यवाद है। माध्यवर, जहां तक आम और भट्ठे का सवाल है, मैं उसके बारे में जानता हूं। यह भी जानता हूं कि जिला परिषद्, तहसील और लेखपाल पता नहीं किस तरीके से रिश्वत लेकर खुलकर बागों को कटाने का परमिट देते हैं और बाग कटाये जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मलिहाबाद क्षेत्र में यह करें कि उसे आम पट्टी जब घोषित किया है तो उसका पूरे तरीके से पालन किया जाय। सभी जानते हैं कि मलिहाबाद क्षेत्र

[श्री मान सिंह आजाद]

में आम के बाग लगाये जाते है और आम वहां पैदा होता है। बुबरगे के पास हमारा क्षेत्र है वहां एक भट्ठा बिना परमीशन के लगा है। मैं वहां गया हूं और ५ घंटे उसको देखा है। वहां आम लगे थे और इसलिये वहां बाग वाले थे जिनको देखकर मेरा गला भर गया। जिलाधीश महोदय वहां गये थे तो उन्होंने सरकारी वकील से राय लिया और आर्डर दिया कि चिमनी हटा ली जाय। लेकिन डी० एम० के आदेश के बावजूद उसने चिमनी नहीं हटाय। इसलिए हमारे क्षेत्र को आम पट्टी जरूर घोषित कर दिया जाय जैसा कि कहा गया है। इसके अलावा मान्यवर, बैल को छोड़ दिया है। बैल शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है। यदि मन्त्री जी हिन्दू हैं तो उसमें बैल का नाम जरूर जोड़ द।

*श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश ईंट के भट्टों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ जो है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे ईंट भट्टों वालों का भक्षण हो रहा है और बाग वाले इस देश के रियाया हैं तथा भट्ठे वाले जैसे कोई विदेश से आये हैं। पता नहीं किस तरीके से यह विधेयक लाये हैं। ताज्जुब की बात है कि जहां भट्टे चलते हैं उससे ७०० मीटर की दूरी पर बाग होना चाहिये। यदि ०.२ हेक्टेयर पर बाग लगा दिया तो जहा ईंट का निर्माण हो रहा है उसको बन्द कर देना पड़ेगा। जब देश में निर्माण कार्य चल रहे हैं, ईंटों की इतनी शार्टेज है उस समय यह प्रतिबन्ध ठीक नहीं है। मिर्जापुर से १०० मील दूर रेणुकोट पड़ता है लेकिन वहां मिर्जापुर से ईंटें जाती हैं। भट्ठा इसलिए नहीं लगा सकते कि बाग लगे हैं। इसलिए इससे कोई निर्माण कार्य नहीं हो पायेगा। बाढ़ से जो क्षति हुई है उससे कोई पुल या पुलिया नहीं बन पायेगी। जिस तरीके से दुर्व्यहार के साथ विधेयक को पेश करने की कोशिश की जा रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भट्ठे वाले इस देश के शत्रु हैं जब कि देश के निर्माण में उनका सहयोग रहा है।

दूसरी बात, जहां तक इनका कहना है कि पेड़ों में एक तरह का रोग लग जाता है, मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का रोग हर फल पर नहीं लगता। आम के पेड़ की कुछ दूरी होनी चाहिये। १०० मीटर रख ली जाय। आप कहते हैं ७०० मीटर जिसका मतलब हुआ करीब ४ फर्लांग। उसी प्रकार चिमनी की बात कही गयी है। चिमनी कोई खिलौना नहीं है। भट्ठे के हिसाब से चिमनी होती है। यदि चिमनी ज्यादा ऊंची कर दी जायगी तो उसका खिचाव बढ़ जाता है और भट्ठे में ईंट पक नहीं पाते। यह बड़ा महत्व का सवाल है। इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाय। मैं तो समझता हूं कि इस विषय पर विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुला ली जाय। जितनी लम्बाई चौड़ाई भट्ठे की होगी उसी हिसाब से चिमनी बनेगी। जिस तरीके से भट्ठे के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है इससे देश में भट्ठे चलने बन्द हो जायेंगे और निर्माण कार्य जितना है, वह बिल्कुल स्थगित हो जायगा। ऐसा मालूम होता है कि बेचारे भट्ठे वाले देश के नागरिक नहीं हैं।

श्रीमन्, इस के साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आप ने ०.२ हेक्टर बाग भूमि रखी है। कम से कम इस के लिए १० बीघा, २० बीघा भूमि होनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि जो पुराने भट्ठे चल रहे हैं उन का रेश्यो लिया जाय ताकि उन्हें किसी किस्म की क्षति न पहुंचे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक को किसी दूषित भावना से, व्यक्ति विशेष की भावना से लाया गया है, जिससे भट्ठे वालों को नुकसान हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आप व्यवहार न कीजिए। इस पर विचार कीजिए। विधेयक पास होने काबिल नहीं है। इसकी दूरी अधिक से अधिक १०० मीटर रखी जाय, बाग भूमि कम से कम १० बीघा हो, चिमनी के लिए विशेषज्ञों को बुलाकर पूछ-ताछ की जाय और जो आप ने फलों को रोग लगने की बात और नुकसान होने की बात कही है वह ऐसी बात नहीं है। किसी दूषित भावना से यह विधेयक लाया गया है। बागों को संरक्षण नहीं बल्कि भट्ठे वालों का भक्षण करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

(श्री शम्भू नाथ चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने और श्री हरि कृष्ण श्रीवास्तव जी ने भी इसमें संशोधन दिया था। आज प्रातःकाल। इसलिये हम लोगों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ने दिया होगा तो आप को समय दिया जायगा।

(व्यवधान) (शोर)

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

यह पूरे प्रदेश का मामला है। इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री मित्र सेन (जिला फैजाबाद)--

माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं उन्हें आप कुछ समय के लिए जरूर बोलने दीजिये। मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप का कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रस्ताव में जिन के नाम दिये गये हैं उन्हें मौका दिया जायगा ....(व्यवधान)

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, ऐसा आप ने प्रतिबन्ध लगा दिया है कि हमारे लिये एक संकट उत्पन्न हो गया है। मैं यहां पर पहले से खड़ा हूं यदि विधेयक प्रस्तुत किया होता तो यह सारी बातें न होती। मुझे दुःख होता है कि सदन में कभी आम तौर से इस प्रकार के प्रश्न किये जाते हैं। हम संसदीय परम्परा का अनुकरण करते हैं तो नतीजा यह होता है कि हमें घाटा उठाना पड़ता है और जो असंसदीय आचरण करते हैं वह लाभ उठाते हैं, अखबारों में नाम आता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कभी घाटे में नहीं हैं। आप बोलिये।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी--

इसलिए कह रहा हूं कि हमें दुःख होता है। अगर यही पक्षपात होगा, नियमों से काम नहीं होगा तो यह बड़े खेद का विषय हो जाता है।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी यह बहुत छोटा विधेयक लाये हैं। यह बात सही है लेकिन आप ने देखा होगा कि यह मसला बहुत गम्भीर है। हम को ऐसा लगता है कि मन्त्री जी जिस उद्देश्य से इसे लाये हैं वह उद्देश्य बिल्कुल विफल होने जा रहा है। मन्त्री जी ने कांग्रेसी शासन के राजाज्ञा का अवलोकन नहीं किया। सब से बड़ा अफसोस तो यह है कि मन्त्री पढ़ते बहुत कम हैं। कांग्रेसी शासन की राजाज्ञा ६४-६५ की थी कि बागों के पास ईंट के भट्ठे न लगाये जायं। अब आज आप दो चार पेड़ों की बात कर रहे हैं जैसे अंगूर, आम, अमरूद, पपीता, लीची। पूर्वी जिलों में श्रीमन्, सब से ज्यादा महुवा होता है आप ख्याल करेंगे।

श्रीमन्, बाग का अपना एक महत्व है। हम लोग पढ़ा करते थे कि भारत प्राकृतिक सम्पदा में सम्पन्न है लेकिन गरीब क्यों हैं। उसमें एक कारण यह भी था कि हमारे यहां बागों की कमी है उसके बावजूद बाग कटते जा रहे हैं। बाग की कमी से वर्षा कम होती है। जंगल की कमी बाढ़ भी लाती है लेकिन इधर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर सारे बाग कट गये तो कृषि बंजर हो जायेगी। जनता पार्टी की कार्य समिति में भी इस बिल पर विचार नहीं किया गया।

हमारे यहां इसी बाढ़ में दो लड़के डूबे मात्र भट्ठे होने से और अगर यह पास हो गया तो कांग्रेसी जमाने का जो प्रतिबन्ध है कि बाग के पास भट्ठा न लगे वह समाप्त हो जायेगा। महुए के बाग के पास भट्ठे लग जायेंगे क्योंकि आप केवल आम बचाने की बात करते हैं। यह बिल किसान विरोधी है, सारे खेतों को बंजर बना देगा। लिहाजा जैसा सुझाव दिया गया है इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जहां पर इस पर विचार हो सकेगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय कृषि मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं उस पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं शम्भूनाथ चौधरी जी का समर्थन करता हूं कि इस पर जनता पार्टी की कार्यसमिति में विचार होना चाहिये था और जो औपचारिक तरीके हैं उनको पूरा करना चाहिये था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में लिखा है कि कृषि को प्राथमिकता दी जायेगी और खेती का नम्बर एक पर विकास हो इसी भावना से ओतप्रोत हो कर यह विधेयक लाया गया होगा। लेकिन ऐसा न हो कर अगर पूरे का पूरा सदन पेशे के बतौर दो खेमों में बंट जाय तो यह दुर्भाग्य की बात है और जो नीति हो उसके मुताबिक कोई रेखा न खींची जाय। मैं तो चाहूंगा कि बागों की सुरक्षा हो। भट्ठों और चिमनियों का ही धुवां नुकसान नहीं करता है बल्कि सभी धुवें नुकसान करते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि मौसम बदल रहा है और प्रदूषण की एक परत सूर्य तथा पृथ्वी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीच जम गयी है जिससे धरती ठंडी होती जा रही है और मौसम की इस तबदीली से जबरदस्त तबाही ही तबाही होगी। मान्यवर, वैज्ञानिकों का मत है। उन्होंने भी राय दी है (लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, ५ मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप सुझाव दें।

श्री शत्रुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि भट्ठों की चिमनी से ही बागों को क्यों बचाया जाय बल्कि बड़े-बड़े उद्योगों के धुयें से रेल के इंजन के धुयें से बागों को जो नुकसान होता है उससे भी बागों को बचाया जाय। इससे बागों की सर्वांगीण सुरक्षा होगी यही हम लोग चाहते हैं।

एक रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं और उस तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण कराया जाय। माननीय मंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, यह मैं नहीं जानता लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसमें गोरखपुर और वाराणसी मंडल है और उनसे लगे हुये जो छुट-पुट जिले हैं उनको ही परीक्षण के लिये ले लिया जाय तो पता चलेगा कि पूर्वांचल में एक भी भट्ठा ऐसी स्थिति में नहीं है जो ७०० मीटर बाग से ज्यादा दूरी पर स्थित हो। अगर आपने इस विधेयक को पास कर दिया और इसकी तिथियां बाद में बताईं तो मान्यवर, जितने भी भट्ठे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं वे सब बन्द हो जायेंगे। अगर वे बन्द हो गये तो हो सकता है कि माननीय चेतराम जी को खुशी हो।

पैसे के आधार पर भट्ठे वालों की वकालत होगी तो ऐसे भी बाग वाले हैं जो लखपति हैं और ऐसे भी भट्ठ वाले हैं जो भिखारी हैं साथ ही ऐसे भी भट्ठ वाले हैं जो करोड़ों के मालिक हैं और ऐसे भी हैं जो किराये में भट्ठे चला रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से कि आप ऐसा कार्य न करें जिससे कि पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका है, वह और पिछड़ा रह जाय। पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा है। इसके पीछे पिछले ३० सालों के जो भी राजनैतिक या आर्थिक कारण रहे हैं, मुझे पता चला है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार ने १५०० मीटर के आस-पास भट्ठों को रखने की बात सोची थी। हम चाहते हैं कि सरकारों का भी चरित्र बदलना चाहिये। अगर वह नहीं बदलता है तो आम आदमी की आस्था इन सरकारों से धीरे-धीरे कम होती चली जायेगी।

जैसा कि माननीय हिम्मत सिंह जी ने कहा ७०० मीटर दूरी और १५ मीटर चिमनी की ऊंचाई के बारे में कि सड़की से इसके बारे में जानकारी की जाय। वे विशेषज्ञ भी हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण विभाग दिल्ली से भी इसके बारे में जानकारी की जा सकती है इसके साथ ही मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि भट्ठा एशोसियेशन से भी इस बारे में बात कर ली जाय जिससे बाग भी बचें, भट्ठे भी बचें, लोग आम भी खायें लीची भी खायें और साथ ही उद्योगों का भी प्रसार हो। लेकिन उद्योगों का गला घोंट कर आम खाये जायें तो यह ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें। यह सारे सदन की राय हो सकती है और हम सदन की राय का आदर करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

जिन माननीय सदस्यों के संशोधन हैं, उनको पहले बोलने दिया जायेगा ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, संशोधन तो हमारे माननीय रियासत हुसैन ने रख दिया है इसलिए उसे रखने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, ये उद्योग और बाग जिन-जिन क्षेत्रों में प्राथमिकता रखते हैं उससे सम्बन्धित लोग उसी तरह का तर्क दे रहे हैं । जहां फलदार वृक्ष है, वे उसके सम्बन्ध में तर्क दे रहे हैं जहां यह उद्योग ग्रामीण जनता को रोटी रोजी देता है और विकास की आवश्यकता है वहां के लोग भठ्ठों के समर्थन में तर्क दे रहे हैं । वास्तविकता यह है कि मंत्री जी स्वयं कृषक हैं । जमीन के बारे में अच्छा ज्ञान उनको है, मिट्टी को वह पहचानते हैं, स्वभाव से भी सरल और हंसमुख हैं । अगर वह उत्तर प्रदेश में भठ्ठे वालों को संरक्षण दे तो समाज का ज्यादा विकास होगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कितना संरक्षण देती है वह सोचने की बात है । वह स्वयं जमीन सरकारी रेट पर खरीदते हैं फिर उनको कोयले का भी इंतजाम करना पड़ता है और विभिन्न रेटों पर खरीदना पड़ता है जिसके लिए सरकार की कोई गारंटी नहीं है । वहां पर कितना भ्रष्टाचार होता है, हो सकता है कि जिला पूर्ति अधिकारियों ने मंत्री जी को खुश कर लिया हो । किन्तु भट्ठे वालों के साथ बड़ा भ्रष्टाचार होता है । उसको अगर आप देखें तो आपको मालूम हो जायेगा कि वह लोग घूस देते देते तबाह हो जाते हैं ।

हम बागों के विरोधी नहीं हैं । बाग होने चाहिये लेकिन बागों की सुरक्षा में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में मंत्री जी चले जांय तो उनको ज्ञात होगा कि किस तरह वह कट रहे हैं । आज भट्ठे वालों के लिए जो तर्क दिये जा रहे हैं उसके लिए हमारे माननीय सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा है जिसमें यह सब सुझाव आयेंगे और इसमें संशोधन आयेंगे । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे निर्माण कार्यों में बाधा आयेगी । आज उत्तर प्रदेश में विशाल बाढ़ आई है उसके लिए भी बांध के लिए सड़कों के लिए ईटों की आवश्यकता है । सारे निर्माण कार्यों के लिए ईटों की आवश्यकता होती है । सरकार सीमेंट तो उपलब्ध करा नहीं सकती है और लोहा दे नहीं पाती है इसलिए ग्रामीण जीवन में ईंटा ही एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि सस्ते और आसानी से सुलभ है जिसके लिए किसी किस्म की सरकार से खुशामद नहीं करनी पड़ती है । यह जो आप प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं उसका नतीजा यह होगा कि जो गांवों में विकास कार्य हो रहे हैं वह बन्द हो जायेंगे । सड़कें पक्की नहीं हो पायेंगी ।

आप आज गांवों में हरिजन कालोनी बनाने जा रहे हैं उसमें भी ईंटों की आवश्यकता पड़ती है । यह एक ग्रामीण उद्योग है जिसमें बीसियों लाख लोग लगे हुए हैं । मजदूर जो इसमें लगे हुए हैं उनकी रोटी का भी सवाल है । आप बागों से आम खायेंगे उससे समाज का कल्याण होने वाला नहीं है । हां कहीं पर जरूरत को देख कर आवश्यकता हो उसे संरक्षण आप दें लेकिन इससे तो आप इस ग्रामीण उद्योग पर चोट करने जा रहे हैं । इसमें जो १५ मीटर चिमनी की बात रखी है वह एक टैक्निकल प्रश्न है उसे आप टैक्निकल हैंड्स के सुपुर्द कर दें और जो ०·२ हैक्टेयर की बात है उसको टोटल २ हैक्टेयर कर दें । तीसरे ७ सौ मीटर की दूरी की जो बात रखी है उसका मतलब होगा कि किसी क्षेत्र में भठ्ठे नहीं लग सकेंगे । इसलिए इन सब बातों के लिए जो प्रवर समिति में भेजने की बात कही है उसे मंत्री जी मान लें ।

श्री ख्यालीराम शास्त्री (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, इस विधेयक को पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने जो इस विधेयक को रखा है खुद नहीं पढ़ा है। क्योंकि यह विधेयक किसी प्रकार से व्यावहारिक नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं ५५ फीट की चिमनी जो रखी है उसमें उत्तर प्रदेश में एक भी भट्टा नहीं चल पायेगा। कोई भी भट्ठा ऐसा नहीं है जिसकी चिमनी ३४/३५ फीट से नीची हो। मान्यवर, प्रदेश में कोई भी भट्टा ऐसा नहीं है जिसके चिमनी की ऊंचाई ४८ फिट से अधिक हो। इसका मतलब तो यही होता है मान्यवर, आप भट्टे की प्रदेश में आवश्यकता नहीं समझते हैं। यदि मंत्री जी के पास कोई विशेषज्ञ ऐसे हों, टेक्निकल ऐसे हों जो ४८ फिट की चिमनी से भट्ठा पका दें तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैं तो ऐसा दावा करता हूं कि भारत वर्ष भर में भी कोई व्यक्ति, कोई विशेषज्ञ कोई टेक्निकल ऐसा नहीं है जो ४८ फिट की चिमनी से भट्टा पका दे।

दूसरी बात मान्यवर, इन्होंने बाग का क्षेत्रफल कितना रक्खा, ·२ हैक्टेयर १·२ हेक्टेयर का मतलब २०० स्कावयर गज के क्षेत्रफल के बराबर। मान्यवर, इस तरह जो भी पुराना पेड़ होगा उसके चारों तरफ अगर आप देखें तो २०० वर्ग गज का स्थान घेर लेगा इससे कम नहीं हो सकता। अगर २-३ पेड़ हो तो ईंट के भट्ठे नहीं चल सकते। इस विधेयक से तो मान्यवर, ऐसा लगता है कि प्रदेश के सारे भट्ठे बन्द कर दिये जांय। यदि मान्यवर, इस बारे में सर्वेक्षण किया जाय, यह मेरा निश्चित मत है, मेरी निश्चित राय है और चैलेन्ज भी है कि इस प्रकार का कोई भी भट्ठा प्रदेश में नहीं है।

मान्यवर, बाग भी अनिवार्य है, मैं बाग के विरुद्ध नहीं हूं। बाग भी रहे, भट्ठे भी चलें। भट्ठे पर आपको सड़कों का निर्माण, इन्डस्ट्रीज का निर्माण आदि सभी कार्य अवलम्बित हैं। भट्ठा इन सभी चीजों में सहायक है। प्रदेश में कितनी इमारतें बन रही है इन सब में भट्ठा सहायक होगा। मान्यवर, बाग भी इसी तरह की महत्वपूर्ण चीज है। इस सम्बन्ध में पहले ही हर कमिश्नरियों में इस तरह के कानून बने हुए थे, नियम बने हुये थे कि अगर भट्ठे लगायें जायं तो परमीशन के बाद ही लगाये जाते थे। तहसीलदार यह रिपोर्ट करता था कि उसके पूरब में इतना पश्चिम में इतना, उत्तर में इतना और दक्षिण में इतनी दूरी पर बाग के पेड़ हैं। तो मान्यवर, वही काफी है। बागों के लिए इतना ही संरक्षण काफी था।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि बागों को संरक्षण दिया जाय किन्तु भट्ठे से इसका संरक्षण नहीं होगा। जितनी भी फैक्टरियां कायम हैं वे सभी बागों के बीच लगी हुई है। मान्यवर, यह ७०० मीटर की दूरी का जहां तक प्रश्न है, हवा के झोंके होते हैं जिनसे चिनगारियां इतनी दूर तक सहज ही पहुंच सकती है। यह तो किसी भी तरह व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। माननीय मंत्री जी ने पेड़ों के प्रति हमदर्द होने की बात कही है मेरा अपना ख्याल है कि आम के पेड़ पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आम के बारे में कहा है, पपीते के पेड़ के बारे में कहा है और भी सारे पेड़ हैं तो ऐसी जगह कहां मिलेगी जहां पर यह पेड़ न मिलेगें। ऐसी जगह तो वही हो सकती है जहां ऊसर जमीन हो। जहां पर पेड़ ही पैदा न हो।

[श्री ख्याली राम शास्त्री]

इस प्रकार विधेयक में जो चिमनी की ऊंचाई निश्चित की गई है वह व्यावहारिक नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो भी व्यावहारिक हो उसे रख दें। जैसा कि मैंने निवेदन कर दिया कि ३५-३६ फिट से ज्यादा ऊंची चिमनी नहीं हो सकती है। दूसरी बात जो बाग की सीमा रक्खी गई है, उसको भी बढ़ाया जाय। इन सभी बातों को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक व्यावहारिक नहीं है इसलिए इसे पुनर्विचार के लिए मंत्री जी वापिस भेज दें। इस पर टेक्निकल राय पुनः ले ली जाय। अच्छा होगा कि इसमें संशोधन कर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री शास्त्री जी, अब आप बैठ जायं।

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मान्यवर, यदि आप ऐसा नहीं करते तो इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। आप ऐसे कानून बनाये जिनका पालन आसानी से किया जाय। आप लोगों की तो ऐसी आदत रही है कानून पास करने की जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे कानून बनावे जिसका पालन हो सके। वह तभी हो सकता है, जब व्यवहारिकता की बात करेंगे। मान्यवर, मुझे ऐसा मालूम होता है कि जिन लोगों ने इस बिल को बनाया है, उन्होंने सरकार को फल करने के लिए बनाया है। मान्यवर, देखेंगे तो पायेंगे कि ऐसे कानून वे बनाकर रखना चाहते हैं और ऐसे कानून मंत्री जी के सामने बनाकर रखते हैं कि जिससे यह सरकार गिर जाय। वे इस सरकार को गिराना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह या तो इस बिल को वापस ले लें या संशोधनों को मानने की कृपा करें।

*श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ईंट के भट्ठों और बागों के सुरक्षित रखने के संबंध में चर्चा हो रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ले आये है, इसको पास करने का अगर निर्णय ले लेंगे तो फिर वही संशोधन की बात इसमें आगे पैदा हो जायेगी क्योंकि इस पर पहले भी कई विधेयक आ चुके हैं। इसके पहले भी कई जो विधेयक आये थे उसमें संशोधन की मांग की गई थी। यह जो विधेयक लेकर संशोधन की मांग कर रहे हैं, इसका भी तमाम माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें शक है कि उधर के लोग जो अभी इसका विरोध कर रहे हैं, जब इसे सदन में पास करने का प्रश्न आयेगा, तो हां कर देंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि आपकी कथनी और करनी का अंतर जनता समझ जाती है। अगर विरोध करना है, तो विरोध अंत तक करे।

मान्यवर, मेरे पास आंकड़े हैं मान्यवर, प्रदेश में आधे भट्ठे बंद करने से और इस विधेयक के पास करने से ५ लाख मजदूरों पर असर पड़ने जा रहा है। जहां हम बेकारी के लिए परेशान हैं, वहां ५ लाख मजदूर बेकार हो जायेंगे। तो इसपर फिर से विचार किया जाय ताकि प्रदेश में ऐसी विषम स्थित न पैदा हो सके। मान्यवर, बाग बगीचों का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है जिसको इस बात के जानकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं और अगर प्रदेश में बागों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

हत्या कर दी जायेगी तो प्रदेश रेगिस्तान हो जायेगा। लेकिन उधर ईंटों का निर्माण भी आवश्यक है क्योंकि अगर ईंटों की ठीक ढंग से व्यवस्था न की गयी तो सारे निर्माण कार्य प्रदेश में रुक जायेंगे, मकान नहीं बन सकेंगे और प्रदेश का विकास रुक जायेगा। प्रदेश के कई निर्माण-कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे। इसलिए जैसे कि हर विधेयक जब आता है, उसका विरोधी पक्ष तो विरोध करता ही है, लेकिन सरकार के पक्ष के लोग भी विरोध करते हैं। तो प्रश्न है कि सरकार किस मंशा से ऐसे विधेयक लाती है कि जिसका ये तमाम माननीय सदस्य--इधर के और उधर के भी-विरोध करने लगते हैं। तो मेरा मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विधेयक को अभी रोकें और इसको एक प्रवर समिति को सुपुर्द करदें ताकि इस पर गम्भीरता से विचार हो सके, ईंटों के भट्ठे भी चले और बाग-बगीचों की भी सुरक्षा रहे और किसी चीज की क्षति न हो।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बाग और ईंटों के संबंध की जो बहस चल रही है, उसके बारे में कहना चाहता हूं कि हम लोगों का यह कहना है कि आम के बागों को छोड़कर जन्नते कश्मीर न जा आम के बाग में आ। इसी से बागों के महत्व को समझा जा सकता है। लेकिन असल मामला क्या है इसको बहुत से लोग नहीं समझे। मान्यवर, आम और भट्ठे की चिमनियों का क्या रिश्ता है इसको मैं बताना चाहता हूं। आम का बौर बहुत नाजुक चीज है। यह सिलसिला उस समय से शुरू होता है जब आम के बौर की कटोरियां खुलना शुरू होती हैं। नर और मादा-दो कटोरियां होती हैं। रात की चांदनी में ये नर और मादा कटोरियां एक दूसरे से मिलती हैं। नर कटोरी सूरज की रोशनी से गिर जाती है और मादा कटोरी में अम्बिया बैठ जाती है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में जब भट्ठे चलते हैं, तो उनकी चिमनियों से धुवां निकलता है। उसका जो कोयला निकलता है, वह अम्बियों पर गिर जाता है और वहां उनपर निशान पड़ जाता है। जो अम्बिया होती हैं, उसकी पेंदी ऊपर होती है उनके ऊपर निशान बनता है। जब अम्बिया बड़ी होती है तो यह निशान नीचे आ जाता है। इस तरह वह दाग बराबर बढ़ता रहता है।

यह भट्ठों की चिमनियां तकरीबन ३ मील तक बौर को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर मार्च, अप्रैल व मई के इन तीन महीनों में भट्ठों में आग लगाने का काम रोक दिया जाए तो किसी भी बाग को इस चिमनी के धुयें से नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए कोशिश यह होनी चाहिए कि इन तीन महीनों में भट्ठे का काम रोक दिया जाए। उधर के लोगों का मकसद तो यह है कि हर चीज का विरोध किया जाए, हर चीज के मकसद को खत्म कर दिया जाए। इससे सारा मसला हल हो जाएगा और गरीबों को आम भी मिल जाएगा और ईंटा भी उन्हें मिल जाएगा। यह पूरे प्रदेश की बात न होकर एक क्षेत्र विशेष की बात है, यह एक खास कर पट्टी की बात हो रही है। मलिहाबाद और पास वाले इलाके को पट्टी बनाकर भट्ठों को खत्म कर दिया जाए ताकि आम की नस्ल को बचाया जा सके।

आम को हासिल शरफ फिर्दौस के अलमार पर,
लब बंधे हैं इसलिए शीरीनी-ए-डाकतार पर।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मेरे प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। एक ने यहां तक कह दिया है कि इसको मंत्री जी वापस ले लें, तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने, जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया है, वह कृषि मंत्री भी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम और ईंटों में अगर लड़ाई होगी तो आम ही टूटेगा, आम ही हारेगा, उसे ही नुकसान होगा। तो मेरा कहना यही है कि वह कृषि मंत्री होने के बावजूद भी आम को बचा नहीं पावेंगे।

जैसा हिम्मत सिंह जी ने कहा था आप ५ रुपया पेड़, काटने के समय सेक्योरिटी जमा करवाते हैं, अब जिसे दुबारा बाग लगाना नहीं है, उसके लिए यह कोई बड़ी राशि नहीं है। उसको लेने के लिए वह आएगा नहीं। आम के बागों को कटने से रोक लें, इसके लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इस बिल को जिसे आपने जल्दी में रखा है, उससे न तो बागवाले और न भट्ठे वाले सन्तुष्ट हैं। इसलिए मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह चाहें तो इसे वापस ले लें या प्रवर समिति में बैठकर इस पर विचार कर लें, जिससे माननीय सदस्यों की जो इच्छा है, उनके जो सुझाव हैं, उनका उसमें पूरी तरह समावेश हो जाए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे इस सुझाव को मान लें।

श्री राजेन्द्र सिंह--

उपाध्यक्ष जी, (व्यवधान) मैं आपकी अभी पोल खोल देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बात इस प्रदेश में बहुत पहले से महसूस की जा रही है। बागों को भट्ठों से नुकसान होता है, उसके लिए विधेयक लाया जाय। पूर्ववर्ती सरकार के समय से, १९७४ से बात चल रही थी। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं, फाइलों को देखने से पता चलता है, कि भट्ठे वालों की लाबी इतनी स्ट्रांग थी कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार किसानों के हित में कोई निर्णय लेने में संकोच करती रही और नहीं ले पायी। जो विचार हमने इस बिल में रखे हैं, वह इत्तफाक से मुझे खुशी है, कांग्रेस सरकार जब केन्द्र में थी तो माननीय शिंदे साहब का पत्र इसी संदर्भ में आया था कि भट्ठे से दूरी सात सौ मीटर और चिमनी की ऊंचाई १५ मीटर होनी चाहिये। (व्यवधान) सुन लें। आप अफसोस कर रहे हैं मुझे दुख: इस बात का।

इस वर्तमान सरकार में भी यह विचार हुआ कि इसको कम किया जाय लेकिन केन्द्रीय सरकार ने फिर यह इंसिस्ट किया, कि एक्सपर्ट ओपीनियन इसी बात की है। जो लेटेस्ट लेटर आया है उसमें यही है कि सात सौ मीटर की दूरी होनी चाहिये और १५ मीटर की हाइट होनी चाहिए। इस संदर्भ में जिन भाइयों ने मलिहाबाद को देखा होगा, उनको मालूम होगा कि कितना नुकसान भट्ठों से इस प्रदेश के बागान को हो रहा है। उसका अन्दाज देख कर लगाया जा सकता है, भाषण दे कर नहीं सोच सकते। इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर कोई भट्ठा पहले से लगा हुआ है, वहां पर कोई बागात लगाना चाहता है तो डिस्टेंस को नहीं माना गया है। सिर्फ चिमनी की हाइट की बंदिश की गयी है। एक बात और इसमें .२ हेक्टर की बात कही गयी है। जो माननीय सदस्य गरीबों की बात करते हैं, भूमि वितरण की बात करते हैं, जिन हरिजनों को या भूमिहीनों को पिछली सरकार ने या अब जो जमीनें दी जा चुकी हैं, उसकी सीमा इस हद तक नहीं होगी, अगर वह अपने उन प्लाट्स में .२ हेक्टर के अन्दर बाग लगाना चाहते हैं या लगा रखा है, उनको प्रोटेक्शन देना भी सरकार का फर्ज था और इस संदर्भ में एकरेज

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

कम रखा गया है। मैंने स्पष्ट कर दिया। दोनों चीजें सामने आ गयी हैं। थ्रिक आउट एक थिंकिंग रही है। डेसीजन एक्सपर्ट ओपीनियन पर बेस्ड है। यह व्यक्तिगत कारण से नहीं रखा गया है। भारत सरकार के एक्सपर्ट की राय आयी है। राष्ट्रपति को पहले परमीशन लेना भी आवश्यक था। वह परमीशन भी मिल गयी। इसलिए कुछ ढिले भी हो गयी। (व्यवधान) इसमें तीन-चार बातों का जिक्र आया है, उन पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। अगर कोई अन्य चीज सामने आती है तो उसमें शासन पीछे नहीं रहेगा, हम एक्सपर्ट से ओपीनियन ले लेंगे। अभी माननीय सदस्यों के रुख से ऐसा मालूम हुआ कि उनका ध्यान दूरी पर कम है बल्कि ऊंचाई पर ज्यादा है तो मैं मानने को तैयार हूं कि चिमनी की ऊंचाई १५ मीटर के स्थान पर १२ मीटर कर दूं। मेरा निवेदन है कि आप इसको पास करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय रियासत साहेब आप इसको वापस लेते हैं या नहीं ?

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ कहा है वह ईंट भट्ठों के ही पक्ष में कहा है इसलिए मैं इसको वापस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

परिभाषाएं

२--इस अधिनियम में,--

(क) "ईंट" का तात्पर्य कोयला, जलाने की लकड़ी या किसी अन्य प्रकार के ईंधन से पकाई गई किसी ईंट से है;

(ख) "ईंट का भट्ठा" का तात्पर्य किसी भट्ठा से है जहां ईंट पकाई या बनाई जाती हो और इसके अन्तर्गत उससे अनुलग्न कोई भूमि या भवन भी है किन्तु, इसमें देशी ढंग का ईंट का भट्ठा सम्मिलित नहीं है जिसमें ईंधन के प्रयोजनों के लिए हार्ड कोक का उपयोग नहीं किया जाता है,

(ग) "फलदायी वृक्ष" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वृक्ष से है,

(घ) "बाग-भूमि" का तात्पर्य कम से कम ०.२ हेक्टर क्षेत्र के किसी भू-खंड से है जिस पर फलदायी वृक्षों की संख्या इतनी हो कि उन वृक्षों के कारण वह भूमि या

उसका अधिकांश भाग मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है या उनके पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर नहीं लाया जायगा और उसके अन्तर्गत ऐसे वृक्षों के पौधों के विकास के लिए पौधशाला भी है और ऐसी भूमि पर वृक्षों या पौधों से बाग रचित होगा;

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य किसी ईंट के भट्ठा के सम्बन्ध में उस व्यक्ति से है जिसका ईंट के भट्ठा के कार्य-कलाप पर अन्ततोगत्वा नियंत्रण हो और अध्यासी के अन्तर्गत ईंट के भट्ठा का स्वामी या प्रबन्धक भी है;

(च) "समीप" का तात्पर्य ईंट के भट्ठा और बाग भूमि के बीच दूरी के सम्बन्ध में, ईंट के भट्ठा की सीमा से बाग-भूमि की सीमा के बीच सीध में नापी गयी सात सौ मीटर से कम दूरी से है ।

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (घ) की पंक्ति १ में अंक और शब्द "०.२ हेक्टर" के स्थान पर अंक और शब्द '२ हेक्टर' रखे जायं ।

उपाध्यक्ष जी मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री ख्याली राम शास्त्री को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (च) में शब्द "सात सौ मीटर" के स्थान पर शब्द "एक किलो मीटर" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, अभी हमारे रियासत हुसैन साहब ने भी कहा और चन्द दूसरे लोगों ने भी अपनी बातें कही है इस विधेयक के सम्बन्ध में । सब की राय है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीनों मे जब पुरवा या पछवां हवायें चलती हैं तो इन भट्ठों का धुंआ होता है उसका असर डेढ़ दो मील तक होता है ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री दिवाकर विक्रम सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ (च) की पंक्ति २ में शब्द "सात सौ मीटर" के स्थान पर शब्द "दो सौ मीटर" रख दिये जायं । मान्यवर, पार्टी के अनुशासन के नाते इसे...

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने इस संशोधन को वापस ले लें । इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स की ओपीनियन मांगी गयी थी । उसके पश्चात् ही यह तय हुआ ।

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री ख्याली राम शास्त्री को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३--(१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या ऐसी विधि के आधार पर सम्भावी किसी संविदा, अनुदान या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् न किसी बाग-भूमि के समीप और न ईंट के भट्ठा का पन्द्रह मीटर या उससे अधिक ऊंची टेलिस्कोपिक चिमनी के बिना, किसी प्रतिषेध ईंट के भट्ठा का संस्थापन या संचालन करेगा ।

(२) शंका के निराकरण के लिए एतत्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे ईंट के भट्ठा के समीप कोई बाग लगता है जो उसे लगाने के दिनांक के पहले से चलाया जा रहा है या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् ऐसे ईंट के भट्ठा के समीप किसी बाग-भूमि का अन्यथा अर्जन करता है और यदि ईंट के भट्ठा में पन्द्रह मीटर या उससे अधिक ऊंची टेलिस्कोपिक चिमनी लगी है, तो यह नहीं समझा जायगा कि इस धारा से ऐसे ईंट के भट्ठा का संचालन प्रतिषिद्ध कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "के समीप" और "पन्द्रह" के बीच के शब्द "और न" हटा दिए जायं ।

मान्यवर, यह संशोधन केवल शाब्दिक है लेकिन मैं समझता हूं कि जो भावना माननीय मंत्री जी ने व्यक्त की है इस संशोधन के बिना वह स्पष्ट नहीं होती । यदि उपरोक्त में से शब्द "और न" निकाल दिए जायं, तो यह ठीक हो जायेगा ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें । अगर विसिनिटी में कोई बाग लगाया जाता है तो उसका अर्थ पूरा हो जाता है । अतः इस संशोधन को माननीय सदस्य वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उप खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बस" रख दिया जाय । लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि बताया उसे ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह मुझे स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति-३ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ख्याली राम शास्त्री—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "पन्द्रह मीटर" के स्थान पर शब्द "दस मीटर" रख दिए जायं। मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी ने "बारह" मान लिया है। अतः मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "पंद्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—जो कोई धारा ३ के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, उसे शास्ति जुर्माना का, जो तीन हजार रुपये तक हो सकता है, दन्ड दिया जायगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ में शब्द "तीन हजार रुपये तक" के स्थान पर शब्द "कम से कम पांच हजार रुपये" रख दिये जांय।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

ठीक है, मैं इसको वापस ले लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री दिवाकर विक्रम सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन पेश नहीं करना चाहता हूं ।

खंड ५

कम्पनी द्वारा अपराध

५--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से या उपेक्षा के कारण किया गया है तो उस कम्पनी का प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) "निदेशक" का किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ६

ईंट का भट्ठा हटाने की न्यायालय की शक्ति

६--(१) धारा ४ या धारा ५ के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दोष-सिद्ध व्यक्ति को आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर बाग-भूमि के समीप से ईंट का भट्ठा हटाने या यथास्थिति, कम से कम पन्द्रह मीटर ऊंची टेलिस्कोपिक चिमनी लगाने का भी निदेश दे सकेगा ।

(२) जहां उपधारा (१) के अधीन दिये गये निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, वहां उसकी एक प्रति न्यायालय द्वारा कलेक्टर को अग्रसारित की जायेगी, और कलेक्टर तदुपरान्त सम्बद्ध बाग-भूमि के समीप से ईंट का भट्ठा हटवायेगा, और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो ।

(३) कलेक्टर, उपधारा (२) के अधीन ईंट का भट्ठा हटाने का व्यय उसके अध्यासी से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल करेगा ।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

७--(१) धारा ६ में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अपना यह समाधान हो जाने पर कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है ईंट के भट्ठे का संचालन रोक सकेगा या उसे बाग-भूमि के समीप से हटवा सकेगा । ईंट का भट्ठा हटाने की कलेक्टर की शक्ति

(२) ईंट के भट्ठे को हटाने के लिए उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि ईंट के भट्ठे के अध्यासी को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

(३) उपधारा (१) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना के दिनांक से एक मास के भीतर अधिकारिता प्राप्त आयुक्त को अपील कर सकता है और अपील पर आयुक्त का आदेश अन्तिम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

अपराध का संज्ञान — ८—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान निदेशक, उद्यान एवं फलोपयोग, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर, ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "किसी अधिकारी" तथा शब्द "द्वारा किए गये" के बीच में शब्द "अथवा प्रभावित फलोद्यानी" बढ़ा दिये जांय ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह स्वीकार करने लायक है, यह स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ८ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "किसी अधिकारी" तथा शब्द "द्वारा किए गये" के बीच में शब्द "अथवा प्रभावित फलोद्यानी" बढ़ा दिये जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ९-१०

प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति — ९—धारा ८ में निर्दिष्ट कोई अधिकारी सर्वेक्षण करने या माप लेने या ऐसा कोई अन्य कार्य करने के लिए, जिसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, किसी युक्तियुक्त समय में किसी ईंट के भट्ठे पर प्रवेश कर सकता है ।

क्षतिपूर्ति — १०—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

[धारा २ (ग) देखिये]

क्रम संख्या	फलदायी वृक्षों के नाम
१	आम
२	अमरूद

क्रम सं०	फलदायी वृक्षों के नाम
३	अंगूर की पौध ।
४	पपीता ।
५	लीची ।

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूची में मद संख्या २, ३, व ४ पर उल्लिखित "अमरूद, अंगूर की पौध व पपीता" निकाल दिये जायं।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लें।

श्री ख्याली राम शास्त्री--

मैं इसे वापस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री ख्याली राम शास्त्री को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८

बागों का उनके समीपस्थ ईंट के भट्ठों के कारण होने वाले पादप रोगों, जैसे ऊतिक्षय और कालासिर से संरक्षण और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना, तथा शीर्षक इस विधेयक का अंग माना जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ । जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, १९७८ जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक में केवल दो साधारण से संशोधन प्रस्तावित हैं । एक तो यह है कि अभी तक यह व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए केवल लोक अभियोजक की नियुक्ति की व्यवस्था थी, अब इस संशोधन के द्वारा यह प्रस्ताव है कि यहां कार्य करने के लिए, काय की अधिकता को देखते हुए, एक से अधिक अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है ।

दूसरा प्रस्ताव यह है कि अभी तक अभियोजक, अतिरिक्त अभियोजक और सहायक अभियोजक नियुक्त होने के लिए जो अवधि गिनी जाती थी ७ से १० वर्ष तक, उसमें उन व्यक्तियों का समय नहीं गिना जाता था, जो इस पेशे में वकील के रूप में या अभियोजक के रूप में या सहायक अभियोजक के रूप में कार्य करते थे तो यह भी प्रस्तावित है कि अब किसी प्लीडर को या अभियोजक को इसमें नियुक्ति का अधिकार होगा । मेरा अनुरोध है कि माननीय सदन इसको पारित करेगा ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो ३ माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैंने इस विधेयक को देखने के बाद जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा, देखने से ऐसा ही लगता है कि संशोधन मंत्री जी ने प्रस्तावित किया, इस विधेयक के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता में वैसे ही है। लेकिन इसमें कुछ भ्रांतियां उत्पन्न होने की गुंजाइश है और इसलिए मैंने यह उपरोक्त संशोधन प्रस्तुत करके यह सोचा कि मन्त्री जी का ध्यान, सदन का ध्यान और श्रीमन्, आपका भी ध्यान इस ओर आकृष्ट हो सकेगा, अगर हमारा भ्रम होगा तो उसका निवारण हो जायगा।

मान्यवर, आप देखें इस विधेयक को तो इसम मंत्री जी ने अभी कहा कि लोक अभियोजक नियुक्त करने की या अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने की शक्ति शासन को थी, लेकिन जो उद्देश्य और कारण दिये हैं, इसमें आप देखें तो इसमें अपर लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक और लोक अभियोजक की ४ श्रेणियां इसमें लिखी हुई हैं लोक अभियोजकों की और दूसरे। अगर इन चार श्रेणियों के उद्देश्य और कारण के अनुसार देखा जाय उसी के साथ अगर धारा २४ जिसमें यह संशोधन हो रहा है, उसको देखा जाय, तो उसकी धाराओं में भी उद्देश्य और कारण के अनुकूल ही यह शब्दावली मिलती है जो १ से लेकर ६ तक हैं। जो सब-क्लाज हैं, उसके अनुसार इसका उद्देश्य धारा २४ में हैं। मान्यवर, यह जो संशोधन प्रस्तावित है सरकार द्वारा उसमें यह लिखा हुआ है कि शब्द "लोक अभियोजक" के पश्चात् शब्द "और एक या अधिक, अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायगे। इसके दो अर्थ हुये। एक तो यह कि लोक और अतिरिक्त लोक अभियोजक की नियुक्ति इस धारा के अन्तर्गत हो जायेंगी और जो धारा संशोधित हो रही है, दोनों समाप्त हो जायेगी और उसकी जगह पर यह आ जायगी।

दूसरी बात इसमें यह है कि इसको पूर्वगामी तिथि से प्रभावी माना जाय तो इस ऐक्ट में इसका प्राविधान करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई ? इसको पुर्वगामी तिथि से प्रभावी करने का औचित्य मेरे ख्याल से साबित नही हो पायेगा। इसी लिए मान्यवर, मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि खंड (ख) की उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढा दी जायगी और सदैव से बढ़ी समझी जायगी। इसमें भी वही बात कही गयी है और नीचे लिखा गया है।

"(७) उपधारा (५) और (६) के प्रयोजनार्थ उस अवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायगा जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है"

मान्यवर, इससे कुछ और भ्रम उत्पन्न होता है आप देखें कि जब लोक अभियोजक या एक या अधिक अपर लोक अभियोजक की बात है और नीचे यह बातें कहीं जाती हैं तो इसका साफ मतलब समझ में नहीं आता है। इसका अर्थ क्या है सरकार क्यों ऐसा करना चाहती है, क्यों गृह मंत्रालय ने यह आवश्यक समझा ? दूसरी बात यह है, मेरा दृष्टिकोण यह भी है, आज हम यह संशोधन विधेयक अपने सामने रखकर विचार कर रहे हैं, जिलों का इसमें उल्लेख किया गया है, जिले में जिला मैजिस्ट्रेट जिला जज की सलाह से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेंगे।

मान्यवर, लोक अभियोजक की नियुक्ति, अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति या सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति हुई, इसका अर्थ यह हुआ कि जिला मैजिस्ट्रेट ही करेंगे । इसमें अगर उच्च न्यायालय मे किसी आदमी की नियुक्ति करनी है तो इसका अर्थ यह होगा कि जिला मैजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि वह अपने जिले का अभियोजक मुकर्रर करे और उच्च न्यायालय के लिए भी करे ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह कहां है ? यह तो कल्पनाथ सिंह जी की कल्पना है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

आप कहिए कि यह नहीं है । मैं खड़े होकर बोल रहा हूं । दूसरे माननीय सदस्य बैठे-बैठे बोल रहे हैं । मैं समझता था कि खड़े होकर बोलेंगे तो मैं सुनने के लिए बैठ जाऊंगा । मैंने सुनने का प्रयास किया कि क्या कहते हैं । इसलिए जो नियुक्ति के सम्बन्ध में इनका कहना है उस तर्क को मान लिया जाय कि उच्च न्यायालय के लिए नहीं होगा । तो अभी मन्त्री जी ने कहा है कि इसका सम्बन्ध वहीं नियुक्ति करने से है और जो आशा है उस भाषा को देखने के बाद आवश्यक हो जाता है कि इसपर पूर्णरूपेण विचार किया जाय ।

दूसरे पहलू में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह सरकारी मुकदमा मे पैरवी हो रही है सरकार की ओर से उसमें मैं समझता हूं कि उस बात को प्रत्येक माननीय सदस्य जानता होगा कि किस तरह नियुक्तियां हो जाती हैं । लेकिन उसका खामयाजा सरकारी वकील या सरकारी अभियोजक को भुगतना पड़ता है । इसमें ७ से १० साल की प्रैक्टिस की व्यवस्था की गयी है जो कि नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । इसमें मैं चाहता हूं कि जिस वकील ने जितने मुकदमें किये हो उसमें कितने परसेन्ट मुकदमों में उसने अपने मुअक्किल की ऐसी पैरवी की जो प्राविक्यूशन की वजह से मुकदमें में शामिल हुआ हो और कितने में सफलता प्राप्त की या दूसरे पद से शामिल हुआ हों । उसमें देखें तो अच्छे लोग इस काम को करने के लिए आयेंगे । यदि इसका ध्यान रखा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा केवल ७ या १० साल प्रैक्टिस मात्र इसका क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई मन्त्री जी करदें ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, कल्पनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मंत्री जी ने कहा है कि यह मामूली सा विधेयक है लेकिन इसको पढ़ने से मालूम होता है कि यदि इसको स्वीकार कर लिया जाय तो उसके दुष्परिणाम होंगे । जो मुकदमों की हालत है वह किसी से छिपी नहीं है । आये दिन मुकदमे छूटते हैं और पैरवी ठीक से नही हो पाती है । अब मंत्री जी चाहते हैं जहां इंदिश थी मौजूदा अधिनियम में कि कोई वकील जिसकी ७ साल प्रैक्टिस हो तो उसको पब्लिक प्रासिक्यूटर नियुक्त कर दिया जाय जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है । यह जनहित के विरुद्ध विधेयक है । इसलिए उनको इसको वापस लेना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मंत्री जी ने मांग की है कि इस विधेयक की स्वीकृति होने के बाद पूर्व से लाय । माना जाय तो क्या आपने मौजूदा अधिनियम के विरुद्ध अपनी कोई नियुक्ति कर ली है किसी गैर एडवोकेट की ? इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो आपका भी वही हश्र होगा जो इन कांग्रेसियों का हुआ है । आप जनतंत्र का नाम लेकर शासन में आये हैं लेकिन आप इस तरह से जनतंत्र की हत्या करने जा रहे हैं मंत्री होने के बाद । क्या आपने इस विधेयक को दल में रखा और सदस्यों की राय ली, आपने नहीं ली । आपने अधिकारियों की नोटिंग पर ही इस विधयक को पेश कर दिया और माननीय सदस्यों को अपने विश्वास में नहीं लिया और जो कांग्रेसी रवैया था आपने भी अख्तियार किया है उसे आपको बदलना होगा । नहीं बदलेंगे और ऐसे विधेयक प्रस्तुत करेंगे और अपनी पार्टी में आम सहमति नहीं लेंगे तो जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने जनतंत्र का गला काटा उसी तरह से आप भी काटेंगे जिससे इस प्रदेश की दुर्दशा बढ़ेगी और इस विधेयक के लागू करने पर जो स्तर आज है उससे भी ज्यादा नीचे स्तर गिरेगा । आपने परीक्षा रूप से कुछ नियुक्तियां की हैं उनको आप इस विधेयक के जरिये से कानूनी रूप देना चाहते हैं । लिहाजा प्रवर समिति में इसको भेजने का जो प्रस्ताव आया है उसे आप स्वीकार करें और इस विधेयक को वापस लीजिए और प्रवर समिति में विचारोपरान्त आप इसे सदन में लावें ।

*श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं दो शब्द कहना चाहता हूं । इस विधेयक पर जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करूं और बाद में प्रस्ताव वापस ले लिया गया तो मेरे समर्थन करने से क्या फायदा होगा । मैनेजर सिंह ने अभी कहा कि कोई भी बिल आता है उस पर जनता पार्टी भी अपने दल की बैठक पर विचार नहीं करती, इससे ज्यादा दुखद बात जनतंत्र की व्यवस्था में दूसरी बात हो नहीं सकती । व्हिप के जरिये जन विरोधी बिल ला कर पास कराये जाते हैं यह जितना भी निन्दनीय कहा जाय, कम है ।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पर विपत्ति पड़ी हुई है लेकिन यहां गरीबों की आवाज को नहीं सुना जाता । अगर ऐसा चलता रहेगा तो मैं सदन को नहीं चलने दूंगा । बाढ़ से लोग तबाह हो रहे हैं लेकिन यहां लीडर शिप चलाई जा रही है और किसान व मजदूर जो बेहद परेशान हो रहा है उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आप खड़े नहीं होंगे तो कैसे आपको बोलने का मौका मिलेगा ?

श्री देव बहादुर सिंह--

जो संशोधन विधेयक रखा गया है और जो प्रक्रिया अभियोजन तथा दंड प्रक्रिया की है वह बहुत खराब है । आप इस तरह के संशोधन इस सदन में न लायें । जैसा कि आपने खंड २ में लिखा है कि ये शब्द बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गए समझे जायेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि आप पहले से अभियोजकों को नियुक्त कर चुके हैं और उसे अब कानूनी रूप देना चाहते हैं इस संशोधन के द्वारा । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस विधेयक को वापस ले लें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देव बहादुर सिंह--]

पहले ऐसा था कि एडवोकेट्स ऐक्ट जो था उसके अनुसार नियुक्ति होती थी चाहे वह अभियोजक अथवा अपर अभियोजक की नियुक्ति हो। एडवोकेट की जगह पर आप यह चाहते हैं कि प्लीडर की भी नियुक्ति की जाय। आप नियुक्ति कर चुके और उसके बाद यह संशोधन लाये हैं। इसमें यह लिखा हुआ है कि अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति ने सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायेगा जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है। आप इन दोनों को अलग क्यों करते हैं? ७ वर्ष तक जो काम करता रहा है, उसकी नियुक्ति करें। इससे अभियोजन का मुख्य जो उद्देश्य है उसी को आप खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह जो काला कानून है इसे आप वापस ले लें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो विधेयक रखा है उसके उद्देश्य से मैं सहमत हूं। लेकिन सरकार को कुछ गलत फहमी मालूम पड़ी है। जो उद्देश्य सरकार ने लिखा है कि उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से फौजदारी मामलों के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की व्यवस्था है। सरकार यह समझती है कि अभी तक कानून में केवल एक ही नियुक्ति हो सकती थी। मैं ऐसा नहीं समझता। जो आपका १९७३ का विधेयक है उसमें कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति केन्द्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस न्यायालय में कोई अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। पब्लिक प्रोसीक्यूटर एक ही होगा। यह ठीक है लेकिन इसके मायने यह नहीं है कि एडीशिनल या स्पेशल अभियोजक नहीं रख सकते हैं। यह एक गलतफहमी है।

दूसरी बात यह है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा जो पहले प्लीडर हुआ करते थे उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। आपके सी० आर० पी० सी० में दिया हुआ है कि आपके एडवोकेट की ७ वर्ष की स्टैंडिंग होगी और उच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति की जा सकेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में आपकी प्रोसीक्यूशन साइड डिफेक्टिव है। आपके गवर्नमेंट एडवोकेट्स को मंथली बेसिस पर पेमेंट होता है। गवर्नमेंट एडवोकेट्स और डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट्स को आप १५/१५ सौ और दो-दो हजार देते हैं। हम देखते हैं कि एक गवर्नमेंट एडवोकेट १५/२० दिन की छुट्टी भी चला जाता है और उसको १५०० रुपये पे मिलती है। दूसरी इसमें एक अजीबो गरीब बात हम लोगों को देखने को मिली है कि एक एडवोकेट यू० पी० गवर्नमेंट का हाई कोर्ट में है जिसको १५ सौ रुपये सरकार की तरफ से मिलते हैं। अभी यहां एक गंगेश्वर प्रसाद कमीशन बैठा है उसमें उनको डेढ़ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अलग मिलता है इस हिसाब से महीने में साढ़े चार हजार होता है अगर उसमें छुट्टियां निकाल दी जायं तो कम से कम साढ़े तीन हजार होता है। इस तरह से दोनों जगह से वह पे पा रहे हैं। हमारे बहुत से सदस्य यहां पर टीचर्स हैं और यहां पर पे पाते हैं तो उनको स्कूलों से सेलरी नहीं मिलती है। इसमें यह आब्जेक्सनेबल बात और मोरली भी अनसाउन्ड मालूम होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं। हमारे यहां रेलवे लाईन तक पानी आ गया है, जिससे आवागमन बन्द हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है इस पर जब चर्चा होगी उस वक्त आप कहें।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, हमें भी दो मिनट का समय दे दें एक जरूरी प्वाइंट रह गया है, जिसे मैं रख दूं। सरकारी पक्ष के ही लोग बोलें हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है ४ बजे बाद पर चर्चा होनी है।

श्री राम आसरे वर्मा--

दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट बोल लें।

श्री रामआसरे वर्मा--

मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक रखा है इस पर प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसमें लोक अभियोजकों और अपर-लोक अभियोजकों की नियुक्ति की बात कही गई है। लेकिन अभी जो पेनल लायर्स और असिस्टट पेनल लायर्स की नियुक्ति हुई है...

श्री उपाध्यक्ष--

इससे यहां पर कोई मतलब नहीं है? आप संशोधन पर ही बोलें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

उन नियुक्तियों को रेगुलराईज किया जा रहा है।

श्री रामआसरे वर्मा--

सी० आर० पी० सी० में कुछ और है और शासन की ओर से कुछ और कहा जाता है। दूसरी बात इसमें दो (क) है उसमें लिखा है कि लोक अभियोजक के पश्चात् शब्द "और एक या अधिक, अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिये जायेंगे और सदन से बढ़ाये गये समझे जायेंगे। पैनल लायर्स और एसिस्टेंट पैनल लायर्स के बारे में सी० आर० पी० सी० की धारा २४ में साफ-साफ कहा है कि किस तरह पब्लिक प्रोसीक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसीक्यूटर नियुक्त किए जायेंगे। अभी जो नियुक्तियां हुई हैं वह मैं बताना चाहता हूं कि अवैध हैं। हरदोई की एक बात कहना चाहता हूं वहां पर जो भी नियुक्तियां की गई हैं उनमें नाते रिश्तेदार रखे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा।

श्री रामआसरे वर्मा--

ऐसी बातें नहीं आ पाईं इसलिए ध्यान दिला रहा हूं । चूंकि इसमें कमियां हैं इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरी बात का किसी ने विरोध नहीं किया है । न्याय की बात है । न्याय की बात होते हुए भी कही नहीं जा सकती । जो परम्परायें हैं उसमें मैं चाहता कि मंत्री जी उत्तर दे दें उसमें इस बात को कहां तक मानते हैं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने तो प्रारम्भ में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी जैसा कि आप देखेंगे । और देवबहादुर सिंह जी ने धारा २ (क) की बात कही । उसमें यह है कि लोक अभियोजक के "पश्चात्" और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक" बढ़ाने की है यानी एक से अधिक व्यक्तियों को कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है ।

दूसरी व्यवस्था इस बात की है जिससे आप स्वयं सहमत होंगे कि कभी-कभी बहुत अच्छे वकील जिनका किसी कारण से एडवोकेसी में इनरोलमेंट नहीं हो पाता है, रह जाते हैं । दूसरा अगर कोई सरकारी सर्विस छोड़ता है और प्रैक्टिस करता है ७ से १० वर्ष का अनुभव है अगर उनको लोक अभियोजक बनाने की आवश्यकता पड़े और उसने प्लीडर के हिसाब से काम किया है तो उसकी व्यवस्था है । यह दो बातें इसमें हैं और कोई नई बात नहीं है । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी अपना संशोधन वापस ले लेंगे और इसे पास होने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ ।)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

१--(१) यह अधिनियम दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और विस्तार

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

२--दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २४ में--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "लोक अभियोजक" के पश्चात शब्द "और एक या अधिक, अपर लोक अभियोजक" बढ़ा दिए जायेंगे और सदैव से बढ़ाए गए समझे जायेंगे,

(ख) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्--

"(७) उपधारा ५ और (६) के प्रयोजनार्थ उस अवधि को, जिसमें किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय या लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के रूप में सेवा की है, ऐसी अवधि समझा जायगा जिसमें ऐसा व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा है ।" अधिनियम संख्या २ सन् १९७४ की धारा २४ का संशोधन

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २, खंड १, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायेंगे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम सिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उद्दित नरायन (जिला हमीरपुर)--

मान्यवर, मेरी तरफ देख तो लीजिए । यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो उसे बोलने का अधिकार होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कोई आज्ञा नहीं दी जा सकती ।

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

आबकारी मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

माननीय, जो संशोधन है इसका सीमित उद्देश्य है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है । हमने मद्यनिषेध की नीति को पूरे तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है और हमारे संविधान के अनुच्छेद ४७ में जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त है, उनको प्रभावी करने में पूर्णतः समर्पित है ।

माननीय, जो शासन की नीति है उसे प्रभावी करने के लिए हमारा पूर्ण प्रयास है । जैसा कि माननीय, सभी जानते हैं कि १ अप्रैल, ७८ से ५ जिलों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के ७ जिलों में मद्यनिषेध लागू किया गया लेकिन माननीय, यह अधिसूचना, विज्ञप्ति द्वारा जो मद्यनिषेध लागू किया गया १ अप्रैल, १९७८ से उसको किन्हीं कारणों से हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और आबकारी अधिनियम, १९१० की धारा ३७ (ए) जिसके तहत अधिसूचना जारी की गई, उसको रद्द किया गया । उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ अपील दायर की है परन्तु फिर भी जो आशंकायें मद्यनिषेध के मामले में लोगों के मन में पैदा हुई है, उन्हें दूर और समाप्त करने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है । इसलिये जब यह सदन सत्र में नहीं था, तो शासन ने इसको आर्डीनेंस के जरिये किया था और उसी के लिये य संशोधन विधेयक आपके समक्ष है ।

माननीय, वैसे तो राज्य के जो नीति विषयक सिद्धान्त हैं, उनके मामले में जो संशोधन हमारे संविधान में हुआ है, उसके मुताबिक अब मौलिक अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसको किन्हीं प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और राष्ट्रपति जी की अनुमति लेनी ही पड़ती है । ३७–ए जो लागू किया गया था, उसकी पूर्व अनुमति राष्ट्रपति से ली गयी थी, लेकिन जब इसको अधिनियमित किया गया तो राष्ट्रपति की अनुमति नहीं ली गयी । इसके कारण यह बाधा पड़ी और इसके कारण इस विधेयक को लाना पड़ा ।

माननीय, मद्य निषेध जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो उत्तर प्रदेश की गरीबी के साथ जुड़ा हुआ है और जिसको हम मानते हैं कि यह हमारे देश और प्रदेश की जलवायु के मुताबिक नहीं है । अगर हम चाहते हैं कि गरीबी को दूर करें, तो इसको सिर्फ विज्ञप्ति के जरिये लागू करना उचित नहीं प्रतीत होता । इसको अधिसूचना या विज्ञप्ति के जरिये नहीं, अपितु इसको अधिनियम के जरिये लागू किये जाने का प्राविधान किया गया ताकि इसके लाभ और इसकी महत्ता को स्वीकार किया जा सके ।

माननीय, तीसरी बात इसमें यह भी की गयी है कि ऐसी औषधियां जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं, या जो नशे के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनको भी वर्जित किया जाय और यह प्राविधान किया गया है कि ऐसी औषधियों को यदि बिना किसी डाक्टर के प्रिसक्रिप्शन के खरीदते हैं, तो यह अपराध है ।

[श्री रमा शंकर कौशिक]

चौथी खास बात है कि अब तक जो ऐसा समझते रहे हैं कि जो नशीली चीजें हैं, उनको लाने या ले जाने या उनको कब्जे में रखना ही अवैधानिक है और उनके उपभोग के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, तो इस संशोधन विधेयक के जरिये उसके लिये भी प्राविधान किया गया है कि उनका कन्जम्पशन भी वर्जित है और अपराध माना गया है वरना जैसे लखनऊ मद्य निषेध क्षेत्र में है तो यहां का कोई आदमी सीतापुर चला जाय और शराब की बोतल चाहे न ले आये लेकिन पीकर चला आये तो अपराध नहीं मानते थे। तो ऐसे शंकाओं को निर्मल करने के लिये भी इसमें प्राविधान किया गया कि उपभोग पर भी प्रतिबन्ध है और उनका कन्जम्पशन भी अपराध है।

मान्यवर, चूंकि मद्य निषेध पहले जो ५ जिलों में लागू किया गया था पहाड़ी जिलों में लागू किया गया था, वह १ मई, १९७२ से लागू किया गया था, इसलिये इस संशोधन विधेयक को पूर्वकालिक, पूर्व से, लागू किये जाने का प्राविधान किया गया है लेकिन इस बीच में इस संशोधन विधेयक के तहत अगर कोई अपराध हुए हैं, तो उनको न्यायालय में दण्डनीय नहीं माना गया।

अतः जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, यह एक सिद्धान्त का और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसलिये, मैं समझताई कि माननीय सदस्यगण इसको स्वीकार करेंगे और शीघ्र ही इसको पारित करेंगे।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जैसी राय प्रकट की है कि उनको यह विधेयक लाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी कि ५ जिलों के अलावा ७ अन्य जिलों में उन्होंने मद्यनिषेध लागू कर दिया था और यह लागू करने के कारण कुछ लोग उच्च न्यायालय में चले गये और कुछ लोग ऐसे राजगुरू चले गये, जो तान्त्रिक थे और उन्होंने कहा कि हमारे तान्त्रिक पेशे के लिए सुरा व सुन्दरी अनिवार्य है और उस रिट में उनकी विजय हो गई। इस समय मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है, जो स्थागित भी हो गया है और स्थगन आदेश भी सरकार को प्राप्त हो गया है उसके बाद समझ में नहीं आया कि सरकार को जरूरत क्या पड़ी कि वह इस विधेयक को यहां ले आई। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा --जब इन्दिरा जी हाईकोर्ट से हार गई और हारने के बाद उन्होंने संविधान में अपने लिए संशोधन करना प्रारम्भ कर दिया, तो हमारे ऐसे लोगों ने उस इंदिरा गांधी का और उसके इन कारनामों का विरोध किया और कहा कि यह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का हनन है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है तब तक इंदिरा जी को इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। क्योंकि...

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने संशोधन पर बोले, इंदिरा जी से इसका क्या सम्बन्ध है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, इंदिरा जी से इनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जिनसे हमारी हार हुई उनको वैधानिक बना दें । इन्होंने कहा कि अगर उच्च न्यायालय ने कर दिया होगा तब भी इस विधेयक के द्वारा यह करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिन मान्यताओं के लिए हमने इन्दिरा जी को बुरा भला कहा है, इस विधेयक के द्वारा वही प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है और हमारे जैसे लोग जो चाहते हैं जन्तांत्रिक प्रणाली में, जिस तरीके द्वारा हमने यह शासन लिया है, जनतन्त्र कायम रहे और सुदृढ़ हो उनको एक धक्का लगा है । इस प्रणाली के शासन में न्यायालयों की एक मर्यादा रहती है, अतः जबतक न्यायालय से कोई फसला न हो जाए, ऐसा न किया जाए। मंत्री जी को इसके द्वारा अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करना चाहिए ।

मैं यहां यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैं इन राजगुरुओं का समर्थक नहीं हूं । लोहिया जी ने गांधी की तरह कहा था कि यह शराब आत्मा को नष्ट कर देती है, जो हमारे यहां अमर समझी जाती है । मैं मंत्री जी का ध्यान डाक्टर लोहिया की तरफ दिलाना चाहता हूं, जब हम अंग्रेजी हटाओं का आन्दोलन चलाते थे तो यह कांग्रेसी कहते थे कि धीरे-धीरे, तो उस पर लोहिया जी कहते थे कि जो धीरे-धीरे कहते हैं वे इसे चाहते ही नहीं हैं कि अंग्रेजी हटे । तो इसे इन सातों जिलों में ही क्यों लागू किया गया और आप शेष जिलों में पिलाएंगे ? बलिया में पिछले साल से इस साल इससे दुगुना राजस्व प्राप्त हुआ है । यदि आप मद्यनिषेध नीति के समर्थक हैं, तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिए, जो इस पर विचार करके निर्णय दे कि इस पूरे सूबे में सफलता पूर्वक कैसे लागू किया जाए, जिससे जनता पार्टी की लोकप्रियता जनता में बढ़े ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के पक्ष में हूं और इस विश्वास के साथ कि जिस तरह से चौधरी साहब ने पिछले दिनों में अपने संशोधन को वापस नहीं लिया था, आज भी उसे वापस नहीं लेंगे ।

मान्यवर, मद्य निषेध लागू करने के बारे में शासन ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना की सराहना की जायगी । लेकिन कुछ बातें आ जाती हैं कि अच्छा काम एक जगह होता है उसका असर दूसरी जगह पड़ता है उससे बुराई पैदा हो जाती है । हमारे हरदोई जिले के पास उन्नाव तथा लखनऊ जिला है । पड़ोसी जिलों में आपने मद्य निषेध लागू कर दिया और यहां के जितने भी मद्य के आदी हैं, शराबी हैं, वह सब हरदोई को रौंदते हैं । उन्नाव, कानपुर सब जगह के लोग हरदोई पहुंचने लगे, लाइन लगाये हैं । हरदोई से कानपुर, उन्नाव पहुंचते-पहुंचते, शराब के नशे में पता नहीं कितने जरायम कर डालते हैं । हमारा क्षेत्र उन्नाव से जुड़ा हुआ है । मेरा अनुभव है कि वहां तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, झगड़ा करते हैं, वहां के लोगों का जन जीवन दूभर कर देते हैं । चौराहों पर गुंडई करते हैं और बसों पर लोगों को परेशान करते हैं, बसों पर बैठी हुई महिलाओं की इज्जत पर हाथ उठाते हैं । लेकिन उन्हें कुछ कह नहीं सकते । विधेयक की मूल भावना अच्छी है । इस भावना को प्रदेश व्यापी बनाना चाहिए । कुछ जिलों में मद्य निषेध लागू करके दूसरे जिलों में जारी रखने का औचित्य नहीं लगता ।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

दूसरी बात यह भी सुनी जाती है कि बहुत से जिलों में मद्य-निषेध इस लिए नहीं किया गया कि वहां के शराब के ठेकेदारों ने नेताओं को अपने पक्ष में कर लिया और नेताओं ने उन जिलों को मद्य-निषेध की सूची में नहीं आने दिया। हमारे जिले में यह बात बहुत मशहूर है। यह चर्चा है कि लाखों रुपया खर्च करके शराब के ठेकेदारों ने आजादी हासिल कर ली और जाहिर है कि अब उनके दिमाग इतने बढ़ गये हैं कि वह संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं इस बात को सदन के सामने रखना चाहूंगा कि हमारा हरदोई जिला भी उसी सूची में लिया जाना चाहिए। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ आदि जिलों के लोग हमारे जिले को रौंद रहे हैं और तरह-तरह के जरायम कर रहे हैं। उनसे हमारे जिले को नजात मिल सके। इसके साथ में चाहूंगा कि जो त्रुटियां रह गयी हैं उनको दूर करने के लिए जरूरी है कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

इस विधेयक में, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, क्योंकि अब समय नहीं है क्योंकि आप लोग चिन्तित थे कि बाढ़ के सम्बन्ध में चर्चा हो और माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य आप सुनें, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर अब विवाद न किया जाय और मैं माननीय श्रम मंत्री को बुला रहा हूं।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक न्यायालयों के आदर का सवाल है उसमें किसी प्रकार का भी हमारे मन में संकोच नहीं है। इस शासन की भावना न्यायालयों के प्रति बिल-कुल आदरपूर्ण है और यह शासन उनको आदर की दृष्टि से देखता है। मैं माननीय सदस्य, चौधरी साहब से विनय करूंगा कि वह हाई कोर्ट का फैसला देख लें। हाई कोर्ट के फैसले ने मद्य निषेध का विरोध नहीं किया। कुछ टेक्निकल आधारों पर, जैसा मैंने निवेदन किया संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा ३७-क के अन्तर्गत जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसको ले कर माननीय हाई कोर्ट ने अनुच्छेद १४ के अन्तर्गत कुछ अधिकारों का उल्लंघनकारी पाया। देशी शराब रखने वाला शराब नहीं रख सकता है। लेकिन विदेशी शराब रखने वाले व्यक्ति जितनी चाहे रख सकते थे। और उन्होंने सहारा लिया धारा ३७ का तो यह चूक शासन द्वारा हो गयी थी। इस विधेयक में जो तकनीकी गलतियां थी उनको दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

हमारी घोषित नीति है कि हम मद्य निषेध करेंगे, लेकिन इसमें आर्थिक और प्रशासनिक परेशानी को देखना पड़ता है। पूरे प्रदेश में एक साथ लागू करना व्यवहारिक नहीं पाया गया। अगर हम पूरे सूबे में कर लेते हैं तो अच्छा है और अगर पूरे देश में कर लेते हैं तो और भी अच्छा है और अगर हम पूरी दुनिया में कर लेते हैं तो और भी अच्छा है। इसको हम ४ साल में कर लेंगे। उसमें हरदोई का भी नम्बर आ सकता है। हमने चुनौती वाले जिलों को लिया है। राजधानी लखनऊ को लिया है कानपुर को लिया है जो औद्योगिक नगर है उसको चुनौती को लिया है। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि इस विधेयक को स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष--

वर्मा जी क्या आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

यह मेरा नहीं है। चौधरी साहेब का है।

श्री अध्यक्ष--

शम्भूनाथ चौधरी जी आप इसको वापस लेते हैं ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि श्री शम्भू नाथ चौधरी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २ से ६, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१० का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९७८ कहा जायगा।

(२) यह, धारा १, २, ५ और ६ के सिवाय जो तुरन्त प्रवृत्त होंगी, १ मई, १९७२ से प्रवृत्त समझा जायगा।

घोषणा

२--एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिये हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध सुनिश्चित करने की दिशा में, संविधान के अनुच्छेद ४७ में अधिकथित राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिये है।

३—उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, १९७८ द्वारा यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, १९१० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २० में उपधारा (२) निकाल दी जायगी और १ मई, १९७२ को निकाली गई समझी जायगी : संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ४, सन् १९१० की धारा २० का संशोधन

प्रतिबन्ध यह है कि १ मई, १९७२ को प्रारम्भ होने वाली और २४ अप्रैल, १९७८ के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसे कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि वह उपधारा निकाली न गई होती तो कोई अपराध न होता ।

४—मूल अधिनियम की धारा ३७-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायगी, अर्थात्— धारा ३७—क का प्रतिस्थापन

"३७—क —(१) उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग में या वहां से किसी मादक वस्तु का आयात या निर्यात या उसका परिवहन निषिद्ध होगा ।

मादक वस्तुओं का आयात, निर्यात, परिवहन करने, कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने का निषेध

(२) धारा २० में दी गयी किसी बात के होते हुए भी किन्तु उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों में किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के व्यक्तियों द्वारा या ऐसे अपवादों के, यदि कोई विनिर्दिष्ट किये जायं, अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों द्वारा, किसी मादक वस्तु को कब्जे में रखना या उसका उपभोग करना अप्रतिबद्ध रूप में या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जायं, निषिद्ध होगा ।

(३) राज्य में मद्य निषेध का क्रमिक प्रसार करने की नीति के अनुसरण में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार निम्नलिखित किसी एक या अधिक कारणों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर, इस निमित्त भिन्न-भिन्न क्षेत्रों का चयन कर सकती है, अर्थात् :—

(क) किसी क्षेत्र का स्वरूप, यथा—

(एक) सरकार का मुख्यालय, या

(दो) विद्या केन्द्र, या

(तीन) तीर्थ या धार्मिक महत्व का स्थान, या

(चार) पर्वतीय क्षेत्र, या

(पांच) औद्योगिक क्षेत्र, या

(छः) मद्यनिषेध वाले क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र, या

(सात) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों की बस्ती, या

(ख) स्थानीय निवासियों की सामान्य आर्थिक स्थिति जिसके अन्तर्गत उनके आहार पुष्टितत्व और जीवन-स्तर भी है, या

(ग) स्थानीय जनमत, या

(घ) कोई अन्य संगत तथ्य जो राज्य सरकार की राय में लोकहित में सारवान हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि राज्य सरकार से अपने आदेश में उन तथ्यों को, जिनके आधार पर, कोई विशिष्ट क्षेत्र मद्य-निषेध लागू करने के लिये किसी समय चुना जाय, उल्लिखित करना अपेक्षित है ।

(४) उपधारा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह क्षेत्र जिसमें उपधारा (१) के अधीन किसी मादक वस्तु के आयात, निर्यात या परिवहन पर, और जिसमें उपधारा (२) के अधीन किसी मादक पदार्थ को कब्जे में रखने या उसका उपभोग करने पर, निषेध का प्रसार किया जाय और वह दिनांक जिससे किसी क्षेत्र में मद्य निषेध प्रवृत्त हो, ऐसा होगा जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(५) किसी मद्यनिषेध क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (४) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उपधारा (४) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित मादक वस्तुओं को या ऐसी मादक वस्तुओं में से किसी को, निम्नलिखित द्वारा या उनके प्रयोजनों के लिये, कब्जे में रखने, या उनका उपभोग, आयात, निर्यात या परिवहन करने के सम्बन्ध में कोई छूट दे सकती है या शिथिलीकरण कर सकती है :—

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं के सदस्य ;

(ख) मद्य निषेध क्षेत्र में आने वाले या निवास करने वाले विदेशी;

(ग) मद्य निषेध क्षेत्र से गुजरने वाले यात्री;

(घ) जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय, जिनमें औषधीय प्रयोजनों के लिये कोई मादक वस्तु अपेक्षित हो;

(ङ) धारा १७, १८, २१ और २४ के अधीन लाइसेंस धारण करने वाले व्यक्ति ;

(च) रेल, सड़क या वायुयान द्वारा मद्य निषेध क्षेत्र से, को या होकर गुजरने वाले परेषण,

(छ) औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, औषधीय या धार्मिक प्रयोजन ।

(६) किसी ऐसी छूट या शिथिलीकरण के सम्बन्ध में जो उपधारा (५) के अधीन दी जाय, राज्य सरकार या तो नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विनिर्दिष्ट किया जाय, पास या परमिट दिये जाने की व्यवस्था कर सकती है ।

(७) उप धारा (४) में अभिदिष्ट अधिसूचना जारी कर दिये जाने पर इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी, लाइसेंस को, जहां तक उसका सम्बन्ध मद्यनिषेध क्षेत्र से है, बिना नोटिस तुरन्त निरस्त कर सकता है और वह तदुपरान्त लाइसेंस की असमाप्त अवधि के सम्बन्ध में देय शुल्क की धनराशि के बराबर धनराशि की छूट देगा और उसके सम्बन्ध में लाइसेंसधारी द्वारा अग्रिम रूप से दिये गये किसी शुल्क या जमा की गई धनराशि को, उसमें से राज्य सरकार को देय धनराशि, यदि कोई हो, घटाकर लौटा देगा, किन्तु लाइसेंसधारी को ऐसे निरसन के सम्बन्ध में धारा ३५ में दी गयी किसी बात के होते हुए भी कोई प्रतिकर देय न होगा ।

(८) जहां उपधारा (७) के अधीन कोई लाइसेंस निरस्त किया जाये वहां लाइसेंसधारी अपने कब्जे की मादक वस्तुओं का निस्तारण उस प्रकार करेगा जैसा राज्य सरकार या आबकारी आयुक्त, "सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दें" ।

प्रतिबन्ध यह है कि १ मई, १९७२ को प्रारम्भ होने वाली और २५ जून, १९७८ के साथ समाप्त होने वाली अवधि में किया गया ऐसा कोई कार्य या हुई ऐसी कोई चूक मूल अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं होगी जो यदि ऐसा प्रतिस्थापन न किया जाता तो कोई अपराध न होती ।

वैधीकरण

५--किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस धारा के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य और की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायेगी मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय में प्रवृत्त थे ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ११ सन् १९७८

६--(१) उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ६, खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८ जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७८, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आज की कार्यसूची के कतिपय वक्तव्यों का स्थगन

श्री अध्यक्ष—

यह निश्चय किया गया है कि आइटम नं० १५, १७, १८, १९ और २० उन पर जो वक्तव्य हैं वह कल के लिए स्थगित किये जाते हैं । उत्तरकाशी में कनोडिया गाड़ में जो झील बन गयी है उसके सम्बन्ध में तथा इसके साथ ही साथ बाढ़ की जो वर्तमान स्थिति है और शासन की तरफ से जो कार्य शुरू किये गये हैं जनता को राहत पहुंचाने के लिए इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देंगे । उसके बाद जब तक कि सदन का कोरम रहेगा और माननीय सदस्यगण दिलचस्पी लेंगे, यह सदन जारी रहेगा ।

(माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कमल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, इसमें एक बात छूट गयी है । शासन के लोग बात कर रहे हैं कि प्रधान मंत्री आये हैं । बाढ़ की सहायता के बारे में केन्द्र क्या सहायता देगा यह बात भी माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ की कोई सूचना स्वीकृत नहीं की गयी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैंने जो आपकी इजाजत से नियम ३०१ के अन्तर्गत सूचना दी थी, राहत कार्यों के सम्बन्ध में उसे भी ध्यान में रखकर....

श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी यह जो आपने बताया कि सदन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोरम रहेगा । आप यह देखें कि बाढ़ की चर्चा के लिए कोई समय निश्चित नहीं हुआ । उसके बाद गन्ने की बहस है । उसके बाद हाल ही में बढ़े हुए लगान तथा भूमि विकास कर के सम्बन्ध में जो मैंने सूचना दी है उस पर दो घंटे की बहस है, उसके बाद बाढ़ वाली बहस हो रही है...

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ जी, कल सदन चलेगा । यह तय किया गया है कि बढ़े हुए लगान, गन्ना आदि पर कल बहस होगी ।

श्री कन्हैया लाल सोमकर (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नियम ४९ के जो कार्य स्थगित होंगे तो वह कब लिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जब भी उनका दिन आयेगा सूचनायें ले ली जायेंगी । इसके लिए नियमावली में दिन निश्चित है । कल शुक्रवार का दिन है...

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, नियम ४९ को भी कल ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

कल नहीं ले सकते । जो दिन निश्चित है उसी पर उसे ले सकते हैं । नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता । अब आप लोग इस पर क्यों समय ले रहे हैं ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल गैर सरकारी दिवस है और मेनडेटरी प्रोविजन हमारे नियम में है कि गैर सरकारी दिन काटा नहीं जायेगा । तो मान्यवर, मेरा ख्याल है कि अगर आप नियमों को देखें तो गैर सरकारी दिन को आप भी नहीं काट सकते । अगर उसको काटेंगे तो उसके लिए आलटरनेट दिन रखना पड़ेगा । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि गैर सरकारी दिन को न काटा जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आज कार्य मंत्रणा समिति ने निश्चय किया है और क्योंकि बाढ़ की एक विशेष परिस्थिति है इसलिए ऐसा किया गया है । बाढ़ के लिए पहले से कोई दिन निश्चित नहीं था और न मालूम था कि बाढ़ प्रदेश के जन जीवन को अस्त व्यस्त कर देगी, इसीलिए माननीय सदस्यों ने यह निश्चय किया कि कल के बाद दूसरा जो उपवेशन होगा उसमें सबसे पहले गैर सरकारी कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी और आज यह माननीय सदन के सदस्यों का आग्रह था कि बाढ़ की स्थिति पर सदन में चर्चा हो । उन्हीं की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए यह निश्चय किया गया है ।

उत्तरकाशी के कनौडिया गाड में भू-स्खलन से एक नयी झील बन जाने से उत्तर प्रदेश को खतरा तथा प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

आप माननीय मुख्य मंत्री जी को बाद में बुला लीजिए । तो उन्हें २ बार नहीं बोलना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष—

बहस दिशा हीन नहीं होनी चाहिए । सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि प्रदेश में इस समय बाढ़ की क्या स्थिति है । सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं, सहायता की सरकार की क्या योजना है इससे प्रकाश मिलेगा । तो मैं समझता हूं कि बहस ज्यादा उपयोगी होगी ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, आपसे मैं निवेदन कर रहा था कि...

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए, जब समय होगा तब आयेगा ।

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, जनपद उत्तर काशी में भागीरथी नदी पर कनौडिया गाड के संगम पर ६ अगस्त को प्रातः ३ बजे एक भारी आवाज के साथ भूस्खलन हुआ जिसके कारण भागीरथी का बहाव अवरुद्ध हुआ । ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह बाढ़ पर उनका बयान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ पर भी बोलेंगे । यह भी उसी से सम्बन्धित है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने तो अभी कहा था कि उत्तरकाशी के कनौडिया गाड में भूस्खलन वाला मामला कल के लिए स्थगित कर दिया है ?

(व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव--

माननीय सदस्यों के मन और मस्तिष्क दोनों में एक प्रश्न उठा जो एक चिन्ता का विषय बन गया था । इसलिए मैंने सबसे पहले माननीय सदस्यों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया । संयोग से मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला । वैसे तो आज प्रदेश की जो हालत है उसकी सभी सदस्यों को जानकारी है, बाढ़ के बारे में । प्रदेश के ५६ जिलों में ५२ जिले हमारे प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित हैं । यह बाढ़, वर्षा का जो पानी आया, उससे प्रदेश में आयी है । कभी भी इस प्रकार की वर्षा गत १०० वर्षों में नहीं हुयी जिसके परिणामस्वरूप करीब १ १/२ महीने से नदियों में जो पानी आया उससे प्रदेश के ५२ जिले त्रस्त हो गये है । हमारे आने जाने के भी जो मार्ग थे वे भी अवरुद्ध हो गये हैं । भागीरथी नदी में जो भूस्खलन हुआ उसके परिणामस्वरूप मार्ग अवरुद्ध हो गया था लेकिन इस समय भागीरथी में अपनी पूर्व गति से पानी जा रहा है । उसमें न किसी प्रकार का व्यवधान है और न वहां पर किसी प्रकार की कोई झील बनी हुयी है । काफी दूर तक पहाड़ गिरा हुआ है जो कि एक नर्म पहाड़ दिखायी देता है जिसके कारण बहुत दूर तक भागीरथी के किनारे पर मल्बा पड़ा है लेकिन फिर भी पानी रास्ता बनाकर, निकल रहा है और उसका बहाव वहां पर बहुत तेज है ।

वहां पर आवागमन के कोई साधन नहीं रह गये हैं । अधिकारी लोग वहां पर खच्चरों की सहायता से सामान पहुंचा रहे हैं । हरसिल में जो ३ हजार लोग पड़े हैं उनमें से १३९ तीर्थयात्री थे । उन्हें हेलीकाप्टरों की सहायता से वहां से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लाया गया है ताकि वे अपने-अपने स्थानों पर पहुंच सकें। जो लोग गंगोत्री में थे और हरसिल में इस समय हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि आवागमन के सारे साधन नष्ट हो गये हैं इसलिए उनके लिए हेलीकोप्टरों की व्यवस्था की गयी है। उनसे ही उनके खाने पीने के साधन भी पहुंचाये जा रहे हैं और जो व्यक्ति वहां पर रुके हुए हैं, उनको किसी प्रकार से भी वहां पर मरने नहीं दिया जायगा। सारे अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि वे भरसक सहायता पहुंचायें।

इसके साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों का जहां तक सवाल है इस समय इलाहाबाद, बांदा, झांसी, हमीरपुर बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। हमीरपुर जनपद में जो इस साल बाढ़ आयी है उसमें सहायता कार्य करते हुए हमारे राज्य कर्मचारी भी बाढ़ की चपेट में आ गये और वे हमेशा हमेशा के लिए बिदा हो गये हैं। मिलीटरी की सहायता भी ली जा रही है। हेलीकाप्टर की सहायता भी ली जा रही है, बोटों की सहायता भी ली जा रही है, इन सबके द्वारा बाढ़ में घिरे हुये लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों को हर प्रकार की सुविधायें भी दी जा रही हैं। सारे अधिकारी इस कार्य में लगे हुये हैं। इस तरह के भी आदेश मैं अधिकारियों को देने जा रहा हूं कि बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की कोई दिक्कत न होने पाये। केन्द्रीय सरकार से हमने २५ हजार मैट्रिक टन गेहूं की मांग की थी, वह हमें प्राप्त हो गया है जो वितरित किया जा रहा है। २५ हजार मैट्रिक टन की और हमने मांग की है और उम्मीद है कि वह भी हमें प्राप्त हो जायेगा।

इस व्यापक बाढ़ से बहुत क्षति हुई है। लोगों के मकान गिरे हैं, उनको बसाने का प्रबन्ध करना होगा, सारी वसूलियों को स्थगित करना होगा, सड़कें और पुल जो टूट गये हैं उनको बनवाना होगा, विद्यार्थियों की फीस माफ करनी होगी, दवाओं का भी प्रबन्ध करना होगा, यह सभी कार्य करने होंगे। हमारे अधिकारी बड़ी कर्मठता और तत्परता के साथ राहत के कार्यों में जुटे हैं। हमारे विधायक भी अपने-अपने क्षेत्रों में गये हैं और इस विपदा के समय उनका भी सहयोग हमें मिल रहा है।

अब तक मान्यवर, करीब साढ़े ३ करोड़ की धनराशि तकावी और अनुदान के रूप में बंट चुकी है। केन्द्रीय सरकार से हमें २५ करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। आगे भी हम इस प्रयास में लगे हैं कि और सहायता मिले। वैसे तो ३०० करोड़ से अधिक की क्षति हुई है, पुल टूटे हैं, बांध टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, स्कूलों के भवन टूटे हैं, सारी जमीन नष्ट हो गयी है, फसल चौपट हो गयी है। हमने २५० करोड़ रुपये की मांग केन्द्रीय सरकार से की है। हमें विश्वास है और जैसा कि हमें आज प्रधान मंत्री जी नें आश्वासन भी दिया है, आज हमारी और मंत्रि मंडल के अन्य साथियों की तथा अन्य लोगों की उनसे बात हुई है, उन्होंने जो भी सहयोग हो सकेगा केन्द्रीय स्तर पर वह देने का आश्वासन दिया है। हमें और अधिक धनराशि मिलने की आशा है।

मैं सदन से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने-अपने क्षेत्रों में जायें, हमारे अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा और बाढ़ पीड़ित लोगों की हर सम्भव सहायता करें। सरकार के माध्यम से जितना भी सम्भव हो सकेगा सरकार करेगी। आप सब के सहयोग से ही इस संकट का सामना किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि बाढ़

[श्री रामनरेश यादव—]

से आज जो भी पीड़ित हैं उनकी हर सम्भव सहायता हम करेंगे और कर भी रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग पहले बाढ़ पर चर्चा में भाग ले चुके हैं, मैं चाहूंगा, यद्यपि इसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योंकि आज नई परिस्थिति है, फिर भी जो अन्य लोग हैं और विशेष रूप से उन जिलों के जिनके यहां पर बाढ़ नहीं आई है, उनके लिए समय देना ज्यादा उचित न होगा ।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

तिवारी जी, कृपया १० मिनट में समाप्त करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो असाधारण बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में अभी वक्तव्य दिया, उस पर मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों को बड़ी निराशा हुई होगी । यह हो सकता है कि जिनके यहां बाढ़ न आई हो, उनको बाढ़ की विभीषिका का ज्ञान न हो (व्यवधान) लेकिन श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि जिस प्रकार माननीय मुख्य मंत्री को बहुत शांतिपूर्वक सुना, अगर माननीय विद्वान सदस्य सुनने की क्षमता रखें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांत रहिये । माननीय तिवारी जी की बात चाहे नापसंद भी हो, उसे सुनने की कृपा करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पिछले डेढ़ महीने से जिस प्रकार बाढ़ की विभीषिका का नृत्य इस प्रदेश में हुआ है, उससे श्रीमन्, आप अवगत हैं । जो तबाही आई है माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले १०० वर्षों में जो ५२ जिलों में बाढ़ आई है, ऐसी कभी नहीं आई है । बार-बार घोषणाओं के बावजूद भी आज जिले की सरकारी मशीनरी बिलकुल ढीली पड़ी हुई है और अधिकांशतः किंकर्त्तव्य विमूढ़ हैं । क्या करें, यहां आदेश होते हैं, जाते हैं, लेकिन जिलों में, क्षेत्रों में, जहां बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां कोई नहीं दिखाई देता । श्रीमन्, हमीरपुर के बारे में आज समाचार-पत्र के संवाददाता ने बताया कि ४ सितम्बर को बेतवा का पानी हमीरपुर में आ गया, लेकिन कोई सहायता की कार्यवाही नहीं की गयी । ५ तारीख तक २४ घंटे बीत गये और जिला प्रशासन सोया हुआ, लिखा है । इसमें नौका, स्टीमर आदि की कोई व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं पहुंच पा रही है और न कोई आदमी बाढ़ की सहायता के लिए पहुंच पा रहा है । उनकी स्वयं भाषा में इसका उल्लेख है ।

श्रीमन्, दिल्ली में ताजेवाला, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर का कोई उल्लेख मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया । क्या है उनका हाल ? काली नदी, साहबी नदी की स्थिति क्या है ? बादरी, बागपत की क्या हालत है ? आज कैराना तहसील

का क्या हाल है ? जहां पर कि सैकड़ों गांव हैं, उनके लिए क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ? क्या निर्देश दिये गये ? श्रीमन्, मैंने कहा था आपके माध्यम से कि जिलेवार हमको सूचना मिलनी चाहिए, यह नहीं कि २५ करोड़ रुपये मिला है। कितना तकावी के लिए है, कितना चारे के लिए है, कितना सब्सीडी के बतौर हैं, इसका कोई उल्लेख मुख्य मंत्री जी ने नहीं किया। २५ करोड़ में क्या कोई लचीलापन है ? आज यमुना, काली, टोंस का पानी बड़े वेग से मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, हमीरपुर, जालौन आदि इन तमाम जिलों को प्रहार करने वाला है। क्या प्रबन्ध सरकार ने किया, हम जानना चाहते हैं ?

यमुना नदी की बाढ़ सबसे अप्रत्याशित है, इतिहास में। मथुरा और आगरा जिले के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है, नावों की क्या व्यवस्था की गई है ? इलाहाबाद, पूर्वी जिलों में क्या प्रबन्ध किये गये है, हम जानना चाहते हैं ? ताजेवाला से खबर दे दी गयी तीन दिन पहले कि साढ़े तीन लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन इसकी सूचना गांव वालों को नहीं दी गयी। सरकार ने ग्रामीणों को सूचना देने के लिये क्या किया, मुख्य मंत्री जी, इस सबन्ध में मौन रहे। अब जो बाढ़ का पानी अगले ४-५ दिनों में मध्य उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आने वाला है उसके लिये क्या विशेष प्रबन्ध किये जा रहे हैं ? गांवों के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं इसका कोई उल्लेख नहीं है। फर्रुखाबाद में रामगंगा और गंगा का पानी ४० मील के क्षेत्र में मिल गया है। राजेपुर ब्लाक पानी में डूब गया है। एटा में अलीगंज, बदायूं में गंगा और रामगंगा का क्षेत्र और जलालाबाद तहसील की हालत पहले से बदतर हो गयी है।

आज एक मास्टर प्लान हमको मिलना चाहिये। क्या सहायता दी जा रही है, क्या व्यवस्था की जा रही है इस सम्बन्ध में एक मास्टर प्लान सदन के सामने रखना चाहिये। आज संभव न हो तो आगे चलकर प्रत्येक माननीय सदस्य को बाढ़ सहायता कार्य के सम्बन्ध में एक मास्टर प्लान मिलना चाहिये। वहां पर स्वास्थ्य की दिशा में, सफाई की दिशा में, मरम्मत की दिशा में जो कुछ किया जा रहा है उसका एक मास्टर प्लान सदन के सभी सदस्यों के पास भेजा जाय। यह मैं मुख्य मंत्री जी को सुझाव दूंगा।

आज ऐसा लगता है, कई जिलों का जो प्रशासन है, बहुत से विधायकों से मेरी बातें हुयी हैं तो विरोधी दल के विधायकों का सहयोग लिया ही नहीं जाता। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग नहीं लिया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने कहीं पर नहीं कहा कि जो विरोधी दल हैं उनका सहयोग जिलों में, गांवों में लिया जा रहा है। अभी हमारे उप नेता सेहरा जी कह रहे थे कि आगरे मे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया नहीं गया। समाज सेवी संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता प्राप्त करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

एक सदस्य—

सत्याग्रह कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सत्याग्रह करना पड़ेगा अगर आप सहयोग नहीं ले पाये।

श्री नेम सिंह चौहान—

आपने ३० सालों में कुछ कर दिया क्या ? (शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । श्रीमन्, माननीय सदस्यों की हंसी को देख कर, ५२ जिले बाढ़ में डूब रहे है और माननीय सदस्य हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिये । ऐसा लगता है रोम जल रहा था, नीरो वंशी बजा रहा था ।

(शोर तथा शेम, शेम की आवाजें ।)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया शांति रखिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह जो उन्होंने घोषणा की कि २५ हजार टन गेहूं की मांग की है ।

श्री नेम सिंह चौहान—

व्यवस्था का प्रश्न है ? अभी माननीय तिवारी जी ने आक्षेप लगाया कि लोग हंस रहे हैं । (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आप क्यों सदन का समय नष्ट करते हैं ? यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, दुर्भाग्य की बात है कि वह जिस समय प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहे थे उस समय भी हंस रहे थे । श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी की बात का उल्लेख किया लेकिन मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी ने उनको बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिये आमंत्रित नहीं किया । इसके साथ ही यह भी दुख है कि प्रधान मंत्री जी आये तो वह स्वयं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का भ्रमण करने के लिये नहीं निकले । देश के प्रधान मंत्री यहां आयें और उनको अवगत भी न कराया जाय कि वह स्वयं भी देख लें। यह स्थिति आज के शासन की हो गयी है । मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इस समय जब देश में बाढ़ का तान्डव नृत्य हो रहा है और प्रदेश के ४ करोड़ किसान तथा नगरों के नागरिक बाढ़ से पीड़ित हो तो इस समय युद्ध स्तर पर कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्रीमन्, अलकनंदा क्षेत्र, भागीरथी क्षेत्र आदि में कैचमेन्ट एथारिटी बनायी जाय जिससे भविष्य में बाढ़ से वहां की रक्षा हो सके । आज आप कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कैचमेन्ट एथारिटी बनायी ? लेकिन वहां वनीकरण का जो उद्देश्य था, उसमें आप गालियां दे सकते हैं, किन्तु इतिहास नहीं माफ करेगा कि पहाड़ी क्षेत्र का वनीकरण ठीक से आप न करें । इसलिये बाढ़ से स्थायी सुरक्षा की योजना बनाने की जरूरत है । श्रीमन्, गोवर्धन ड्रेन, जो दिल्ली के पास का क्षेत्र है, उसके बारे में ३–४ राज्यों में विवाद है जिसका हल नहीं निकल पा रहा है । उसके समाधान की जरूरत है । इसका दायित्व मुख्य मंत्री पर है ।

जो प्रलय हुआ है बाढ़ से उससे सबक मुख्य मंत्री जी लेंगे, बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचायेंगे और भविष्य के लिये अच्छी योजनायें बनायेंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही तो उनकी मंशा सही है लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई है । पश्चिमी क्षेत्र के बारे में जैसे आगरा और मथुरा के बारे में चर्चा नहीं किया है । आज ही आकाशवाणी ने कहा है कि ९, १० सितम्बर को मथुरा और आगरा तबाह हो सकता है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी रोक थाम के लिये मुख्य मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है ? उसके लिये मुख्य मंत्री जी को कुछ करना चाहिये था । बाढ़ आयोग ने आगरा के बारे में सूचना दिया है कि वहां १५५ मीटर पानी आ जायेगा । लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है । आज मथुरा की रेलवे लाईन के ऊपर पानी आ गया है, यह सूचना प्राप्त हुई है । इसलिये सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि जो तकावी और पैसे की बात किया है तो वह कोई व्यवस्था नहीं है ।

आगरा और मथुरा में १,३७,००,००० रुपये की फसल नष्ट हो गयी है । इससे किसानों के सामने रोटी और कपड़े की समस्या आ गयी है । आगरा और मथुरा में लगभग ४०० गांव बरबाद हो गये हैं । आगरा और मथुरा में १० व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है । इसको देखते हुये जो सहायता दी जा रही है वह नगण्य है । हमारे तिवारी जी ने कहा कि उनके दल के लोगों को नहीं बुलाया गया । मेरी सूचना यह है कि विरोधी दल के लोगों को जिलाधीश महोदय ने बुलाया था । पता नहीं उनके दल के माननीय सदस्य क्यों नहीं गये, यह दुःख की बात है । आज प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि यह विपक्ष या जनता पार्टी का प्रश्न नहीं है । मानवता का प्रश्न है, देश के लोगों का प्रश्न है देश को बचाने का प्रश्न है । ऐसी स्थिति में दल की भावना नहीं होनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं यह सारी स्थिति इसलिए बतलाना चाहता हूं कि कम से कम अविलम्ब सरकार इसके बारे में आदेश दे, वहां पर व्यवस्था कराये । आगरे में २२ मुहल्ले, ५० गांव पानी में डूब रहे हैं । भरतपुर से १८,००० क्यूसेक्स पानी जिले में आ गया तो फतेहपुर सीकरी जो एक ऐतिहासिक स्थल भी है उसका विनाश हो जायगा । राजस्थान सरकार से भी इसके बारे में सहायता ली जानी चाहिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अविलम्ब इस क्षेत्र का निरीक्षण करें खुद जा कर देखें कि स्थिति क्या है ।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

अध्यक्ष महोदय, इस में कोई संदेह नहीं है कि इस समय जो अभूतपूर्व बाढ़ आयी है . . . (व्यवधान) ।

(एक सदस्य के बीच में बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप ही के यहां नहीं, हमीरपुर में भी बाढ़ है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उदित नरायन--

श्रीमन्, यह तो दैवी प्रकोप ही था लेकिन उसका माननीय सदस्यों को कुछ संदेह हो तो उनसे भी निवेदन कर दूं कि यह दैवी प्रकोप से पीड़ित हमीरपुर से अधिक कोई दूसरा जिला नहीं है, कोई दूसरा स्थान नहीं है। श्रीमन्, आप इस बात को जानते हैं, पत्रों से आप लोगों ने सुना होगा सब का ख्याल यह है कि इस मरतबा सब से भीषण बाढ़ यमुना में आई। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सूचना दूं कि उससे भी अधिक भीषण बाढ़ यमुना में नहीं आई, बेतवा में आई है। हमीरपुर ऐसी जगह है जहां एक तरफ उत्तर में यमुना बहती हैं और दक्षिण में बेतवा बहती हैं और दोनों एक ही जगह एक मील के फासले पर मिलती हैं। इतना अधिक पानी बेतवा में आया कि बेतवा से यमुना में दो फर्लांग की धार से पानी जा कर यमुना में गिर जाता था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमीरपुर की क्या स्थिति थी।

श्रीमन्, जिस समय सारे प्रदेश में यमुना की बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ था उस समय तक हमारे यहां हमीरपुर में जो यमुना की बाढ़ थी वह नगण्य थी, बेतवा के बाढ़ के मुकाबले में। मैं इस विषय पर अधिक इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि यह दैवी प्रकोप था। इस में कोई संदेह किसी को नहीं था। मुख्य मंत्री जी इसको नहीं रोक सकते थे। लेकिन हम को यहां बैठकर इस बात पर विचार करना है कि इसमें हमारे अधिकारियों द्वारा जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वह बरती या नहीं। उन्होंने, जो सहायता देनी चाहिए थी वह दी या नहीं और आइन्दा आप क्या कर सकते हैं।

जहां तक हमीरपुर का संबंध है वहां पर पानी घटना शुरू हो गया है लेकिन समाचार पत्रों में खबर यह है कि यमुना में पानी अभी सिर्फ एक सेन्टी-मीटर प्रति घन्टे के हिसाब से बढ़ने वाला है। मेरे वहां से चलने के दस मिनट पहले जो सूचना वहां के इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दी वह यह थी कि उनके यहां जो प्राप्त समाचार है उसके अनुसार यमुना में करीब सात हजार क्यूसेक्स पानी और अधिक आने वाला है। इसलिये यह निवेदन करूंगा कि यह न समझा जाय कि यह बाढ़ समाप्त हो गयी।

मैं ५ तारीख को दिल्ली से आ रहा था तो मुझे बतलाया गया कि झांसी की तरफ जाने वाली गाड़ी बरसात की वजह से नहीं जा सकेगी, इसलिये मैं हमीरपुर में उतर गया और चार बजे जिलाधिकारी के यहां से एक लिस्ट आई बाढ़ कमेटी की। यह बाढ़ कमेटी हर जिले में बनी हुई है और २०-२५ साल पहले बनी थी। उसमें मेरा नाम था। जो अन्य नाम मेरे सामने उसमे आये उनमें दो ऐसे थे जो मर चुके थे, हमीरपुर के जो विधायक हैं उनका नाम उसमें नहीं था और मेरा नाम उसमें उस समय लिखा गया था जब मैं न विधायक था और न शासक दल में था। मैंने जाते ही पूछा कि हमारे विधायक क्यों नहीं आये, उनको सबसे पहले बुलाना चाहिये था। कोई उत्तर नहीं था। मैंने कहा कि दो तीन बातों का तत्काल इन्तजाम करना चाहिये जैसे अधिक से अधिक नावों को किराये पर लेना चाहिये और वायरलेस भेजकर जानवरों के लिये भूसे का इन्तजाम कर लेना चाहिये।

हमीरपुर जिले में सारे के सारे घर एकदम ध्वस्त हो गये थे और सब में पानी भर गया था और हालत यह थी कि अपने घर से विधायक जी के घर जाने के लिये जो २०० कदम के फासले पर था नाव से जाना पड़ता था और जिलाधिकारी के बंगले तक बिना नाव के नहीं जाया जा सकता था। यह ५ तारीख की बात हुई।

[श्री अदित नरायन--]

मैं सुबह साढ़े ५ बजे से १० बजे तक अपने घर में इसलिये बैठा रहा कि कहीं से कोई नाव मिल जाय जिससे जिलाधिकारी के घर जा सकूं और जिलाधिकारी को इस बात की फिक्र नहीं हुई कि मुझे अथवा हमीरपुर के विधायक द्विवेदी जी को इस बात की सूचना देते कि उनके आने का कोई प्रबन्ध हुआ या नहीं। १० बजे अपनी तरफ से आदमी भेजकर एक छोटी सी नाव का इंतजाम करके कलेक्टर साहब के यहां गया तो देखा कि दो तीन अधिकारी बैठे हुए मंत्रणा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भूसा मंगाया या नहीं? एक भी नाव उनके पास नहीं थी। सर्वे डिवीजन से लड़कर नाव ली गयी (व्यवधान)।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर तथा कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

बीच में बोलकर आप समय खराब करते हैं। (व्यवधान) आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जायं।

एक सदस्य--

हर सदस्य के लिये समय निर्धारित कर दिया जाय।

(श्री लक्खी सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय लक्खी सिंह जी, आप बैठें। अगर माननीय सदस्य इस तरह से व्यवधान डालेंगे तो सदन स्थगित करना पड़ेगा। यह अत्यन्त अनुचित है कि आप सदन का समय नष्ट करते हैं।

श्री उदित नारायन--

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं सुबह वहां गया तो मैंने स्वयं ४ बड़ी-बड़ी नौकाओं का प्रबन्ध किया और एक गांव में गया। उस गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर से पानी बह न रहा हो। सब लोग मकान के ऊपर बैठे हुये थे। उनके निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। शाम को जब मैं आया तो उनके आने जाने का कोई साधन नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब मुझे मालूम हुआ कि वहां पर लोगों को राशन बंटवाना चाहिए तो फिर मालूम हुआ कि एक साहब राशन देने के लिये आये और एक आदमी को केवल एक पाव आटा दे रहे हैं। यह बड़े शर्म की बात है। जब मैंने यह उस व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा कि यही हमारे लिये आदेश हुआ है। मैंने बताया कि जाइये और पूरे राशन की इन लोगों के लिये व्यवस्था कर दें।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि बेतवा का पुल दोनों तरफ से कटा हुआ है, जमुना का पुल दोनों तरफ से टूटा हुआ है, रोहिन का पुल टूटा हुआ है और चौथी तरफ संगम है जहां बेतवा और जमुना मिलती है। इस तरह से हमीरपुर चारों तरफ से जलमग्न है। कोई साधन वहां से निकलने का नहीं है। सड़कें कटी हुई हैं, मैं इन टूटे हुए पुलों की जो चार अंगुल की पटरी होती है उससे निकलकर किसी तरह से आपके समक्ष आया हूं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष जी, सुबह जिस समय बाढ़ के बारे में चर्चा की मांग हो रही थी उस समय मुझे बहुत जबरदस्त खुशी हुई थी जब आपके मुखारबिन्दु से हमने यह सुना कि हमारे मुख्य मंत्री, प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिये गये हुये हैं और वे इस प्रदेश के लिये कुछ मांग करेंगे साथ ही कुछ ऐसी घोषणा यहां पर करेंगे जिससे प्रदेश के लोगों को संतुष्टि मिल सके लेकिन जब मैंने अभी उनका भाषण यहां पर सुना तो खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्य मंत्री ने तो यह समझ लिया कि वह प्रदेश के नक्शे में नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि १०० साल के अर्से में आज तक इस तरह की बाढ़ न देखने में आयी और न सुनने में आयी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में १९२४ में सबसे अधिक बाढ़ आयी थी जिससे जमुना का जो मुहाना कहलाता है ताजेवाला से जो डिसचार्ज १९२४ में था वह केवल दो लाख क्यूसेक था। आज हमारे मुख्य मंत्री जी को, मुझे मालूम होता है, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई ज्ञान नहीं है और न वह इसकी आवश्यकता समझते हैं सात लाख क्यूसेक पानी वहां से निकला है। मुझे इस बात की तकलीफ है कि यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा था लेकिन हमारे जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के खासकर अधिकारी थे उन्होंने गांव वालों को इसकी सूचना तक नहीं दी जिससे वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सके। मेरे सहारनपुर में तहसील नकुड़ में सरसावा क्षेत्र में जितने बांध थे वह ज्यादातर खत्म हो गये हैं।

मान्यवर, मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है कि माननीय सिंचाई मंत्री श्री बलबीर सिंह जी जो भागीरथी की बाढ़ को देखने के लिए हरिद्वार गये उससे (हरिद्वार से) ऊपर तो जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि उनको यहां मालूम होते हुए भी कि नकुड़ क्षेत्रों में मानपुर बांध टूट गया है उन्होंने उस हल्के का दौरा करने की आवश्यकता नहीं समझी। इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मानपुर और सराजपुर बांधों के बारे में खास कर सूचना भेजी थी कि किसी भी वक्त यह बांध खतरे में पड़ सकते हैं लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और बचाव के लिए जो तमाम योजनायें भेजी थी उनको एज इट इज रहने दिया और कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसका नतीजा यह हुआ कि मानपुर बांध टूट गया और उसके हल्के में तहलका मच गया। उसी के साथ-साथ सराजपुर बांध भी टूट गया। हमारे सिविल और पुलिस के अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं उन्होंने बड़ी सतर्कता वर्ती। लेकिन उसके साथ-साथ अफसोस जाहिर करता हूं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी और मंत्री जी बिलकुल सोते रहे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर शासन ने गौर नहीं किया। अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग वहां पर रात दिन काम करते तो इस तहसील को बचाया जा सकता था। मान्यवर, जब सिंचाई मंत्री जी इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो अधिकारियों के लिए क्या कहा जा सकता है।

मान्यवर, मुझे इस बात का बहुत जबरदस्त अफसोस होता है कि इस सरकार को मालूम होते हुए कि जल स्तर बढ़ रहा है उसकी कोई खबर जनता को नहीं दी गई।

सराजपुर बोध टूट कर नष्ट हो गया था और वहां न मालूम कितने गांवों में पानी चारों तरफ फैल गया, वहां पर राहत का कार्य वहां के अधिकारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिले के उन अधिकारियों के बारे में औरों की तरह क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। वह अपने स्तर पर जो भी देखभाल कर सकते हैं, देख रहे हैं।

मान्यवर, मुझे मालूम हुआ है कि सहारनपुर जिले के लिए केवल ३ लाख रुपया माननीय मुख्य मंत्री जी ने भेजा है। यह तो मान्यवर, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। मान्यवर, माननीय शर्मा जी कह रहे हैं कि हमीरपुर जिला बेतवा और यमुना नदियों के बीच में पड़ता है। मान्यवर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सहारनपुर की दोनों सरहद पूर्वी और पश्चिमी गंगा और यमुना नदियों से जुड़ी हुयी हैं। मान्यवर, यह दोनों नदियां प्रदेश की प्रमुख एवं सबसे बड़ी नदियां हैं। जैसा कि मान्यवर, भागीरथी का जिक्र होता है वह मेरे जिले सहारनपुर के पूर्वी हिस्से से होकर निकलती है। मान्यवर, जल स्तर इस तरह बढ़ने के बावजूद वहां राहत कार्यों में बराबर शिथिलता बरती जा रही है। वहां कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि शायद माननीय मुख्य मंत्री जी के दिमाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई नक्शा ही नहीं है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर बाढ़ की विभीषिका से बहुत पीड़ित है।

मैं सहारनपुर की बात कहता हूं और जिलों की बात जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ के बारे में और हमारे साथी कहेंगे लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश-सहारनपुर, मुजफ्फरनगर मेरठ, गाजियाबाद यहां तक कि बुलन्दशहर को खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर, सन् १९२४ में यमुना से इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई जितनी कि इस बार आई है। मान्यवर, जो रास्ते सहारनपुर से हरियाना, पंजाब आदि से आते थे वे सब के सब अवरुद्ध हो गये हैं। इस जिले से दिल्ली जाने वाला रास्ता अवरुद्ध है, देहरादून आने वाला रास्ता अवरुद्ध है, कोई रास्ता इस प्रकार का नहीं रह गया है कि सहारनपुर के बाहर निकल कर आ सकें। जितने भी रास्ते हैं, सड़कें हैं सभी नष्ट हो गये हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को २-४ सुझाव देना चाहता हूं, इस बाढ़ के सिलसिले में। इस बारे में मेरा पहला सुझाव यह है कि जिस प्रकार शहरों में हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत आवास के लिए कर्ज की सहूलियत दी गई है अगर मुख्य मंत्री जी प्रदेश के बैंकों के अधिकारियों से मिल करके एक योजना बनायें और उन गरीबों को देहातों में हाउसिंग के लिए लोन करायें तो इससे किसानों और मजदूरों को बहुत बड़ी सहायता होगी। इस तरह से हाउसिंग स्कीम के तहत किसानी मजदूरों को लोन लेने की व्यवस्था अगर माननीय मुख्य मंत्री जी कर दें तो मैं समझता हूं कि वह किसानों मजदूरों की बहुत बड़ी मदद होगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि काश्तकारों के मवेशियों के लिए चारे की सहायता और मजदूरों के लिए एक माह खाने के लिये अनाज का प्रबन्ध करायें। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपील करूंगा कि काश्तकारों और मजदूरों के ऊपर जो इस समय रिकवरी जारी है उन्हें तत्काल स्थगित कर दिया जाये। मान्यवर, प्रदेश में बाढ़ के कारण बहुत बुरा हाल है। जिन जगहों पर ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है वहां आप मालगुजारी, लगान आदि खत्म कर देने की घोषणा कर दें। यदि यह सब एलान माननीय

[श्री यशपाल सिंह]

मुख्य मंत्री जी करें तो मैं समझता हूं कि इससे वह प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा होगी।

एक सदस्य---

मान्यवर, मेरे जिले का कोई नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठिये। इस तरह से नहीं।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें मेरठ के सदस्य बोल रहे हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, इन लोगों में से चार आदमियों को एक साथ बोलवा लें।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि आप लोग बाढ़ की बहस पर गम्भीर नहीं है। बार-बार चालीस-चालीस सदस्य एक साथ खड़े हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप लोग बहस नहीं चाहते हैं। एक टाइम में केवल एक सदस्य बोल सकते हैं। इसलिए मैं इस बात का ध्यान रखते हुये जिन जिलों में बाढ़ आयी है, पहले वहां के एक-एक सदस्य को मौका देना चाहता हूं। कृपया दूसरे लोग शांति से सुनें। मैंने यह कहा है कि यह सदन आज उस वक्त तक चलेगा, जब तक कोरम रहेगा और बोलने वाले रहेंगे।

श्री हरी सिंह---

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि..

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये, मैं आपको इजाजत नहीं देता। इस तरह से आपको बोलने का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

मान्यवर, बाढ़ के संबंध में जिन साथियों ने चर्चा की, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं दलीय आधार पर इस चर्चा को ले जाकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरठ और पश्चिमी अंचल में जो बाढ़ आई है, वह दूसरी जगहों की बाढ़ से भिन्न है। हम दोनों तरफ से घिर गये हैं—एक तरफ जमुना की बाढ़ से और दूसरी तरफ गंगा की बाढ़ से। गंगा और जमुना को छोड़कर, कृष्णा, हिन्डन और काली नाम की जो नदियां हैं, इनकी भी बाढ़ से पीड़ित हैं। इनमें बाढ़ तो आयी पिछले दिनों बारिस इतनी हुयी कि आगरा से सहारनपुर तक बहुत बड़ा तूफान आया और उसके साथ भीषण वृष्टि हुई। इस तरह से पश्चिमी अंचल दो तरह से चपेट में आ गया। एक तो नदियों की बाढ़ और दूसरे वाटर लागिंग हो गयी।

आपका, मान्यवर, क्षेत्र बुलन्दशहर तथा बागपत चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र, और सारा का सारा क्षेत्र जलमग्न है और सहारनपुर तक जल ही जल नजर आता है। मुझे परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि जब आपके यहां से आदेश जायेंगे तो वह बाढ़ के हिसाब से जायेंगे। लेकिन जो इन क्षेत्रों में गम्भीरता है, उसका ध्यान नहीं रखा जायेगा। मान्यवर, गाजियाबाद में जो इन्डस्ट्रियल सेन्टर है, वह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। जहां पर कि सारी इन्डस्ट्रीज हैं। मोदीनगर सेक्टर में इन्डस्ट्रीज है और वह भी पानी से घिरा हुआ है। हापुड़, मोदीनगर, इन सब की इतनी गम्भीर स्थिति है कि चारों तरफ पानी पानी इकट्ठा हो गया है।

मुख्य मंत्री जी शायद मेरठ की स्थिति को भूल गये होंगे लेकिन मैं उनको वहां की स्थिति को याद दिलाना चाहता हूं। वहां की स्थिति को वे इस तरह से देखें कि वहां बाढ़ के साथ वाटरलगिंग भी है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर--ये जो पश्चिमी अंचल के जिले हैं, इनमें बाढ़ के साथ-साथ वाटरलगिंग की भी समस्या है। इसके कारण हजारों मकान गिर रहे हैं। यह दूसरी मुसीबत पैदा हो गयी है। यहां के मकान मिट्टी और कड़ियों से बने हुये हैं। जबकि पूर्वी जिलों के मकान फूस से बनते हैं। तो खुर्जा और बागपत में जो मकान बने हैं, वे फूस से नहीं बने। तो उन गरीबों के पास मकान बनाने के लिये साधन नहीं है। वे इतनी आसानी से नहीं बन सकेंगे और उनके सामने समस्या पैदा हो गयी है। अतः मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि पश्चिमी अंचलों की बाढ़ की समस्या का अध्ययन करने के लिये इक्सपर्ट्स भेजें जो वहां की समस्या को जानकर अपनी रिपोर्ट दे सकें।

सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि स्पेशली वहां के लिये इक्सपर्ट भेज कर रिपोर्ट मंगवायें। वहां पर कोई जगह नहीं रह गयी जहां पानी न हो। सबसे बड़ा खतरा जमुना के पुल पर है जिसकी आयु १०० वर्ष की है। दिल्ली में जो पुल है, ५० साल पहले उसकी आयु खत्म हो गयी है। दिल्ली के पुल के ऊपर पानी पार हो जाने को है और १३ वर्ष पूर्व बनने के बाद कैराने का पुल खतरे में पड़ गया है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल है। पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति में यही एक पुल है, यही एक रास्ता है, जो इस बार की भीषण बाढ़ से ढह गया। क्या इसका कोई इंतजाम होगा? जो पुल समय से पहले गिर गया है, उसके लिए दोषी अधिकारियों को क्या किसी को आप जेल करा सकेंगे या उनके विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही आप कर सकेंगे?

इस भीषण बाढ़ को आपको गम्भीरता से लेना पड़ेगा, नदियों का पूरा इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि चीन जैसा देश ह्वांगहो जैसी अभिशप्त नदी को बांध सकता है तो यहां ६० करोड़ जनता की सरकार, यहां नदियों के तटों को क्यों नहीं बांध दे। जब तक हम नदियों के तटों को नहीं बांधते हैं, इस बाढ़ का समुचित इलाज नहीं हो सकेगा।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने मुख्यमंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना। मुझे इस बात का खेद है कि जहां उन्होंने भीषण बाढ़ के संबंध में बुन्देलखन्ड के हमीरपुर और बांदा जनपदों का उल्लेख किया, वह जालौन जनपद को भूल गए। मैं नेता विरोधी दल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जालौन जिले की ओर ध्यान आकर्षित करके कम से कम चर्चा में उसे उचित स्थान दिया है। जो जनपद जमुना, बेतवा आदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त—]

नदियों से घिरा हुआ है, उन नदियों की भयंकर बाढ़ से यह जनपद तबाह हो चुका है। एक तरफ नदियों का पानी और ऊपर से भयंकर बरसात। इस जनपद का तमाम क्षेत्र बाढ़ से चारों ओर से घिरा हाहाकार मचा रहा था।

चार तारीख को जब भीषण बाढ़ आई जालौन जनपद में तो केवल मात्र कालपी में नावें उपलब्ध थीं।

(इस समय ५ बजकर १२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए।)

जब बाढ़ से शहर के तमाम मोहल्ले घिरे हुए थे, हजारों लोग बेघर बार हो चुके थे, उस समय जिला अधिकारियों ने कालपी से नावें मंगाने के अपने कर्तव्य का तथा उनके द्वारा यथाशीघ्र लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के कर्तव्य का तनिक भी पालन नहीं किया। वहां ठीक २४ घंटे बाद नावें उपलब्ध कराई जा सकीं और वे नावें भी नहीं कही जा सकती हैं। छोटी-छोटी डोंगियां थी, परिणाम यह हुआ कि उरई क्षेत्र के मोहल्लों के लोग बाहर निकलने के लिए तड़फ रहे थे, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, और उस समय दो डोंगिया डूब गईं और दो बालकों को जल समाधि मिल गई, उन्हें जलसमाधि लेनी पड़ी। यदि पहले से बड़ी नावें मंगाई जातीं और जिला प्रशासन समय से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता तो जलसमाधि की यह नौबत न आती। आज भी वहां के जिला प्रशासन को यह पता नहीं है कि वह सरकार की ओर से पीड़ितों का क्या सहायता प्रदान कर सकती है।

बाढ़ से घिरे लोगों, खासकर हरिजन बस्ती के निवासियों के पास खाद्य सामग्री नहीं थी, वहां स्वयंसेवी संस्थाएं तो सहायता के लिए आगे बढ़ी, लेकिन सरकार की ओर से केवल जले पर नमक छिड़कने का काम किया गया। जहां करीब ३५ परिवारों के करीब दो सौ लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए थे, वहां पर नायब तहसीलदार की ओर से परिवारों के लिए जब केवल २ किलो चना लेकर नायब तहसीलदार पहुंचता है, तो स्वभाविक रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों में उत्तजना व्याप्त हो जाती है। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से सहायता की गई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयंसेवकों ने खाद्य सामग्री बांटीं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से उपेक्षा बरती गई। जहां कहीं भी बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता सामग्री उपलब्ध कराने की बात थी, जेसीज ने फूड पैकेट्स बंटवायें, लेकिन जिला प्रशासन निष्क्रिय रहा।

आज चर्चा की गयी कि विधायकों से इसमें सहायता ली गयी, समाजसेवी संस्थाओं को बुलाया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के अन्दर सामाजिक संस्थाओं के दल और विधायक दौड़-दौड़ कर जा रहे थे, लेकिन उन बाढ़ से घिरे हुए मोहल्लों में खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए नावें तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकीं। जिससे सामग्री पहुंचाई जा सकती।

उरई जहां पर कहीं भी बाढ़ के इतिहास में बाढ़ नहीं आयी, बुन्देलखंड में जालौन और झांसी जनपदों में कभी बाढ़ नहीं आई, हमीरपुर जिला बाढ़ से प्रभावित दिखाई देता है लेकिन इस वर्ष जालौन जनपद के गांव कहटा कमठा, सिकरा, मोहाना चंदरासी, बसरेही जो बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं पूरी तरह से बरबाद हो चुके हैं। कालपी शहर बाढ़ से घिरा हुआ है। शहर में पानी प्रवेश कर चुका है। जमुना बराबर बढ़ती चली जा रही है। आज भी बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा

रही है । ऊंचागांव पूरी तरह से पहुंच नदी से घिर गया है । न सामग्री पहुंचाई जा रही है और न बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था है । माननीय मंत्री जी बुंदेलखंड के बाढ़ पीड़ितों की ओर ध्यान दें । जालौन जनपद के तमाम गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं । जमुना और बेतवा में पानी बढ़ रहा है । इसके बढ़ते हुए पानी से तबाही कहां तक पहुंचेगी इस बात की कल्पना की जा सकती है ।

मेरा सुझाव है कि सरकार की ओर से जहां सहायता की आवश्यकता पड़े, वहां जहां अधिकांश हरिजन, गरीबों के मकान तबाह हुए हैं, सहायता बराबर इस रूप में पहुंचायी जाय कि उनके मकान खड़े हो सकें । अगर मकान बनाने में दो हजार रुपये लगते हैं तो भले ही पांच सौ रुपये दें लेकिन सहायता होनी चाहिये जिससे उनके मकान खड़े हो सकें । कच्ची दीवालें बनी हुई थीं । मैंने बातचीत की है, वे स्वयं परिश्रम करके अपने मकान पर खड़े कर सकते हैं । आवश्यकता इस बात की है कि शासन की ओर से छान-छप्पर की व्यवस्था कर दी जाय और जब तक उनके मकान खड़े नहीं हो जाते, उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं होती तब तक के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार की ओर से होनी चाहिये ।

एक बात और मकान बनाने के लिये जो आप अनुदान देते हैं, उतने में कुछ भी नहीं हो सकता । १०० रुपये का अनुदान दे दें तो उससे दो कच्ची दीवालें भी नहीं खड़ी हो सकतीं । अनुदान के रूप में जो धन देते हैं, जो कुछ भी व्यवस्था करते हैं, उसके अतिरिक्त ऋण की इतनी पर्याप्त व्यवस्था करें जिससे उनके मकान बन सकें जिससे सर छिपाने के लिए वह स्थान प्राप्त कर सकें ।

इसके अतिरिक्त खरीफ की फसल बिल्कुल बरबाद हो चुकी है । धान और ज्वार की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गयी है । खेती का जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर माननीय मंत्री जी लगान माफ करें और जो उन पर ऋण बाकी है कम से कम छः महीने के लिए उसको स्थगित कर दें । मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएं ताकि झोपड़ियां खड़ी हो सकें । जिनके मकान बरबाद हुए हैं उनकी सारी संचित पूंजी भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनको पर्याप्त सहायता पहुंचाएं जिससे गरीब, हरिजन परिवार जो बाढ़ से पीड़ित हैं पुनः खड़े हो सकें और उनकी जिन्दगी बसर हो सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं कृपया वह न खड़े हों ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने श्री मूल चन्द्र जी को बुला लिया है उन्हें बोलने दें ।

ठाकुर मूल चन्द (जिला मुजफ्फर नगर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो आज बाढ़ के सिलसिले में बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । पिछले साल जब मैं बाढ़ पर बोल रहा था तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि

[ठाकुर मूल चन्द]

पश्चिमी जिलों में बाढ़ नहीं आती है, लेकिन दैवी प्रकोप से मुजफ्फरनगर, मेरठ आज बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। गंगा और जमुना के बीच में जो क्षेत्र स्थित है, वह बाढ़ से जल मग्न है। मैं ईद के दिन अपने क्षेत्र में गया था और बाढ़ की हालत को देखा। कितने ही गांव बह गए और कितने ही गांव जल मग्न दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जान और माल बरबाद हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शासन की ओर से कोई समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। कोई सहायता का कार्य नहीं हो रहा है। बेघरबार लोग किनारों पर पड़े हुए हैं। उनकी हालत को देखने से हम यह कह सकते हैं कि सरकार की ओर से कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और समुचित सहायता के कार्य किए जायं।

मैंने स्वास्थ्य की ओर भी देखा है। इस ओर भी कोई ठीक प्रबन्ध नहीं है। दवाओं में बहुत ही ब्लैक मेल हो रहा है। अधिकारी उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। दवाओं का ब्लैक मेल किया जा रहा है। कैपिटलिस्टों का बोल बाला रहा है। भट्ठे वालों ने ईटों के दाम बढ़ा दिए हैं। जो लोग तबाह हो रहे हैं वह अपने मकान को नहीं बना पा रहे हैं। मेरा माननीय सप्लाई मंत्री जी से निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें और कोई ऐसा प्रबन्ध करें जिससे ईटों का दाम बढ़ने न पावे भट्ठे वाले जनता को लूट रहे हैं। मैंने मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहीं पर भी नहीं पाया। रेवेन्यू विभाग के अधिकारी मिले और पुलिस विभाग के भी अधिकारी मिले। मैंने जब पूछा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी कहां है उनका तो पता न चला।

मुजफ्फरनगर का पश्चिमी भाग हरियाणा से मिलता है और जमुना उसको बड़ी तेजी से काटती चली जा रही है। हरियाणा सरकार जागरूक है जिससे जमुना उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती चली आ रही है और उत्तर प्रदेश की जमीन हरियाणा में चली जा रही है। हमारी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। कैराना में एक पुल बना था वह कांग्रेस के समय में बना था उसके बीच का हिस्सा टूट गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पुल को शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाये और इसकी इन्क्वायरी कराई जाय। ....

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंजीनियर्स की इन्क्वायरी न बैठाकर दूसरे विशेषज्ञों की इन्क्वायरी बैठाई जाय और जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार फैलाया है उन्हे दण्ड दिया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में केवल गंगा और जमुना का ही प्रकोप नहीं है बल्कि वर्षा ने पूरे क्षेत्र को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। हमारे माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी के क्षेत्र पर भी काफी असर पड़ा है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के लोगों से जो तकावी लगान मांगी जा रही है वह माफ की जाय इसके अलावा सरकार ने जो १५ रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिजली का लगान लगाया है उसको कम किया जाय और जितने दिनों ट्यूबवेल्स नहीं चले हैं उस समय का पैसा न लिया जाय। जो स्कूल बर्बाद हो गये हैं उनकी मरम्मत कराई जाय। थोड़ी मात्रा में जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसको बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है।

ठाकुर मूल चंद--

मेरा निवेदन है कि चाहे जो डिपार्टमेंट हो सभी मिलकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य पहुंचायें। रेवेन्यू विभाग और स्वास्थ्य विभाग इस ओर विशेष ध्यान दे। मिलों और क्रेशरों से शेष रुपया वसूल करके किसानों को दिया जाय।

(श्री ऊदल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

मान्यवर, इन्हें तो आप अवसर दे चुके हैं और दोबारा मौका दे रहे हैं। जो लोग नहीं बोल पाये, उनको अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष--

सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों को अवसर दिया गया है। अब विरोधी पक्ष को अवसर देना है। वे अपने दल की ओर से बोलेंगे।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

मान्यवर, आप...।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, इसमें क्या एतराज की बात हो सकती है? श्री ऊदल को अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री हरी सिंह--

मान्यवर, आप एक ही व्यक्ति को बार-बार बोलने का अवसर देते हैं और जो नहीं बोले हैं उनको अवसर नहीं देते। यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय हरी सिंह जी, आप क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं? सत्ता पक्ष के तीन लोग बोल चुके हैं। अब विरोधी पक्ष को भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। आप को भी मौका मिलेगा। आप भी बोलिएगा।

(श्री हरी सिंह के बोलते रहने पर)

श्री चेत राम गंगवार (जिला बरेली)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय हरी सिंह जी कितने अशोभनीय ढंग से बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिए तो यह और भी अशोभनीय है कि इस प्रकार सदन का समय बर्बाद करें। बोलने में सदन की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण ध्यान दें। मैंने सत्ता पक्ष के तीन सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। अब विपक्ष को बोलने का अवसर दिया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? माननीय हरी सिंह जी को भी बोलने का अवसर मिलेगा। जितने सदस्यों को बोलना है अगर एक ही बार सब खड़े हो जायें तो सबको कैसे अवसर दिया जा सकता है?

श्री ऊदल—

मान्यवर, पिछली बार, शुरू अगस्त के महीने में बाढ़ आई थी। उसमें करीब चालीस जिले प्रभावित हुए थे। दो-तीन जिलों में मुझे भी जाने का मौका मिला था, देवरिया, गोण्डा और बस्ती। श्रीमन्, वहां की जो हालत थी उसको देखने से यह पता चला कि इस बाढ़ का ज्ञान न तो सिंचाई विभाग को था और न ही सरकार को था। अगर इसका कुछ भी अनुमान होता तो बाढ़ आने के पूर्व लोगों को चेतावनी दी जाती।

मान्यवर, मधुबनी का बांधा टूट गया। हमारी तरफ हजारों एकड़ जमीन डूब गयी गांव डूब गये और बिहार के भी सैकड़ों गांव डूब गये, लोग बह गये लेकिन उसका किसी को भी ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार पिछली बाढ़ में तीसियों बंधे टूट गये और इस बार जो बाढ़ आयी उसने तो उससे भी बढ़कर बुरी हालत कर दी है। गंगा, यमुना, बेतवा और केन आदि नदियों में भयंकर बाढ़ आ गयी है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि बनारस में कहीं पर बाढ़ नहीं आयी। उन्हें नहीं मालूम की गंगा का पानी खतरे के बिन्दु से ऊपर बह रहा है। चंदौली और चकिया में कर्मनासा और गड़ई, चन्द्र प्रभा तथा अन्य नदियों का पानी गांवों में घुस गया है। यही हालत इलाहाबाद, गाजीपुर और बलिया की है। तो मेरा कहना है कि कम से कम सतर्कता इस सम्बन्ध में पहले से ही बरतनी चाहिए लेकिन वह नहीं बरती गयी।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहली बाढ़ में भी देखा कि जो राहत के कार्य हो रहे थे, लोगों को निकालने के कार्य हो रहे थे, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जो पशुओं के लिए और मनुष्यों के लिए दवाइयों का प्रबन्ध हुआ, यह बिल्कुल नगण्य है।

मुख्य मन्त्री जी ने एक मीटिंग १२ तारीख को ६ बजे शाम बुलायी थी। जैसे ही ६ बजने में ८-१० मिनट थे मैं पहुंच गया लेकिन और नेता लोग नहीं आये तो उसका मैं जिम्मेवार नहीं था मुख्य मन्त्री नहीं आये, कहीं थे। सिंचाई के सचिव और मुख्य अभियन्ता वहां पर थे। मैंने उनको कुछ बातें बताई। मैं मानता हूं कि यह जो दैवी आपत्ति आयी है किसी के बस की बात नहीं हो सकती है लेकिन शासन और जितनी भी स्वयं सेवी संस्थायें हैं, राजनीतिक दल हैं, उन सबका कर्त्तव्य होता है कि जहां तक सहायता वे पहुंचा सकते हैं, वह उन्हें पहुंचानी चाहिए।

जैसा कि अभी माननीय उदित नरायन शर्मा और श्री गुप्ता जी और तोमर साहब ने कहा, ऐसी हालत, मैं समझता हूं कि, प्रदेश में कभी नहीं हुयी। सहारनपुर से मुरादाबाद की रेलें कैंसिल हो गयी हैं और मुरादाबाद से दिल्ली की रेलें स्थगित हो गयी हैं, बुन्देलखंड और मानिकपुर डिवीजन और झांसी डिवीजन में रेल गाड़ियां कैंसिल हो गयी, कई लोग मर गये हैं। अकेली टिहरी में २१ आदमी मरे हैं। पहाड़ी क्षेत्र में तो और भी मरे होंगे। ऐसी हालत में सरकार को पहले से सतर्क रहना चाहिए था।

बाढ़ के बचाव के लिए हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। मैं समझता हूं जितनी योजनायें बनी सब डिफेक्टिव हैं। बाढ़ से बचाव के लिए मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है प्रदेश में दैवी विपत्ति आ गयी है। इससे किसी न किसी प्रकार से छुटकारा पाना है। मेरे विचार में भारत सरकार के पर और प्लानिंग कमीशन के ऊपर दबाव डाल कर एक मास्टर प्लान बाढ़ को

रोकने के लिए सरकार को बनाने की जरूरत है और उसमें राजस्थान, बिहार, हरियाणा तथा अन्य प्रदेशों को भी, जहां-जहां से नदियां यहां आती हैं, शामिल किया जाये और सारे खर्च को भारत सरकार तथा वे सभी प्रदेश वहन करें। तभी इस समस्या का हल हो सकता है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि गांवों को ऊंचा किया जाये। तीसरा सुझाव मेरा यह है कि पानी की निकासी के लिये जगह-जगह पुल बनाये जायें। छोटी रेलवे लाइन से जब मैं आया तो मैंने देखा कि देवरिया, गोंडा, बस्ती आदि के पास रेलवे लाइन के उत्तरी तरफ ४-४ फीट पानी भरा था और उसकी निकासी की जगह नहीं थी। जो पुल बने थे वे इतने सकरे थे कि उसमें से पानी नहीं निकल रहा था। इसलिये भारत सरकार के ऊपर दबाव डालकर इसका सर्वे कराये जांय और उन पुलों को ऐसा बनवाये जायं जिससे कि पानी निकल सके और जमा न हो सके। पानी के जमाव हो जाने से भी यह समस्या खड़ी हो जाती है।

मुख्य मन्त्री जी ने ३०० करोड़ की हानि बतायी है, यह हानि १० सौ करोड़ की होगी क्योंकि तमाम गांव के गांव नष्ट हो गये हैं। ४ पावर हाऊस डूबे हुये हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर आदि तमाम जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। भारत सरकार पर दबाव डाल कर आप ऐसा आयोग गठित करवायें जो इस समस्या पर विचार करें और कोई हल निकाल सके।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें।

*श्री हरी सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस बाढ़ की चर्चा में बोलने के लिये अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जब यादव वंश का राज्य हुआ था तो उस समय भी इन्द्र भगवान का कोप उभरा था तो उस समय कृष्ण भगवान ने गोबर्धन पहाड़ उंगली पर उठाकर लोगों की रक्षा की थी। आज हमारे यहां जब हमारे माननीय राम नरेश यादव जी का शासन हुआ तो यह बाढ़ आयी है और मुझे आशा है कि वे भी कृष्ण की तरह से पहाड़ उठा कर इस बाढ़ से प्रदेश की रक्षा करेंगे। माननीय तिवारी जी के कर्मों का फल आज हम भोग रहे हैं। (हंसी)

मेरा सुझाव है कि जिन गरीब और हरिजनों के मकान गिर गये हैं उनको कम से कम झोपड़ी डालने के लिये ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय, १००-५० रुपये से काम चलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, मालगुजारी इस साल की बिलकुल खत्म हो, कर्जे के जो वारन्ट निकल रहे हैं, वह खत्म हों। जो किसानों के पेमेंट हैं गन्ने के वह शुगर मिलों से तुरन्त कराया जाय। उनको ऋण दिया जावे और गरीब वर्ग के जो भी लोग हैं उनके लिए कम से कम झोपड़ी रखने के लिए सहायता दें और श्रीमन्, पानी निकालने का साधन जुटावें। मैं सिंचाई विभाग से भी निवेदन करूंगा कि वह इस तरफ ध्यान दें। माननीय सदस्यों को अधिकार दिया जाय, जगह-जगह पर जाकर बाढ़-पीड़ित लोगों की सहायता करें। जब तक मेरठ जिले में एक करोड़ रुपये का अनुदान नहीं दिया जायगा, तब तक समस्या हल होने वाली नहीं है। यह जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरी सिंह--]

बाढ़ से पीड़ित गरीब लोग हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार उनको विशेष रूप से सहायता के लिए ध्यान दे। जो यहां पर मंत्रिमंडल है वह बिलकुल काम नहीं कर रहा है सिवाय मटरगस्ती के, तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी तरफ ध्यान दें।

किसानों के गन्ने के पैसे तुरन्त पेमेंट कराये जायं। गरीबों को कम से कम ५०० रुपये की मदद दी जाय। आपका जो हरिजन विभाग में पैसा पड़ा हुआ है, कलेक्टर के मारफत तुरन्त बांटा जाय। श्रीमन्, माननीय तिवारी जी जो हैं, उन्हीं की वजह से आज हमको यह दिन देखने को पड़ रहा है। श्रीमन्, कृपा करके इन पहाड़ों को ठीक करिये और जो भी हो सरकार से मिल कर कार्य करिये, जिससे जनता बच सके। मेरा नम्र निवेदन है कि किसानों की मालगुजारी माफ हो। किसानों को झोपड़ी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय। हमारा निवेदन यह है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय। किसानों के गल्ले सड़ चुके हैं, उनको गल्ला दिया जाय। गरीबों को विशेष सहायता दी जाय। जो कि विशेष वर्ग के हैं।

कृष्णा नदी क्षेत्र के सिवाल क्षेत्र में जितने गांव पड़ते हैं, वहां पर जितने हरिजनों के मकान पड़ते हैं और वे गिर गये हैं, उनको कम से कम ५० लाख रुपये तुरन्त दिया जाय। श्रीमन्, हमारे पूरे जिले में बाढ़ से कोई कच्चा मकान नहीं बचा है, उनको मकान बनवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय।

*श्री पूरन चन्द्र--

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे बाढ़ के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। आज यह जो प्रदेश बाढ़ग्रस्त प्रदेश बना हुआ है, इसकी शुरुआत २० जून, १९७८ को मेरे बागेश्वर क्षेत्र से हुई जिसमें कि २३ मकान नष्ट हो गये, २८ पनचक्कियां, ४ मनुष्य बह गये, ५ जानवर नष्ट हो गये, जिसमें १६१८ परिवार प्रभावित हुए और १०२ गांव प्रभावित हुए। २११६ नाले खत्म हुए, इसकी कीमत लगभग १५२५६३६ रु० है। इन माल हानि २२ लाख की हुई है जो कि यहां २० जून, १९७८ को मेरे क्षेत्र को हुई, परन्तु अभी तक सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी। केवल वहां पर आश्वासन दिया गया है कि ३०,००० रु० का बजट जिला अल्मोड़ा के लिए गया है।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीन तहसीलें हैं और प्रत्येक तहसील में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। आज तो वहां पर और भी ज्यादा नुकसान हो गया होगा। मैं अपने क्षेत्र से आया हूं। वहां पूरे बागेश्वर क्षेत्र में पहाड़ टूट चुके हैं। मोटर रोड बन्द पड़ी है। पर्वतीय विकास मन्त्री जी भी वहां गये थे उनको भी भुवाली के पास दो तीन दिन रुकना पड़ा था। मैं यह सुझाव सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि पहाड़ों का जो कटान और जो पहाड़ टूट रहे हैं उनका टूटना बंद किया जाय। पर्वतीय क्षेत्र में जो भूमि संरक्षण विभाग है उसका बजट शतप्रतिशत दिया जाय। पिछली सरकार ने भूमि संरक्षण विभाग चलाया था और उसको ५० प्रतिशत बजट दिया जाता था जिससे यह होता था कि भूमि संरक्षण विभाग कोई भी कार्य नहीं कर पाता था। मैं सरकार से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आग्रह करूंगा कि भूमि संरक्षण विभाग को सेंट परसेंट बजट दिया जाय ताकि पहाड़ों को टूटने से रोका जा सके ।

मैदानी भागों में जो बाढ़ आती है उसका मुख्य कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ टूटते हैं और कटाव होते हैं । पत्थर मिट्टी और रेत बहकर पानी में आती है और मैदानी क्षेत्रों में नदियों में जमा हो जाती है । जिससे नदियों की सतह प्रति वर्ष ऊंची होती जाती है । इसका नतीजा होता है कि बाढ़ आती है । इसलिये मैदानी क्षेत्रों की बाढ़ दूर करने के लिये सबसे पहले पहाड़ों की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि पहाड़ दिन प्रति दिन कटते तथा धंसते चले जा रहे हैं । पहाड़ों को बचाने के लिये आप ज्यादा से ज्यादा बजट पर्वतीय क्षेत्रों को दें । पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई विभाग को, भूमि संरक्षण विभाग को, सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट बढ़ाया जाय ताकि जो मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं, नष्ट हो गये हैं, सड़कों की मरम्मत की जा सके । कौसानी मोटर मार्ग नष्ट हो गया है २४ तारीख को पहाड़ों के टूटने से जंगलात के कर्मचारी का पूरा परिवार खत्म हो गया । इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आपको बाढ़ पर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले पहाड़ों पर ध्यान देना होगा और पहाड़ों को टूटने से बचाना होगा । पहाड़ टूटेंगे तो बाढ़ आयेगी अगर नहीं टूटेंगे तो बाढ़ नहीं आयेगी ।

(श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का नाम पुकारे जाने पर और कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वह कृपया खड़े न हों ।

श्री कन्हैया लाल सोनकर--

हम लोग भी बोले नहीं हैं ।

एक सदस्य--

हमारे क्षेत्र में बड़ी तबाही मची है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बुलवा सबको दिया जायगा लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि एक साथ सबको बुलवाया नहीं जा सकता । बोलने का मौका आपको मिलेगा ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ? माननीय अध्यक्ष ने सदन के अंदर कहा था कि जिन जिलों में बाढ़ आयी है वहां के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जायगी । तो मान्यवर, वाराणसी में बाढ़ बहुत जबर्दस्त आ गयी है । सूचना मिली है कि स्थिति बहुत खराब है इसलिये बनारस के सम्बन्ध में बोलने के लिये अनुमति दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

वाराणसी की स्थिति बहुत खराब है । अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिन जिलों में बाढ़ आयी है वहां के लोगों को अवसर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

वाराणसी के दो सदस्य और आज श्री ऊदल बोल चुके हैं। इसलिये अब नहीं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अभी पूर्वी जिलों, पश्चिमी जिलों और बुन्देलखंड जिलों में आई बाढ़ की तबाही से सदन को अवगत कराया। मैं अब आपको उन्नाव जिले की ओर ले चल रहा हूं जहां पर बाढ़ की विनाश-लीला से ४१२ रेवेन्यू ग्राम, मजरे जात मिलाकर लगभग २ हजार से अधिक गांव बाढ़ से तबाह हो चुके हैं।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री श्री छोटे लाल, सूचना मंत्री श्री भगवती सिंह जी ने व मुख्य मंत्री जी ने हेलीकाप्टर से निरीक्षण वहां का किया था और मान्यवर, आप भी गए थे तो वहां की दशा को देखा था, इस जिले की घनघोर उपेक्षा होती रही है, जिस तरह की बड़े पेड़ की छाया में छोटा पेड़ नहीं उग पाता है उसी तरह से कानपुर और लखनऊ राजधानी के बीच में उन्नाव जिला हमेशा पिसता रहा है। वहां के गांवों की खेती की फसल चौपट हो गई है। घरों का सामान बह गया है।

जिस समय मंत्री जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा था कि अनेक लाशें, पशुओं, मनुष्यों और जंगली जानवरों की बह रही थीं। अनेक गांव पता नहीं कि कहां गंगा की गोद में समा गए। वहां जो रास्ते थे वह बाढ़ के कारण कट गए हैं। राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका कारण यह है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। जिस समय सड़क का निर्माण हुआ तो उस समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि पुलिया बनाई जाय जिससे पानी निकल सके। इसके पूर्व पिलर्स सिंचाई विभाग द्वारा बनाये जा रहे थे कि जिससे कटाव होने से रेलवे लाइन और राजमार्ग को क्षति न हो। लेकिन पता नहीं किन अधिकारियों ने वह योजना बनाकर दे दिया उससे १९ लाख रुपया पानी में फेंक दिया गया, वह रुपया पता नहीं कहां चला गया, उससे कोई हित नहीं हो सका।

मैंने पहले भी सिंचाई मन्त्री जी से अनुरोध किया था कि पिलर्स बनवाने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि वास्तव में उन्नाव को बाढ़ और कटाव से बचाना है तो गहारपुरवा से गंगाघाट तक एक बांध बनाना पड़ेगा जिस तरह कि गोंडा में बांध का निर्माण कराया गया है। सिंचाई मंत्री ने कहा था चूंकि मैंने आश्वासन दे दिया था इसलिए मैं उस आश्वासन को पूरा कर रहा हूं। बड़ा दुख है कि आश्वासन इस तरह से पूरा किया जायेगा कि १९ लाख रुपये को पानी में बहा दिया जायेगा।

गांवों की स्थिति यह है कि वहां कोई रास्ता नहीं है। पहली बाढ़ १० अगस्त को आई थी और दुबारा फिर बाढ़ आ गई है। गांव में झील, तालाब और नदियां भर गई थीं इसलिए दुबारा बाढ़ आने में सहायक हुई। मान्यवर, उन्नाव के उत्तर में सई नदी, मध्य में कल्याणी नदी और दक्षिण में गंगा नदी बहती है। ७० मील की लम्बी और लगभग १० मील की चौड़ी पट्टी हमारे जनपद की बाढ़ग्रस्त है। इतना क्षेत्र इस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है कि आज लोग शरणार्थियों की हालत में पहुंच गए हैं। यह सही है कि जितनी सहायता इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों में पहुंचाई है शायद उतनी

इससे पहले राहत कार्यों के लिए नहीं पहुंचाई गई लेकिन बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए यह सहायता ऊंट के मुंह में जीरे के समान है ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि सर्वप्रथम जिले के छात्रों की फीस माफ होनी चाहिए, लगान माफ हो, और मान्यवर, हमारे जिले में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराया जाय क्योंकि अभी जो एक किलो आधा किलो आटा या गेहूं दिया जा रहा है उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता है और न जनता का कल्याण हो सकता है । उनको काम दीजिए । खेती उनकी रही नहीं । उनके पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए । पशुओं की बीमारी फैल रही है । महामारी फैल रही है । बीमारी को रोकने के लिए गांवों में जगह-जगह ग्रामीण अंचलों में अस्पताल होने चाहिए मवेशियों के भी और मनुष्यों के भी ।

मान्यवर, एक चीज की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले में नावों की संख्यां बहुत कम थी । अधिकारियों ने यह जानते हुए भी कि बाढ़ आने वाली है इनकी व्यवस्था नहीं की । यदि इनकी व्यवस्था हो जाती तो शायद इतनी तबाही नहीं होती । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक ग्राम सभा को निर्देश दें कि अपने कोष से इनकी खरीद की व्यवस्था करें ।

मान्यवर, हमारे जिले में कम से कम दो मोटर बोट्स स्थायी रूप से दिये जायं । एक स्टीमर की भी व्यवस्था होनी चाहिए । इस स्थिति की समस्या का स्थायी हल तभी हो सकता है जब हमारे जिले में गहारपुरवा से गंगाघाट तक एक बांध बनाया जाय । प्रति वर्ष इस जिले की बाढ़ से जो क्षति पहुंच रही है उससे बचने के लिए इस बांध का निर्माण कराया जाय ।

*श्री बच्चा पाठक (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बाढ़ की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, बलिया एक ऐसे स्थान पर अपने प्रदेश के पूर्वी छोर पर स्थित है जो गंगा और घाघरा दोनों नदियों से घिरा हुआ है । प्रति वर्ष गंगा और घाघरा में बाढ़ आती है और पूरा जनपद उससे प्रभावित हो जाता है । जब अगस्त में प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप प्रारम्भ हुआ तो बलिया उसकी चपेट में आया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूर्वी जिलों के दौरे के बाद जब बलिया का नाम आया तो बलिया का नाम नहीं लिया और उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखा ।

बाढ़ की एक पत्रावली इस सदन में बांटी गई थी । उसमें लिखा गया था कि बाढ़ शुरू होने से पहले जिलाधिकारियों की एक बैठक हुई और बाढ़ की स्थिति पर विचार-विमर्श हुआ । बलिया जनपद को गंगा और घाघरा जोरों से काट रही हैं किन्तु जिला प्रशासन ने ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि नदियों के कटान को रोका जा सके । आज सिंचाई विभाग के बहुत से माननीय अधिकारी यहां पर मौजूद हैं । एक तरफ जहां पूरा जनपद बाढ़ से प्रभावित है दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के अधिकारी लूटखसोट में लगे हुए हैं । एक सरदार जो सहायक अभियन्ता फर्जी चेक काट रहे हैं और झूरीराम, अवर अभियन्ता पत्थर की नपाई में हजारों रुपए का गोलमाल कर रहे हैं । तुर्तीपार श्रीनगर बांध तक बाढ़ पहुंच गई थी । हम लोगों ने दौरा किया और श्रीनगर के पास आधा बांध टूट चुका था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चेतराम गंगवार--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य की ओर से दो तीन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के नाम लिये गये। मैं बराबर यह देखता रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी या संबंधित मंत्री जी उन अधिकारियों का नाम नोट करते रहते हैं और फिर उनके सम्बन्ध में इंक्वायरी करते हैं। मैंने कलम से इशारा भी किया लेकिन न सिंचाई मंत्री जी ने और न राजस्व मंत्री जी ने उन अधिकारियों का नाम नोट किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

बाढ़ पर बहस हो रही है और राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, राजस्व विभाग के अधिकारी भी बैठे हैं। सिंचाई वाले भी होते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य कलम से इशारा नहीं कर सकते और इस तरह वह संसदीय प्रथा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बच्चा पाठक--

हमारे जनपद में वशिष्ठनगर, जो घाघरा नदी की कटान से कटा है, वहां के लोग पानी से घिरे हैं और वहां एक श्रीमती चौधरी का बच्चा, जो उनके पास सोया हुआ था बगल में, बह गया और उसका पता तक नहीं चल पाया। पूरे प्रदेश में यह हालत है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। नावों का कोई प्रबन्ध वहां नहीं है। सुरहा ताल की नावें वहां पहुंचाई गईं। वशिष्ठनगर तथा गोपालनगर के लोग पानी से परेशान हैं। जनता पार्टी लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नाम पर बनी, जिन्होंने समग्र क्रान्ति का नारा दिया लेकिन उनके नाम पर जो जय प्रकाश नारायण नगर है, वह चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

जो व्यक्ति नहीं है सदन में, उसका नाम आप न लें।

श्री बच्चा पाठक--

मैंने जय प्रकाश नारायण नगर का नाम लिया है जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है और सरकार की ओर से वहां कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और उस नगर को बचाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जहां लोग बाढ़ से परेशान हैं वहां जलप्लावन से भी परेशान नहीं हैं। कोलनाला तथा पर्वतपुर रेगुलेटर से डुमरिया, खानपुर, अचलगढ़, चौबे छपरा आदि कई गांव प्रभावित हैं, जलप्लावन के कारण पूरा नगर परेशान है। जहां एक तरफ वे परेशान हैं वहीं दूसरी ओर आपके कोआपरेटिव के लोग सरकारी वसूली कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य दैवी आपदाओं में वसूली स्थगित की गई है उसी तरह से कोआपरेटिव की वसूली भी स्थगित कर दी जाय और

जलप्लावन एवं बाढ़ से पीड़ित जो क्षेत्र हैं और जहां ५० प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है वहां की वसूली माफ कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री बच्चा पाठक--

इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन बातों के ऊपर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है उन्हें पूरा करने के बारे में आप विचार करेंगे ।

(श्री लक्खी सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री मनेश्वर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं देख रहा हूं कि बार-बार खड़े होने के बावजूद भी मुझे बोलने का समय नहीं दिया गया । मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मुझे आज ही बलिया पहुंचना है । वहां भयंकर बाढ़ आई हुई है । लेकिन आपने समय बोलने के लिए नहीं दिया, इसके लिए धन्यवाद । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री, माननीय राजस्व मंत्री और माननीय सिंचाई मंत्री जी बलिया की भी खबर लेंगे ताकि वहां आगे कोई क्षति न होने पावे ।

*श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के बाढ़ के प्रकोप की सच्ची बात कही है । मैं यह नहीं कहता लेकिन माननीय ऊदल जी हैं, तिवारी जी हैं, रियासत हुसैन जी हैं--लाल टोपी धारी हैं--इन्होंने ३० साल में प्रदेश का सत्यानाश किया है । अगर ये बाढ़ का स्थायी प्रबन्ध करा देते तो आज प्रदेश की यह हालत न होती । श्रीमन्, बाढ़ सब जगह आई है--बुंदेलखन्ड में आई है, पहाड़ में आई है, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में आई है, सारे पूर्वी जिले बाढ़ से घिरे हुये हैं लेकिन मेरी बस्ती का कोई नाम ही नहीं ले रहा है । मथुरा में २० साल से बाढ़ आ रही है और लगातार आ रही है। वहां दो प्रकार की बाढ़ आती है--एक जमुना की बाढ़ और दूसरी राजस्थान और हरियाणा से जो पानी आता है, उसकी बाढ़ ।

श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी कभी-कभी पृथ्वीराज की नींद सो जाया करते हैं । कुंभकरण की नींद में सो जाया करते हैं । यह जरूर बात है कि सिंचाई मंत्री श्री बलबीर सिंह जी ने मथुरा में बाढ़ का इंतजाम अबकी साल में किया है । लेकिन जो २० साल का रोग है, जो ऊदल का रोग है, जो तिवारी का रोग है, जो इंदिरा की बीमारी है वह बलबीर सिंह एक साल डेढ़ साल में कैसे खतम कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने जिले की बाढ़ के बारे में भी बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लक्खी सिंह--

श्रीमन्, और क्या कह रहा हूं बाढ़ बाढ़ बाढ़। बाढ़ के साथ गर्की होती है जिसे पूर्वी जिलों के माननीय सदस्य नहीं जानते हैं। गर्की वह है जो जमीन से पानी उबलने लगता है, जमीन में से पानी बाहर आने लगता है। जो बीस गज नीचे पानी होता है वह आजकल बाहर निकलने लगता है और फसल को नष्ट कर देता है। तो मथुरा में गर्की आ गई है।

मैं तीन चार सुझाव देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी सुनें। उनके पुर्खा कृष्ण जी ने गिरिराज को उठाया था और उससे मथुरा की रक्षा की थी तो वह राम नरेश के पुरखा थे। इसीलिए वह भी ऐसा काम करें जिससे पूरे प्रदेश की रक्षा हो।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर राजस्व मन्त्री जी हैं। वैसे वह एक हीरा आदमी हैं। यहां पर वित्त मंत्री जी हैं श्री विधे यह उसके काबिल नहीं हैं। यह एक सौ रुपये मकान बनाने के लिए देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए १०० रुपये में एक हजार ईंट भी नहीं आती है, छप्पर का फूस भी नहीं आता है। तो इनके विभाग का दिवाला निकल गया है। चाहे वह राजस्व मन्त्री जी हों, चाहे वित्त मन्त्री हों चाहे राम नरेश मन्त्री हों। इनके विभाग का दिवाला निकल गया है। किसानों की बात करते हैं। चलो गांव की ओर का नारा देते हैं।

मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मथुरा की ओर अतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया गया १५ सितम्बर तक प्रबन्ध नहीं किया गया तो मेरा अनशन राजस्व मंत्री और राम नरेश मंत्री की कोठी पर होगा। इन शब्दों के साथ में सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मथुरा पहुंचो और देखो कि वहां कैसी तबाही मची हुई है। वहां जनता मर चुकी है, २० साल से तबाह होती आई है। आज वहां खाने को अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अब समाप्त करें।

श्री लक्खी सिंह—

अगर वहां कोई भी लगान की वसूली, मालगुजारी की वसूली, आवपासी की वसूली, बैंक के कर्जे की वसूली की गई तो राजस्व मन्त्री जी समझ लें कि मेरा नाम लक्खी सिंह नहीं, मैं न उनको बख्शूंगा और न रामनरेश को बख्शूंगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि अभी और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री मुफ्ती जलील अहमद (जिला बिजनौर)--

मान्यवर, मैं बिजनौर जिले के बारे में बाढ़ के सिलसिले में सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिला बिजनौर ऐसा जिला है जहां पर सैलाब के कारण तबाही आई हुई है। बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि २-२ नदियों राम गंगा और खो नदी इन दो नदियों के मिलने और दोनों के बहाव से उसके किनारे के गांव बुरी तरह से प्रभावित है। अफसोस की बात है कि बढ़ापुर में पहाड़ी नदी जिसमें कि बाढ़ चल रही है वहां पर दो आदमियों के मरने की खबर है और मवेशियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ हैं। इन नदियों के किनारे के गांवों के मकानात गिर गये हैं। कल ही मैं वहां से आया हूं लोगों को बाढ़ से बड़ी परेशानी है। कुआं खेड़ा में २ आदमी बहाव में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।

जब सिंचाई मन्त्री जी इस जिले में पहुंचे थे तो मैंने बाढ़ के कारण तबाही के बारे में उनका ध्यान दिलाया था। इस तबाही के सिलसिले में ५०० मकान गिर चुके हैं। यह सैलाब जब से आया है तब से अनेक गांव कट चुके हैं। यहां पर फौरन तवज्जह देने की जरूरत है। शौर कोट के पास हालात ऐसे हैं कि पुल और सड़क कट चुके है। लोग बड़े मुश्किलात से गुजर कर रहे हैं। वहां के जो इंजीनियर हैं वहां कश्ती देने से इंकार कर दिया। मुश्किल से वहां से तकरीबन ५०० लोगों को निकाला जा सका। इन तमाम हालात को देखते हुए इस जिले में एक भी कश्ती मौजूद नहीं है जिससे कि अधिकारी सैलाब के दिनों में लोगों की सहायता कर सके, मदद कर सके। सरकार को इस ओर तवज्जह देना चाहिए।

इस जिले में कश्तियों की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है जिससे कि खो नदी और कालागढ़ बैराज के पास की नदियों से आदमियों को निकाल कर उनकी रक्षा की जा सके। इसके लिए मुझे बड़ा अफसोस है कि इस जिले में कश्तियां बिल्कुल नहीं हैं। इस तरह के हालात चल रहे हैं कि वहां पर कश्तियों की सख्त जरूरत है उसे तुरन्त मुहैया कराया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि कालागढ़ डैम जो कि प्रदेश का बहुत बड़ा डैम है उसमें से पानी एक साथ छोड़ दिया जाता है जिससे तमाम गांवों में बहाव के कारण तबाही की स्थिति पैदा हो जाती है। इन हालात में मैं सरकार को तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पूरा पानी एक ही बार न छोड़ा जाय उसको थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ा जाय जिससे यह तबाही पैदा न हो। सबसे पहले सरकार को इन गावों की मदद करने के बारे में तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो लोग बाढ़ से मरे हैं उनके घर वालों को भारी इमदाद की जाय। वहां पर खासतौर से कश्तियों की व्यवस्था कराने की ओर सरकार को तवज्जह दिलाना चाहता हूं। गावों में कश्तियों का इन्तजाम होना चाहिए। यहां पर मुसलसल रूप से कश्ती लाजमी है। इन चन्द शब्दों के साथ में अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)---

माननीय सदस्यों ने अपने-अपने जनपदों में बाढ़ की स्थिति के बारे में सदन के सामने अपने-अपने पक्ष रखे। माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण में, उनके वक्तव्य में इटावा जनपद के संदर्भ में कुछ भी नहीं आया। मैं सोचता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के भाषण में इटावा जनपद का नाम जरूर आयेगा लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि इटावा का नाम कहीं नहीं था। शायद मुख्य मन्त्री जी को लगता है कि इटावा जिले में कोई नदी नहीं है।

मैं विनम्रता से निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैं कोई झूठी बात नहीं कहता एक सच्चाई की बात करता हूं कि अन्य माननीय सदस्य जो कि विभिन्न जिलों से आये हैं उनके जिलों में केवल १/१ २-२ नदियां हैं किन्तु मेरे इटावा जनपद में २-२, ३-३, ४-४ नदियां नहीं बल्कि ५ नदियां एक साथ मिलती है। यमुना, चम्बल, क्वारी, सेन्ध, पहूंज ये नदियां इटावा जिले में मिलती है और चारों ओर तबाही मचा देती है। आप तो मान्यवर, गये नहीं। बड़ी कृपा होती यदि आप वहां पर जाकर देखे होते तो मान्यवर, आपको मालूम होता कि कितना बड़ा इलाका इटावा जनपद का बरबाद हो गया है। जिले के पूर्व के तरफ के सारे

(इस समय ६ बज कर २० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

के सारे गांव नष्ट होते जा रहे हैं और आज जैसा निवेदन किया गया है आगरा और मथुरा की बाढ़ इटावा जिले में शीघ्र ही आ जाएगी, उसके उपाय अभी से होने चाहिए ।

वहां ६ और नदियां हैं--चिरसा, सेंगर, अहाइया, पुरा, अरेन्द व पांडव, वे भी उफनाती हुई चली आ रही हैं । सगर जो एक छोटी नदी है, वह जब उफन लेती है तो पूरे आस पास के इलाके को जलमग्न कर देती है और गुवरी से लेकर जुआ, मुड़ैना, फूटा ताल, अजवापुर, गल्लापुर, जसोरी गढ़िया, मदन सिंह का पुरवा, सतांहरी, ब्योंरा, नवलपुर, ऊंचा और पड़रिया का पूरा क्षेत्र एकदम से जलमग्न हो जाता है । उस क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या किया है ?

सम्बन्धित जनपद के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, तो मालूम हुआ कि वहां आपके स्पष्ट आदेश नहीं पहुंचे हैं कि ९ से १२ तक जो बाढ़ आयेगी और उससे जो भीषण काण्ड होगा उसके लिए आप और आपके अधिकारी कितने तैयार और चिन्तित हैं । मुझे तो कम से कम इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, कल तक तो नहीं मिली है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात हुई तो मालूम हुआ कि हम तैयारी कर रहे हैं । मुझे भय है कि इटावा जिला भी आपकी सावधानी से जालौन मथुरा और हमीरपुर की तरह तबाह न हो जाए। इस बाढ़ को रोकने के लिए विशेष गम्भीरता से विचार करना होगा ।

सिंचाई मन्त्री का ध्यान मैंने आकर्षित किया था, हिन्दुस्तान में केवल एक यही स्थान है जहां ५ नदियां मिलती हैं, उस पानी का वह पूरा-पूरा सदुपयोग करें । फतेहपुर में हुई कैबिनेट सब कमेटी ने पंचनद बांध बनाए जाने के बारे में सिद्धांततः निर्णय लिया था । यह स्कीम पूरी हो जाय तो वह हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी । उसकी यह विशेषता होगी कि पटना (बिहार) की बाढ़ रोकने में भी आप सफल होंगे । इसमें से दो फीडर कैनाल्स निकलेगी, जिसमें से एक पानी लेकर बुन्देलखंड क्षेत्र में सिंचाई करती हुई माताटीला में पानी डाल देगी । दूसरी फीडर कैनाल, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि बहुत सारे जिलों को पानी देकर असिंचित क्षेत्र को सींच कर हरा भरा बना देगी । लेकिन वह प्रोजक्ट किस हालत में, किस स्टेज पर है मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं । सिंचाई मन्त्री जी ने उसकी रिपोर्ट मंगाई है या नहीं ? मैं सिंचाई मन्त्री व सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह उस बांध के निर्माण पर पूरा ध्यान देकर प्रदेश के एक बड़े हिस्से से बाढ़ की विभीषिका समाप्त करने में सहायक हों । यह हमारा अपने प्रदेश, देश और बिहार प्रदेश के लिए एक बड़ा प्रभावकारी कदम होगा ।

राहत कार्य भी वहां हमारे यहां कोई शुरू नहीं हुआ है । जब दो चार दिन बाद वहां पर बाढ़ विकराल रूप धारण करेगी, यह सदन सत्र में नहीं होगा । अतः चूंकि मुख्य मन्त्री जी का सम्बन्ध बृज से जोड़ा गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वह कृपया 'ऊद्धव-शतक' की इन लाइन को याद कर लें, जो कवि रत्नाकर ने लिखी है ।

"जोगन की, भोगन की, विकल वियोगन की,
जग में न जागती, जमाते रह जायेंगी,
कहते रत्नाकर न सुख के रहे जो दिन,
तो यह दुःख द्वन्द की न रातें रह जाएंगी,

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट---]

प्रेम नेम छोड़, ज्ञान क्षेम जो बतावत हौ,
अरे भीत ही नहीं, तो क्या छातें रह जाएंगी, घातें रह जाएंगी,
न कान्ह की कृपा तो इतो उधौ बस कहिबे की बातें रह जाएंगी।"

तो आप वक्त को समझिये, वक्त की नजाकत को समझिये, नहीं तो कहना पड़ता है--

"वक्त को जिसने नहीं समझा, उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से, तो फूल से कटना पड़ा है।
चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कठिन हो,
हर नदी ही राह से चट्टान को हटना पड़ा है।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, जब माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन के सामने वक्तव्य दे रहे थे तो मैं समझ रहा था कि वह कुछ ऐसी बात कहेंगे जो १५ दिन पहले जो वक्तव्य उन्होंने दिया था उसमें उनके राजस्व मन्त्री जी की जो गणना थी, उन्होंने बताया था कि ढाई सौ करोड़ का नुकसान हुआ, मैं समझता था कि अब की नुकसान की भी गणना शामिल करेंगे और कल तक जो नुकसान हुआ उसका अनुमान लगाकर कम से कम हजार करोड़ या पांच सौ करोड़, कुछ आंकड़े देंगे। लेकिन वही ढाई तीन सौ करोड़ जो राजस्व मन्त्री ने १५ दिन पहले कही थी, माननीय मुख्य मन्त्री ने दोहराया। वही १५ करोड़ जो केन्द्र से मिला वही आज कहा गया। हमें दुःख इस बात का है कि माननीय प्रधान मन्त्री जी आज यहां आये, आप देखें कि दिल्ली की आबादी एक करोड़ से कम है उ को प्रधान मन्त्री कोष से, जो सूचना रेडियो के जरिये, अखबारों के जरिये मिली, पांच लाख रुपया मिला और हमारे प्रान्त को, जिसकी दस करोड़ की आबादी है, केवल चार पांच लाख मिला। यह कैसा न्याय है ? कम से कम आज जब माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रधान मन्त्री से विचार विमर्श करके आये हैं, तो कम से कम प्रधान मन्त्री कोष से २०-२५ लाख ले आते और यहां घोषित करते। कुछ ऐसा नहीं हुआ।

यह बात सही है, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया ५२ जिले करीब करीब हर जिला बाढ़ से प्रभावित है, उन्होंने बताया कि सौ वर्षों से ऐसी बाढ़ नहीं आयी। इसके लिए २५ करोड़ या ५० करोड़ रुपया क्या है ? आप कृपा करके भारत सरकार की सहायता की प्रतीक्षा न करें, कदापि न करें। आप बार-बार कहते हैं कि २५ और ५० करोड़ भारत सरकार से मांगते हैं। आप मांगते रहें। जितना मांगा है उससे ज्यादा मांगिए। हम आपके साथ हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में चाहे राजस्व मन्त्री हों, चाहे मुख्य मन्त्री हों या मन्त्री परिषद् हो, अगर कोई कोताही करता है तो सचमुच यह प्रान्त की बरबादी को बचा नहीं सकते।

हम उम्मीद करते थे जब माननीय मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे रहे थे कि वे योजनाओं के सम्बन्ध में, तमाम उन नदियों के सम्बन्ध में तमाम उन शहरों के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। लेकिन असाधारण स्थिति के समय में साधारण वक्तव्य दे गये। उन्होंने इन योजनाओं के बारे में, उन नदियों और शहरों के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अखबारों को देखा जाय तो एक ध्वनि निकलती है, जो मेरी समझ में ठीक नहीं है, कि केवल वर्षा की वजह से ऐसा हो रहा है । यह बात गलत है । सही है कि वर्षा का समय है । लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि हरियाणा और पंजाब में धांसा बांध टूटा है, उसकी रेगुलेट करने में जमुना में इतना पानी बहा है । गंगा में उसकी तुलना में कम पानी आया है । आप देखिये कानपुर में तुलनात्मक लीजिये तो गंगा में पानी कम है । लेकिन इलाहाबाद में जहां गंगा और यमुना दोनों मिलती है वहां पर दुर्दशा है । मिर्जापुर और बनारस को देखिये, बलिया को देखिये, दुर्दशा है क्योंकि गंगा यमुना जहां मिल गयी पानी की धारा पर धारा चल रही है ।

मिर्जापुर अकेले की दशा बताऊं चुनार, मझवा ब्लाक्स में हजारों गांव पानी से डूबे हुए हैं । ज्ञानपुर ब्लाक, भदोही तहसील पानी से जलमग्न हैं । माननीय सदस्य अभी बोलेंगे । काशी विद्यापीठ, रामनगर के पास और चन्दोली के पास हजारों गांव जलमग्न हैं और शहरों की हालत मिर्जापुर, वाराणसी और इलाहाबाद की स्थिति बड़ी ही दयनीय है । उसका मुख्य कारण वर्षा नहीं है । उसका मुख्य कारण यह है कि इस सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने इस बांध की ओर ध्यान नहीं दिया ।

रेडियो में हम सुनते हैं कि ५ लाख क्यूसेक पानी निकल रहा है । इतना पानी बहुत होता है । मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि अगर बांध टूट जाता तो ५० लाख क्यूसेक पानी निकलता, लेकिन उन्होंने रोके रखा और बांध टूट जाने पर जो स्थिति होती वह क्या होती, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सही स्थिति को जनता के सामने क्यों नहीं आने दिया जाता ? धांसा बांध को ठीक से कन्ट्रोल में नहीं रखा गया ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । मैंने राजस्व मन्त्री जी को एक पत्र लिखा था और उस पत्र का, जैसा कि इस सरकार का तरीका है अन्तरिम उत्तर आ गया लेकिन अंतिम उत्तर आया ही नहीं । मैंने लिखा था पारसाल जब जनता सरकार आयी नहीं थी और कांग्रेस सरकार बिदा होने वाली थी, गवर्नर का शासन था । उस समय हमारी तहसील में ४ लाख ६५ हजार रुपया बटा, किस लिए डाउट प्रोग्राम में, लेकिन किसके द्वारा बटा तहसीलदार और नायब तहसील-दार और कानूनगो के द्वारा । मैंने पूछा कि लिस्ट दे दी जाय तो स्थिति का पता चले । मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा तो नहीं स्थिति की जांच कर ली जाय, पता चल जायेगा । मैंने जांच की है । नायब तहसीलदार और कानूनगो ने सब पैसा रख लिया । अर्जी पर दस्तखत करके रुपया ले लिया । अगर कहीं पर इस प्रकार का दुरूपयोग होता है तो दुःख होता है।

हमारे विधायक चाहे वह किसी दल के हों, चाहे विरोधी दल के हों चाहे सरकार की ओर के हों सभी को इसकी जानकारी रहनी चाहिए और जिस तरह से कलेक्टर की जिम्मेदारी है उसी प्रकार विधायकों की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए वह चीज आपको करनी चाहिए । जनता पार्टी के लोग बतावें कि क्या यह हुआ है । कहा गया कि युद्ध स्तर पर काम होगा लेकिन वह हुआ नहीं है । इतने मन्त्री अगर एक-एक मन्त्री हर जिले में जायें तो बहुत काम ठीक प्रकार से हो सकता है लेकिन यह अवश्य है कि वह जाये तो वहां पर अवरोध न उत्पन्न करें । राजस्व मन्त्री जी जायं और वह हमारी बात ही न सुनें मैं उनका नाम इस लिए ले रहा हूं कि वह यहां पर बैठे हैं मैं उनकी अवमानना के लिए नहीं कह रहा

हूं । वह चूंकि यहां पर बैठे हैं इसलिए कह रहा हूं । तो इन चीजों में बहुत सुधार हो सकता है और इन चीजों का उपयोग कर सही मायनों में होगा तभी यह २५ करोड़ और १०० करोड़ रुपये का उपयोग सही मायनों के होगा । वरना जितने मशीनरी है उस सबका दुरुपयोग हो जायगा और खराब हो जायगी ।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुछ काम होने वाला नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है । जितनी सड़कें हैं, जो कच्ची थीं तो मिट्टी बह गयी और जो पक्की थी वह कच्ची होती जा रही है तो मेहरबानी करके आप पता लगावे । लाल बत्ती हो गयी है नहीं तो अपने यहां की एक-एक बात आपको बताता । आपको तो श्रीमन्, फुर्सत नहीं है । मुख्य मन्त्री जी चलें और चल कर देखें । मन्त्री जी चल कर देखें । एक मन्त्री जी हमारे पड़ोस के हैं वे चल कर देखें जो पक्की सड़कें हैं वे कच्ची होती जा रहीं है। उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है । इनकी बनाई हुई तमाम सड़कें कच्ची हो जायेंगी । तो श्रीमन्, इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि और आप को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का पूरा सहयोग आप के लिए है और जिस तरह से चाहें, हम लोग आपको प्राप्त हैं । अपना सहयोग देने के लिए हर तरह से तत्पर हैं ।

*श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्य मन्त्री जी के और नेता विरोधी दल की बातें सुनने का मौका इस सदन में मिला । मुझे ऐसा लगा कि जिस प्रकार की आपत्ति बाढ़ की है उसकी गम्भीरता का आकलन नहीं हो सकता । इस लिए कि नेता विरोधी दल ने इस आपदा को राजनैतिक रूप देने का ही अपने वक्तव्य में प्रयास किया है ।

श्रीमन्, इस बाढ़ की समस्या के निराकरण के स्थायी और अस्थायी हल हैं। ३० वर्ष में कांग्रेसी शासन काल में जो स्थायी हल थे उनके लिए कुछ नहीं किया गया । केवल अस्थायी हल हुए। उसका नतीजा यह हुआ है कि मुफतखोरी बढ़ी है । मुझे आश्चर्य हुआ, श्रीमन्, मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था अच्छे-अच्छे धनी लोग १० किलो गेहूं जो कि मुफ्त में बांटा जा रहा था, लेने के लिए लाइन में लगे खड़े थे । ३० वर्ष की योजना का प्रतिफल जनता को यह मिला कि लोग मुफतखोर हो गये हैं । ५ वर्ष पूर्व की एक घटना है जब मैं अपने गांव में था कि लोग मुफ्त का अनाज लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे । लेकिन आप देखें ५ वर्ष के अन्दर इस प्रकार की मुफतखोरी बढ़ गयी है । श्रीमन्, पहले पश्चिमी जिलों के लोग कहते थे कि पूरब वाले भिखमंगे हैं परन्तु आज सभी जगह यह हाल है ।

बाढ़ एक गम्भीर समस्या है । अगर राष्ट्रीय स्तर पर निराकरण करने के लिए प्रयत्न नहीं किया गया तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या पश्चिम, क्या पहाड़ और क्या पूरब सारा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जायेगा ।

श्रीमन्, कहा जा रहा है कि नदियां रेत से भरती जा रही है । वे उथली होती जा रही है । नदियों को नीचा करने के लिए मशीनें पहले हमारे पास नहीं थीं, विदेश से मांगनी पड़ती थीं । आज मशीनें उपलब्ध होते हुए भी इस तरफ कोई प्रगति नहीं हो रही है । पहाड़ से नदियां आती हैं । उनका वेग बहुत अधिक होता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी--]

है। दक्षिण में समुद्र है। ऊपर पहाड़ है। पहाड़ से पानी आकर समुद्र में मिलने के लिये तीव्र वेग से बहता है। जितनी वर्षा होती है वह भी समुद्र में मिलने के लिए नदियों और नालों के सहारे बहती है। हम उस पानी के वेग को किस प्रकार कम कर सकते हैं इस तरफ तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बाढ़ के निराकरण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। टेक्नीकल समिति बना दी, लेकिन वह क्या काम करती है। आपके इन्जीनियर्स इस बात को सोचते हैं कि किस योजना में उनको लाभ होगा, किसमें ज्यादा कमीशन मिलेगा। कभी कहते हैं कि ठोकर बनायेंगे, कभी कहते हैं कि बोल्डर्स बनाए जायेंगे, लेकिन वे कब गिराये जाते हैं, जब बाढ़ आ जाती है। साल भर तो बैठे रहते हैं। १८ लाख रुपया खर्च किया गया, लेकिन उससे आधा भी काम नहीं हुआ। उसको वहां के इन्जीनियर और ओवरसियर खा गए। अगर कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो मझवा गांव ही साफ हो जायगा।

यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जो ठेकेदार था, उसे कम रेट पर काम दिया गया। उसे वह काम ३० जून तक समाप्त करना था। जब देखा कि उसने काम पूरा नहीं किया तो उसका रेट और बढ़ा दिया गया। जिस ठेकेदार ने समय से कार्य पूरा नहीं किया, उसका ही और पैसा बढ़ा दिया गया, वहां के जो इन्जीनियर्स या ओवरसियर आदि हैं, वे खूब लूट कर रहे हैं। अब तो इन लोगों को मुअत्तिल करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि दुनिया भर की फार्मेलिटी करनी होती है।

माना कि आप पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, जिसके द्वारा स्थायी हल होगा, लेकिन जो सहायता आप दे रहे हैं, उसकी गति इतनी धीमी है कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी नौकरशाही गांवों में जाती ही नहीं है। पता नहीं वे जनता पार्टी के साथ कदम मिलाने के लिये क्यों तैयार नहीं हैं। इसलिए उनके ऊपर अगर आप चाबुक और कोड़ा रखेंगे तब आप इन समस्याओं का मुकाबला कर पायेंगे।

मान्यवर, बलिया में माननीय जय प्रकाश जी के निवास स्थान के समीप शिवपुर, हल्दी आदि ५-६ गांव हैं जो हमेशा बह जाते हैं। उनको जब आप डूबने से बचायेंगे तभी आप बलिया का कल्याण हो सकता है। जितनी भी नदियों का आप नाम लेते हैं, वे बलिया जिले में ही विश्राम करती हैं, जिससे बलिया तबाह हो जाता है।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

मैं कार्य मंत्रणा समिति ने जो फैसला किया है, उसे आपके सामने रख रहा हूं। कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी आज की बैठक में अपनी ३१ अगस्त, १९७८ की बैठक में की गई संस्तुतियों में परिष्कार करते हुये यह संस्तुति की है कि आज अपरान्ह ४ बजे के बाद बाढ़ की स्थिति पर चर्चा, जब तक यह चर्चा समाप्त न हो जाय, तब तब चले। तो आज बाढ़ पर ४ बजे से चर्चा चल रही है। कल के कार्यक्रम में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा चीनी मिलों के बन्द होने से किसानों का गन्ना खेतों में खड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर २ घंटे की चर्चा। दूसरे बढ़े हुए लगान तथा भूमि

विकास कर के सम्बन्ध में श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर २ घंटे की चर्चा । कृषि उत्पादन मन्डी समिति में १५० नयी वस्तुओं को लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर २ घंटे की चर्चा और ताड़ी पर रोक के सम्बन्ध में श्री भीषम द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना पर १ १/२ घंटे की चर्चा।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिनि द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, से सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर काशी में कनौडिया गाड़ में भू-स्खलन से एक नयी झील बन जाने से उत्तर प्रदेश को खतरा एवं प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (क्रमागत)

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश आज भयंकर बाढ़ की चपेट में है और सभी जगह बाढ़ आई हुई है । पहले अगस्त में यह बाढ़ आयी थी और यहां उस पर चर्चा हुई थी । हमारे यहां की चायल तहसील, इलाहाबाद में दो नदियों से घिरी हुई है और वह पूरी तहसील बाढ़ से प्रभावित है । जो रिपोर्ट इलाहाबाद से हमारे अधिकारियों के द्वारा आयी है, उसमें सही स्थिति नहीं बताई गई है । द्वाबा में दो बरसाती नदी और हैं जोकि बरसात में समुद्र के रूप में होती हैं तथा बरसात बाद मरी नागिन की तरह हो जाती है । एक ससुर खदेरी व दूसरी किलनाही नदी, परन्तु इसका नाम ही जिले से नहीं भेजा गया है । क्या कारण है कि सही रिपोर्ट नहीं आयी है ? एक ओर गंगापार और जमुना पार के इलाकों के बारे में, वहां के प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा, सही रिपोर्ट को बढ़ा-चढ़ा कर भेजा गया है, वहीं दूसरी ओर द्वाबा की स्थिति को बहुत कम करके बताया गया है ।

इलाहाबाद में गंगा और जमुना दोनों में बाढ़ आयी हुई है । गंगापार और जमुनापार में ही कुछ राहत के कार्य हो रहे हैं, द्वाबा क्षेत्रों में कुछ कार्य नहीं हो रहा है । जमुनापार और गंगापार के दो राज्य मन्त्री तथा एक मन्त्री रहने वाले हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इलाहाबाद की स्थिति से माननीय मुख्य मन्त्री को अवगत करायें । गंगा और जमुना की बाढ़ का पानी जब दूसरे जिलों में तबाही मचा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद की क्या हालत होगी।

कल ५ बज इलाहाबाद में गऊघाट पर बने बांध के ऊपर पानी आ गया था । मुट्ठीगंज में नाव चल रही थी । दारागंज में जो पक्का बांध है, उसमें से जिलाधिकारी ने सूचना दी है कि पानी रिस रहा है । मुख्य सचिव ने वायरलेस से सुना है आदेश

[कन्हैया लाल सोनकर]

भेजा है कि जिलाधिकारी हर तरह से उसे बचाये । मगर उसकी रक्षा के लिए अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इलाहाबाद का अकबरी बांध टूट गया तो इलाहाबाद को किसी भी प्रकार से बचाया नहीं जा सकेगा । जिस तरह से ३० वर्षों तक कांग्रेस की सरकार वहां की जनता की मांग को ठुकराती रही, तो क्या यह सरकार भी इलाहाबाद की रक्षा करने के लिए विचार न करेगी, जब इलाहाबाद का बक्शी बांध टूट जायेगा तो आप किसी भी सूरत से इलाहाबाद की रक्षा नहीं कर सकेंगे । उस बांध के ऊपर नगर महापालिका के द्वारा कूड़ा फेंका जा रहा है, जिसको जिलाधिकारी ने एतराज किया कि कूड़े से चूहे पैदा होंगे और चूहे बांध को खोखला कर देंगे । नगर महापालिका वालों ने उस बात को नहीं माना और वह बांध खोखला हो गया और रिसने लगा, परन्तु इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंगी ।

मान्यवर, कुछ सुझाव मेरा है । मैं पिछली बार भी नहीं बोल पाया । मान्यवर, मेरा सुझाव माननीय मुख्य मन्त्री से है । गंगा और जमुना के अकबरी बांध को ऊंचा करके दक्षिणी और पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र को ऊंचा करके इलाहाबाद की रक्षा की जा सकती है । हर साल जो वहां बराबर १० वर्ष, २० वर्ष से बाढ़ की समस्या उपस्थित हो जाती है, अगर उसको ऊंचा कर दिया जायगा, तो कम से कम इलाहाबाद शहर नहीं डूबेगा । फाफामऊ के गंगा पुल से द्रोपदी घाट तक एक नया बांध केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार मिल कर बनाने की कोशिश करे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से अकबरी बांध इलाहाबाद की रक्षा करता है, यह भी बांध इलाहाबाद नगर की रक्षा करेगा ।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से गंगापार और यमुनापार में राहत कार्य हो रहा है, उसी प्रकार द्वाबा की तहसील चायल के ग्रामों में राहत कार्य तुरन्त करने के लिए आदेश वायरलेस द्वारा दिया जाय । वहां पर राहत पहुंचाई जाय । कुरई गांव बह रहा है, उसे बचाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है । इस क्षेत्र के लगभग ३० गांवों को बचाने के लिए घाघा नाला उजहनी से वसेहड़ी तक बांध बनाया जाय । इलाहाबाद के अकबरी बांध को तत्काल बचाया जाय । इलाहाबाद एक एतिहासिक नगर है, राजनैतिक क्षेत्र में और पुरातत्व के रूप में भी और धार्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण नगर है । वहां पर मुख्य मन्त्री जी अपनी टीम को भेजें या स्वयं जाकर वहां पर देख कर व्यवस्था कर और जानवरों के लिए निःशुल्क भूसा चारे का तुरन्त प्रबन्ध करें । दारागंज, मोरीगेट व चाचरताले पर पानी फेंकने का पम्प और बड़ा लगाया जाय । आलमचन्द के कछारी इलाके में राहत कार्य न पहुंचाने से जनता में बहुत परेशानी है तथा जमुना के करीब के गांव जैसे करैलाबाग, बक्सीमोढ़ा, सेवढ़ा केवटपुरवा, अवधन, मैनपुर, फुलवा, कटैया, मलहो पुरवा, नन्दा का पुरा इत्यादि गांवों की जमुना की बाढ़ से रक्षा की जाय ।

(श्री राम दत्त जोशी के पुकारे जाने पर ।)

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप धैर्य रखें ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, शासन पक्ष के लोग कमरों में जाते हैं, मान्यवर, बरेली का एक व्यक्ति भी नहीं बोला है ।

श्री अध्यक्ष--

आपके पक्ष के ३ व्यक्ति कांग्रेस (आई०) के बोल चुके हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आपने पहले भी समय नहीं दिया । अब मान्यवर, बरेली में कल ही मुख्य मन्त्री जी हो कर आये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी पार्टी की तरफ से ३ व्यक्ति बोल चुके हैं ।

श्री चेतराम गंगवार--

यह तो मान्यवर, पार्टी सम्बन्धी बात तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, आपने मुझे नहीं बोलने दिया, मैं कई बार खड़ा हुआ ।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आज प्रदेश की इस बाढ़ की विभीषिका पर बहुत बड़ी चर्चा यहां पर हो रही है । और विपक्ष से बोलने वाले अन्य वक्ताओं की बातें मैंने सुनी । श्री नारायण दत्त तिवारी जी को भी मैंने सुना । मुख्य मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि ५७ जिलों में से ५२ जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं । लेकिन उधर के लोग यह चाहते थे कि मुख्य मन्त्री जी प्रत्येक जिले का अलग-अलग विवरण दें । अगर यह व्यवहारिक रूप में किया जाता तो मैं समझता हूं कि जितना समय पूरे सदन को दिया है, उतना समय मुख्य मन्त्री जी को जिलेवार विवरण देने में लग जाता । इसलिए व्यवहारिक रूप से वह सम्भव नहीं था । संक्षेप में उन्होंने बतला दिया कि पूरा प्रदेश बाढ़ की चपेट में है और यह समस्या दलगत समस्या नहीं है, राजनीतिक समस्या नहीं है, बल्कि सारे प्रदेश की समस्या है । इसको हमें उस प्रकार से लेना चाहिए, जैसे देश पर विदेशी हमला होता है, उस समय सारी जनता सामाजिक संस्थायें, राजनीतिक दल एक राष्ट्र के रूप में खड़े हो जाते हैं, उसका मुकाबला करने के लिये । ऐसे दृष्टिकोण से हमें आज इस विषय पर विचार करना चाहिये । माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा कि इधर के लोग हंस रहे हैं । नीरो बांसुरी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था । मैंने तिवारी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि आज इधर कोई हंस नहीं रहा है, हंस रहे हैं आपके कार्य कलापों पर । आप बोल रहे थे । इसलिये कि मतदाताओं को किस प्रकार से आकर्षित किया जाय । आप जनता के लिये नहीं बोल रहे थे, प्रेस के लिये बोल रहे थे कि अखबारों में छपने के लिये, पोलीटिकल एक्सप्लायटेशन के लिये बोल रहे थे ।

श्री अध्यक्ष--

आप उनको सम्बोधित न कीजिये ।

श्री राम दत्त जोशी--

बांसुरी तो आप बजा रहे थे, भूल गये हैं, क्या बंसी लाल .... ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप किसी सदस्य को सम्बोधित न कीजिये । आप अपनी बात कहें ।

श्री राम दत्त जोशी--

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, नीरो की बांसुरी बजाने वाली बात पालीटिकल उद्देश्य से कही है । वह भूल गये हैं कि ३० सालों के कांग्रेस शासन में और इमरजेन्सी में जब लोकतन्त्र की छाती पर बुलडोजर चलाये जा रहे थे, तब श्री नारायण दत्त तिवारी जी खुद नीरो की बांसुरी बजा रहे थे । संजय गांधी ऐश कर रहे थे और आप उनका यशोगान कर रहे थे जबकि लाखों लोग जेलों में पड़े थे । आज बाढ़ की स्थिति में जैसा मैंने निवेदन किया, यह आलोचना का विषय नहीं है । वैज्ञानिकों का मत है कि पिछले १०० वर्षों में कई सौ वर्षों के इतिहास में ऐसी प्रलयकारी बाढ़ प्रदेश में नहीं आयी । वैज्ञानिक कहते हैं कि इस साल वर्षा नहीं हुई, बल्कि बादलों का विस्फोट हुआ है । क्लाउड बर्स्ट हो रहा है । ८ घंटे में जितना पानी बरसना चाहिए, उतना पानी २ घंटे में बरस जाय तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे उसकी सुरक्षा का इंतजाम किया जा सकता है ? कुछ बाढ़ें पिछले समय में आयीं हैं, तिवारी जी ने और पिछले मुख्य मन्त्रियों ने क्या आकाश में ढक्कन लगाने का इंतजाम कर दिया था कि बाढ़ न आये ? जंगलों के काटने की बात कही गई कि जंगलों के काटने से भू-स्खलन हो रहा है । मैं आपको बतलाता हूं कि पहाड़ी जिलों में जहां घने जंगल हैं, वह सिंक कर गये हैं । रामनगर, नैनीताल जहां से मैं चुनकर आता हूं, वहां बाढ़ नदी से कम आयी है, बल्कि वह छोटे-छोटे नालों से ज्यादा आयी है, जिनमें कि गर्मी और जाड़ों में पानी नहीं रहता है । उसमें भी दो घंटे में इतना पानी बरसा कि जितना ८ घंटे में बरसता है । नानक सागर बांध पिछले बार टूटा और प्रलयकारी विनाश किया । इस बार भी बांधों के खुलने से बाढ़ ज्यादा आयी है । इस बार नहरों में भी बाढ़ आई है । नहरों का कन्ट्रोल ठीक से नहीं किया गया है । किस समय नहर को बन्द करना चाहिये और किस समय नहीं इसका ध्यान नहीं रखा गया ? इस बार मूसलाधार बारिस में भी नहर नहीं बन्द की गई, जिससे हमारे यहां घरों के अन्दर पानी भर गया और कई पशु मर गये । इस प्रकार नहरों से भी बाढ़ आयी है । लेकिन इस बार क्लाऊड बर्स्ट की बात हुई है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था और इसी कारण यह बड़ी दैवी आपदा आई है । मान्यवर, रामनगर से १५० फीट ऊंचाई पर एक मैदानी जंगल है, जिससे शहर में बाढ़ आई है । वहां कोई नदी नहीं थी, लेकिन फिर भी जंगलों और पेड़ों से होता हुआ पानी आया है ?

वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बादल विस्फोट हुआ, उससे पानी बरसा और शहर में पानी आया, जिससे घर नष्ट हुये । लेकिन जितनी अधिकारियों को सतर्कता बरतनी चाहिये थी, उतनी उन्होंने नहीं बरती, इसलिए उनको इस सम्बन्ध में सतर्क करना चाहिए ? हम लोगों का कर्त्तव्य है कि सारे भेदभाव को भुलाकर इस बाढ़ की समस्या को एक राष्ट्र के रूप में खड़े होकर मुकाबला करें और अपना-अपना सहयोग दें । तिवारी जी ने अपने सहयोग देने की बात नहीं कही, लेकिन

वह आलोचना की ही बात करते रहे ताकि वह राजनीतिक लाभ उठा सकें। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता हूं और न उनसे सहयोग की कल्पना ही कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक रुख अपनाया है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जाती थी।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक सूचना दे दूं कि मुख्य मन्त्री जी को अभी प्रतिरक्षा मन्त्री, श्री जगजीवन राम से आवश्यक परामर्श के लिए जाना है, इसलिये मैं चाहूंगा कि कि मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में सदन को और जो सूचना देना चाहते हैं, वह दे दें।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि यहां मैं जनता से चुनकर आया हूं और दूसरे जो यहां सदस्य बैठे हैं, वह भी जनता से चुनकर आये हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में भी बाढ़ आयी है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन आपने तय कर लिया है कि मुझको यहां बोलने नहीं देंगे। तो आपके मन में कैसे यह भावना व्याप्त हो गई है। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप यह समझते हैं कि आप ज्यादा महत्वपूर्ण हैं अन्य सदस्यों की अपेक्षा। अन्य सदस्य भी अपने-अपने क्षेत्र से चुनकर आये हैं। इसलिये आप बैठें।

(मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय मुख्य मंत्री जी बोलें तो बनारस के बारे में जरूर बोलें।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें सारे प्रदेश का ध्यान है।

*(मुख्य मंत्री) श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से हमारे सदस्यों ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने अपने विचारों को रखा और बाढ़ की विनाशलीला की चर्चा की उससे सभी लोग अवगत और परिचित हैं। चिन्तित भी हैं यह भी मैं मान रहा हूं। चिन्तित हो कर ही जब सदस्यों ने अपने विचारों को रखा। एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी कि जब जो लोग सत्ता पर हैं उन पर आरोप लगाया जाता है कि पहले से व्यवस्था नहीं की गयी थी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा चाहे तिवारी जी रहे हों अथवा और कोई माननीय सदस्य रहा हो कि तीस वर्षों के अन्दर अगर इस दिशा में कोई ठोस योजना बाढ़ से बचाव के लिए, पानी के निकास के लिए बनायी गयी होती, यद्यपि पिछले दिनों में भी बाढ़ आती रही है, कम आती रही है, कुछ जिलों में बरबादी और तबाही होती रही है, इसकी जानकारी रही है, उस दिशा में ठोस कदम उठाये गये होते तो आज जो यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव---]

स्थिति पूरे प्रदेश में है वह नहीं होती। बाढ़ से जो जनता त्रस्त है वह नहीं होती। एक बात जरूर है कि आज जो उन लोगों ने किया था जिसकी वजह से हमारी सारी जनता विशेष रूप से गांव की जनता त्रस्त है उस तरफ माननीय सदस्यों का भी ध्यान है और सरकार का भी।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसा सोनकर जी ने कहा बख्शी बांध के लिए, बनारस के लिए या और जिन जिलों का नाम नहीं आया है, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, आदि उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है क्योंकि जब ५२ जिले आ जाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि केवल चार जिलों का ही सवाल नहीं है। सब जिलों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक नावों का सवाल है जैसा मैंने संकेत दिया कि पिछले दिनों अगर सरकारी स्तर पर नावों की व्यवस्था विशेष रूप से बाढ़ का मुकाबला करने के लिए की गयी होती तो स्थिति बहुत कुछ ठीक होती। आज भी सेना की नावों की आवश्यकता पड़ी है। सेना की नावों को हमें मांगना पड़ रहा है। इस संदर्भ में जितने जिले हैं उनमें नावों की आवश्यकता है तो सेना की नावें बुलायी गयी है। नौजवान लोग उन पर काम कर रहे हैं। माननीय सदन को इतना ही बताना चाहता हूं कि यह जो बाढ़ की विनाश लीला है यह सारे प्रदेश में आई है। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस बात का संकल्प किया है कि हम आने वाले दिनों में शासकीय स्तर पर नावों की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही साथ जो बांधों को कटने की चर्चा हो रही है जिसके बारे में हमारे सदस्य चिन्तित हैं उसकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। बख्शी बांध के बारे में बता देना चाहता हूं कि रात १२-१ बजे फोन आया था। मिलिटरी के जवानों को सतर्क कर दिया गया था कि उसके बारे में सजग रहें। उसी प्रकार बलिया के बांध के बारे में भी सजग कर दिया गया है। हर जिले में सिंचाई विभाग के अधिकारी इंजीनियर, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी सारे बांधों पर निगरानी रखे हैं और बचाव में लगे हैं। कहीं पर किसी भी तरह की असावधानी नहीं बरती जा रही है और यदि कोई अधिकारी कहीं पर असावधानी बरतता पाया जायेगा तो यदि उसकी असावधानी के कारण हमारे प्रदेश की जनता, एक भी नागरिक, का जीवन त्रस्त होता है तो उसे सरकार किसी भी कीमत पर क्षमा करने को तैयार नहीं होगी।

यह स्वाभाविक है कि प्रदेश के ५२ जिलों में चाहे पूर्वी प्रदेश हो या पश्चिमी प्रदेश हो, जहां भी जनता इस विनाशलीला से त्रस्त हुई है वहां पर नावों की व्यवस्था की जाय।

उस संदर्भ में जितनी नावें मिल रही हैं उनकी व्यवस्था की जायगी। मिश्र जी ने पूछा था कि प्रधान मंत्री आये थे। दिल्ली को ५ लाख मिला तो उनको क्या मिला? सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास कर रही है और अभी तक प्रधान मंत्री कोष से १९ लाख मिल चुका है और भी अधिक धनराशि मिलने की संभावना है। पिछली बार चर्चा हुई थी और इस बार भी हुई। कितनी मात्रा में आप लोग जिनके मकान ध्वस्त होते रहे थे, जीविका के साधन नहीं रहते थे उनको देते थे? अगर उससे मुकाबला करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि तीस साल में आपने सोचा भी नहीं था जितना हमने थोड़े से समय में सरकारी स्तर पर इस सम्बन्ध में कदम उठाया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आगरा में जलकल संस्थान और पावर स्टेशन डूब जायेंगे तो उन क्षेत्रों को पानी तथा बिजली देने के बारे में क्या व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

अगर कोई पावर स्टेशन पानी के अन्दर चला जायगा तो उस समय कैसे नया पावर स्टेशन चालू किया जा सकता है ? उसको बचाने की व्यवस्था अवश्य की जायगी और जो पावर स्टेशन पानी के अन्दर होगा उससे पानी निकालने की व्यवस्था होगी और १५ दिन के बाद वह चलने लगेगा। छिबरो पावर स्टेशन चालू हो गया है। करहल का पानी के अन्दर डूब गया था उसमें से पानी निकाला जा चुका है और सफाई हो रही है। लेकिन समस्या का समाधान केवल इन राहत के कार्यों से नहीं हो सकता। जो इस समय आपात स्थिति आ गयी है उसका मुकाबला किया जा रहा है। वैसे मास्टर प्लान बनाना होगा, दीर्घ-कालीन योजनायें बनानी होंगी और नदियों के पानी को निकाल कर पानी को डाइवर्ट करने की व्यवस्था करनी होगी ताकि प्रदेश की जनता को बचाया जा सके। जैसा ऊदल जी ने कहा पिछली जो सड़कें तथा बांध बने उस समय इस पर विचार नहीं किया गया जिससे प्रदेश के सामने यह संकट आया, इस बात को ध्यान में रख कर भविष्य में काम किया जायगा ताकि अगर कहीं पानी अधिक आ जाय तो अगल बगल के जिले उसके शिकार न हो जायं। गाजियाबाद में हिंडन नदी की तरफ पूरी तरह से ध्यान है। अगर अलीगढ़ बांध कटा तो गाजियाबाद, मेरठ व हिंडन सब एक हो जायेंगे लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी रात-दिन लगे हुए हैं और मेरा विश्वास है किसी सूरत में ऐसा नहीं हो सकेगा वर्ना सर्वनाश हो जायगा उन जिलों का तथा वहां के नागरिकों का। इसलिये मेरा विश्वास है कि किसी कीमत पर वह बांध नहीं टूट सकेगा। सरकार के सामने ये सारी योजनायें हैं।

कुछ प्रश्न अन्तराजकीय तथा कुछ अन्तर्राष्ट्रीय हैं ? जैसे नेपाल का ही मामला है। अन्तर्राजकीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामले सेंट्रल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसके सामने आये थे और भी मामले आगे आयेंगे, उधर सरकार का ध्यान है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भावी योजना हमारी होगी और पिछली सत्ता के जरिये जो एक चीज बननी चाहिए थी वह नहीं बनायी गई जिससे यह विनाशलीला आरम्भ हुई है। इससे आगे आने वाले दिनों के लिये हमें सबक मिलेगा ताकि प्रदेश का जन-जीवन और किनारे के लोग त्रस्त न होने पावें। लगान की वसूली रोक दी गई है ...

कई सदस्य—

लगान की वसूली हो रही है।

श्री राम नरेश यादव—

जो नियम हैं जहां पर ५० प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां की वसूली रोक दी जायेगी... (व्यवधान)।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मुरादाबाद में ७० फीसदी नुकसान हुआ है और वहां पर वसूली हो रही है।

श्री राम नरेश यादव--

मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह वसूली रोक दी जायेगी। उधर के बैठे हुये लोग नौजवानों की बात करते हैं, अपने सीने पर हाथ रख कर टटोलें कि पिछले तीस वर्षों में भी बाढ़ आती रही है क्या कभी विद्यार्थियों की फीस माफ होती रही है ? नहीं माफ हुई है। इस समय उनकी फीस माफ कर दी गई है।

श्री रियासत हुसैन--

१५ अगस्त को फीस वसूल हो गयी है।

श्री राम नरेश यादव--

अगर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस वसूल हुई है तो आगे की फीस से उसे एडजेस्ट कर दिया जायेगा, यह भी व्यवस्था होगी इसके साथ ही साथ जहां पर २५ प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां की मालगुजारी माफ कर दी गई है। इसके अलावा जिन स्कूलों की बिल्डिंग गिर गई हैं उनको अनुदान दिया जायेगा। जिनके मकान ध्वस्त हो गये है, खेती नष्ट हो गयी है उनके लिये पुनर्वास की व्यवस्था की जायेगी। टेस्ट वर्क के बारे में कहना ही नहीं है क्योंकि इस स्तर पर १ करोड़ २८ लाख लोग इससे पीड़ित हैं...

श्री अध्यक्ष--

आपने कहा है कि जहां पर २५ प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां पर मालगुजारी माफ कर दी गई है तो इसे ठीक कर दें।

श्री राम नरेश यादव--

वह ७५ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त टेस्ट वर्क की व्यवस्था हो रही है। सदन के माननीय सदस्य टेस्ट वर्क के बारे में अपने सुझाव दें। बाढ़ खतम होने के बाद सरकार टेस्ट वर्क्स के सम्बन्ध में पीछे नहीं रहेगी। सरकार इस दिशा में जितना अधिक से अधिक हो सकेगा, पैसा खर्च करेगी और प्रदेश की जनता को मरने नहीं देगी...(व्यवधान)।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मकान के गिरने के सिलसिले में २५ और ५० रुपया दिया जा रहा है।

श्री राम नरेश यादव--

एक बात और है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने नावों के बारे में कहा। इस ओर सरकार का ध्यान है। सेना की नावें और हेलीकाप्टर्स दिये जा रहे हैं। रक्षा मंत्री जी आये हुये हैं। उनसे मुझे और भी बातें करनी हैं। इसके बाद जो भी आपकी भावनायें होंगी, हमारे राजस्व मंत्री बैठे हुये हैं, वे उसका उत्तर देंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि क्या उन्होंने फाइल देखी है कि मास्टर प्लान कोई बना था वह कहते हैं कि नहीं है तो क्या यह सही है। सन् १९६५-६६ में ही प्रदेश के फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई और उसमें मास्टर प्लान बना है।

श्री राम नरेश यादव—

मेरी नजर में सब कुछ आया है। उसको इग्जामिन करेंगे कि वह कहां तक उपयोगी है जो आपने दिया है। नये सिरे से उस पर विचार किया जायेगा।

श्री मठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, हंडिया तहसील में बरसात से बरोजा-पिठौली रोड टूट गई है वहां पर बसों का चलना बन्द है उसे तत्काल बनाया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

इधर से बोलना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपको ध्यान रखना चाहिये कि इधर से तीन आदमी बोले हैं। अब इस पक्ष के सदस्य बोलेंगे। माननीय सदस्यों को मैंने कहा है उन्हें बोलने का अवसर मिलेगा चाहे १२ बजे तक चले। (व्यवधान) आप चाहते हैं कि इस पक्ष के लोग ज्यादा व्याकुल हैं तो एक साथ एक दर्जन खड़े होकर बोलें।

श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

यह जो बाढ़ आई है मान्यवर, यह सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं आई है, जनता पार्टी के ऊपर नहीं आई है बल्कि सारे प्रदेश की जनता पर आई है। सभी सदस्यों को इस पर ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा। मुझे हैरत है कि जो विरोधी दल के लोग हैं उनसे सहयोग नहीं लिया जाता है। कहा जाता है कि हम सब से सहयोग ले रहे हैं मगर सहयोग नहीं लिया जा रहा है। बहुत से सुझाव माननीय तिवारी जी ने दिये पूरे प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया। हमारे मुख्य मंत्री जी ५ तारीख को बरेली गये थे वह भी इस बात को भूल गये। मैं प्रदेश के मध्य भाग से आता हूं बरेली जिले से वहां पर बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है चाहे वह बहेड़ी तहसील हो या आंवला तहसील हो।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बाढ़ के ऊपर चर्चा हो रही है मंत्री लोग और सदस्य गण चले गये हैं तो कोरम का क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज बाढ़ पर बहस हो रही है। मैं देख रहा हूं कि राजस्व विभाग के और सिंचाई विभाग के अधिकारी इस गैलरी में नजर नहीं आ रहे हैं यह अत्यन्त अनुचित है और मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह विभागों के अधिकारियों पर थोड़ा नियंत्रण करें। उनको समझना चाहिये कि प्रदेश में बाढ़ आई है उनका दायित्व है कि माननीय सदस्यों की बात सुनें और उनको कार्यान्वित करें। सचिवों को यहां रहना चाहिये।

(राजस्व मंत्री) श्री शारदा भक्त सिंह—

अभी तक सारे अधिकारी थे। लेकिन यहां भारत के प्रतिरक्षा मंत्री आये हैं उनके सामने बात रखनी है कि कितनी नावें चाहिये।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं । जैसा कि राजस्व मंत्री ने कहा जब आपने विशेष तौर से अधिकारियों के सम्बन्ध में बात कही कि लाबी या गैलरी के अन्दर उन्हें मौजूद रहना चाहिए। इस सिलसिले में बिजनेस एडवाईजरी कमेटी में भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था कि अधिकारी गण गैलरी में मौजूद नहीं रहते हैं । जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा उससे तो महसूस होता है कि इस माननीय सदन में जो चर्चा होती है उसका महत्व नहीं है, इम्पार्टेन्स नहीं है । जब इस सदन में एक अहम मसले पर चर्चा हो रही है तो क्या माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने हाजिरी देना जरूरी है । मैं तो समझता हूं कि इस प्रस्ताव को खत्म करके क्लोज कर देना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं है ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, २ सचिव राजस्व विभाग के बैठे हुए थे । क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी आये हुए है और प्रदेश में नावों की बड़ी कठिनाई है इसलिए आवश्यक हो गया था और उन्हें विचार विमर्श के लिए भेजा गया ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सिंचाई मंत्री एवं राजस्व मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि विभागों के अधिकारियों को एहसास होना चाहिए कि यह सदन सर्वोपरि है और इस सदन का सम्मान और इस सदन की भावनाओं का आदर करें । यह उनका कर्तव्य है और सदन सर्वोपरि है । मैं यह देखता हूं कि जब तक अधिकारी सदन की भावनाओं को समझेंगे नहीं तब तक उसका ठीक ढंग के कार्यान्वियन नहीं कर सकते इसलिए अधिकारियों को गैलरियों में मौजूद होना चाहिए ।

श्री हामिद रजा खां--

मैं निवेदन कर रहा था कि बरेली जिला भी बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है । हमारे जिले की प्रमुख नदियों रामगंगा आदि के किनारों पर बसे हुए गांव तबाह हो गये हैं । मेरे क्षेत्र में ही सिरसा, औंधा व श्यामपुर कई ग्राम हैं जिसमें लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है । आबादी कट गई मुहम्मदगंज बराबर का क्षेत्र में लगा हुआ है उस गांव की आबादी बिल्कुल कट गई है । उसके पास जगह नहीं है कि वह सर छिपा सके । जो भी फसल थी वह सब नष्ट हो गई है । यहां तक कि बीमारी भी पैदा हो गई है । मैं यह तो नहीं कहता कि कालरा फैल गया है किन्तु लोगों की हालत बहुत बुरी है । उस तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी तशरीफ रखते थे। ५ तारीख को हो सकता है किसी ने ऐसी खबर दे दी हो कि बाढ़ का प्रभाव नहीं है । आम तौर पर लोग समझते हैं कि हमारी तरक्की इसी में है कि हम किसी चीज को मिनीमाईज कर दें । इस समय ऐसा भी है कि कुछ लोग तमाशबीन भी होते हैं । वह करते क्या है कि बाढ़ में जाकर तमाशबीनी करते है परन्तु इससे काम चलने वाला नहीं है । इस समय राहत पहुंचाने की विशेष आवश्यकता है । जो क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हैं वहां पर फौरन रिलीफ देने की जरूरत है । उन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमारे जिले में बहुत से गांव नष्ट हो गये हैं मैं यह महसूस करता हूं कि वहां पर धन की कमी से राहत कार्य बहुत कम मात्रा में हो रहा है । जैसा कि अभी जिक्र हुआ तमाम सारी योजनाओं का, इन योजनाओं से फौरन सहायता पहुंच नहीं सकती लेकिन जो फौरन रिलीफ लोगों को मिलनी

चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक इन्तजाम किया जाय । इसके अलावा एक बात मैं और कहता हूं कि जो लगान और सरकारी रुपये की वसूली हो रही है जैसे कि मैं अभी क्षेत्र से ही आया हूं, वहां पर वसूली हो रही है मैं चाहूंगा कि वहां पर वसूली स्थगित कर दी जाये । वहां पर सभी देयों की वसूली स्थगित कर दी जानी चाहिए ।

मैं एक बात अर्ज करूं, एक बड़े आदमी खतीन अहमद के खिलाफ १५ सौ रुपया की वसूली के लिए वारन्ट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया, जबकि उनसे रुपया नहीं चाहिए था । केवल इस साल का १० रुपया और बिजली का उनके जिम्मे कुछ बकाया नहीं निकला । उस वारन्ट के बाद वह वहां पहुंचे । तो इस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं । सरकार की नीयत पर मैं शुबहा नहीं करता हूं, लेकिन उसके जो तौर तारीके हैं, कन्ट्रोल का तरीका है, वह कुछ कामयाब नहीं है । ब्यूरोक्रेसी बेलगाम और साथ में बेरकाब भी है, लातें भी मारती है और उठाकर फेंकती भी है, जिससे सवार सही रूप से चैन से बैठने नहीं पाता है । जिसे मुख्य मंत्री ने भी अनुभव किया है और उसके कारण से यह सरकार अनपापुलर होती जा रही है । नतीजा यह है कि आपात काल के जो मुजरिम थे, वह अब जनता में मसीहा मालूम दे रहे हैं । बहुत खराबियां दिखाई दे रही हैं । जैसा मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं सरकार सतर्क और सजग है, लेकिन मेरी राय से अमली तौर पर वह सोयी हुई है और जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वह सिर्फ तमाशबीनी और ठेठरबाजी करते हैं, बस यही चाहते हैं कि अखबार में उनका नाम आ जाए और लोगों को मालूम पड़े कि कुछ हो रहा है । मेरे मित्र लक्खी सिंह न मुख्य मंत्री का जिक्र किया, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूं, वह बड़े ईमानदार और होशियार हैं । उनको उन्होंने बताया कि वह कृष्ण जी के वंश से हैं । वास्तव में हैं, कृष्ण जी गौवें चराया करते थे और मुख्य मंत्री जी शासन की भेड़ों की रक्षा कर रहे है । बड़े होशियार हैं, उन्होंने ब्लैकशिप की गिनती कर रखी है तो जनता पार्टी के अन्दर से जो सबोटेज हो रहा है शासन का कई नेताओं और अधिकारियों की तरफ से उसको वह जरूर जानते हैं और आशा है उस पर नजर भी रखेंगे । यह ऐसा मसला है, जिसमें हमारी सबकी सेवाएं और सहयोग आपको हाजिर है, बशर्ते आप उनको कबूल कर लें ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बाढ़ के अवसर पर मुझे समय दिया । बड़ी देर से प्रतिक्षा कर रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

इस सबकी क्या जरूरत है, आप विषय पर आइये ।

श्री राम आसरे अग्निहोत्री—

मान्यवर, कानपुर जिले में दो तहसीलें जमुना नदी के किनारे पर बसी हुई हैं—भोगनीपुर और घाटमपुर । इन दोनों तहसीलों में करीब ५० गांव बाढ़ से प्रभावित हुई हैं । मैं लगातार चार तारीख से क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मोहटा नाम का गांव है, जो हमीरपुर से लगा हुआ ४ फर्लांग की दूरी पर है, वह चारों तरफ से जमुना की बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था । मेरे साथ घाटमपुर के क्षेत्र विकास अधिकारी और वहां के थानाध्यक्ष भी थे । मैंने जब वहां स्थिति को देखा कि गांव के लोग

[श्री राम आसरेअग्निहोत्री--]

लोगों का रहना मुश्किल हो गया है ? मान्यवर, मैं आपसे नाम बताना चाहूंगा । जय प्रकाश नगर, सिवापुर, मीरापुर आदि गांव हैं जो कि बाढ़ में ऐसे घिर गये हैं कि जन जीवन बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया है । मैं (इस समय ७ बजकर ४५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पुनः पीठासीन हुए ।) आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि उनकी तत्काल सहायता न की गयी तो २-३ दिन के अन्दर उन गांवों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा । मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि तत्काल वहां पर सेना की सहायता पहुंचाई जाय और जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जाये? कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर एक फुट या डेढ़ फुट पानी न हो ? कहीं कहीं तो ४-४ और इससे भी अधिक फुट तक पानी है ? मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बलिया जिले की ओर विशेषकर ध्यान दें । वहां पर जो १० किलो और १५ किलो गहूं बांटा जा रहा था वह भी नहीं बट पा रहा है ? २-३ दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं । वहां पर आपके लोग कुछ सहायता भी नहीं कर पाये हैं ? वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है और असहनीय स्थिति है । इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन मंत्री जी से करूंगा कि बलिया जिले के जल जमाव और अति वृष्टि को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से वहां पर राहत कार्य किये जायें ।

इसके अलावा ड्रेनेज की समस्या वहां पर बहुत ही गम्भीर है । इसके लिए प्लान बनाया जाना चाहिए । बरसाती जो जल होता है उसको लिफ्ट के जरिए या पम्प करके बन्धे से उस पर गिराया जाय नहीं तो मान्यवर, भयानक स्थिति होती चली जायेगी ? सारा क्षेत्र मान्यवर, वहां का जल मग्न हो रहा है । सारा जिला २ महीने से बर्बाद हो रहा है । कम से कम दोआब के क्षेत्र में २० लोग मरे हैं । और आपके माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ५०-६० के बीच में मनुष्यों की बलिया जनपद में मृत्यु हुयी है और सैकड़ों पशुओं की भी मृत्यु हुई है लेकिन फिर भी बाढ़ की विभीषिका की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है । अकेले बलिया जनपद के लिए १ करोड़ की सहायता भी अगर की जाय तो वह भी कम होगी । मेरी प्रार्थना है कि वहां पर राहत कार्य किए जाय और वहां की जनता को बचायें ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अन्त में फिर सरकार का ध्यान बलिया जनपद की ओर आकर्षित करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बाढ़ से प्रभावित बांदा जनपद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले माह में भी जो बाढ़ आयी थी उसने रीढ़ ही तोड़ दी थी । इस महीने भी २-३ सितम्बर से घनघोर वर्षा और बाढ़ से बांदा जिला प्रभावित हो गया है । मान्यवर, अपने क्षेत्र का दौरा करने पर मैंने देखा कि वहां के लोग रोते नजर आये । कुछ लोग तो मुझे पकड़ कर भी रोने लगे, ऐसी स्थिति वहां की हो गयी है । वहां पर इतना होने पर भी वहां पर कोई राहत कार्य नहीं किया गया है । हमारे जनपद में नरैनी तहसील बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हुयी है । उसका मुख्य कारण यह है कि उसके एक ओर बागे नदी है और दूसरी ओर केन नदी है । दोनों के बीच में गांव व शहर अतर्रा, नरैनी, बवौसा, गुढाकला, माखनपुर, खलारी, गाजीपुर, बरकोला, नोंहाई, बन्दवारा, प्रेमपुर, केशरुवा, बहेड़ा, रीगा, बड़े चरसरा, लूक, हजारीपुर, धौरही, हस्तम, तेरा,

देती है। इसका नारा है कि हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर जायेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है जिससे ऐसा प्रतीत हो सके कि जो यह सरकार कहती है वह सच है ? हमारी तहसील मे कुछ नहीं हो रहा है। उसका कारण है और वह कारण है कि हमारे राज्य सिंचाई मन्त्री शारदा प्रसाद रावत से सभी अधिकारी डरते हैं। कहते हैं कि वह मुख्य मंत्री के रिश्तेदार हैं। जितना असर इनका है उतना असर सिंचाई मंत्री बलबीर सिंह का नहीं है ? सभी इनसे डरते हैं। हमारी तहसील में कई लाख एकड़ जमीन बाढ़ से प्रभावित है, जो गांव पानी से घिरे थे उनको सहायता नहीं दी गयी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में गल्ला समय से नहीं पहुंचा और वहां पर केवल ५८ बोरा नमक बंटा है। मान्यवर, जब बाढ़ आती है तो नावे किराये पर मंगायी जाती हैं। एक हजार रुपया एक नाव के लिए देना पड़ता है। अगर हर साल एक हजार रुपया रखा जाये तो १० साल में १० हजार रुपया हो जाता है। सरकार कहती है कि ४० प्रतिशत रुपया देंगे और बाकी रुपया पंचायतों को एकत्र करना होगा। अगर हर पंचायत को एक नाव दे दी जाये तो इतना रुपया किराये के रूप में न देना पड़े और बाढ़ आते ही नाव का उपयोग हो सके। गांवों को ऊंचा कराया जाये और बंधा बनाये जाये। पानी की निकासी की व्यवस्था की जाये। जो सड़के हैं उनको ऊंचा किया जाये। नवगढ़ का बस्ती से सम्बन्ध टूट गया है। वहां पर कोई नहीं जाता है ? मान्यवर, जो एम० एल० ए० बोलता है और शासन को गरियाता है उसी की बात सुनी जाती है ? जो नया होता है उसको बोलने का मौका नहीं मिलता है। जो पुराने हैं वह ट्रेन्ड हैं इसलिए नये जो हैं उनको भी ट्रेन्ड करना चाहिए ? बूढ़ी राप्ती पर अगर बन्धा उत्तर की तरफ नहीं बना तो फिर बाढ की चपेट में वह क्षेत्र आ जायेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे सुझावों पर विचार किया जाये।

*श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की जो प्रलयकारी स्थिति इस प्रदेश में आयी है उसके हल के लिए बहुत से सुझाव आये हैं लेकिन इस समय तत्काल आवश्यकता इस बात की है जो लोग बाढ़ से तबाह हैं उनको किस प्रकार से सहायता पहुंचायी जाये ? मैं बलिया जिले से आता हूं जहां पर एक ओर गंडक और दूसरी ओर घाघरा नदी है और बीच में ५ नाले हैं—टोंस, कटवा, ओयरा, कहरा, ओंसनही। इनका पाट एक नदी के बराबर है और सारा क्षेत्र जल मग्न है। घाघरा में १९७१ से अधिक बाढ़ आयी है और नदी का पानी का स्तर वैसा ही बना हुआ है। हजारों गांवों के लोग पानी में आज घिरे पड़े हैं। उनकी तरह-तरह की कठिनाइयां, चारे की कठिनाई, खाने की कठिनाई, एक गांव से दूसरे गांव में जाने की कठिनाई, बाजार से सामान खरीदने की कठिनाई। बलिया जनपद के अनेको गांवों के लोग आज पानी में लगातार खड़े हुए हैं। हर साल माननीय मंत्री जी का दौरा हुआ लेकिन इस साल जो बलिया जनपद भीषण बाढ़ से घिरा हुआ है, केवल एक बलिया जनपद के मंत्री हैं वे आये और माननीय अध्यक्ष, जनता पार्टी, श्री चन्द्र शेखर जी आये वरना मंत्री परिषद् का भी सदस्य बलिया जनपद के दयनीय स्थिति देखने नहीं आया। मान्यवर, मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम से यह सारी नदियां जो बहकर पूरब की तरफ आती हैं और बलिया में उनकी एक प्रलयकारी स्थिति होती है, जो जल जमाव होता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम गोबिन]

पथरा, मछुदा आदि गांव आधे बह चुके हैं तथा भुकारी, रमपुरवा कुछ अन्य गांव है पूर्णतया पानी की चपेट में बहा चुके हैं। वहां के अधिकारी लोग बराबर राहत कार्य में लापरवाही कर रहे हैं। जो कुछ राहत कार्य हो भी रहा है, रुपये बांटने की व्यवस्था हो रही है, उसमे बांटते कुछ हैं और दिखा कुछ और रहे हैं? वहां पर इतना पानी भर गया है और गांव जलमग्न हो गये हैं कि कुछ लोगों ने तो पेड़ों पर चढ कर अपनी रातें काटी हैं। जिलों में फसले भी पूर्णतया नष्ट हो गयी हैं और लगभग ६०-७० व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गयी है और सैकड़ों पशु बाढ़ में बह गये हैं। इसके अतिरिक्त हजारों घर भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। कुछ लोग घरों के गिरने से मर गये हैं और कुछ नदियों और नालों में बह गये हैं। सरकार बराबर लापरवाही कर रही है। यमुना नदी का पानी बराबर बढ रहा है और इस वक्त चिल्ला की हालत और खतरनाक है। कर्वी तहसील पूर्णतया बाढ़ की चपेट में आ गयी हैं। चिल्ला डाक बंगले में कमर तक पानी जब आया तो वहां पर एक नाव का प्रबन्ध किया गया है। केन नदी के पानी से बांदा शहर के लिए भी खतरा हो गया है इसके पहले भी बांदा शहर में नावें चलती देखी गयीं। इस बाढ़ की तबाही से सभी लोग बरबाद हो गये हैं। बदौसा गांव में नायब तहसीलदार चना बांटने गये थे उनका कहना था कि उन्होंने वहां पर २ बोरे चने बांटे लेकिन जब मैंने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि केवल १ बोरा चना ही वहां पर बांटा गया है।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी)

एक सदस्य--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

अभी कुछ लिखा नहीं जायेगा क्योंकि कोरम नहीं है।

श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, कोरम नहीं है।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति का एक प्रस्ताव यह सदन स्वीकार कर चुका है। इस समय कोरम नहीं है, कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप कृपया बैठें।

(कोरम के लिये घंटी बजते रहने और गणपूर्ति न होने पर।)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मेरा यह सुझाव है कि इस वक्त इसको समाप्त करें, कल जो दो घंटे की डिबेट है, चूंकि राजस्व मंत्री से वह भी सम्बन्धित है, जो माननीय सदस्य आज रह गये हैं, जो बोलना चाहते हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको कल पुकार लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन में कोरम नहीं है ।

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, जो स्थिति है, आपके सामने है । अभी कितनी बातें कह रहे थे कि इस पर बहुत कहना आवश्यक है, अब सब गायब । जो बोल लेते हैं, चले जाते हैं ? लेकिन अब कोरम नहीं है, मेरा ख्याल है कि लिखकर मुझे दे दें या लिख कर अखबार वालों को दे दें ।

श्री रियासत हुसैन--

जो बोलना चाहते हैं और जो रह गये हैं, वह कल बोल लेंगे ।

(कोरम पूरा न होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आइटम ३३, ३४ कल लिये जायेंगे। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ७ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२१ सितम्बर, १९७८

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये नियम २९ (४) के तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२२ पर)

संलग्नक

१—फतेहपुर

२—बहराइच ।

३—फैजाबाद ।

४—प्रतापगढ़ ।

५—झांसी ।

६—लखनऊ।

७—शाहजहांपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३८(२) के तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर उत्तर पीछे पृष्ठ १२३० पर)

तालिका "क"

२५ जून, १९७५ से अब तक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के रोके गये वेतन की सूची

क्रम-सं०	कर्मचारी का नाम	पद	किस अवधि का वेतन रोका गया है	धनराशि (रुपयों में)	वेतन रोके जाने का कारण
१	२	६	४	५	६
१	श्री राम अधार सिंह	फार्मेसिस्ट	१-३-७७ से २१-३-७७	२८१.५०	बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना।
२	श्री रहीम बक्श	फार्मेसिस्ट	१-१-७७ से २८-२-७७	१,०३२.००	तदेव
३	श्री प्रेम नारायण द्विवेदी	फार्मेसिस्ट	२०-२-७६ से २९-२-७६	९१.८५	बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।
४	श्री श्याम स्वरूप	फार्मेसिस्ट	१०-२-७६ से १५-४-७६	६४४ ००	तदेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	श्री रफीक अहमद सिद्दीकी	फार्मेसिस्ट	१-८-७७ से १३-५-७८	३,०००.००	बहाली आदेश के बाद वेतन भुगतान के लिये स्पष्ट आदेश का न होना।
६	श्री हफीज अहमद	फार्मेसिस्ट	६-९-७७ से २८-२-७८ तक प्रथम छः माह का निलम्बन भत्ता (१/२ भाग १-३-७८ से ३०-८-७८ तक द्वितीय छः माह का निलम्बन भत्ता) ३/४ भाग,	१,२६६.०० १,९०२.६०	निलम्बन के पश्चात मुख्यालय पर न रहना।
७	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	स्वास्थ्य सहायक	२१-५-७७ से १५-६-७७	३४१.००	अस्वस्थता प्रमाण-पत्र न देने पर अवकाश स्वीकृत न होना।
८	श्री राजेन्द्र सचान	,,	१८-९-७७ से ३०-११-७७	१,०१९.४०	अनाधिकृत अवकाश पर रहने के कारण।
९	श्री मुन्शी राय	,,	१-७-७८ से ३१-७-७८	७३४.००	कार्य से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहना।
१०	श्रीमती सावित्री वर्मा	स्व० निरी०	२७-४-७८ केवल	१५.००	बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।
११	श्रीमती पी० जे० अस्टीन	,,	१०-१२-७७ से ३१-१२-७७	३३७.१०	बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहना।
१२	श्रीमती एन० एस० राव	,,	१-३-७६ से ३०-६-७६ तक २१-८-७६ से २४-८-७६, २८-८-७६ से ३१-८-७६ तक १०-९-७६ से १२-९-७६, १-१०-७६ से २१-६-७७	१,४०२.०० ३,३३५.००	अनाधिकृत रूप से घर पर बैठ जाना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
१३	श्रीमती विटोल द्विवेदी	परि० क० कार्यकर्त्री	२५-३-७८ से २७-३-७८ तक	४८.२०	बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना।
१४	श्रीमती आई० एम० सिंह	स्टाफ नर्स	१-४-७८ से ३०-४-७८	४४७.००	तदैव
१५	श्रीमती कोमिला देवी	प्रसाविका	१६-१२-७६ से २२-२-७७ तक	५६९.८५	त्याग पत्र देकर चले जाना।
१६	श्रीमती रुद्र कुमारी	प० क० कार्यकर्त्री	९-२-७७ से १६-२-७७, २०-४-७७ से २२-४-७७, २३-४-७७, १७-७-७७ ७-८-७७ तक	४३०.६५	बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।
१७	श्री प्रेम नारायण सक्सेना	सर्विलेन्स इन्सपेक्टर	१-६-७८ से ३०-७-७८	६५३.६८	बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना।
१८	श्री भगवान सिंह सेंगर	तदैव	१४-६-७८ से २५-६-७८	१८८.००	आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र देकर चले जाने व पुनः चिकित्सीय अवकाश बढ़ाने के कारण जिस पर अभी निणय नहीं हुआ।
१९	श्री मक्खन लाल	प्रयोगशाला प्राविधिक	६-९-७७ से ४-३-७८ तक	२,००८.००	अपने व्यय पर पैथालोजी प्रशिक्षण पर जाना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२०	श्री राम भजन	गृह दर्शक	१५-६-७८ से ५-७-७८	२०४.४०	बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहना।
२१	श्री सूरज प्रसाद	चालक	१४-९-७६ से २३-९-७६ २१-१०-७६ से ३०-११-७६ १०-४-७७ से ९-५-७७ ८-७-७७ से २५-७-७७ ८-९-७७ से ३०-९-७७ १४-११-७७ से ७-१२-७७ १-४-७८ से ३-५-७८	१,४९५.७०	तदैव
२२	श्री प्रेम नारायन निगम	वक्सीनटर	१७-५-७८ से १६-६-७८	२९७.९०	बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।

तालिका "ख"

२५ जून, १९७५ से अब तक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रोके गये वेतन

१	श्री छिद्दू खां	नर्सिंग असिस्टेंट	१-४-७८ से ३०-४-७८	२६९.४०	एक माह की सेवा समाप्ति की शर्त के अनुसार अग्रिम वेतन भुगतान नो ड्यूज सार्टीफिकेट का प्राप्त न होना।
२	श्री एस० एन० पाण्डे	तदैव	१-३-७८ से २१-७-७८	१,५४०.००	बिना पूर्व सूचना व अवकाश की पूर्व स्वीकृति न कराना।
३	श्री स्वामी दीन	क्लीनर	१-८-७७ से ३१-१०-७७	७१८.५०	अनधिकृत अवकाश पर चले जाना।
४	श्री नन्द लाल	वार्डब्वाय	२०-१०-७७ से ४-१२-७७	३२५.००	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५	६
५	श्री हीरा लाल	अर्दली	१८–६–७८ से २६–६–७८ तक	४९.६०	अनधिकृत अवकाश पर चले जाना।
६	श्री राज बहादुर खरे	चौकीदार	८–११–७५ से २३–११–७५ २७–११–७५ से ४–१२–७५ १–५–७८ से ३०–८–७८ एवं उसके आगे बराबर अनुपस्थिति	१,२४०.६५	विभिन्न प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्रों में स्थानान्तरण तथा १ मई, १९७८ से लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित रहना।
७	श्री शिव नारायन	चौकीदार	२२–९–७७ से ६–१–७८	३५०.००	निलम्बन अवधि जो बिना वेतन स्वीकृत हुआ।
८	श्री सीताराम	वार्ड ब्वाय	१–४–७८ से २१–५–७८	४५०.००	बिना पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।
९	श्री जफर खां	,,	१–४–७८ से ३–५–७८	३०७.४०	तदैव
१०	श्री लबरा	स्वीपर	२०–५–७८ से ३१–७–७८ तक	६८४.५०	तदैव
११	श्रीमती फूलमती	दाई	७–६–७५ से ४–८–७५ तक	५४६.००	तदैव
१२	श्रीमती राजाबाई देवी,	दाई	१३–११–७६ से २२–११–७६	९०.०५	बिना अवकाश स्वीकृत कराये कार्य से अनुपस्थित रहना।
१३	श्रीमती हरबाई देवी	दाई	१–९–७६ से २२–९–७६ व १–४–७७ से ३१–७–७८ तक	४,१२६.००	बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य से अनुपस्थित रहना।
१४	श्रीमती अखतरी	दाई	८–६–७६ से १०–७–७६	२३५.००	अनधिकृत अवकाश पर जाना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२३३ पर)

नगरपालिका बांदा की मासिक बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित सूचना

नगरपालिका बांदा की मासिक मीटिंग का दिनांक	मीटिंग मे पारित प्रस्तावों की संख्या	मीटिंग में उपस्थित सदस्यों के नाम	मीटिंग की कार्यवाही लिखने वाले अधिकारी व कमचारी का नाम
१	२	३	४
		सर्वश्री—	
११-३-७६	११	१—अशोक कुमार अवस्थी २—अब्दुल हफीज फारूकी ३—मन्ना लाल पुष्पधर ४—शरद चन्द्र चतुर्वेदी ५—प्रेम बाबू गुप्ता ६—कन्हैया लाल विद्यार्थी ७—कैलाश प्रसाद रावत ८—सिद्ध नाथ गुप्ता ९—इमाम बक्श न्याजी १०—मुहम्म अहमद खां ११—फैदाली राम	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, बांदा
२३ ४-७६	१२	१—अशोक कुमार अवस्थी २—कलाश प्रसाद रावत ३—कन्हैया लाल विद्यार्थी ४—सिद्ध नाथ गुप्ता ५—वीरेन्द्र कुमार ६—मुन्ना लाल पुष्पधर ७—दयाराम गुप्ता ८—अब्दुल हफीज फारुकी	श्री गोपाल मनोहर तिवारी सफाई निरीक्षक

विधान सभा

१	२	३	४
		सर्वश्री— ९—इमाम बक्श न्याजी १०—प्रेम बाबू गुप्ता ११—चन्द्र भानु यादव १२—शरद चन्द्र चतुर्वेदी १३—शाकिब जमा १४—श्रीमती गायत्री अवस्थी १५—प्रताप सिंह १६—मुहम्मद अहमद खां	
१८-६-७८	१७	१—अशोक कुमार अवस्थी २—चन्द्र भानु यादव ३—सिद्ध नाथ गुप्ता ४—कन्हैयालाल विद्यार्थी ५—शरद चन्द्र चतुर्वेदी ६—प्रताप सिंह ७—इमाम बक्श न्याजी ८—वीरेन्द्र कुमार	श्री गोपाल मनोहर तिवारी, सफाई निरीक्षक
२४-८-७६	११	१—अशोक कुमार अवस्थी २—कैलाश प्रसाद रावत ३—सिद्ध नाथ गुप्ता ४—शरद चन्द्र चतुर्वेदी ५—शाकिब जमा ६—प्रताप सिंह ७—मुहम्मद अहमद खां	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदा
३०-९-७६	१५	१—अशोक कुमार अवस्थी २—सिद्ध नाथ गुप्ता ३—शरद चन्द्र चतुर्वेदी ४—कन्हैया लाल विद्यार्थी ५—प्रेम बाबू गुप्ता	श्री सतीश चन्द्र त्रिपाठी अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, बांदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
		सर्वश्री— ६—अब्दुल हफीज फारूकी ७—वीरेन्द्र कुमार ८—कदाली प्रसाद ९—श्रीमती गायत्री अवस्थी १०—मुन्ना लाल पुष्पधर	
२५-१०-७६	१३	१—अशोक कुमार अवस्थी २—कैलाश प्रसाद रावत ३—सिद्ध नाथ गुप्ता ४—कन्हैया लाल शर्मा ५—शरद चन्द्र चतुर्वेदी ६—प्रेम बाबू गुप्ता ७—चन्द्र भान यादव ८—शाकिब जमा ९—कदाली प्रसाद १०—दयाराम गुप्ता	श्री प्रेम चन्द्र गुप्ता जूनियर इंजीनियर, नगरपालिका, बांदा
३०-११-७६	२५	१—अशोक कुमार अवस्थी २—कैलाश प्रसाद रावत ३—शरद चतुर्वेदी ४—कन्हैया लाल शर्मा ५—मो० अहमद खां ६—सिद्ध नाथ गुप्ता ७—दया राम गुप्ता ८—मुन्ना लाल पुष्पधर ९—प्रेम बाबू गुप्ता १०—कदाली प्रसाद ११—अब्दुल हफीज फारूकी १२—वीरेन्द्र कुमार १३—इमाम बक्श न्याजी	श्री राजकुमार गर्ग, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगरपालिका, बांदा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
		सर्वश्री--	
२४-१२-७६	२२	१--अशोक कुमार अवस्थी २--कैलाश प्रसाद रावत ३--सिद्ध नाथ गुप्ता ४--कन्हैयालाल विद्यार्थी ५--इमाम बक्श न्याजी ६--शरद चन्द्र चतुर्वेदी ७--अब्दुल हफीज फारूकी ८--श्रीमती गायत्री देवी अवस्थी ९--दया राम गुप्ता १०--फदाली प्रसाद ११--मुन्ना लाल पुष्पधर १२--प्रेम बाबू गुप्ता १३--शाकिब जमा १४--चन्द्र भानु यादव	श्री राज कुमार गर्ग, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर पालिका, बांदा
२८-२-७७	३२	१--अशोक कुमार अवस्थी २--कैलाश प्रसाद रावत ३--कन्हैयालाल शर्मा ४--फदाली प्रसाद ५--वीरेन्द्र कुमार ६--मुन्नालाल पुष्पधर ७--अब्दुल हफीज फारूकी	श्री अख्तर हुसैन, मुख्य लिपिक, नगरपालिका, बांदा
१८-४-७७	४४	१--अशोक कुमार अवस्थी २--फदाली प्रसाद ३--प्रताप सिंह ४--इमाम बख्श न्याजी ५--कैलाश प्रसाद रावत ६--शाकिब जमा ७--कन्हैयालाल शर्मा	श्री अख्तर हुसैन, मुख्य लिपिक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४
		सर्वश्री-- ८--दया राम गुप्ता ९--शरद चन्द्र चतुर्वेदी १०--अ० हफीज फारूकी ११--मुन्ना लाल पुष्पधर १२--प्रेम बाबू गुप्ता	
२२-५-७७	६६	१--अशोक कुमार अवस्थी २--सिद्धनाथ गुप्ता ३--शरद चन्द्र चतुर्वेदी ४--कन्हैया लाल विद्यार्थी ५--फदाली प्रसाद ६--मुन्ना लाल पुष्पधर ७--प्रेम बाबू गुप्ता ८--इमाम बक्श न्याजी ९--अ० हफीज फारूकी १०--वीरेन्द्र कुमार ११--दया राम गुप्ता	श्री अख्तर हुसैन, मुख्य लिपिक
२७-६-७७	४०	१--अशोक कुमार अवस्थी २--अब्दुल हफीज फारूकी ३--शरद चन्द्र चतुर्वेदी ४--इमाम बख्श न्याजी ५--प्रेम बाबू गुप्ता ६--कैलाश प्रसाद रावत ७--कन्हैया लाल शर्मा ८--सिद्धनाथ गुप्ता ९--शाकिब जमा खां १०--प्रताप सिंह ११--श्रीमती गायत्री अवस्थी १२--श्री फदाली प्रसाद माह जुलाई, ७७ में मीटिंग नहीं हुई।	श्री अख्तर हुसैन, मुख्य लिपिक

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४०पर)

तालिका

पंजाब शुगर मिल कम्पनी लि०, धुधली (गोरखपुर) के ऊपर ३१ जुलाई, १९७८ तक श्रमिकों के विभिन्न मदों के बकायों का विवरण —

	रु०
१—वेतन	०९,६४,६०८.८८
२—उपार्जित अवकाश का शेष वेतन	०१,३१,०००.००
३—अन्य भत्ते	६,०००.००
४—मेडिकल अवकाश व अन्य पावने	५५,०००.००
५—बोनस वर्ष १९७४-७५	०१,४३,०००.००
६—रिटेनिंग एलाउन्स ७३ व ७४ का अन्तर	७०,०००.००
७—ग्रेच्युटी	०७,५८,०००.००
८—प्राविडेन्ट फन्ड	०६,००,०००.००
९—ओवर टाइम	४०,२९८.१६
योग ..	२७,६७,९०७.०४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२५७ पर)

सर्वश्री—

१—ए० एन० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

२—ए० के० शाह, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

३—बी० एस० चौहान, अधिशासी अभियन्ता ।

४—लेखराम गर्ग, अधिशासी अभियन्ता ।

५—बी० एन० राजवंशी, अधीक्षण अभियन्ता ।

६—इन्द्रराज अरोरा, अधिशासी अभियन्ता ।

७—जे० एच० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता ।

८—जे० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

९—काजी नसीमुद्दीन, अधिशासी अभियन्ता ।

१०—के० एन० कोहली, अधिशासी अभियन्ता ।

११—के० एस० तरागी, अधिशासी अभियन्ता ।

१२—के० सी० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

१३—एल० बी० तिवारी, मुख्य अभियन्ता (स्वर्गवासी) ।

१४—श्री एल० डी० जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

१५—एल० के० मित्तल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

१६—मदन गोपाल, अधीक्षण अभियन्ता ।

१७—एम० वाई० कुरेशी, अधीक्षण अभियन्ता ।

१८—एम० एच० खान, अधिशासी अभियन्ता ।

१९—एम० सी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।

२०—ओ० पी० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता ।

२१—ओम प्रकाश अगर, अधिशासी अभियन्ता ।

२२—पी० आर० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

२३—आर० एस० बोरा, अधिशासी अभियन्ता ।

२४—आर० बी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।

२५—आर० के० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।

२६—आर० के० अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता ।

२७—रईस दूल्हा, अधिशासी अभियन्ता ।

विधान सभा

सर्वश्री--

२८--राजा राम सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

२९--आर० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

३०--आर० एन० राय, अधिशासी अभियन्ता ।

३१--राम प्रसाद, अधिशासी अभियन्ता ।

३२--आर० एस० राघव, अधिशासी अभियन्ता ।

३३--एस० के० माथुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

३४--एस० सी० तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता ।

३५--एस० एल० भाटिया, अधीक्षण अभियन्ता ।

३६--एस० सी० भटनागर, अधीक्षण अभियन्ता ।

३७--श्रीचन्द्र, अधिशासी अभियन्ता ।

३८--एस० एन० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

३९--एन० पी० निगम, अधिशासी अभियन्ता ।

४०--एस० डी० गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।

४१--एस० बी० गौड़, अधिशासी अभियन्ता ।

४२--उदय प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

४३--बी० सी० गोविल, अधिशासी अभियन्ता ।

४४--बी० बी० श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

४५--बी० डी० पामान, अधिशासी अभियन्ता ।

४६--एस० पी० पांडे, अधिशासी अभियन्ता ।

४७--जे० मित्रा, अधिशासी अभियन्ता ।

४८--जे० एन० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता ।

४९--बी० एस० मित्तल, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

५०--फजलुर रहमान, अधीक्षण अभियन्ता ।

५१--जी० के० अरोड़ा, मुख्य क्षेत्र अभियन्ता ।

५२--हरपाल सिंह, मुख्य क्षेत्र अभियन्ता ।

५३- नरेन्द्र पाल मलिक, अधिशासी अभियन्ता सिविल ।

५४--पी० के० कटियार, अधिशासी अभियन्ता ।

५५--राजेन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

५६--आर० के० गौतम, मुख्य क्षेत्र अभियन्ता ।

५७--राजेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

सर्वश्री--

५८--राजेन्द्र प्रकाश अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता ।

५९- एस० एल० भार्गव, अधिशासी अभियन्ता ।

६०--वी० पी० सिंह, सहायक अभियन्ता ।

६१--वी० आर० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता ।

६२--वी० एम० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता ।

६३--डोरी लाल, सहायक अभियन्ता ।

६४--ए० के० गंगोली, सहायक अभियन्ता ।

६५--डी० एन० श्रीवास्तव, सहायक अभियन्ता ।

६६- जगदीश राय जैन, सहायक अभियन्ता ।

६७--लल्लन सिंह, सहायक अभियन्ता ।

६८--आर० एस० चौधरी, सहायक अभियन्ता ।

६९--एस० एन० सारस्वत, सहायक अभियन्ता ।

७०--पी० एन० मेहरोत्रा, सहायक अभियन्ता ।

७१--ईश्वर दयाल अग्रवाल, सहायक अभियन्ता ।

७२--अरुन कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता ।

७३--के० एन० सिंह, सहायक अभियन्ता ।

७४--आर० डी० श्रीवास्तव ।

७५--आर० डी० महेश्वरी ।

७६--आर० बी० माथुर ।

७७--एच० एम० पी० मुकर्जी ।

७८--एस० सी० कौशिक ।

७९--यू० बी० सिंह ।

८०--यू० पी० माथुर ।

८१--आर० एस० एल० भटनागर ।

८२--पी० पी० अरोड़ा ।

८३--एस० एम० जफर ।

८४--के० एस० ऐलन ।

८५--वी० के० अग्रवाल ।

८६--वी० रहमान ।

८७--एच० के० सहाय ।

सर्वश्री--

८८--मोहन लाल ।

८९--बी० एस० टन्डन ।

९०--सुरेन्द्र श्रीवास्तव ।

९१--पी० एस० माथुर ।

९२--ए० पी० सिंघल ।

९३--एच० सी० मित्तल ।

९४--आर० डी० गौड़ ।

९५--दिनेश चन्द्र ।

९६--डी० पी० शर्मा ।

९७--टी० सी० गोयल ।

९८--आर० पी० कक्कड़ ।

९९--जी० के० श्रीवास्तव ।

१००--भीखी प्रसाद ।

१०१--ज्ञान चन्द्र वर्मा ।

१०२--एम० एल० गोविल ।

संलग्नक 'ख'

१--ए० एच० कुरेशी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

२--ए० पी० मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता ।

३--के० सी० गंगल, अधीक्षण अभियन्ता ।

४--भूपाल सिंह, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

५--बी० बी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता ।

६--बी० एस० मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता ।

७--बेचू लाल, अधिशासी अभियन्ता ।

८--बी० डी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

९--सी० पी० एस० कुडोर, अधिशासी अभियन्ता ।

१०--डी० पी० शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ।

११--डी० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

१२--जे० एस० खालसा, अधिशासी अभियन्ता ।

१३--जी० सी० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

१४--घासी राम सिंघल, अधिशासी अभियन्ता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सर्वश्री—

१५—आई० सी० कोहली, अधीक्षण अभियन्ता ।

१६—के० सी० वर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ।

१७—एम० एस० भार्गव, अधिशासी अभियन्ता ।

१८—एम० एस० गोविल, अधिशासी अभियन्ता ।

१९—नफीसुल हसनैन, अधिशासी अभियन्ता ।

२०—आर० एन० भार्गव, मुख्य अभियन्ता ।

२१—रवीन्द्र सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

२२—आर० सी० भाटिया, अधिशासी अभियन्ता ।

२३—सभाजीत सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

२४—सुन्दर लाल, अधिशासी अभियन्ता ।

२५—एस० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

२६—यादव राम गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता ।

२७—विजय कुमार श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता ।

२८—एच० पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता ।

२९—राजा राम सिंह, अधिशासी अभियन्ता ।

३०—मथुरा राय, अधीक्षण अभियन्ता ।

३१—के० पी० अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता ।

३२—आर० एस० राघव, अधिशासी अभियन्ता ।

३३—एस० पी० भटनागर, अधीक्षण अभियन्ता ।

३४—के० के० एल० तोमर, अधिशासी अभियन्ता ।

३५—ए० के० शर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

३६—जी० एस० गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ।

३७—एस० वाई० कुरेशी, अधिशासी अभियन्ता (सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता)।

३८—आर० आर० वर्मा, अधिशासी अभियन्ता ।

३९—जे० एस० राना, सहायक अभियन्ता ।

४०—पवन कुमार, सहायक अभियन्ता ।

४१—पी० एस० गुप्ता, सहायक अभियन्ता ।

४२—रघुराज सिंह, सहायक अभियन्ता ।

पी० एस० यू० पी०—७६ विधान सभा—२३-१-७९-८३५ (पी० डी०) ।

अध्यक्ष सभा